



प्रकाशक :
कन्हैयालाल कोटेचा श्रावक
मु० पाथरी
पो० मारेगाँव रोड
(जिला यवतमाल-वरार)


सर्वाधिकार सुरक्षित


मुद्रक :
वल्लभदास जाज, मैनेजिंग एजण्ट
“ श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड, ” वर्धा

क्या कहाँ है ?

अध्याय विषय	पृष्ठ
... निवेदन	१ से १५
.... समर्पण	१६
१. दुर्गमी चाल	१
२. भावों की महिमा	७
३. साधु-जीवन	१०
४. न्यायन द्रोप (धार्याना द्रोप)	२९
५. मच्चित्त-अचित्त (आश्रमार्गी)	४७
६. जीमग	११७
७. निग्य-पिण्ड	१२४
८. पानौ	१३६
९. भोगों का त्याग	१४६
१०. आक्षर-अनाक्षर	१५०
११. दान और प्रशंसा	१५४
१२. अज्ञान कुल में गोचरी	१५७
१३. ईर्या-समिति	१६२
१४. वस्त्र और पात्र	१६९
१५. स्नान	१९६
१६. गोचरी + पचमी + विहार आदि	२०४
१७. प्रतिष्ठेखना	२२६

१८. शिक्षण आदि	२३०
१९. जुर्वों की पोटली	२३३
२०. चोरी	२३६
२१. पत्र-व्यवहार आदि	२३९
२२. किवाड़ खोलना, वन्द करना	२४५
२३. माया-कपट	२५६
२४. भाषा-समिति	२६३
२५. अनुचित आदर	२६९
२६. पूजा-सत्कार	२७२
२७. प्रतिक्रमण	२७७
२८. पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ	२७९
२९. संवर	२८५
३०. व्रत-मंग	२८९
३१. असंव्रत	२९२
३२. आलोचना	३००
३३. हाजिरी और लेख	३०६
३४. छट्टा गुणस्थान	३११
३५. अकेले में साधुत्व	३३७
३६. साध्वी	३४०
३७. जिन-आज्ञा-पालन	३४६
उपसंहार	३५९
परिशिष्ट १: ४२ दोष, ५२ अनाचार आदि	३६२
परिशिष्ट २: श्रीसाधु प्रतिक्रमण पाठादि	३७३

भूमिका



श्री. कन्हैयालालजी कोटेचा की यह पहिली कृति पाठकों के सामने है। जो गत चारसौ से अधिक पृष्ठ में लिखी गई है उसपर थोड़ी-सी पंक्तियों में मैं क्या प्रकाश डालूँ ? पाठक पुस्तक से वाँटें करेंगे तो पुस्तक सब कुछ बोल ही देगी। मैं तो इस बारे में बस इतना ही कहूँगा कि जिस परिस्थिति और वातावरण में से कोटेचाजी निकल चुके हैं, उसी पर अनुभव और अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह बृहद् पुस्तक लिखी है, इसी दृष्टिकोण से अध्ययन के परिणाम-स्वरूप उन से बड़ा विद्वान भी इस विषय पर जो कुछ लिखता—चाहे वह कितना ही अच्छा लिखता—उससे इस पुस्तक का मूल्य स्वाभाविक तौर पर ज्यादा ही है, क्योंकि अनुभव ज्ञान के साथ मिलकर ज्ञान को प्रामाणिक बना दिया करता है।

मैं यह कह दूँ कि लेखक के विचारों में और मेरे विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। उन्होंने तेरहपंथी इवेताम्बर साधुओं की शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना की है लेकिन मैं किसी की आलोचना इस दृष्टि से न करके जग-हित की दृष्टि से ही किया करता हूँ। फिर भी मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि लेखक ने ईमानदारी के साथ साधु-वैप-धारी असाधुओं की आलोचना में काफी सत्साहस का परिचय दिया है और मुझे आशा है यह सत्साहस उनके जीवन की प्रगति को यहाँ तक सीमित न रख

कर और आगे—बहुत दूर—ले जायगा, और निज-पर-हित के महान यज्ञ में कुछ विशेष सेवा करने योग्य बना देगा ।

मुझे जैनियों में दिगम्बर साधुओं के कारनामों का तो पता था और समझता था कि श्वेताम्बरों के साधु सच्चे साधु तो क्या होंगे पर कुछ भले होंगे, लेकिन इस कित्ताव को पढ़कर मालूम हुआ कि जो बेदगी रफ्तार वहाँ थी वही यहाँ भी है, अन्यत्र भी यही गड़बड़ है ।

ये साधु ऋहलाने वाले लोग साधु तो क्या, मनुष्य भी नहीं हैं—हाँ, वे मनुष्यत्वहीन मनुष्याकार जन्तु जरूर हैं । कोई मेरी बात माने या न माने लेकिन दूसरे देशों के इतिहास ने मानव-प्रकृति के अध्ययन और अनुभव ने और उतावली में नहीं बल्कि बहुत गभीरता के साथ धीरे-धीरे बहकर मेरी विचार-धारा ने मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि बिना डंडे की ताकत के इन तथा ऐसे जन्तुओं की अक्ल ठिकाने नहीं लाई जा सकती । जबतक इनकी पीठ पर कोड़े न बरसाए जायँ और मजदूरी में लगाकर महनतकशी और ईमानदारी के साथ चार रूखी-सूखी रोटियाँ खाकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर न किया जाय तबतक ये लोग हराम के टुकड़े तोड़ते हुए समाज की छाती पर मूँग दलने और माता मेदिनी को अपने बोझ से कुचलने और रौंधते रहने की गुस्ताखी करने ही रहेंगे । इन में कुछ अच्छे आदमी नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब सामूहिक रूपसे विचार किया जाता है तब व्यक्ति विशेष के प्रति अन्याय हो सकता है पर उस अन्याय की जिम्मेदारी विचारक पर भी नहीं

लादी जासकती, गेहूँ के साथ धुन भी पिस ही जाया करते हैं। इसलिए यह मानते हुए भी कि भारत में साधु कहलानेवाले लाखों व्यक्तियों में थोड़े से भले भी होंगे, मैं अपने उपरोक्त निर्णय में दृ.ख के नाथ किसी परिवर्तन की गुंजायश नहीं पाता। स्वयं लेखक मेरी इस राय से सहमत नहीं होंगे, शायद पाठकों में से इनेगिने ही सहमत होंगे लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ जो समझा है वह आगे रख दिया है। अपनी बात कह देने में डर कैसा होता है यह मैंने कभी नहीं जाना है।

मुझे व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं है, इन साधु कहलानेवाले प्राणियों से भी नहीं है। ये तो सचमुच बेचारे हैं, दया के पात्र हैं। इनसे द्वेष कैसा ? पर इनका सुधार करने की भावना से ही मैंने अपनी बात कह दी है। लेखक ने भी इसी भावना से प्रेरित होकर इतनी बातें कह टाली हैं। समय बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। पहिले ही इन लोगों ने अपने को न सुधारा तो समय आने पर मेरे बताए हुए उपाय की चक्की में पिसकर उन्हें अपने कारणों का नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऐसी नौबत न आए। मेरी हार्दिक भावना है इनका सुधार हो और ये लोग अपने और दुनिया के लिए उपयोगी सिद्ध होकर अपना मानव-जीवन सफल बनाएँ।

रघुवीरशरण दिवाकर

बी. ए., एल-एल. बी.

वर्धा।

धन्यवाद—

इस पुस्तक का मुद्रण इतना अच्छा हो पाया है इसके लिए मैं श्री० वल्लभदासजी जाजू, मैनेजिंग एजेंट 'श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड, वर्धा' का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने काफी दिलचस्पी के साथ विशेष तौर पर इस पुस्तक का खयाल रखा है। साथ ही मैं भाई हीराचन्द श्रावणे जैन को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रूफ-करेक्शन में काफी सहायता दी है।

—प्रकाशक

निवेदन



विचारशील पाठकवृन्द !

मेरे इस पुस्तक के लिखने का क्या कारण हुआ और किस उद्देश्य का सिद्धि के लिए यह लिखी गई इसको खुलासा तौर पर बतला देने का अभ्यन्त आवश्यकता है। वैसे तो पारस्परिक विरोधों का लेकर अनेक व्यक्ति अपनी बातकी पुष्टि करने और विपक्षी की बात का खण्डन करने का प्रयत्न किया ही करते हैं मगर मेरा उद्देश्य इसमें रागद्वेष वश जैन श्वेताम्बर तेरह पंथ सम्प्रदाय के खण्डन करने का कर्तव्य नहीं है। मुझे तो केवल जो जो घटनाएँ जिस प्रकार घटी हैं और जिस प्रकार से जैन श्वेताम्बर तेरह पंथ सम्प्रदाय के साधुगण शास्त्र-विरुद्ध आचरण कर रहे हैं वही यथार्थ रूप से पाठकों के सम्मुख रख देना है।

मेरा जन्म विक्रम सं० १९५१ में भाद्रपुदी ४ को हुआ था। मैं अपने पिताजी श्री० हजारीमलजी कोटेचा का दत्तक पुत्र हूँ। मेरे पिताजी हमारी त्रिरादरी में एक धनाढ्य व्यक्ति थे, जैन श्वेताम्बर तेरह पंथ सम्प्रदायके प्रमुख श्रावक थे। मुझे बचपन से ही अध्यात्म विषय की चर्चा का बड़ा शौक था। जब मैं १०-११ वर्ष का था उस समय स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य श्री० सिरिलालजी

महाराज की सेवा में विशेष समय व्यतीत किया करता था । स्थानक-
 वासिया वा मगति में मेरे पिताजी को कोई बाधा नहीं थी । ब्रह्म
 दत्त गुरु देवबकर म. १८६६ के करीब मेरे विचार जैन धर्माम्बर
 तेरह पथ सम्प्रदाय की तरफ झुके और मैंने लाहन् (मारवाट) में
 आचार्य महाराज के समक्ष इस सम्प्रदाय की श्रद्धा ग्रहण की ।
 स. १८६८ में मेरा विवाह हुआ । स. १८७७ के करीब मेरे पिता
 जी का देहावसान हुआ । उसके बाद मेरी वैराग्य भावना प्रबल हो
 उठी ता मैंने अपनी माताजी से दीक्षा लेनेकी अनुमति मांगी मगर
 उन्होंने माफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि जन्तु में जिंदा हूँ
 तबतक तुम दीक्षा का नाम न लो । उनकी अन्धाकृति के कारण
 मुझे उस समय दीक्षा लेने का विचार टाड़ना पड़ा लेकिन स.
 १८८६ से मैं शाल धर्म का पालन करने लगा । करीब दस साल
 तक शाल धर्मका पालन करता रहा । मन्वन् १८८२ के करीब
 मेरी माताजी का देहान्त हो गया । माताजी के देहावसान के बाद
 मेरे विचार फिर दीक्षा की तरफ खिंचे मगर लखों का व्यापार फैला
 हुआ था इसलिए करीब तीन वर्ष व्यापार को संभालने और सुव्यवस्था
 करने में व्यतीत हो गए । मैंने अपनी सम्पत्ति पर एक ट्रस्ट कायम
 करा दिया जिसके चार ट्रस्टी (१) श्री. पूनमचंदजी चारडिया, (२)
 श्री. लखनमलजी भंडारी, (३) श्री. नथमलजी भंडारी, और (४)
 श्री. कादरगमजी कोटेशा नियुक्त किए गए । उस समय मेरे तीन
 पुत्र थे [१] मूलचंद [सबसे बड़ा], [२] लोमकरण [मँझला] और
 कनकमल [सबसे छोटा] । मेरी वैराग्य भावना इतनी तीव्र थी कि
 मैंने अपने बड़े पुत्र मूलचंद को सम्पत्ति सहालने और घर बनाए

रखने के उद्देश्य से छोड़कर शेष दोनों पुत्रों में कहा कि "मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा, अगर तुम लोगों की भी आत्म कन्याण करने की भावना हो तो तुम भी दीक्षा ग्रहण करो।" लाभकरण को तो विशेष रुचि हुई नहीं मगर कनकमल ने दीक्षा लेनेकी उम्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने अपनी धर्म-पत्नी से भी दीक्षा लेनेके लिए कहा मगर उम की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार सं० १८८५ की कार्तिक सुदी ३ को मैंने तथा मेरे कनिष्ठ पुत्र कनकमलने जैन श्वे० तेरह पंथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री. तुन्दी रामजी द्वारा सरदारशहर [बीकानेर] में दीक्षाग्रहण की। उस दिन दीक्षा ग्रहण करने वाले पुरुषों और स्त्रियों की संख्या २१ थी। दीक्षा लेते समय मेरी वैराग्य भावना बहुत गहरी थी, परिणाम अत्यन्त दृढ़ थे, उस समय मेरे पास दो लाख की सम्पत्ति थी स्त्री, पुत्र दन्धु बान्धव, राज्य-सन्मान आदि सुख पुण्य के प्रभाव से उपलब्ध थे, मगर वैराग्य की सुदृढ़ भावना के सामने ये सब तुच्छ हो गए।

पहिले ही दिन जिस समय दीक्षा लेकर मैं टोले में सम्मिलित हुआ तो देखता क्या हूँ कि साधुओं को जहाँ शास्त्रानुसार सात्विक आहार करने का विधान है वहाँ साधुगण रसयुक्त पौष्टिक (जिसको मारवाड़ी भाषा में 'मालखाना' कहते हैं) माल उड़ा रहे थे। आहार को विशेष स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसन के भुने हुए कुल्लिए, लहसन और मिर्च के बने हुए वाटिये, भुना हुआ नमक आदि दाल शाक वगैरह में डाल रहे थे। साधुगण की खानपान में यह जिह्वा-लोलुपता देख कर तथा परस्पर की

बोल चाल की भाषा का तरीका देखकर मुझे उसी समय उन लोगों के साधुत्व में शंका होने लगी । मैंने सोचा कि अभी तो पहिला ही दिन है, कुछ दिन इन लोगों की गतिविधि को गहराई के साथ सब तरह से देखना चाहिए और इस प्रकार उन लोगों की तरफ से हृदय में शंका उत्पन्न होने के कारण लोगों के हर तरह के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखने की दृष्टि हो गई । धीरे धीरे उन के आहार, विहार, रहन-सहन, आदि सब तरह की क्रियाओं पर ध्यानपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि उन लोगों के व्यवहार में जीवनमें माया कपट भरा पड़ा है । एक दो महीने व्यतीत हुए होंगे कि मेरे ही एक रिश्तेदार श्री० जगन्नाथजी भंडारी जो उस समय करीब २० साल हुए थे कि वे इस सम्प्रदाय में साधु हो गए थे और उस समय एक सिंघाड़वन्द (नेता) साधु थे, माघ-महोत्सव पर आचार्य महाराज के समीप आए थे । बयों कि वे मेरे रिश्तेदार थे इस लिए उन पर विश्वास करके मैंने उन से पूछा—इस सम्प्रदाय के साधुओं का आचार और व्यवहार आप को कैसा लगता है ? यह सुनकर वे डर के मारे कुछ नहीं बोले । फिर मैंने उन से पूछा कि गरम पानी में उवाले हुए (शंकायुक्त और जिनका रूप रस, गंध, स्पर्श न बदल सका हो) छिलके सहित अखंड नारंगी (सन्तरे), अखंड अमरुद, अखंड नाबू (दाल शाक आदि में रस डालने के लिए), अनारके कुल्लिए, अंगूर, सेब, नास्पती, खुरमानी के बादाम, हरी किशमिश, बीज रहित मुनक्का आदि ऐसी अनेक वस्तुएँ जिन के सञ्चित होने की पूरी सम्भावना है, ये

लोग निःशंक हो कर सेवन करते हैं और पानी भी (थोड़ीसी राख से बनाया हुआ) शंकायुक्त तथा पाँतेरे का आहार आदि शास्त्र-विरुद्ध बहुत से दोष युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं । तब जगन्नाथजी ने कहा—भाई, मुझे तो यह हालत देखते हुए वास वर्ष हो चुके हैं मगर लोक-भय के कारण बोलने तक की हिम्मत नहीं होती, करें तो क्या करें ? इन नए आचार्य के गद्दी-नशीन होने के बाद तो हालत नित्य प्रति दिन और बिगड़ती जा रही है । दूमरे जैन नाम धारी साधु जो काम खुल्लम खुल्ला करते हैं वेहीं सब काम ये लोग छिपा छिपा कर कपटपूर्वक करते हैं । भगवान की आज्ञा के विरुद्ध बहुत से काम ये लोग संकेत-सूचक भाषा से कराते हैं । इस पर मुझे यह खयाल हुआ कि किसी विद्वान साधु से पूटना चाहिए कि ऐसे आचार और व्यवहार के सम्बन्ध में शास्त्रों में क्या वर्णन है । बस, चूरु वाले श्री० सोहन लालजी महाराज से पूछताछ की । वे कहने लगे कि साधु भले ही हजारों दोष-युक्त पदार्थों का सेवन करें पर अन्तिम समय आशेचना करले तो आराधक हो जाता है । किसी स्त्री को साधु अपना जंघा पर बिठला कर अलिंगन करे, अङ्ग-कुचेष्टा करे तो भी साधु का साधुत्व नष्ट नहीं होता है, वह केवल दंड का अधिकारी होता है । साधु का साधुत्व तो सुई-डोरा बद्ध मैथुन से ही जाता है । फिर जैवनलालजी, चम्पालालजी, नथमलजी आदि कई साधुओं से कई तरह के प्रश्न पूछे मगर किसी ने भी संतोष जनक उत्तर नहीं दिया । पूछने पर एक बार भीत्र राजजी ने यह फरमाया कि आराधक होना बड़ा मुश्किल है आराधक होने

की बात बेचली ही जानते हैं ।

इस के बाद आचार्य महाराज का विहार हुआ । कई स्थानों में होते हुए हम मुकाम चुरु पहुंचे । वहाँ के श्रावक अन्य स्थानों की तरह महाराज के पंचमी जाने के समय 'घणी खम्मा' 'अन्नदाता' 'पूज्य परमेश्वर' आदि अनेक सन्मान-सूचक शब्द साथ साथ चलते हुए नहीं बोल रहे थे । इस पर कई साधुओं ने वहाँ के श्रावक से कहा कि यहाँ के भाईयों में भाक्ति कम है । दुमरे नगर में तो महाराज के पंचमी जाने के समय श्रावक लोग 'घणी खम्मा' आदि अनेक सन्मान सूचक शब्द जोर जोर से बहूत बोलते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नजर नहीं आता । इस पर श्रावक लोगों में बात चली जिस के फलस्वरूप अगले ही रोज 'घणी खम्मा' आदि के बुलन्द नारे लगने लगे । इस के बाद ही चुरु में माधोलालजी ने आचार्य महाराज से कहा कि हमारे सम्प्रदाय में जो यह नियम है कि यदि श्रावक श्रद्धावश साधु के भावनार्थ धोवन पानी (अचित्त पानी) रखे तां साधु उस पानी को ले सकता है, शास्त्र विरुद्ध है । इस शंका का समाधान न होने पर माधोलालजी इस तरह पंथ सम्प्रदाय से अलग हो गए । इस के बाद चुरु से आचार्य महाराज का ५८ ठाणों सहित राजलदेसर की तरफ विहार हुआ और ५८ ही ठाणों सहित आचार्यजी के सगे भाई श्री० चम्पालालजी महाराज का विहार सरदार शहर की तरफ हुआ । साधुओं के आहार जल की कठिनाई मिटाने के लिए श्रावक लोग बड़ी सख्यामें गाँव गाँव में ढेरे डालते हुए चलते थे । आचार्य महाराज राजलदेसर पहुँचे ।

जिस मकान में ठहरे थे वहाँ के एक कमरे में विवाह रस्मी में
 बंध किए हुए थे। उन विवाहों को खेलने के इरादे में चोगमन्त्री
 महाराज ने भस्मी गोल दी। विवाह हूल गए शाम को
 श्रावणों को विवाह बन्द करने का मकैत बनने से विवाह बन्द
 हो गए। इस प्रकार अपनी सुविधाओं को देखते हुए काम करते
 आँकार लेते थे। उन्हीं मकान में क्रमशः बढ़ते थे। साधु लोग
 उन्हें रजो-रण की डढ़ी से उड़ा दिया करते थे। एक दिन
 राम राजनी साधु में भैल कहा-वेचारे तिर्यक को क्यों उडाते
 हो, अल वररु होंगे तो अन्तराय होगा, मगर उन्होंने ध्यान नहीं
 दिया। एक दिन मानमलत्री नागक साधु ने कहा कि नासिंह
 वेचारा ही लोगों का बढ़ते काम करता है। प्रतिक्रमण का हुकम
 होते ही सतियों को ठिकाने मालूम कर देता है, रेशनी की
 चरुत होने पर लालटेन ले आता है, आचार्य व साधुओं के
 लिए पचमी की जगह तलाश कर के शता देता है, वर्षा
 के समय खिड़की दरवाजे बगैरह बन्द कर देता है और वर्षा
 के बाद खोल देता है। आहार के लिए गेहों (पहाव) के डेहों
 की सख्या बता देता है। इस तरह के अनेक काम करता है।
 आचार्य महाराज के बड़े भाई चम्पालालजी इस समय सरदार
 शहर में थे। वहाँ से एक श्रावण के द्वारा आचार्य महाराज
 से पुछवाया कि विहार कर के किस रस्ते में आवें। उत्तर में
 रत्नगढ़ का हुकम मिला। जब चम्पालालजी रत्नगढ़ पहुँचे तो आ-
 चार्य महाराज उन के स्वागत के लिए गए। इस प्रकार के पाट
 सम्मान देने से साधुओं में भी इस बात की कामी आलोचना

हुई। आचार्यजी ने साधुओं को उलाहना देते हुए कहा कि जय महाराज के वक्त भी उन्होंने अपने भाई को पाट पर बैठने का सम्मान दिया था, यह तो आचार्य की मरजी की बात है कि जो तबियत में आए वह करें। इस के बाद आचार्यजी ने चम्पालालजी का अनुचित सम्मान करने की भूल का अनुभव किया। जिस वक्त हम लोग रतनगढ़ में थे उस वक्त मेरे रिश्तेदार (न्याताले) भी आचार्यजी की सेवा करने आए। उनसे मैंने ने प्राइवेट तरीके से वहाँ का सब हाल कहा। इस के बाद आचार्य जी का बिहार बिदासर की तरफ हुआ तो हस्तीमलजी (जो पहिले साधु था और फिर निकल कर श्रावक रूप में अपनी ज़िदगी इन के सहारे व्यतीत करता था, अब भी करता है) ऊँट पर चढ़ा हुआ बिदासर की तरफ जा रहा था मैं पंचमी से वापिस आरहा था। मैंने पूछा — हस्तीमलजी, कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला — पूज्य महाराज का बिदासर के बिहारका हुकम हुआ है अतः अगले स्थान का प्रबन्ध करने जा रहा हूँ। फिर महाराज का बिहार हुआ। साथ में श्रावकों के कार्फा डेरे थे ही। रास्ते में एक छोटे गाँव में पड़ाव हुआ। उस वक्त वर्षा की बूँदें गिर रही थीं। साधुओं ने आचार्यजी से आहार की आज्ञा माँगी। आचार्यजी ने कहा— श्रावकों से पूछो कि पानी की बूँदें आती हैं या नहीं? पूछने पर कुछ श्रावकों ने कहा— नहीं आती हैं कुछ ने कहा ठहर ठहर कर आती हैं। इसी बीचमें करीब सौ ठाणोंका आहार आ चुका। पाँच छः मिनट बाद तो वर्षा ज़ेरो से होने लगी। साधुलोग गाँव में तीन चार जगह ठहरे हुए थे। पंचमी का बहाना कर के सब को आहार पहुँचाया गया इस के बाद

जयगणे नामक गाँव के लिए विहार हुआ। उस समय भी थोड़ी थोड़ी बूँदें गिर रही थीं। एकबार जब जयगणे में आहार पानी आचुका था तब मैं भी पिछले गाँव में आ पहुँचा। रास्ते में चौधमलजी मडाराज से मुलाकात हुई। वे किसी ठिकाने आहार पहुँचाने जा रहे थे। मैं भी उन के साथ हो गया। मैंने उन से पूछा-कहाँ टहरनी है ! तो जिस ठिकाने उन्होंने आहार दिया, वही ठिकाना मुझे बना दिया और वहाँ आधा आहार दे दिया। बर्षा चान्द्र थी वहाँ आधा आहार दूसरे ठिकाने पहुँचाना था। चौधमलजी ने कहा कि मुझे लघुशंका करनी थी इसलिए आहार ले आया वहाँ आधा आहार दूसरे ठिकाने देकर लघुशंका निवारण करूँगा। यह है उन का काम निरानन्दने का कपटयुक्त ढंग।

जयगणे में विहार कर के आते वस्तु बर्षा के कारण करीब बारह तेरह साधु पिछले गाँव में टहर गए थे, उन में एक मैं भी था। इन साधुओं के लिए एक श्रावक जो चला गया था, बाल बच्चों सहित वापिस पिछले गाँव आया और साधुओं से कहने लगा— मडाराज, वारिस की वजह से आप लोगों का विहार नहीं हो सका इसलिए मैं वापिस आया हूँ। रसोई बन रही है। कृपा करके गोचरी के लिए पधारिएगा [इस निषय और प्रसंग को लेकर जो मैंने पैम्फ्लेट प्रकाशित किए हैं उन में इस का जिक्र किया है] जयगणे में कुछ साधुगण मेरे सामने ही ऐसी ऐसी आलोचना करने लगे जो एक साधुजीवन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि उस पर एक कलंक थी। एक चौधमलजी (दूसरे) नामक साधुने फ़रीब दो घंटे तक ऐसी बातें सुनाईं जिन में यह भी कहा कि

पंचमी का बहाना करके सोहनलालजी आदि बड़े बड़े पंडित संत जोधपुर में मंदिर या रानी का बाग़ तथा उदयपुर में सहेलियों की चाड़ी आदि देखने गए थे। खैर यहाँ से विदासर का बिहार हुआ। वहाँ शोमाचन्दजी नाम के एक श्रावक से सुखलालजी महाराजने कहा—वाटियाँ कच्ची थीं। एक साधु ने कहा—घी नहीं था।

इस प्रकार की अनेक बातें हैं जो साधु जीवन के लिए बहुत ही दोषयुक्त हैं। यह सब लीला देख कर मैंने यह निश्चय कर लिया कि यहाँ रह कर अपनी आत्मा का पतन करना है उसे कलुषित कर के अपनी साधना को और अपने जीवन को नष्ट करना है। दिल फट गया। मैंने अपने कनिष्ठ पुत्र कनकमल से कुछ बातें कहीं। मैंने उस से कहा कि इन में साधुत्व का लेश मात्र भी नहीं है। ये तो सब के सब सूत्र-विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। कनकमल को आचार्य महाराज बहुत लड़ प्यार से रखते थे। बालक तो था ही, उसने आचार्य महाराज से जाकर मेरी कही हुई बातें कह सुनाई। आचार्यजी ने दीवान साहब मगनलालजी महाराज से सब बातें कहीं। मगनलालजी ने दूसरे दिन मुझे एकान्त में लेजाकर पूछा—क्या तुम्हें साधुओं के साधुत्व में कुछ शंका हो रही है ? मैंने कहा—साधुओं के आचरण देख कर मुझे अवश्य शंका हो रही है। इस प्रसंग पर मगनलालजी महाराज तथा आचार्य महाराज दोनों के साथ मेरी जो बातें हुई वे सब पैम्फ्लेटों में प्रकाशित हो ही चुकी हैं। आखिरकर सम्बत १९-९१ में चैत्र वदी २ को करीब साढ़े चार महीने इन आचार हीन

साधुओं के साथ रह कर और इन्हें अमाधु—साधुत्वहीन वेषधारी साधु—समझ कर इन से अलग हो गया। इस के बाद स० १९-९६ में वैशाख सुदी १३ को जगन्नाथजी भी जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद जब मैं अपने गाँव वनी वापिस आगया, तब मगनलालजी लोगों के सम्मुख मंत्र पर कल्पित और सूठे दोष लगाते हुए कहने लगे कि कन्हैया लाल से साधुत्व का पालन नहीं हो सका इसलिए निकल गया। जब मैं वनी में था तब आचार्यजी तथा मगनलालजी ने इसी प्रकार के कई आरोपों से भरा हुआ एक छःसात पेज में लिखा हुआ पत्र पण्डरकवड़ा निवासी श्रंयुत अमरचन्द्रजी मुंथा के पास श्रावकों द्वारा भिजवाया। इस पत्र के आरोपों तथा कलकत्ता और विशाखर के एक पत्र के आरोपों के उत्तर में मुझे भी इन तेरह पंथ सम्प्रदाय के साधुओं के दोष—सेवन के बारे में १ से ५ पैम्फ्लेट प्रकाशित कराने पड़े। कुछ दिन बाद एक तेरहपंथ सम्प्रदाय के श्रावक की मुझ चिन्ही मिन्नी जिस में लिखा था कि वैशाख सुदी ६ (संवत् १९९६) को लाङ्गू (मारवाड़) में कनकमल का देशान्त हो गया है। उस में यह भी लिखा था कि कनकमल की अकाल मृत्यु का कारण साधुओं की लापरवाही और श्रावकों की अन्धभाक्ति है। इस की नक़ल मैंने जगन्नाथजी द्वारा निकाले हुए पैम्फ्लेट नं० २ में छपाई थी। मैंने जो पाँच पैम्फ्लेट छपवाए थे उन की कतिपय बातों की वास्तव सरदार शहर के विरधीचन्द्रजी गोठी ने मेरे सुनीमजी पूनमचन्द्रजी चोरडिया से कहा कि ये सब बातें सूठ हैं। तब पूनमचन्द्रजी ने कहा कि आप आचार्य महाराज से

तो पूछिए । इस पर पूनमचन्द्रजी को साथ लेकर गोठीनी आचार्य महाराज के पास गए । उस वक्त परिषद् में करीब चारसौ भाई बहिन थे । पूनमचन्द्रजी ने आचार्य महाराज से पूछा—महाराज, जैसा कि इस पैम्फलेट में लिखा है , क्या आप अखण्ड सन्तरे और अखण्ड अमरुद का और निबू भोग करते हैं अथवा नहीं । मगन-लालजी महाराज ने उत्तर दिया—हाँ, उवाले हुए लेते हैं । पूनमचन्द्रजी ने कहा—पैम्फलेट में 'उवाले हुए' ही तो लिखा है । पैम्फलेट को पूनमचन्द्रजी ने परिषद् में पढ़कर सुनाया । पूनमचन्द्रजी ने चम्पालाल की वाचत तथा जुओं की वाचत जो कुछ पैम्फलेट में लिखा था उस के बारे में पूछा—क्या ये सब बातें भी सच्ची हैं । आचार्य महाराज ने स्वीकार किया । तब पूनमचन्द्रजी ने कहा—महाराज आप लोग ऐसी चीजें न लेंवें तो क्या हर्ज है । इस पर आचार्यजी ने आवेश में आकर उत्तर दिया कि हम जो काम करते हैं वह शास्त्रानुकूल ही करते हैं । कन्हैयालालजी जितना चाहे पैम्फलेट छपाएँ, अपनी तंगि लाख की सम्पत्ति भी स्वाहा कर दें, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं । यह है एक सम्प्रदाय के आचार्य महाराज का नम्र और सरल उत्तर ।

चैत्र सुदी ७ (सं० १९९८) को मैं सुजानगढ़ गया था । वहाँ मैंने तेरह पंथ सम्प्रदाय की तरफ से उड़ाई हुई अपने खिलाफ तीन बातें सुनीं— (१) आचार्य तुलसीरामजी अपने श्रावकों के मामले मेरा लिखा हुआ कह कर एक पोस्ट कार्ड दिखाते हैं जिस में यह लिखा हुआ था कि (मेरे पुत्र) कनकमल (जो उन के साथ द्रव्यलिगी बना हुआ था) को जहर देकर मरवा दिया । ऐसे झूठ

लिखनेवाले कन्हैयालाल की प्रामाणिकता क्या है [२] मगन-लालजी महाराज (दीवान साइब) श्रवकों के सामने कहते हैं कि कन्हैयालाल जेवर चोरी कर के मद्रास ले गया [३] पाथरी में कन्हैयालालने बर्गीचा लगाया है। उदयपुर के कन्हैयालालजी भंडारी जो मीठालालजी (ताड़पंथी द्रव्य साधु) के पिता हैं, तुजानगढ़ सेवा करने आए हुए थे। वे मुझे मिठे और मैंने उन से उपरोक्त बातों का हवाला देते हुए कहा—देखिए, ये लोग साधु कहलाकर कितने कितने शूठ दोन मुझ पर लगा रहे हैं। दूसरे दिन कन्हैयालालजी फिर मुझ से मिले और कहने लगे कि पोस्ट कार्ड है तो सही, मगर तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी झूठी बातें कह कर द्रव्य फैलाते हैं, कलह बढ़ाते हैं, क्या यह साधुओं का काम है। इस प्रकार के साधुओं से तो मिथ्यान्वी प्रहस्य भटा, जो इन्सानियत [मनुष्यत्व] तो रखता है। ऐसी हैं इन की लीजिए।

मैं तेरहपंथियों को वीर प्रभु का अनुयायी समझता था। जब इन में प्रवेश किया और देखा कि यहाँ तो उलटी गंगा बह रही है और यहाँ रहने से अकल्याण ही संभव है तो मैं इन से अलग हो गया। आध्यात्मिक कल्याण की भावना के कारण ही द्रव्यगुरु से अलग होना पड़ा। उन से अलग होने के बाद मुझ अकेले में ऐसी शक्ति नहीं थी और मैं सूत्र का जानकर भी नहीं हूँ इसलिए महात्रन न पालसका। कुगुरुओं का धन्दा बुरा होता है। शुभ कर्मों के उदय में मैं उस फंदे से तो छूटा। अब

कल्याण होने का कत्र अवसर मिलेगा, यह सत्र कर्मों के आश्रित है।

मिथ्यात्व का खंडन करना और सम्यक्त्व का मंडन करना मेरा ध्येय है। यहाँ मिद्धान्त और न्यायपूर्वक, असत्य का विरोध किया गया है और सत्य का समर्थन किया गया है। भगवान का धर्म वही है जो केवली ने कहा है। वही सत्य है मान्य है। अपनी तरफ़ से कुछ भी कल्पना करना केवली की आज्ञा मानना नहीं है। शास्त्रों में जगह जगह इस का खुलासा किया गया है। पक्षपात को छोड़कर ही यहाँ सत्य का समर्थन किया गया है। भावों को छिपाना दुमरों को झूठा उपदेश देकर कुमार्ग पर ले जाना, पाप है। इससे अनन्त संसार बढ़ता है। मेरा ध्येय सत्य को प्रगट कर के सच्चे धर्म की प्रमात्रना करना है और भूके भटके भाइयों को सुमार्ग बनाना है।

यह पुस्तक मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखी है। शुद्ध भाषा का मैं पूरा जानकार नहीं हूँ। शास्त्र पढ़ा हुआ पंडित भी नहीं हूँ। अतः इस ग्रंथ में त्रुटियों और भूलों का रहना स्वाभाविक है। पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि कहीं उन्हें गलती मालूम पड़े तो कृपया सूचना दें ताकि सुधार कर लिया जाय।

मैंने यह ग्रन्थ किसी द्वेष भाव से नहीं लिखा है। मेरा उद्देश तो यही है कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर जिसे गलत समझा हूँ वह पाठकों को बता दूँ और जो ठीक समझा है वह भी पाठकों के सामने रख दूँ। मेरी भावना यही है कि

भारत क्षेत्र में साधुत्व का पतन न हो और इसमें जहाँ कमी हो या दोष हो वहाँ पूर्णता आए, सुधार हो ।

मैं आशा करता हूँ कि पाठक उपरोक्त प्रार्थना पर ध्यान देंगे और जहाँ ग़लती दाख़ि वहाँ सुधारकर पढ़ेंगे और सूचना देंगे ।

भगवान महावीर के चरण-कमलों में समर्पण

भगवन्,

मैं आप के चरणों का एक तुच्छ दास हूँ। मेरी शक्ति संकीर्ण है पर भक्ति विशाल है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि आप के तीर्थ की दुर्दशा को देखकर मेरा हृदय दुग्वी हो—आहत हो। यह मैं मानता हूँ कि यह मेरी कमजोरी ही है; लेकिन, भगवन्! मेरी कमजोरी का मूल तो मेरे सरागी होने में हां है। सरागी होते हुए यदि आप के तीर्थ के प्रति अनुराग हो तो यह मेरे इस तुच्छ जीवन के लिये, मैं समझता हूँ, गौरव की ही बात है। पूर्ण वैराग्य का इच्छुक होते हुए भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को देखते हुए मैं अपने सात्विक अनुराग के लिये लज्जित हूँ—ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आपका पुजारी हूँ और आप मेरे आराध्य देवता हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप के तीर्थ का एक सेवक हूँ और आप का तीर्थ मेरा पथ-प्रदर्शक है। खैर !

इस सात्विक अनुराग से प्रेरित होकर ही मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिसे यह पुस्तक लिखी है। आप सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं। आप जानते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। न मैं विद्वान हूँ, न लेखक, लेकिन आपकी भक्तिने मुझे जो शक्ति और साहस प्रदान किया है उसीका यह परिणाम है, या यूँ कहिए

कि आपके भक्त कहलानेवालों अथवा आपके भक्त और अनुयायी बनने का दावा करनेवालों द्वारा ही आपके महान् तीर्थ की जो अवनति व दुर्दशा हो रही है उसे दूर करने के लिए ही यथा-शक्ति प्रयत्न करने की तीव्र भावना का ही यह चमत्कार है; अन्यथा कहाँ मैं, और कहाँ यह बृहद् पुस्तक !

जो ज्ञान आपसे मुझे मिला है, मैंने उसे ही अपने ढंग से रखने का प्रयत्न किया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है—सब आपका ही है, मैं भी आपका ही हूँ। अतः आपके परम पुनीत चरण-कमलों में ही पूरे आदर और भक्ति के साथ मैं यह कृति समर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से मैंने यह पुस्तक लिखी है उसमें मुझे सफलता प्रदान करें !

आपका चरणानुदास

कन्हैयालाल कोटेचा श्रावक

(महावीरपंथी)



मुनिधर्म और तेरहपंथ

अध्याय : १

दुरंगी काल



म विचंम ग्रथकी भूमिका के पृष्ठ
॥॥= ने जयाचार्यजी ने असंग्य लेखनद्वारा
नेरहपंथियों को भगवान् का पदाधिकारी
सिद्ध किया है। उस में वर्तमान नेरहपंथी
द्रव्यलिंगियों के प्रथम आचार्य भिक्षुजी
ने विक्रम संवत् १८०८ मे पूज्य श्री० रघुनाथजी (बाबीस
सम्प्रदाय) के पास दीक्षा ग्रहण की। उनके समीप रह कर आठ
वर्ष तक मंत्र सिद्धान्त सीखे। मंत्र न्याय का अध्ययन करते करते
भिक्षुजी को मान्द्रम हुआ कि मेरे द्रव्यगुरु श्री० रघुनाथजी साधु
न होकर द्रव्यलिंगी हैं। उन्होंने बताया कि उद्दिष्ट आहारादिक
स्थानादिक का ये सेवन करके ३०८ मंत्रों के विरुद्ध आचरण
करते हैं। उन्होंने सम्वत् १८१७ में अरहत भगवान की साक्षी से
आपाद् सु० १५ को स्वयमेव भाव-दीक्षा ग्रहण की, ऐसा 'विचंस'

के पृष्ठ ॥३॥ में लिखा है। पाठावली में १८१६ सम्वत् लिखा है और यह भी उल्लेख आया है कि अन्य व्यक्तियों को भी दीक्षा दी गई।

चतुर्थ पट्टधर जयाचार्यजी गचिन भ्रम विध्वंस ग्रन्थ से पता चलता है कि भिक्षुजी ने साधु-जीवन का श्रीगणेश किया। इस बात को १७९ वर्ष व्यतीत हो गए हैं। जीतमलजी आचार्य गचिन भ्रम विध्वंस के पृष्ठ ॥३॥ में यह लिखा है कि भगवान श्री महावीर स्वामी के मुक्त होने के पश्चात् १००० वर्ष पूर्व का ज्ञान रहा। यह भगवती सूत्र २० उ० ८ की साक्षी से लिखा है। भस्मग्रह उतरने पर २००० वर्ष बाद श्रमण निग्रय की कर्मा कर्मा पूजा होगी ऐसा कल्पसूत्र के अनुसार लिखा है। आगे चलकर साराश निकाला है कि भगवान के पश्चात् २९१ वर्ष तक शुद्ध प्ररूपणा रही और इसके बाद १६९९ वर्ष तक अशुद्धि-बहुल प्ररूपणा रही। दोनों को मिलाने से १९९० वर्ष हुए। उस समय धूमकेतु ग्रह ३३३ वर्ष के लिए लगा। वि० सं० १५३१ में लुका मेहता प्रगट हुआ। २००० वर्ष पूर्ण होने के कारण भस्म ग्रह उतर गया। ४७० वर्ष नन्दीवर्धन साका के और १५३० वर्ष विक्रम संवत् के, इस प्रकार मिलाकर २००० (दो हजार) वर्ष हो गए। उस समय लुका मेहता प्रगट हुआ। बाद में धूमकेतु का जोर होने से पिछली शुद्ध प्ररूपणा शीतल हो गई। धूमकेतु का बल हीन होने से भिक्षुजी का अवतार हुआ। सं० १८१७ में ऐसा लिख कर भिक्षुजी के नाम से जीतमलजी महाराज ने अपना

साधुत्व सिद्ध किया है। गुणवान् पुरुष की आड़ लेने से अना-
चार भी छिप जाते हैं।

जेसलमेर के भण्डार से निकली हुई वता कर और उसे सत्य-
मान कर पहिली पाठावली को प्रतिवर्ष पर्यूषण के रोज तेरहपंथी
पढ़ कर सुनाया करते हैं, क्योंकि इस से अपना साधुत्व सिद्ध
करने का स्वार्थ उन्हें अभीष्ट है। सम्भवतः जयाचार्यजी ने इसमें
कुछ फेरफार किया है, ऐसा भाषा पर से अनुमान होता है।
आगे उसका थोड़ा-सा अंश लिख कर बताया जाता है। वीर-
प्रभु के मुक्त होते समय देवलोक का धनी सीकेन्द्र (देवों का
राजा) ने हाथ जोड़ कर बहुत आदरपूर्वक नमस्कार किया और
पूजा, “हे स्वामी, आपकी जन्म राशि के ऊपर दो हजार वर्ष तक
के लिए भस्म-ग्रह बैठा है। उसका क्या फल होगा” ?

वीर-प्रभु ने उत्तर दिया कि “भस्म-ग्रह के बैठने के
२००० वर्ष तक श्रमण निग्रथ की कतई पूजा न होगी। २०००
वर्ष व्यतीत होने के बाद श्रमण निग्रथ की कभी कभी पूजा होगी”।
तीनों पाठ से आगे केवलज्ञान रहित युगान्तर-भूमि होगी। निम्न १०
वस्तुएँ भी न रहेगी:— १. मनःपर्यग्न ज्ञान, २. परम अवधि-ज्ञान, ३.
पुलाक लब्धि, ४. आहारक शरीर, ५. उपशम श्रेणी, ६. क्षपक
श्रेणी, ७. जिनकल्प, ८. परिहार विशुद्धि चरित्र, ९. सूक्ष्म संपराय
चरित्र, १०. यथाख्यान चरित्र। वीर-मुक्ति के पदचात् नन्दी-मूत्र
की साक्षी द्वारा २७ पाठ शुद्ध प्रचलित हुए। भगवन्त की आज्ञा
सहित आगे चलकर लिखा है कि २१ हजार वर्ष तक भगवती

सूत्र शं० २० उ० ८ की माश्री के अनुसार मत्र का ही तीर्थ का नाम दिया है और लिखा है कि पाँचवें आगे (काल) के अन्त में चार तीर्थ रहेंगे :—

(१) “दुपस्स माधु” (२) “फालगुणी माध्वी”

(३) “नागल ध्रावक” (४) “मग्यश्री श्राविका”

आगे चल कर लिखा है कि १२ वर्ष का काल पड़ा, ९ निंदक हुए। पृष्ठ ४ में लिखा है कि वीर निर्वाण के पश्चात् ९८० वर्ष बाद पुस्तक रूप में शास्त्र लिखा गया। देवड्डीगणी आचार्य के समय तक शुद्ध पाठ रहा—मार्ग शुद्ध रहा। तत्पश्चात् साधुत्व नहीं रहा। १००८ वर्ष बाद पूर्व का ज्ञान रग्वनेवालों का विच्छेद हो गया। २००१ वर्ष बाद लुका मेहता सच्ची श्रद्धा का पात्र हुआ, ऐसा लिखा है। पृष्ठ ६ में यह उल्लेख आया है कि वि० सं० १८१६ में भिक्षुजी ने भाव-दीक्षा ग्रहण की। अनुक्रम से तेरहपंथियों के ९ पाठों का नाम लिखा है। यह उपर्युक्त पट्टावली की बातें कल्पमूत्र की टीका से (९ पाठ छोड़ कर) मिलनी हुई हैं।

उपर्युक्त भ्रम विध्वंस ग्रंथ की भूमिका के पृष्ठ III = व पट्टावली का सारांश यह है कि भगवती शं० २० उ० ८ में बताया है कि वीर निर्वाण के बाद एक हजार वर्ष तक पूर्व का ज्ञान रहा। वैसा रहा भी है और पट्टावली में नन्दी सूत्र के २७ वें पाठ देवड्डीगणी आचार्य के समय तक शुद्ध रूप में प्रचलित रहा—ऐसा लिखा है। नन्दीसूत्र में २७ वें पट्टावली का नाम गोविदा-चार्य लिखा है। मालूम होना है कि यह देवड्डीगणी का ही

उपनाम है। वीर-निर्वाण के ९८० वर्ष बाद शाल लिखा गया। १००८ वर्ष बाद पूर्व ज्ञान कें धारी न रहे तत्र तक साधु-पूजा होती रही, यह पहिले सिद्ध हो चुका है। इस बात को तेरह-पयां नानते भी है। शाल न्याय से है; परन्तु भ्रम विध्वसकार ने पृष्ठ III- में ऐसा लिखा है कि वीर-निर्वाण के २९१ वर्ष बाद तक शुद्ध प्रकृषणा रही और तत्पश्चात् १६९९ वर्ष तक अशुद्ध प्रकृषणा रही। सूत्र की सार्त्ता ली जाय तो यह कुल भी ठीक नहीं है। केवल जीतमल्लजी महागज ने अपने मन की कल्पना ने यह न्याय जमाया है। केवल सूत्र के विरुद्ध यह मिथ्या जमाया है; क्योंकि सूत्र में इन्होंने ही उपर्युक्त मार्त्ती १००८ वर्ष पूर्व तक की मानी है और इन्होंने ही बिना आधार के २९१ वर्ष तक शुद्ध प्रकृषणा का होना लिख मारा है। अपने में साधुपन न होने के कारण अपना साधुपन सिद्ध करने के लिए ऐसा लिखा मालूम होता है। केवल लोगो को भ्रम-जाल में डालने के लिए बड़ी पट्टावली में भ्रमणनिग्रंथ की पूजा २००० वर्ष न होगी और बाद का होगी ऐसा वीर-ग्रंथ द्वारा कहा बताया गया है और उनी पट्टावली में ९८० वर्ष तक मार्त्ता का आज्ञानुसार चलने रहना लिखा है। केवली के वचनो के विरुद्ध कैसे हां मकता है? यह पट्टावली प्रत्यक्ष सूठ रची हुई मालूम होती है। यह वचन केवली का होता तो प्रत्यक्ष वचन-विरुद्ध न होता। विरुद्ध वचन अत्यज्ञ का ही हो सकता है। इसी पर से मालूम यडना है कि अपना मत स्थापित करने के वास्ते पट्टावली की

रचना की गई मालूम होनी है। जयाचार्य का भी पढ़ावली सत्य मानने का यहाँ उद्देश्य दाखला है कि अपने असत्य को सत्य रूप में रख कर प्रगट किया जाय। पाठक गण यह भी सोचें कि जानमलजी महाराज ने, भगवती सूत्र श० २० उ० ८ में यह ठहराया है कि नीर्थ नाम मृत्र है। प्रश्नोत्तर सार्द्र शतक के प्रश्न ९९ में त्रावीस संप्रदाय में असाधुपन और साधु का विरह बनाने के लिए और अपना साधुपन सिद्ध करने के लिए नियन्त्रा की रचना की है और ज्ञानी चर्चा की है। दाल २० व २१ व भगवती सूत्र श० २५ उ० ६ की साक्षी द्वाग बनाया गया है कि साधु का विरह कभी नहीं होता है अर्थात् साधु हमेशा रहता है। देखिए तो सही, जब त्रावीस सम्प्रदाय से काम पड़ता है तब तो उपर्युक्त साक्षी के आधार पर साधु का विरह ठहरा देने हैं और जब इनका ही कोई व्यक्ति दोष-सेवन करता नजर आने में असाधु ठहरता है तो श० २५ उ० ६ द्वाग साधु का विरह न बना कर अपना साधुपन जमाते हैं। यह तो मौका देख कर बोलने की बात है। यह कैसे जम सकती है? यह तो जानमलजी ने केवल लोगो को फेंसाने के लिए मनचाही रचना कर डाली है। भिक्षुजी ने तो ऐसी रचना नहीं की थी। चौथे आचार्य ने अनेक बातें उलटी रखी हैं, जो शास्त्रो द्वाग आगे बनाई जायेंगी। भला, ऐसी दृग्गी चाल इन लोगो को शोभा देती है ?



अध्याय : २

भार्क की महिमा

श्वे ताम्बर तेरहपयी द्रव्यसाधुओं का आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है, और जो शास्त्रानुकूल नहीं है वह अधर्म है, मिथ्यात्व है। भगवान केवली की जो आज्ञाएँ हैं वे हमें शास्त्र द्वारा मिलती हैं, उनका पालन करना ही धर्म का पालन करना है। कहा भी है—

“आणाए मामगं धम्मं”—अर्थात्-आज्ञा में ही मेरा धर्म है।

आचा० प्र० श्रु० अ० ६ उ० २ सू० ६
बहुत लोग जैन-धर्म सुन नहीं पाते। ऐसे सौभाग्यशाली विरले ही होते हैं जिनको जैनधर्म का उपदेश मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। जिन लोगों को ऐसा सुअवसर मिलता भी है वे उस पर श्रद्धा नहीं लाते और यदि लाते हैं तो सच्चे अर्थों में श्रद्धालु नहीं बन पाते; जीवन में—व्यवहार में और आचरण में—जैन-धर्म की अमूल्य शिक्षाओं को नहीं उतार पाते। ऐसे ही लोगों के लिए सुयग० श्रु० १ अ० २ उ० २ सू० ३१ में बताया गया है कि “जैनधर्म सुना नहीं और यदि कभी सुना तो अगीकार नहीं किया”।

भावों की महिमा अपरंपार है। मोक्ष का आधार भावों की शुद्धता ही है।

देखिए, कहा भी है—

दान शील तप भावना, शिवपुर मारग चार। भाव
बिसेख भविक जन आभे अधिक सुजाण ॥ भाव चरित्र
तप जप करे तो पामोला निर्वाण ॥१॥ भाव विना भक्ति
किसी, भाव विना शिसीख। भाव विना, भणवो किश्यो,
भाव विना शी दीख। इण प्रे भावे भावना जिम अखाड़
मुनीश ॥ २ ॥ कर्म मैल खेरू करे केवल लियो जगीस ॥

उदाहरण

भरत चक्रवर्ती ने शींगे (काँच) के महल में केवल-ज्ञान प्राप्त किया। (जंबू टी० चक्र० श्रु० १२३)

चंद्रलह्या ने सामायिक में केवल ज्ञान प्राप्त किया। म्हेघापुत्र ने महल में जाति-श्रमण-ज्ञान प्राप्त किया। (उ० अ० १९ सू० ७)

मैढक के भव में नंदण मणिहारे के जीव ने जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त किया। (ज्ञानाता श्रु० १ अ० १३ सू० ३१)

प्रशनचन्द्र सूरि अतापना लेते लेते, ध्यान में मनोभावों का सप्राम करते करते सातवें नरक ले जानेवाले कर्म इकट्ठे किए, पीछे शुभ भावनाओं का उदय हुआ और उन अशुभ कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए, सुना है।

अशुभ भावों से तन्दुल माड़ला सातवे नरक गया । अशुभ भावों से कालकसुरी क़साई सातवें नरक गया ।

ऊपर शुभाशुभ भावनाओं और उनके परिणामों को बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं । स्वर्ग, नरक, मोक्ष, अनन्त-वधन सभी कुछ भावों पर निर्भर हैं । अशुभ भावों को लेकर कोई भी काम किया जाय, भले ही उसका बाहरी रूप सात्विक दिखाई देना हो, वह अशुभ फल का ही देनेवाला है । मनुष्य को चाहिए कि वह कभी अपने भावों को अशुद्ध न करे बल्कि सदैव उन्हें स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाए रखे । इसी में उसका कल्याण है ।



अध्याय : ३

साधु-जीवन

बहुत से भाई मुझपर यह आक्षेप किया करते हैं कि मैं आचार्य और साधुओं की निंदा करके पाप का भागी बनता हूँ। मैं उनकी यह बात मानता हूँ कि आचार्य और साधु की निंदा करना एक भयंकर पाप है। दशवे० अ० ९ उ० १ सू० ५ में कहा भी गया है कि जिनवचनानुसार चलनेवाले शुद्ध जिन-वचन-युक्त पाँच प्रकार के आचार का पालन करनेवाले आचार्य की असातना करनेवाले प्राणी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। दशवे० अ० ९ उ० १ मू० ८ में भी कहा गया है कि आचार्य की असातना करना पर्वत से अपना सिर फोड़ना है। निस्सदेह आचार्य अथवा साधु की निंदा करना दुष्कर्म है, पाप है और ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य है कि जिससे आचार्य या साधु की तो कुछ हानि होती नहीं है, अपना ही सर्वनाश होता है। लेकिन यह न भूल जाना चाहिये कि 'आचार्य' और 'साधु' से उस आचार्य या साधु का प्रयोजन है जो आगम की आज्ञाओं के अनुसार आचार्य-जीवन अथवा साधु-जीवन व्यतीत करते हुए स्वपर-कल्याण करता है, न कि ऐसे व्यक्ति का जो केवल आचार्य या साधु का वेष तो लिए

हुए हैं लेकिन जिसका आचार विचार, जिसका जीवन, शास्त्रानुसार अपने वेप के अनुकूल नहीं है अर्थात् जो बाह्य दृष्टि से साधु मान्य होना है; लेकिन अन्तरग दृष्टि से असाधु है। ऐसे साधु-वेपों असाधु दुनिया का ठगने का कोशिश करने हैं और समझते हैं कि हमने दुनिया को बहुत कुछ ठगा भी; लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वे ही ठगे जाते हैं, वे ही अपना पतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को कर्ममल द्वारा अधिकाधिक दूषित और बन्धनयुक्त कर देते हैं और जितना दूसरों का अकल्याण करते हैं उससे सहस्रों गुणा अहित और अपकार अपना ही कर डालते हैं। ऐसे साधुत्वहीन साधुवेपधारी असाधुओं की असलियत प्रकट करना, उनका असाधुत्व बताना जनता को उनमें होशियार रहने के लिए कहना, इनके डम्भ और टोग का गहन्योद्घाटन करके साधु-धर्म का संरक्षण करना किन्हीं भी तरह और किन्हीं भी अंग तक साधु-निंदा या मुनि-निंदा नहीं है, बल्कि वह तो एक धर्म-प्रेमी और समाजप्रेमी का धर्मोचित कर्तव्य है कि वह साधु-धर्म को कलंकित करनेवाले और दुनिया में अपने धर्म और आगम को जग-हँसाई का विषय बनानेवाले सभी व्यक्तियों की पोल खोल कर दुनिया के सामने रख दे और इस तरह अपने धर्म और अपने आगम को अपमान से बचा ले। इसी कर्तव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने श्रेष्ठ नेहरुपंथी साधु कहलानेवाले व्यक्तियों के विषय में अपने विचार और अनुभव अब तक लिखे हैं और इस पुस्तक द्वारा विशेष रूप से लिख रहा हूँ। मैंने आचार्य या साधु की

अब तक न निंदा की है, न कर रहा हूँ और न करूँगा; क्योंकि मैं तो आचार्य या साधु के चरण-कमलों पर अपना मस्तक रखने में गौरव समझता हूँ, लेकिन मैंने साधुत्व का ढोंग करनेवाले असाधुओं का चरित्र-चित्रण अवश्य किया है, कर रहा हूँ और यदि उनकी यही ब्रेदगी रफ्तार रहा तो आगे भी करता रहूँगा।

तेरहपंथी एक उदाहरण दिया करते हैं कि किसी संठ ने एक ब्रह्मिणा मकान बनाया। बड़े बड़े लोग उसे देखने आए और उसकी तारीफ की। एक मेहतर भी आया। मकान में जो टट्टी (पाखाना) बनी हुई थी उसमें उसने दोष निकाला। इसपर मे तेरहपंथी कहा करते हैं कि साधु के गुण को न देखते हुए जो उसमें अवगुण निकालते हैं वे चाण्डाल सर्गखे हैं। इसके उत्तर में मुझे दो बातें कहनी हैं—

(१) किसी के अवगुण निकालना अगर चाण्डाल सर्गखे व्यक्ति का काम है तो सबसे पहिले ये लोग ही चाण्डाल हैं; क्योंकि ये संद्वैव दूसरे के दोष निकालते करते हैं, दूसरे की पीठ पीछे बुराई किया करते हैं, अपने विरोधियों की निंदा किया करते हैं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि साधु के अवगुण निकालने वाले को चाण्डाल कह कर वे स्वयं चाण्डाल बन जाते हैं; क्योंकि किसी को चाण्डाल कहना, उसकी निंदा व अवगुणवाद करना ही है।

(२) शास्त्र में लिखा है कि सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा न करो। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप पाप से घृणा

करते हैं या नहीं? ये उत्तर देंगे—‘करते हैं’। क्यों भाई, जब शास्त्र में किसी से भी घृणा करने का निषेध किया है तब पाप में क्यों घृणा करने हो। बात साफ़ है। किसी से घृणा न करने की बात का यही अर्थ है कि किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, भले ही उसके पापों से करो। यही बात अवगुण निकालने के बारे में है। व्यक्ति के प्रति द्वेष व घृणा न होते हुए, हाँ, अवगुणों से द्वेष होते हुए, समाज-हित की भावना ने तथा उस व्यक्ति का भी सुधार करने के खयाल से उसके अवगुण निकालना बुरा नहीं, प्रशंसनीय है, बल्कि कर्तव्य भी है। मैं उसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ।

साधु-असाधु की परीक्षा करने के लिए अथवा यह देखने के लिये कि अमुक व्यक्ति शास्त्रानुकूल साधुधर्म का आचरण करता है या नहीं, आवश्यक है कि साधु-जीवन के वास्तविक रूप को समझा जाय। अतः संक्षेप में नीचे साधु-जीवन के विषय में ही वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर पाठक यह समझ सकते हैं कि तरह-तरह की द्रव्यलिङ्गी साधु सच-मुच कहाँ तक साधु हैं और उनके विषय में जो मेरे विचार हैं वे कहाँ तक ठीक हैं और जो मेरी नीति है वह कहाँ तक उचित है?

[१] दशमे अ० ९ उ १ सूत्र १४-१५ में आचार्य को ‘सुय सील बुद्धि ऐ’ (अच्छी बुद्धि-सद्बुद्धि-वाला) बताया है।
[२] दशा० श्रु० ९ सू० ७ के अनुसार आचार्य नाम रख कर जो व्यक्ति अनाचार का पालन करता है उसको महा-मोहनीय कर्म का बन्धन होता है [३] ठा० ठा० ३ उ०

३ सू० ७ में यदि शाल में व्रताण्डुण आचार के अनुकूल आचरण न करे तो उसे छोड़ देना बताया है । [४] ठा० ठा० ४ उ० ४ सू० १२ में चमार की टोकरी सरीखे आदि चार प्रकार के आचार्य बताए हैं और यह बताया है कि चमार की टोकरी सरीखा आचार्य [१] गुणविहीन होने से अपूज्य है, भ्रष्ट आचार्य को पूजने में अनन्त संसार बढ़ता है । गजा की टोकरी [करडी] के समान जो आचार्य होते हैं वे सर्व-गुण-सम्पन्न होते हैं उनका रच मात्र भी अमातना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका अधिक से अधिक पूजा, सत्कार और भावपूर्वक भक्ति करना चाहिए । [५] व्यवहार उ० ३ सू० २६ से ३३ तक में बताया है कि जो व्यक्ति मिथ्या वचन बोलता है वह आचार्य की पदवी के लिए सर्वथा अयोग्य है । [६] भिक्षुजी ने भी कहा है कि जो साधु एक दोष का भी सेवन करता है उसने अपने चरित्र को नष्ट कर दिया है [७] ठा० ठा० ४ उ० ३ चो० सू० १६ में चार प्रकार के साधुओं का वर्णन है । उनमें एक तो वह है जो धर्म का त्याग कर देता है; लेकिन गच्छ (सम्प्रदाय) की मर्यादा नहीं छोड़ता है, ऐसा साधु वास्तव में असाधु है । व्यवहार उ० १० सू० १६ में चौभगी में भी ऐसे ही साधु का वर्णन आया है जो धर्म छोड़ देता है; लेकिन गच्छ की मर्यादा बनाए रखता है । [नोट:—तेरहपंथी साधुओं को चाहिए कि उपर्युक्त चौभगी के उपदेश के अनुसार वे गच्छ की मर्यादा छोड़ें, दम्भ, ढोंग और अनाचार को छोड़ें, और धर्म का पालन करें अर्थात् जिस धर्म

लेकिन अतापना रहिन और समिति रहित हैं अर्थात् आचरण विहीन है, ऐसा साधु धर्म का आराधक नहीं है । (घ) थोड़े समय का दीक्षित साधु जो अल्प क्रियाशील अर्थात् कर्म न करने वाला है; लेकिन जो अतापना सहित और समितिवान है—नपस्त्री और सदाचारी है—ऐसा साधु धर्म का आराधक है । (१) आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ३ सू० १२ में कहा है कि जो कुंगुरु के मिथ्या उपदेश में बनाए हुए क्रियाकाण्ड को पकड़ कर उस से चिपक जाते हैं वे ससार रूपी भवसागर से पार नहीं होते हैं । [११] सुय० प्र० श्रु० अ० १३ सू० १४ के अनुसार जो ज्ञानवान् और त्यागी होकर धमड करता है, वह मिथ्यादृष्टि है, अज्ञानी है । (नोट:—वर्तमान तेरहपंथी आचार्य ने लाडलूँ में पूनमचन्दजी से कहा था कि कन्हैयालाल हमारे खिलाफ पैम्फ्लेट आदि निकालने में तीन लाख रुपये भी खर्च कर दें तो हमारा क्या विगाड सकते हैं । यह कितने मान व धमड की बात है ?)

ठा० ठा० १० में सूत्र १३८ के १० अंशों के अनुसार हुडा सर्पिणी काल अनन्त काल में आता है तब असाधु को पूजा होती है । सम्भवतः उसी के मुताबिक इस समय तेरहपंथियों की पूजा हो रही है । ये लोग कहते हैं कि इस से पहिले श्री० कमलप्रभा आचार्य हुए थे, उन्होंने एक दोष को दोष न कहने से अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण किया है । तुलसी-गणीजी एक नहीं, बहुत से दोषों को दोष नहीं कहते या समझते हैं, और उन्हें छिपाते भी हैं; अतः इनकी क्या दुर्गति

को उन्होंने छोड़ रखा है उसका ईमानदारी के साथ पालन करें और गच्छ की मर्यादा के लिए जो उसकी अवहेलना और हिंसा हो रही है, उसे बंद कर दें। यह कभी न भूलना चाहिए कि धर्म सर्वोपरि है, धर्म ही मूल है; अतः गच्छ की मर्यादा के लिए धर्म की हत्या नहीं करनी चाहिए और न गच्छ की मर्यादा की आड़ में अधर्म को धर्म रूप में प्रकट कर के अपना और दूसरों का सर्वनाश करना चाहिए; बल्कि यदि धर्म की पवित्र वेदी पर गच्छ की मर्यादा का बलिदान करना पड़े तो उस मर्यादा का स्पर्श और साहसपूर्वक तथा निःशक्ति रूप से बलिदान कर देना चाहिए। तेरहपंथी गृहस्थों को भी इस ओर विशेष ध्यान देकर अपना कर्तव्य-पालन करना चाहिए] [८] ठा० ठा० बोही सू० १६ में भी चार तरह के साधु बताए हैं। विशेष कारणवश जो वेष छोड़े; लेकिन धर्म न छोड़े, जो धर्म न छोड़े, लेकिन वेष न छोड़े, आदि। यहाँ भी वेष से धर्म को ही महत्त्व दिया गया है। [९] ठा० ठा० ४ उ० ३ सू० १९ में निम्न प्रकार चार तरह के साधुओं का वर्णन है:- (क) नेता निग्रंथ जो बहुत क्रियाशील-कर्म करने वाला-है; लेकिन अतापना व समिति रहित-आचार विहीन-है। ऐसा साधु धर्म का आराधक नहीं है। (ख) नेता साधु जो अल्प क्रिया-शील-कर्म न करने वाला-है लेकिन अतापना व समिति सहित-आचार-पालन करने वाला-है। ऐसा साधु धर्म का आराधक है। (ग) थोड़े समय का दीक्षित श्रमण निग्रंथ साधु जो महा क्रियाशील व कर्म शील है;

उपदेश देना । इस पाप का भारी छह-काय का हिमक कहा गया है ।

(२) मृषावाद—अपने दोष छिपाना, झूठ बोलना ।

(३) आदत्तादान—चोरी, प्रभुवचन की चोरी करना, मात्र चोरी करना ।

(४) आचार—कुर्बाल सेवन

(५) मूर्च्छा—अथवा परिग्रह-शरीरादि वस्त्र पात्र आहार आदि में मोह रखना ।

(६ से १० तक) क्रोध-मान-माया-लोभ

शरीर आहार आदि के प्रति क्रोध करना, अपने को बड़ा और सत्य व धर्म का ठेकेदार समझना, मन में कुछ और हो लेकिन वचन से कुछ और प्रकट करना, स्वादिष्ट व सुन्दर वस्त्र पात्र आदि की लालसा रखना ।

(११) द्वेष—जो सघ आदि में अलग हो जाय अथवा जो आलोचना करे, सत्य सुझाए, उसके प्रति द्वेष रखना ।

(१२) कलह—मव के लिए अथवा अपने स्वार्थ के लिये कलह करना ।

(१३) अभ्याखान—जो संघ से अलग हो जाय अथवा जो आलोचना करे उस पर मिथ्या आरोप करना ।

(१४) पेद्मन—[चुगली खाना] किसी के पीठ पीछे उसकी झूठी निंदा करना ।

(१५) परपरीवाद—भिन्न सम्प्रदाय वाले के बारे में, सब से अलग होने वाले आदि के बारे में झूठमूठ अवगुण बताना ।

(१६) रति-अरति—सयम में अरति और असयम में रति रखना ।

(१७) कपट सहित झूठ बोलना ।

(१८) मिथ्यात्व—आगम की उपेक्षा करना ।

नोट—ऊपर अठारह तरह के पापों की जो बहुत संक्षेप में व्याख्या की गई है उस पर से हम देखेंगे कि इन तेरहपंथियों में ये सभी अठारह पाप हैं । आगे चल कर अलग अलग अध्याय द्वारा इनके आचारों और विचारों का जो परिचय दिया जायगा अथवा यूँ कहिए कि इनके बारे में 'ढोल में पोल' की कहावत की सच्चाई पर प्रकाश डाला जायगा उससे पाठक वृन्द सहज ही समझ सकेंगे कि इन लोगों में कम नहीं, पूरे अठारह पाप हैं और वे भी कम मात्रा में नहीं हैं ।

सुयग० श्रु० १ अ० ११ उ० २ मूत्र २९-३० में बताया है कि कितने ही दुराचारी साधु धर्म की विराधना कर के अष्ट-कर्मों के बन्ध के भागी बनते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं । जिस तरह टूटी हुई नाव में पानी के रोकने का प्रबन्ध न होने से अर्थात् पानी घुसने का मार्ग होने से पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है । इसी तरह पापकर्म करने वाले अनार्यसाधुओं के पास कर्म-वर्गणाओ को रोकने वाला संयम न

होने से अर्थात् कर्मों के आने के लिये असयम रूपी मार्ग होने से उसकी आत्मा से कर्मों का बन्धन होता है और होता रहता है जिसका परिणाम यह निकलता है कि उसके जीवन की नौका संसार के भवसागर में डूब जाती है। आज इन तेरहपंथियों की जीवन नौकाओं की यही दुर्दशा हो रही है। हम मगलमय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे इन्हें सुबुद्धि प्रदान करें जिससे ये अपनी नौकाओं को डूबने से बचा लें।

ठा० ठा० ३ उ० ४ सूत्र १४ में बताया है कि तीन तरह के व्यक्तियों को सुमार्ग पर लाना कठिन है। (१) दुष्ट (२) मूर्ख (३) कुगुरुओं के शिकार। तेरहपंथियों में ये तीनों ही बातें हैं, लेकिन क्योंकि सूत्र में शब्द 'कठिन' है 'असंभव' नहीं है इसलिये हमने भगवान से उपर्युक्त प्रार्थना करने में कोई भूल नहीं की है।

साधु की पहचान

आगम की आज्ञाओं के अनुसार साधु की पहचान निम्न बातों से करना चाहिए:—

पाँच महाव्रतों का पालन। तीन 'करण' और तीन 'योग' का शुद्ध भावना के साथ और किसी तरह की माया के बिना अखण्ड पालन। जिन आज्ञा में धर्म, बाहर अधर्म—इसका पूरा पूरा विचार। रात्रि भोजन त्याग। रात्रि में कणमात्र भी स्निग्ध पदार्थ न रखना, न रखवाना, और न रखने वाले को अच्छा समझना। पाँचों आचार का पूर्ण पालन—(१) ज्ञान (२) दर्शन

(३) चरित्र (४) तप (५) वीर्य । पाँचों इन्द्रियों पर निम्न प्रकार विजय—[१] अन्ध स्वर कैसा भी हो, मधुर, कठोर, अच्छा, बुरा, उसके प्रति राग द्वेष का अभाव [२] मनोहर रूप द्वाग चक्षु इन्द्रिय पर किसी भी प्रकार के आकर्षण रूपी प्रभाव का न होना [३] सुगंध या दुर्गंध के प्रति घ्राण इन्द्रिय को रुचि अथवा अरुचि की प्रवृत्ति न होना [४] रसयुक्त और गन्धि आहार का त्याग: यदि कभी ऐसा आहार मिल जाय तो तपस्या के साथ उसका सेवन, नीरस भोजन [५] मन वचन कायसे झहो काया का शोभनीय वस्त्र रहित होना अर्थात् देह की छटा या मौन्दर्य के प्रति पूर्ण उपेक्षा । पाँच समिति की तीन गुणि पूर्वक अच्छी तरह आगधना । ९ नियमों सहित ब्रह्मचर्य का धर्म पालन । दस विधियों से यति धर्म का पालन । बारह प्रकार के तपों की तपस्या, १७ प्रकार के संयम का आचरण । २२ परिग्रहों पर विजय । २७ गुणों का सद्भाव । ३३ असाननाओं का अभाव । ४२ प्रकार के दोषों का निराकरण । ४७ दोषों को टालकर आहार सेवन । ५२ तरह के अनाचार का त्याग, बुलाने पर न जाना और साधु के उद्देश्य से बना हुआ भोजन न लेना आदि । ९ प्रकार के बाह्य परिग्रह का मन वचन कायसे त्याग । १४ प्रकार के आभ्यन्तर अंतरंग परिग्रह का त्याग [१] मिथ्या [२] ली [३] पुरुष [४] नपुंसक (की अभिलाषा) [५] हास्य [६] रति (प्रसन्नता) [७] अरति (अप्रसन्नता) [८] शोक [९] दुर्गच्छा (घृणा) [१०] भय [११] क्रोध [१२] मान [१३] माया [१४] लोभ ।

नोट—साधु के लिए बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ना अनिवार्य है। ९ तरह के बाह्य परिग्रह को अनन्त बार छोड़ा जा चुका है, लेकिन उस से कार्य-सिद्धि नहीं हुई अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। अभ्यन्तर परिग्रह छोड़े बिना बाह्य परिग्रह छोड़ कर कोई सच्चा साधु नहीं बन सकता—वह तो द्रव्यलिंगी साधु ही हो सकता है और जब तक द्रव्यलिंगी साधु भाव-लिंगी साधु नहीं है तब तक वह साधु ही नहीं है—साधु वेषधारी असाधु है। भाव लिंगी साधु बनने के लिए अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। अतः यह खूब ध्यान रखना चाहिए कि केवल बाह्य परिग्रह के त्याग से कोई लाभ नहीं है अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग भी आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है।

साधु के लिये निम्न बातों का पालन करना आवश्यक है:—

[१] वर्षा की बूँदें गिर रही हों जोर की हवा से धूल उड़ रही हो, पतंगे उड़ रहे हों, उस समय गोचरी नहीं करे [२] समिति पूर्वक मन्दगति से आना जाना (चलना) चाहिए [३] एक एक दिन छोड़ कर—ऐसी धारणा करके—गोचरी के लिए नहीं जाय [४] गृहस्थों के साथी गोचरी के लिए नहीं आए जाए [५] रास्ते की सेवा में लाभ बता कर गृहस्थों के साथ विहार नहीं करे [६] रास्ते में सेवा करने वालों का आहार नहीं ले। [७] गृहस्थों के साथ पंचमी (शौच) के लिए नहीं जाए आए। [८] जानबूझकर पूजा सत्कार नहीं कराए। [९] अमुक गाँव का विहार हो—ऐसा पहिले न

कहे, न सोचे और टीका देने का कारण लगाकर एक गाँव में एक महीने से ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए और इस तरह चतुर्थमास का एक विहार लगा कर वर्ष में नौ विहार से कम विहार न करे [१०] जिस से वर्तमान या भविष्य काल में कोई आरम्भ (कार्य) हो ऐसा वचन न बोले [११] मोह मोच्छ्रव न करे और ऐसा न कहे कि मोह-मोच्छ्रव अमुक जगह किया जायगा [१२] जब तक रंग, रस, गंध और स्पर्श न बदल जाय तब तक राख का धुला पानी ग्रहण न करे । कोई चीज़ पानी में जब तक पूरी पूरी तरह न घुल-मिल जाय तब तक उसे न ले [१३] अति उष्ण गरमागरम आहार न ले [१४] जानबूझ कर जिन्हा-लोलुपता-पूर्वक सरस आहार न ले और यदि कभी सरस आहार मिल जाय तो फौरन तपस्या करे [१५] शरीर के स्थिर रखने के लिए ही नीरम और सूखा आहार ले [१६] माँडले के पाँच संयोग के टोप खाद के लिए न लगाने [१७] अज्ञात कुल की—अपरिचित कुल की—थोड़ी थोड़ी गोचरी करे और इस प्रकार भ्रमर की तरह बहुत से बरो की गोचरी करे [१८] जीमण में आगे पीछे—पहिले या बाद को—न जाये । [१९] खामा-विक रूप से मकान आदि खुला मिले तो ग्रहण करे । [२०] साधु के निमित्त से यदि मकान आदि की सफाई हुई है तो उस मकान में न रहे । [२१] संकेतों या भाषा द्वारा दरवाजे (किवाड़े) बन्द न कराए, न खुलवाए । [२२] संकेत या भाषा द्वारा गृहस्थ से काम न कराए । गृहस्थ से लार्ड हुई चीज़

अपने ठिकाने पर गृहस्थ को वापिस न करे बल्कि जहाँ से वह चीज लाया हो वहाँ पहुँचाए (दशवे कालिक सूत्र में बताया हुए १८ पापों में से एक का भी सेवन करे तो साधु भ्रष्ट हो जाता है) [२३] तपस्या में “आमिल” करे तो गृहस्थ को रोटी न चिपडने की पहिले से ही सूचना न दे [२४] गरम पानी के अन्दर से निकाला हुआ नींबू, साबुत अमरूद (जाम), अनाग, नारंगी, पिस्ता, बादाम, पानी के नारियल का टुकडा, खरबूजे का पणा, संतरे का पणा, तरबूज का पानी आदि का सेवन न करे । [२५] चारो काल के नित्य कर्म नियमित रूप से बराबर उपयोगपूर्वक करे । [२६] उपयोग सहित लोलुपता भाव न रखे । [२७] गरीब का मालदार (धनवान) से ज्यादा आदर न करे, समभाव से बरताव करे । [२८] स्थानक में कोई गृहस्थ दर्शनो के लिए जाय और वहाँ वह आहार के लिए कहे तो उसके यहाँ आहार के लिए न जाय । [२९] भापा द्वारा श्रावक को दलाली करने के लिए कोई काम न बताए । [३०] देश-विदेश में विचरने वाला साधु चिट्ठी या तार से गृहस्थ द्वारा आई हुई आचार्यकी आज्ञा को न माने—उस पर अमल न करे । [३१] चूल वाले किवाड़ को रजोरहण की डंडी से जरा भी न खोले । [३२] बिना चितवन के १२ कुल की गोचरी करे, बिना चितवन के जावे, सूचना देकर गोचरी के लिए न जावे । [३३] जिस मकान में साधु ठहरा हुआ हो उसके मालिक का नाम मात्स्य कर के गोचरी के लिए जाना चाहिए; क्योंकि उसके यहाँ आहार

लेना प्राण्य नहीं है । दूसरी जगह ठहर कर उस मकान-मालिक के यहाँ आहार लेने की प्रथा ठीक नहीं है—दोषयुक्त है । (३४) सच्ची-झूठी-मिली-हुई भाषा न बोले । (३५) शका के साथ न बोले—निःशंक होकर बोले । (३६) बिना संकेत के पूरी छानबीन (खोज) करे । (३७) कोई कारण लगा कर हाथ मुँह का स्नान न करे । (३८) कोई कारण लगा कर नित्य पिंड [एक घर से गेज लेना] और रोज एक घर से ही धोवण-पानी न ले । (३९) टट्टी की इच्छा के बिना पानी में पंचमी के लिए न जावे । (४०) तीन हथेली (पुसली) (चुल्ट), से अधिक पानी से टट्टी न धोवे । (४१) डरपोक न होवे । (४२) चौमासा वहाँ किया जायगा—ऐसा पहिले न कहे । (४३) गधे की तरह गोचरी न करे अर्थात् एक घर से ज्यादा आहार न ले । (४४) दीपक वाले मकान में न रहे । (४५) अधपका [अपरिपक्व] शाक न ले । (४६) गृहस्थ का संदेश मान कर कोई काम न करे । (४७) प्रमाण से अधिक आहार न करे । (४८) प्राप्त काम-भोगों का त्याग करे । (४९) आगे पीछे दान की प्रशंसा न करे । (५०) सूर्योदय में पहिले प्रति-लेखना न करे । (५१) जो दोष लग गया हो उसकी शांघ आलोचना करे । (५२) हींगल एक धातु है उसे न रखे और कपडे में भिगोई हुई स्याही, रोगन, बार्निश जिस में तेल पड़ा करता है और चावलों के माँड से बनी हुई जिल्द पट्टा भी न रखे । (५३) पात्र को न रँगे । (५४) भावनापूर्वक परिग्रह रखने का उपदेश न करे । (५५) जीमणवार ज्यौनार का आहार ग्रहण

न करे। (५६) चलते समय न बोले। (५७) पुराना कपड़ा भी न धोवे और तेल, घी आदि न लगावे। (५८) चोट या फुँसी या गूमड़ा पर लुपरिया पुल्टिस या मरहम आदि लगा कर गत्रि में बासी न रखे [यह निर्णाय मूत्र के उ० ३ में त्याज्य है]। (५९) सेवा में आगे आगे चलने वाला नौकर न रखे। (६०) गृहस्थ से न कुछ सीखे, पढ़े और न सिखाए पढ़ाए। (६१) भाषा समिति-द्वारा कोई काम करने के लिए न समझावे। (६२) सुदृढ़ साधु तीन पात्र न रखे, [मूत्र के अनुसार सतवीर साधु ही तीन पात्र रख सकता है]। (६३) चोट आदि को न कुरेदे या फोड़े (यह निर्णाय मूत्र आदि में त्याज्य हैं) (६४) घांप मार्ग में आर्यिका के लिये हुए आहार का सेवन न करे (६५) आचार्य के कपड़े की प्रतिलेखना ^{संध्या} न करे, आचार्य साधु में लेख द्वारा त्याग न कराए (६६) आचार्य उस साधु को जो तीन ढोंपों में अधिक सेवन कर चुका है, निकाल दे। (६७) होठों पर रोम न आए ऐसी छोटी उम्र वालों को शाल न सिखाए, [यह निर्णाय मूत्र के १९ उ० में त्याज्य है] (६८) प्रत्येक साधु को स्वयं रात में शौच के लिए जाने के लिए दिन में तीन जगह देख रखना चाहिए। (६९) चिकित्सा न कराए। [चिकित्सा कराना टक्कीसवाँ अनाचार है] (७०) अशुचि के बिना रजोहरण आदि न धोए। (७१) आचार्य उपाध्याय के अतिशय के लिए कपड़े न धोए (यह बात ठा० ठा० के पाठ में नहीं है, पर टीका में इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन टीका की यह

वान मानने योग्य नहीं है। ठीक यही है कि कपड़े नहीं धोने चाहिए। (७२) मर्यादा से बाहर बख और पात्र न रखे (नोट— [आचार्य और साधु के लिए समान नियम है।] (७३) किसी साधु के देहान्त में उमका रजोहरण पुणजणी बढ जाय तो उसे डेढ महीने से अधिक पास न रखे। (७४) नेना (सिन्हाडावध) साधु एक चिरमली रखे, इससे दूसरा उपकरण न बनाए। (७५) ग्राम, नगर, कोट के अन्दर बाहर का आहार मिला कर न ले। (७६) मत्र, तत्र, डोग न कराए। (७७) साधु चाँगस्ने पर या प्रसिद्ध जगह में न रहे। (७८) सल्लेखना (संयाग) आदि के कारण बिना घर जाकर दर्शन न देखे। (७९) जहाँ गृहस्थ के स्त्री आदि का निवास हो वहाँ उनके मध्यागृह में न रहे। (८०) जहाँ स्त्री बैठती हो उस जगह उसके उठने के एक मुहूर्त बाद बैठे। (८१) तीन घर से सामने टाकर कोई भी चीज देखे तो न लेवे। (नोट:—निदरी तक में भोजन लेना बनाया है)। (८२) एक घर को २-३ बार आहार लेने के लिए न जाए। (८३) कितारी फाड़ कर साबुत थान न रखे। (८४) विशेष कारण बिना पहिले पहर की दवाई चौथे पहर में गृहस्थ की आज्ञा से उपयोग में न लाए। (८५) दर्शन की प्रतिज्ञा न कराए। (८६) छः दंडों के दान का निषेध कर के कह कर त्याग न कराए।

भिक्षुजी की गाथा

गुरुने देख दोष लगावे तो। तुरत करे निकालो जी लाला
लोलो कर उठे नहीं ॥ या जिन शासनरी पालोजी। भगवन्त
भाख्या थावक ये हवा ॥१॥

आंबासु लिव ल्याय । सिचे घतुरो आय आसमन अति
घणीए आम्ब लेवण तणीए ॥७॥

आम्ब गयो कुमलाय घतुरो रयो द्रढाय जायने जोवे जर ए
नयणा नीर झरेए ॥८॥

दुरणु चरो मग्गो विरणं अणि यह गामीणं ॥ (आचार हुकर
बताया)

॥आचा० श्रु० १ अ० ४ उ० ४ सू० ३॥



अध्याय : ४

स्थायक दोष (थायी दोष)

प्रश्न:—(क) वर्तमान तेरहपथी आचार्य तुलसीरामजी और आज्ञाधारी साधुओं का यह कथन है कि यदि साधु की भावनार्थ साधु के उद्देश्य से गृहस्थ एक दो दिन या अधिक समय के लिए चारों प्रकार के आहार वस्त्र, पात्र, पाट पाटलादिक अनेक पदार्थ रखे या पाट पाटलादिक को कमरे से बाहर निकाल कर—स्थानान्तर करके—रखे तो कोई दोष नहीं है। क्या उनका यह कथन सत्य है ?

(ख) शास्त्र में मूर्च्छा को ही परिग्रह बताया गया है। इन तेरहपथियों को यह मूर्च्छा अर्थात् परिग्रह है या नहीं ?

उत्तर:—उपर्युक्त प्रश्न के क भाग का उत्तर 'नहीं' और ख भाग का उत्तर 'हाँ' में है। विस्तारपूर्वक समझाने के लिए निम्न विवरण है:—

(क) भिक्षुजी का कथन है:—

“ श्रावकरे सचित्त अचित्त द्रव्य सगलाई ।
गृहस्थ के परिग्रह मांही कखो उववाई उपांग मये बली
सुयंग मये रख्या लागे कर्म रखाया पिण नहीं जिन धर्म
तिनो करण सारखा ये क्रिज्यो पारखाए ॥

एक दोष सेवे कोई साथ, ते संजम दियो विराध
तिणने गुरु जाणने वान्दे कोई, ते तो अनन्त संसारी होई ।
वणा दोष सेवे साक्षात्, तिणने गुरु जाणीने वान्दे दिन
रात ते तो अज्ञानी बाल, रुढ़सी के तेइ काल ॥ ”

भिक्षुजी के उपर्युक्त कथन के अनुसार जो द्रव्य माधु के उद्देश्य में ग्वा गया है उसमें ग्रहण करना साधु के लिए दोष है । पाट पाटलादिक मर्मा वस्तुओं के सम्बन्ध में यही बात है । नाब सूत्र दशवे० अ० ४ के अनुसार पट जीवनी काय की हिंसा का त्याग पाँच महाव्रत और गत्रि भोजन त्याग अनिवार्य हैं, अतः उद्दिष्ट भोजन अथवा अन्य कोई उद्दिष्ट पदार्थ माधु के लिए मन वचन काय से त्याज्य है । वैसा ही प्रश्न व्या० संवद्वा १ मृ० ५ में भी त्याज्य बनाया है ।

वस्त्र और पात्र के अध्याय १४ में शास्त्रीय प्रमाणा तथा सच्ची घटनाओं के आधार पर से पाठकों को भलीभाँति मालूम हो जायगा कि इन तेहरपंथी साधुवेपियों में कितनी मूर्च्छा है । अन्य अध्यायों में भी उनकी जिह्वा-लोलुपता आदि का जो परिचय दिया गया है उससे शरीर के प्रति इन लोगों का मोह तथा अन्य हर प्रकारकी मूर्च्छा का परिचय मिल सकता है । अतः

यहाँ विस्तार रूप में इस विषय में प्रकाश डालना उपयुक्त नहीं है। यहाँ तो इतना कह देना ही काफी है कि तेरहपथी साधु-वेपियों में मूर्च्छा है और वह मूर्च्छा खूब गहरी है—गृहस्थ की मूर्च्छा से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि शायद एक सदगृहस्थ से ज्यादा ही है।

निम्न प्रश्नावली द्वारा यह बात पाठकों को समझ में भली भाँति आ जायगी—

१ (क) प्रश्नकर्ता (महावीर पंथी):—प्रथम महाव्रत में देव गुरु धर्म के लिए हिंसा करना, कराना या करनेवाले को अच्छा जानना गर्भित है या नहीं अथवा इस का उस से कोई मेल है या नहीं ?

उत्तरदाता (तरह पंथी).—नहीं, नहीं।

(ख) प्रश्न—देव गुरु धर्म के लिए भापा अथवा संकेतो द्वारा जो हिंसा करे, करावे और करनेवाले को अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए ?

उत्तर—मिथ्या-दृष्टि।

२ (क) प्रश्न—दूसरे महाव्रत में देव गुरु धर्म के लिए मिथ्या वचन बोलना, बुलाना या बोलनेवाले अच्छा जानना गर्भित है या नहीं, अथवा इस का उससे कोई मेल है या नहीं ?

उत्तर—नहीं, नहीं।

(ख) प्रश्न—देव गुरु धर्म के लिये भापा अथवा संकेतो द्वारा कोई मिथ्या वचन बोले, बुलवाए या बोलनेवाले को अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए ?

उत्तर—मिथ्या-दृष्टि ।

३ (क) प्रश्न—तीसरे महाव्रत में देव गुरु धर्म के लिए आचार आदि की चोरी करना कराना या करनेवाले को अच्छा जानना गर्भित है या नहीं ? अथवा इसका उस से कोई मेल है या नहीं ?

उत्तर—नहीं, नहीं ।

(ख) प्रश्न—देव गुरु धर्म के लिए भाषा अथवा संकेतों द्वारा कोई आचार आदि की चोरी करे, कराए अथवा करनेवाले को अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए ।

उत्तर—मिथ्या-दृष्टि ।

४ (क) प्रश्न—चौथे महाव्रत में देव गुरु धर्म के लिए आचार कुशील का व कुशील का सेवन करना, कराना, सेवन करनेवाले को अच्छा जानना गर्भित है या नहीं ? अथवा इस से उसका कोई मेल है या नहीं ।

उत्तर—नहीं, नहीं ।

(ख) प्रश्न—देव गुरु धर्म के लिए भाषा अथवा संकेतों द्वारा कोई आचार-कुशील का सेवन करे, करावे या सेवन करनेवाले को अच्छा जाने तो उसे क्या कहना चाहिए ।

उत्तर—मिथ्या-दृष्टि ।

५ (क) प्रश्न—पाँचवे महाव्रत में देव गुरु धर्म के लिए परिग्रह रखना, रखाना, रखनेवाले को अच्छा जानना गर्भित है या नहीं अथवा इसका उससे कोई मेल है या नहीं ?

उत्तर—परिग्रह ग्वना तो महाव्रत में गर्भित नहीं है और न उसके अनुकूल ही है लेकिन ग्वाने की बात भिन्न है क्योंकि यदि माधु के लिए गृहस्थ द्रव्य न ग्वे तो वह माधु की भावना किस तरह भावे ? कैसे काम चले ?

(ख) प्रश्न—साधु की भावनार्थ गृहस्थ आसणादिक चार प्रकार के आहार, वस्त्र, पात्र तथा अन्य द्रव्य एक दो दिन या अधिक समय के लिए ग्वे अथवा पाट पाटलादि कमरे से बाहर—स्थानान्तर करके— ग्वे तो उसे क्या कहना चाहिए ?

उत्तर—साधुभक्त श्रावक, सदगृहस्थ । गृहस्थ साधु की भावनार्थ एक दो दिन या अधिक समय के लिए (जितने भी समय के लिए वह चाहे) कोई भी द्रव्य या अनेक द्रव्य रखे तो इस में दोष नहीं है । पाट पाटलादि को कमरे से बाहर—स्थानान्तर कर के—ग्वने में भी कोई दोष नहीं है । भिक्षुजी ने श्रावक के वाग्द्वे व्रत की ढाल में कहा भी है —“खप करी राखे सुजतो” ।

भिक्षुजी ने व्राह्म व्रत की ढाल में वर्तमानकाल का उपदेश करते हुए “खप करी राखे सुजतो”—प्रेमा कहा है । श्रावक अपने जीमने (भोजन करने) के समय जब बैठे, जब उसके निमित्त से परोसी हुई थाली उसके सामने आवे, उस समय श्रावक यह भावना करे कि यह वस्तु मेरे लिए वनी है, मेरे अन्न में है, परिग्रह में है, पाँचवाँ पाप है, सावध योग है, उसे ग्वना मेरी कमजोरी है, अन्न में उसका सेवन करना मेरा दौर्बल्य

है, और उस समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए १०-२० मिनट या एक दो घंटे के लिए भावसहित स्वतः निरन्तर यह भावना भावे कि मेरे भाग्योदय से—मेरे शुभ कर्मों के उदय से—कोई सुपात्र साधु अतिथि पत्रों और चित्त, वित्त व पात्र नीनों का शुद्ध योग मिलने से ब्राह्मण व्रत का पालन हो तो यह धन्य टिक्स है, धन्य घड़ी है। ऐसे समय के लिए ही भिक्षुजी ने “खप करी राखे सुजतो” का कथन किया है। “खप करी राखे सुजतो” का अर्थ है—“द्रव्य शुद्ध है ही”। भिक्षुजी ने इसी उद्देश्य से ऐसा कहा है, नहीं तो वे ऐसा क्यों फरमाते कि आसणादिक चारों आहारों को रखना, रखाना कर्म-बन्धन का कारण है। भिक्षुजी के ऊपर मिथ्या आरोप करना एक दीर्घ ससारी का ही काम हो सकता है। शुद्ध आत्मा जिन वचनों के अनुकूल होती है, मिथ्या-दृष्टि उसकी खींचातानी करते हैं। तेरहपंथी इस खींचातानी में जीरण सेठ की घटना का हवाला देते हैं। एक तो जीरण सेठ की घटना का उल्लेख सूत्रों में नहीं है, यह ग्रन्थकार की अपनी रचना है। दूसरे, जीरण सेठ ने अपने लिए तय्यार हुए पदार्थ की “निखद्य भावना” भाई थी, परन्तु द्रव्य रखकर ऐसा न किया था। जीरण सेठ की घटना को लेकर उसे ग़लत रूप में प्रकट करके अपनी बात का समर्थन करना न्याय विरुद्ध है, मिथ्या है। चार महाव्रतों का वर्णन एक सरीखा करना, लेकिन पाँचवें महाव्रत के विवेचन में अगर, मगर, लेकिन, नहीं तो, आदि लगाकर दूसरी तरह से—बिलकुल नए ढंग से—उसका प्रतिपादन करना कितनी साफ़ धोके-वाजी है। पाँचों महाव्रतों की मान्यता एक सरीखी है और होनी

चाहिए। अतएव उनका प्रतिपादन भी एक-सा ही होना चाहिए। तेरहपथी मन ही मन में अपना यह सफेद झूठ अवश्य समझते और मानते होंगे। ट्रिल में छिपी हुई चोरी प्रकट हो ही जाती है। रोज़ सुबह शाम प्रतिक्रमण में साधु कहता है कि आसणं, पाण, खादीमं, खादिमं; कणमात्र भी स्निग्ध पदार्थ रात्रि में रखा हो, ग्वाया हो या रखनेवाले को अच्छा जाना हो तो यह अति-चार है, जिसके लिए “मिच्छामि दुःकड” लेते हैं, जिसके लिए प्रायश्चित्त करते हैं। लेकिन पहिली ही क्षुधा-परिपह के वश में होकर खाने के लोलुपी गलत ढंग से प्रतिपादन करते हैं। प्रतिक्रमण में “गोयर चरियाए” की पाटी में यह भी आता है जिसके अनुसार साधु अपने निमित्त से स्थापित किया हुआ—रखा हुआ—पदार्थ ले तो उसके लिए “मिच्छामि दुःकड” लेते हैं। तेरहपथी जिस पाठ को गेज़ पढ़ते हैं, उसीके विरुद्ध आचरण करते हैं। यह अज्ञानता है या दुराग्रह? श्रुतकेवली बनने का दावा और अपनी ही भाषा में ऐसा कोरापन। समझदारी का तो दीवाला ही निकाल दिया। बलिहारी है ऐसी बुद्धि की।

देखिए, दीक्षा लेते समय पंच महाव्रत की प्रतिज्ञा का वर्णन इस तरह किया जाता है:—

“आहावरे पंचमे भन्ते महव्वए परिग्गहानुं वेरमण ।
 सव्व भन्ते परिग्गहं पच्चक्खामि, से अप्पं वा बह्वं वा अणुं
 वा थूलंगं वा चित्त मन्तं वा अचित्त मन्तं वा । नेव सयं
 परिग्गहं परिगएहंज्जा, ने वन्नेहिं परिग्गहं परिगएहा वेज्जा

परिग्रहं परिग्रहन्ते त्रीं अन्ने न समणुजाणेज्जा; जावज्जीव्वाए
 तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न करा-
 वेमि करेना पि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भन्ते पडिछ-
 मामि निन्दामि गरि हामि अषाण वोसिरामि; पंचमे भन्ते,
 महव्वए उवट्ठिओमि । सव्वाउ परिग्रहाउ वेरमणं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अ० - अव, अ० - दूसरा, प० - त्यागा, भ०-भगवान,
 म० - महाव्रत, प० - परिग्रह, वे० - छोड़ता हूँ । म० - सब प्रकार,
 भ० - भगवन्त, प० - परिग्रह, प० - त्याग करता हूँ । से० - उमका
 स्वरूप बताते हैं, अ० - अल्प (कीड़ी आदि), वा० - और,
 व० - ज्यादाह (एरडकाप्टादिक), वा० - फिर, अ० - छोटा वज्र
 (हीरादिक), वा० - अथवा, थू० - बड़ा (हस्ती आदि), वा० - फिर;
 चि० - सजीव (शिप्यादिक), वा० - और, अ० - निर्जोव (वस्त्रादिक),
 वा० - फिर, ने० - कभी नहीं (न० - न, एव० - कभी), स० - स्वत,
 प० - परिग्रह, प० - नहीं रखता हूँ, ने० कभी (न - न, एव - कभी)
 अ० - दूसरा पास, प० - परिग्रह, प० - नहीं रखता हूँ, प० - परिग्रह
 रखता हो, वि० - फिर, अ० - अन्य रखता हो, न० - नहीं, स० - अच्छा
 जानता हूँ, जा० - जब तक, आत्मा शरीरमें है वहाँ तक, ति० - तीनों
 प्रकार (त्रिविधे), ति० - त्रिविधे, म० - मन से करना या वचन से
 कराना, का० - काया से, न० - रखूँ नहीं, क० - रखता हूँ, न - नहीं,
 क० - खाता हूँ, क० - अन्य रखते, पि० - प्रत्ये, अ० - दूसरे को,
 न - नहीं, स० - अनुमोदन करता हूँ, त० - इसलिए, भ० - हे पूज्य,
 प० छोड़ता हूँ, ग० - ग्रहण करता हूँ, अ० - आत्मा को पाप से,
 वो० - अलग करता हूँ, पं० - पांचवों, भ० - हे भगवन; म० - महा-
 व्रत के विषय में, उ० - सावधान हुआ, स० - सब प्रकार के, प० - परि-
 ग्रह, वे० - छोड़ता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ—गुरु कहते हैं कि परिग्रह को छोड़ दे। तब शिष्य कहता है, “हे पूज्य, मैं सब प्रकार से परिग्रह का त्याग करता हूँ परन्तु पहिले साधुने जैसा किया होगा मैं वैसा ही करूँगा”। गुरु दूसरे साधु के त्याग का वर्णन करते हुए कहने हैं कि, जिस की कीमत कम, वजन कम (कीड़ी प्रमुख), वजन ज्यादा कीमत कम (काष्ठ प्रमुख), वजन कम कीमत ज्यादा (वज्र हीरा प्रमुख) वजन ज्यादा कीमत ज्यादा (हाथी प्रमुख) सचित्त (शिष्य प्रमुख) और जो अचित्त (निर्जीव) वस्तु है उसे वह नहीं रखता है, दूसरे से नहीं रखाता है, और कोई रखता हो तो उस को अच्छा नहीं जानता है। तब शिष्य कहता है, “हे पूज्य, मैं भी ऐसे परिग्रह का त्याग करता हूँ, जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक के लिए मन वचन कायपूर्वक परिग्रह को छोड़ता हूँ—परिग्रह नहीं रखूँगा, न रखाऊँगा और कोई रखेगा तो उसे अच्छा नहीं जानूँगा, पहिले जो परिग्रह रखा था गुरु को साक्षी कर के उसकी निंदा करता हूँ—उसे बुरा समझता हूँ और परिग्रह को आत्मा से दूर करता हूँ। हे पूज्य, मैं पाँचों महाव्रतों के विषय परिग्रह को छोड़ने के लिए सावधान हो गया हूँ”।

टीका—परिग्रह रखूँ नहीं, रखाऊँ नहीं और रखने को अच्छा नहीं जानूँ, परिग्रह का मुझे नव कोटि त्याग है, दीक्षा लेते समय ऐसा कहनेवाले तेरहपथियों से कोई पूछे कि क्या वे सचमुच परिग्रह का ऐसा त्याग करते हैं। उन्होंने अपनी इन्द्रिय-लोलुपता के कारण त्याग का नाम कर रखा है, पर उनके जीवन

में त्याग का नाम भी नहीं है, आत्मवचना है, टोंग है, अपने और दुनिया के प्रति मायाचारी है। खेद तो इस वान का है कि इन साधु-श्रेणियों के जीवन में त्याग का लयलेटा भी नहीं है फिर भी अन्ध-भक्त—एंगे अन्धे भक्त जिन को आँविं हांते दृष्ट भी दिग्बाई नहीं देता है जो बुद्धि के अन्धे हैं—उनको पूजा करने है, उन्हें साधु समझ कर खुद धोका खाते हैं और दूसरों को धोका देते हैं। निःपक्षता पूर्वक विचार करने की शक्ति न होने से वे साधु असाधु की परीक्षा नहीं कर पाते, बस जिम को साधु के रूप में देख लिया जिम पर साधुत्व का मादन बाँट लगा देख लिया, उसी की पूजा करने लग जाते हैं। यह कैसी विद्वम्बना है? यह कैसी दयनीय मूर्खता और शिथिल-शून्यता बल्कि जड़ता है?

रोगन (धारनिश) गाढ़ा होने से उम में अपने हाथ ने नेरहपथी साधु-श्रेणी असाधु नेलादिक मिला कर रखते हैं (ऐना करने वालों को मूत्र में असाधु बनाया गया है)। ये लोग जिन्द [पट्टा] खलता आदि को चावल के मांड में—लेही [चिक्की] से—बना कर काम में लेते हैं। ये लोग रजोहरण और उसकी डडी गोछा गच्छा कपड़ा आदि मणी बन्द बज़न से रखते हैं। पूछने पर कहते हैं कि यह तो राज का है। इससे यह पना चलता है कि 'राजेश्री सो नर केजारी' की कहावत इन के सम्बन्ध में उपयुक्त है।

चाट आदि के लिए ये लोग मग्हम (मल्लम) आदि तेल २ या ३ दिन तक के लिए रखने हैं जब कि मूर्तों में इसका स्पष्ट नियम है। निशा उ० १६ में बताया है कि प्रमाण से अधिक रखने में चौमामी टंड होता है। देखिए:—

पाठ—“विड मुब्भे इम लोणे तेह्ल सपि च फाणियं ।
नते सन्निहिं मिछन्ति नायपुत्तं-वओ-रया ॥ १८ ॥
लो भस्से मणुफोसे मन्ने अन्नयरामवि ।
जे सिया सन्नि ही कामे गिही पच्चइए न से ॥ १९ ॥
दश० अ० ६ सु० १८ व १९

शब्दार्थ—वि० - गोमूत्र में पक्का नमक, उ० - समुद्रादिक का नमक, प्रानुक, अप्रामुक, इ० - अप्रत्यक्ष, लो० - नमक, ते० - तेल, स० - घी, च० - पिर, फा० - टोला गुड़, न० - नहीं, ते० - वे माधु, न० - रात्रि में वासी रखना, ई० - बाछे, ना० - श्री० महावीर, व० - वचन का विषय, र० - अनुरजन हो, ॥ १८ ॥

श्री० - बानी ग्यने वाला लोभ वश, ए० - अप्रत्यक्ष, अ० - अनुभव जानना, म० - ऋषभ आदि तीर्थकर, भ० - दूसरा, वि० - परन्तु; जे० - कोई भी, सि० - होवे, म० - बामी ग्यने का, का० - अभिलाषा, गि० - गृहस्थ, प० - वही, न० - नहीं, से० - वे माधु ॥ १९ ॥

भावार्थ—जिम् को श्री महावीर स्वामी के वचनों के ऊपर श्रद्धा है वे नमक (सचित्त), अन्नार, तेल, घी, गुड़ आदि वस्तुओं को रात्रि में वासी नहीं रखते ॥ १७ ॥

लोभवश अगर जरा भी वस्तु वासी रखे उसे साधु नहीं समझना चाहिए। और ऐसा साधुवेपी जो वासी रखता है साधु

तो है ही नहीं, गृहस्थ भी नहीं है, उसे गृहस्थ भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ के सिर और देह पर तो पगड़ी आदि वेप रहता है जब कि इसके यह वेप नहीं है।

विशेष प्रमाण के लिए देखिए—

(१) निशीथ उ० ४ सू० २४ में बताया है कि साधु के देनेके उद्देश्य से आशनादि आहारों की स्थापना हुई हो, तो बिना ज्ञान-बीन और खोज के जो घर में प्रवेश करे, कराये, करने को अच्छा जाने तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित लेना चाहिए।

(२) दशवे अ० १० सू० ८ व अ० ६ सू० १९ में कहा गया है कि जो आसणादिक चार आहार का सचय नहीं करे, नहीं कराए और करने को अच्छा नहीं जाने वही साधु है। और जो करता है वह गृहस्थ है, परन्तु दाक्षित नहीं है।

(३) सुय० श्रु० प्र० स्वस्म० अ० १३१ सूत्र २ में कहा गया है कि आरभ परिग्रह दोनो कर्म-बन्ध के कारण हैं। जो स्वतः परिग्रह रखे, रखाए और रखने को अच्छा जाने उसके लिए दुख से छुटकारा नहीं है।

(प्रश्न व्या० सम्बर द्वार २ अ० ५ सू० ९ में तो मर-णान्तक कष्ट में भी औपधि-चूर्ण रखने का निषेध किया है।

पाठः— जे भिक्खु टवणा कुलाइं अजाणिं यं अपुच्छियं
अगवेसियं पुव्वमेव पिंडवाय पडियाए अणु-
पविसई, अणुपवि संतं वा सइज्जइ ॥२४॥

(निशी० उ० ४, सूत्र २४)

स्थापन दोष (यासांता दोष)

भावार्थः—गृहस्थ के घर में माधु के देने योग्य आहारान्तरिक को स्थापना कर ग्यां हो और माधु साध्यां बिना जाने पूछे बिना गवेणना के वहाँ आहार के लिप् प्रवेश करे, प्रवेश करने को अच्छा जाने तो उसके लिप्, लघुमासिक प्रायश्चित्त बनाया है ।

टीकाः—उपर्युक्त पाठ के अनुसार माधु की भवनाथे आनयादिक कोई वस्तु जिम घर में स्थापित की हुई हो तो बिना नयाम और खोज किए उस घर में प्रवेश करना और प्रवेश करने को अच्छा जानना पाप बनाया है और उसके लिप्, प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । जब प्रवेश नक करना पाप है तो उमे लेने—प्रदण करने—को बान का तो उठना ही क्या, वह महापाप हुआ ।

और देखिए—

पाठः—“ते हेव आसण पाणरा वा विविहं खाइम साइमं,
लभिता । ‘हो ही अहो सुए परं वा’ तं ननिहे
न निहावए जे स भिक्खु” ॥८॥

(दशवे० अ० १० सू० ८)

शब्दार्थः—ने० - वेसा ही, अ० - आमण, पा० - पात, वा० - फिर, वि० - जनेक प्रकार के, खा० - भेवादिक्, सा० - स्वादिम, ल० - प्राप्त हुये । हो० - मन में चिन्तन करे कि यह हो, अ० - अर्थ, मु० - कद अथवा (प०) परमों काम पड़ेगा, वा० - फिर, न० - वे आहा- गदिक ऐसा जानकर, न० - नहीं, नि० - बामो रखे, न० - नहीं, नि० - बामो रखाए (बामो रखने का अनुमोदन न करे), जे० - जे, म० - वो, भि० - माधु ॥८॥

भावार्थः—जो विविध प्रकार आग्न, पान, खादिम, स्वादिम प्राप्त करके, कल अथवा परमो काम पडेगा—ऐसा विचार करके, उसको सचय नहीं करता है, अन्य से सचय नहीं कराता है और करने वाले को अच्छा नहीं जानता है, वही साधु है ।

टीका :—यहाँ बताया है कि जो स्वयं सचय नहीं करता, न दूसरे से कराता है और न करने वाले को अच्छा जानता है उसे यहाँ साधु बताया गया है । तेरहपथियों का प्रतिपादन तो स्पष्टतः जिन वचन और भिक्षुजी के कथन के सर्वथा विरुद्ध है । भिक्षुजी के कथन को अपनी स्वार्थ—मिद्धि के लिए गलत तरह से पेश करने हैं । भिक्षुजी ने तो एक दोष के सेवन करने वाले को भी असाधु बताया है, लेकिन ये तेरहपथी तो अनेक दोषों का सेवन करते हैं । देखिए:—

“ न हु पाण वहं अणु जाणे, मुच्चेज कयाइ सव्व दुक्खाणं । एवायरिए हिं अक्खायं, जेहिं इमो साहु धम्मो पण्णतो ॥ ८ ॥

उ० अ० ८ सूत्र ८

शब्दार्थ :—हु० - निश्चय, पा० - प्राणवध आदि, न० - अनु-मोदन करे, हु० - निश्चय, ह० - अनजानमें हिंसा का अनुमोदन करे, मु० - मुक्त, कया० - निवारपणी, सव्व० - सब दुखों से न छूटे, स० - सब दुख, ए० - ऐसा, आ० - आचार्य, अ० - बताया, जे० - येणे, ई० - यह, सा० - साधु का, घ० - धर्म, प० - प्रतिपादन किया ॥८॥

भावार्थः—प्राणवधादिक पौत्र तर्ह के आश्रय का जो अनु-
मोदन करता है, वह दृग्गो ने कभी छुटकारा नहीं पा सकता,
ऐसा तीर्थकर भगवान ने बताया है ।

विज्ञ पाठकगण विचार करे कि परिग्रह रखने में दोष न
बताने वाले ये तर्हपथी तीर्थकर के जितने अनुयायी हैं और उन
को दृग्गो ने केलं मुक्ति प्राप्त हो सकती है । ये तो कर्म-बन्धन
करने रहते हैं, पापों के भागी होते रहते हैं, भला इनको मोक्ष
प्राप्त हो सकता है, ये नन्मग-न्मगर ने नर सकते हैं ?
कदारि नहीं ।

पाठ—“न मां परिग्ग हो वृत्तो नायपुत्रेण ताडणा. मृच्छा
परिग्ग हो वृत्तो इअवृत्तं महोसिणा ॥ २१ ॥

—दशवे० अ० ६ सूत्र २१

अच्छार्थः— न० — नहीं, मां० — वह (ममता रहित वस्त्र आदि
ग्यने), प० — परिग्रह, उ० — तर्ह (कौन, किमने) ना० — वर्धमान
स्वामी, ता० — पटकाय की रक्षा करने वाले, मृ० — मूर्च्छा (ममता
ने वस्त्र आदि उपकरण रखे तो), प० — परिग्रह, उ० — बताया,
द० — ऐसा, उ० — तर्ह, म० — महारूपि ॥२१॥

भावार्थ—ज्ञानपुत्र श्री० महावीर स्वामी ने इन पात्रा-
दिक धर्मोपाधि को परिग्रह नहीं कहा है; परन्तु महर्षियों ने मूर्च्छा
को ही परिग्रह कहा है ।

पाठ—उसिणं परियावणं परि दाहेण तज्जिए ।

धिंसु वा परियावेणं सायं नो परिदेवए ॥ ८ ॥

—उच० अ० २ सूत्र ८

शब्दार्थ—उ० - उन्हे, प० - पृथ्वी आदि, प० - अति, या० - ताप से, प० - अम्यन्तर और वाह्य उत्पन्न हुई अग्नि, त० - पडा, धि० - ग्रीष्म ऋतु का, वा० - शीत काल का, प० - तपे सूर्य की किरणे पडे, सा० - प्रसन्नता, नो० - नहीं इच्छा करे कि शरीर को शान्ति हो ॥८॥

भावार्थ—शीत काल के पश्चात् उष्ण काल आए, तब उसकी उष्णता को सहन करना उष्ण परिग्रह है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण भूमि आदि के अताप से और पसीने मैल आदि के कारण साधु मन मे भी ऐसी इच्छा न करे कि वर्षा हो जाय, ताकि गरमी का कष्ट दूर हो जाय और चैन मिले।

नोट—ऊपर परिग्रह की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि मूर्च्छा ही परिग्रह है। परिग्रह का सम्बन्ध वस्त्र पात्रादि वस्तुओं से तथा आहारादि से नहीं है, बल्कि इन के मोह से है।

ये तेरहपंथी लोग मन में तृष्णा रखते हैं और उस तृष्णा को बुझाने भी हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर शब्दों आदि से ऐसा ढोंग करते हैं मानो उन्हें कोई तृष्णा ही नहीं है, कोई मोह ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए। जब ये लोग कहीं ऐसे मकान मे होते हैं जहाँ किवाड़े बन्द रहने के कारण हवा नहीं होती है तो ये कहते हैं कि यहाँ तो हवा नहीं है। श्रावक गण इस पर किवाड़े खोल देते हैं ताकि हवा आने लगे। इस पर वे कुछ नहीं कहते हैं और इस तरह अपनी इच्छा को पूरी कर लेते हैं। यह है इन लोगों की तपस्या। मुँह से नहीं कहते कि किवाड़े खोल दो तो क्या हुआ, मन से तो कह देते हैं। असली कहना तो मन

जा है। पाप पुण्य का सम्बन्ध मन में ही तो है। 'यहां तो हवा नहीं है' इन शब्दों में छिपी इच्छा यह है कि यहाँ हवा आनी चाहिए, और इस तरह वे लोग शब्द-जाल द्वारा अपने मन को टगते हैं, अपने को नीचे गिरते हैं। ज्यादा हवा होती है और वे कम हवा चाहते हैं तब भी वे लोग इसी तरह अपना काम चलाया करते हैं। इस तरह वे लोग भिक्षु का दोष धारण करने हुए भी भिक्षु नहीं हैं। देखिए—

(१) दशमे अ० १० सूत्र १६ में बताया है कि जो ब्रह्म पात्र प्रसाध उपाधि में बर्द्धा-रहित, किर्मा स्थान में आनक्ति-हीन द्रव्य-भाव-संगति रहित हैं, वहाँ भिक्षु हैं।

(२) मुयड० प्र० श्रु० अ० २ उ० १ सूत्र ९ में कहा गया है कि वामैः परिग्रहः त्यागा, कृया, माम् मास खमण तप करनेवाया माधु भी यदि मायावी हो तो वह अनन्त बार गर्भ में उत्पन्न होगा अर्थात् अनन्त काल तक समाप्त में भ्रमण करेगा।

(३) मुय० प्र० श्रु० सन्म० अ० १ उ० १ सूत्र २ में आरम्भ और परिग्रह दोनों को कर्म का बीज (अर्थात् कर्म-बन्धन का कारण) बताया, जो इन को धारण करे, धारण करने को अच्छा जाने तो वह कभी दुःख में मुक्त नहीं होता है।

और भी देखिए—

पाठ—

जे भिक्षुः समायं पसंसई पसंसं तं वा साइज्जई ॥५७॥

—निशी० उ० १३

भावार्थ—जो साधु ममत्वी की प्रशसा को, करते को अच्छा जाने, तो लघु-चौमासिक प्रायश्चित्त बताया है ।

पाठ—“उवहिम्मि अमुल्लिए अगिद्धे अन्नाय उच्छं पुल-निप्पुलाए ।

कय विक्रय सन्निहिओविरए सच्च सङ्गावगए य जे स भिक्खु ॥१६॥

—दशत्रे० अ० १० सूत्र १६

शब्दार्थ—उ० - वस्त्र पात्र के लिए, अ० - मूर्च्छा रहित, अ० - मृद्धता रहित, मिलने की इच्छा रहित, अ० - अनजाने घर का उ० - थोड़ा थोड़ा आहार, उ० - सरस, नि० - नीरस, क० - मोलका न लेवे, वि० - बेचा हुआ न लेवे, स० - घृतादि वासी रखने के लिए, वि० - विरक्त हो, स० - सर्व, म० - गृहस्थी के संग रहित राग द्वेष मोहादि कर्म-बन्धन का कारण जान कर, आ० - परिचय रहित, य० - फिर, जे० - वे, स० - वह, भि० - भिक्षु ॥१६॥

भावार्थ—जो साधु वस्त्रपात्र प्रमुख उपाधि की मूर्च्छा नहीं रखता है, किसी भी स्थान से आसक्ति नहीं रखता है, अज्ञात कुल में से थोड़ा थोड़ा आहार लेता है, ऐसे दोष नहीं रखता है जो चारित्र्य को गिराते हैं, क्रय-विक्रय सचय नहीं करता है, रात्रि में वासी पदार्थ नहीं रखता है, गृहस्थ आदि से किसी तरह की भी द्रव्य भाव संगति नहीं रखता है, वही साधु है ।



सचित्त-अचित्त

(आधाकर्मी)

१ प्रश्न:—नेरहपर्या साधु को 'न्यु मित्र' तप के पाग्णे में अर्वात्त मे णनी विना घी की गेटी खानी चाहिण् । ऐसं तपस्वी के लिए पाँच सात अच्छे रसयुक्त भोजन करने वाले घरों मे मूचना दे दी जाती है कि जब रसोई वने तब घी से रोटी न चिपड़ी जाए । तदनुसार गृहस्थ रोटी नहीं चिपड़ता है । गोचरी के समय वही रोटियाँ जिन्हें मूचना के अनुसार नहीं चिपड़ा जाता है, तपस्वी के लिए लाटी जाती है । यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर:—अच्छे रसयुक्त भोजन करने वाले कुल में सूचना दिए विना अज्ञान कुल में विना घी की चिपड़ी सूखी रोटियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अपरिचित कुल से लेने का कष्ट न उठा कर रसयुक्त और स्वादिष्ट भोजन करने वाले परिचित कुल में ही सूचना देते हैं । यह सर्वथा दोष-सेवन है । पहिले सूचना दे देने से ही आधाकर्मी उद्विष्ट और धार्पिता दोष वहाँ स्पष्ट है ।

साधु को देने के भावनार्थ सूखी रोटी रखना, सूचना मिलने के फलस्वरूप और कार्य स्वरूप सूखी रोटी बनाना—इससे आधाकमी दोष हुआ। वही सूखी रोटी साधु को देने के उद्देश्य को लेकर अलग स्थापित कर के रखने से थापीता दोष (स्थापन दोष) हुआ। साधु को देने के उद्देश्य से—साधु के उद्देश्य से—सूखी रोटियाँ बनाने से उद्दिष्ट आहार का दोष हुआ। इस तरह तीनों उपर्युक्त दोषों का सेवन निर्विवाद और विलकुल स्पष्ट है। प्रत्यक्ष दोष-सेवन होते हुए भी जब इन तेरहपथियों से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वे उत्तर देते हैं कि हम ने तो धी लगाने को मना किया, आरम्भ घटाया, बढ़ाया नहीं, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। विचारशील पाठकवृन्द विचार करें कि इन लोगों का यह कैसा कपटजाल है, मायाचार है। प्रत्यक्ष रूप से मूत्र-विरुद्ध आचरण करते हैं, और उस पर से उसका अनुमोदन करते हैं, उसको अच्छा बताते हैं यह 'चोरी और सीनाजोरी' नहीं तो और क्या है ?

२ प्रश्न—तेरहपंथी पातरा कर के गोचरी के लिए जाते हैं। यह दोष सेवन है या नहीं ?

उत्तर—ये तेरहपंथी द्रव्य लिंगी साधु साध्वी जिस गाँव में जाते हैं, वहाँ पहिले ही दिन श्रावकों के आधे घर एक दिन की गोचरी के लिए और बाकी आधे घर दूसरे दिन की गोचरी के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं; मुँह से ये लोग यही कहते हैं कि पाँतरे का नियम नहीं बनाया है, लेकिन पाँतरे से अर्थात् एक एक

दिन छोड़कर बारी बारी से श्रावको के घर जाते रहते हैं। गोचरी के समय ऐसा निश्चित किया जाता है कि अमुक साधुओं को अमुक घरों में अथवा इतने घरों में जाना है। आचार्य की शाम की गोचरी के लिए ८-१० घर अलग छोड़ दिए जाते हैं। अगर बावीस सम्प्रदाय के किसी श्रावक की उपस्थिति में कोई तेरहपंथी श्रावक साधु से यह कहता है कि “महाराज, आज पाँतरा है, व्रत निपजाने की कृपा करिएगा”, तब अवसर पाकर उस श्रावक से यह कहा जाता है कि ऐसा नहीं बोलना। इस तरह चोरी करके ये पाँतरे जाने में कोई सकोच नहीं करते। यदि तेरहपंथी श्रावक ही होना है तो उससे साधु पूछता है—भाई, आज तुम्हारे यहाँ पाँतरा है न? और श्रावक उत्तर देता है “हाँ, महाराज! पाँतरा है।” साधु वर्ग की तरफ से पता चला कि चौथे पट्टधारी पूज्य जयाचार्यजी ने साधु बढ जाने के कारण पाँतरे का विधान किया। उनसे पहिले पाँतरे का नियम नहीं था—ऐसा सुनने में आया। कुछ भी हो, यह निश्चित है, निर्विवाद है कि इस तरह के नियम से दोष का सेवन होता है, गृहस्थ और साधु दोनों ही इस पाप के भागी बनते हैं। तेरहपंथी साधु (?) अपनी सफ़ाई में कहा करते हैं कि “जब गृहस्थ हमारी गुरु आमना लेता है तब ही हम उससे तेरहपंथी साधुओं को दोषयुक्त पदार्थ देने का त्याग करवा देते हैं। अब यदि गृहस्थ हमें दोषयुक्त पदार्थ देता है, अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण करता है, तो इसमें उसका अपराध है, हमारा नहीं; पाप का भागी गृहस्थ है, हम नहीं”। साधुओं की यह सफ़ाई-

कितनी लचर और बेहूदी है ? पाप पुण्य शब्दों से नहीं, भावों से हुआ करता है। साधु गृहस्थ से प्रतिज्ञा दिलाता है उस समय गृहस्थ समझता है कि यह तो रूढ़ि का पालन हो रहा है और साधु भी यही समझता है। साधु जानता है कि मुझ दोगयुक्त पदार्थ तो मिलेगा ही और गृहस्थ भी जानता है कि साधु के लिए मैंने जो पदार्थ रखा है वह दोगयुक्त है ही, अतः दोनों रूढ़ि का पालन करने मात्र के लिए ही प्रतिज्ञा आदि की यह विडम्बना करते हैं। प्रतिज्ञा के समय गृहस्थ अच्छी तरह जानता है कि वह कितने गहरे पानी में है और साधु कितने गहरे पानी में है, इसी तरह साधु भी जानता है कि वह कितने गहरे पानी में है और गृहस्थ कितने गहरे पानी में है। इस तरह दोनों अपनी अपनी ओर एक दूसरे की पोल मन ही मन में जानते हैं लेकिन शब्दों के द्वारा पवित्रता और सात्विकता का दम्भ करते हैं। ऐसे दम्भ में, पाप छिपाने के इस षडयन्त्र में, दोनों ही भागी हैं, दोनों ही अपराधी हैं, पापी हैं। शब्दों द्वारा भावों को धोका नहीं दिया जा सकता, जुबानी जमा खर्च करके पाप को पुण्य नहीं बनाया जा सकता बल्कि पाप को और भयकर ही बनाया जा सकता है, पाप को आत्मवचना के रंग में रंगकर उसे और गहरा ही किया जा सकता है। आत्म-वचना से पाप पुण्य में नहीं बदलता है, पाप हलका नहीं होता है बल्कि वह पहिले से अधिक कालिमापूर्ण और भयानक हो जाता है। ये तेरहपथी साधु नित्य प्रति दिन आत्मवचना करके अपने भविष्य को विनाश में ढकेल रहे हैं।

ये तेरहपथी लोग जब शाम को आहार के लिए जाते हैं तब करीब २-२½ घंटा दिन रहता है। कभी रसोई को १०-१५ मिनट की देरी हो जाती है तो द्रव्य-साधुओं बाहर ठहर जाती हैं। इस पर गृहस्थ शीघ्रता करता है, वह अपना व्रत भूल कर दान के फल की लालसा में लग जाता है, क्योंकि वह द्रव्य-साधुओं के आगमन की सूचना पा कर भान भूल जाता है। यह भी 'कैसी अजीब बात है'।

पॉतरा जाना या पहिले से सूचना दे कर जाना—ऐसा कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। मूत्रों में तो साधुओं के अचानक आगमन का ही वर्णन आया है जैसे कि भगवान नेमिनाथ के शिष्य जो दो दो दिन छोड़ कर आहार लेते थे, आहार के लिए गए तो द्वारका नगरी में जो एक बहुत बड़ी नगरी थी, अपरिचित घरों में फिरते फिरते देवकी रानी के घर में गए—एक ही घर में नहीं गए। यदि उन्हें भी नियम होता तो वे एक घर में क्यों जाते? मूत्र अलग० वर्ग ३ अ० ८ मूत्र १० के अनुसार पातरे की गोचरगी का नियम नहीं ठहरना है। भिक्षुजी के समय पातरे का नियम नहीं था। तेरहपथी कहते हैं कि ऐसा नियम न होने से एक ही घर में २-३ बार चले जावे तो कैसे पता हो। सोचिए, यह कैसी अजीब बात है, कैसा अनोखा बहाना है। भला, ऐसी कोई बात होती तो क्या भगवान नेमिनाथ अपने शिष्यों को मना नहीं करते? यह तो सरासर इन तेरहपथियों का कपट है; क्योंकि आधाकर्मा आदि दोष के सेवन करने वाले हैं

और टोप-सेवी को टोप छिपाने के लिए या उसको अटोप सिद्ध करने के लिए कपट करना ही पडता है, न करे तो अपना उल्लू कैसे सीधा हो ?

इन तेरहपंथी साधुओं की सभी बातें वेदगी हैं। ये लोग रास्ते की सेवा में लाभ बता कर सेवा कराते हैं, अपरिचित कुल का आहार केवल नाम मात्र को लेते हैं, स्वादिष्ट रस-युक्त भोजन करने वाले घरों से ही पॉत्ते भरते हैं, डेरों का ही आहार लेते हैं। एक तरफ ये साधु-त्रेपधारी असाधु यह विचार करते हैं कि साथ में ५०-६० डेरे हैं; इसलिए रास्ते में कोई अडचन नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ श्रावक लोग विचार करते हैं कि “रास्ते की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो संतों और सँतियोंजी को रास्ते में आहार की अडचन पड़ेगी, बड़ी सँत्यौंजी के साथ इतने डेरे जायँ, हम पूज्य महाराजजी की सेवा में रहेंगे”। स्पष्ट है कि यहाँ पूरी तरह साधु का निमित्त है इसलिए टोप भरपूर है।

अब एक और भी मजेदार बात। ये तेरहपंथी साधु जब गोचरी लेकर आते हैं तब आपस में बोलते हैं कि आज तो अमुक सदुवाई की मेवा की थैलियाँ खाली कर दीं पर परसों तो भरी हुई मिलेगी, अभी गृहस्थ को सूचना भिजवाते हैं कि दर्शन के निमित्त से जा कर वह आहार के विषय में निवेदन या प्रार्थना कर सकता है, सीधे और स्वयं इन से कहने की क्या ज़रूरत है, आदि आदि। होता भी ऐसा ही है। गृहस्थ भावों को छुपा कर शब्दों द्वारा दो-तीन बार निवेदन करता है और

साधु यह देखने का बहाना करके कि यह गृहस्थ तो ज्यादा आग्रह कर रहा है, उसकी प्रार्थना मंजूर करने का भाव प्रकट करते हैं और वहाँ से लेके भी आ जाते हैं। यह कोरा शब्द-जाल है, जिसे अपनी आत्मा को और समाज को धोका देने का प्रयत्न किया जाता है। कोई पूछता है तो ये साधु लोग निर्लज्जतापूर्वक कहते हैं कि हम गृहस्थ से कब कहते हैं कि हमें ले चलो या हमारे साथ चलो, गृहस्थ तो स्वेच्छा से सेवा करता है; अतः हम साधु-सेवा के पुण्य-कार्य में अतराय क्यों होने दें। इन हिंसे के अन्धों से कोई पूछे कि गृहस्थ गत्रि में साधु की सेवा करना चाहता है तो क्यों निषेध करते हो? यदि दोष-युक्त समझ कर उसका निषेध करते हो तो इसका भी निषेध करो; क्योंकि यहाँ भी तां दोष-सेवन है। आधाकर्मी आहार न्याय्य है, अतः उसका भी निषेध करना ही चाहिए, अन्यथा सरासर दोष-सेवन है।

देखिए—

(१) सुयग० प्र० श्रु० अ० १ उ० ३ सूत्र १ में बताया है कि जो साधु आधाकर्मी आहार ले वह साधु नहीं है, गृहस्थ के समान है।

(२) सुयग० प्र० श्रु० अ० १० सू० ८ में कहा गया है कि जो साधु आधाकर्मी दोष का सेवन करता है, वह निश्चय संसार में परिभ्रमण करता है।

(३) भगवती श० १ उ० ९ सूत्र १७ में यह उल्लेख है कि आधाकर्मी दोष का सेवन करनेवाला चर्तुगति में घूमता फिरता—चक्कर लगाता—रहता है। यह ७-८ कर्म—ब्रह्मन करता रहता है।

३ प्रश्न—आचार्य के पास दीवान साहब्र मगनलालजी कई आहारादिक द्रव्य व्यजन, शाक-भाजी, आदि की सुगन्ध लिया करते हैं और उसके अनुसार पदार्थों को अच्छा बुरा भी ठहराते हैं। दूध की सुगन्ध लेने पर वह अच्छा न मालूम हो तो पेसा भी कहते हैं कि अमुक जगह से लाओ। दो-तीन जगह से दूध आए तो सुगन्ध द्वारा उनमें से किसी एक को अच्छा ठहराते हैं और बाद को उसका भोग करते हैं। यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—शास्त्र में सुगन्ध लेना मना है; इसलिए यह स्पष्टतः दोष-सेवन है।

४ प्रश्न—तेरहपंथी, जहाँ तक हों सके, आहार, दूध आदि अधिक से अधिक गरम लिया करते हैं। धोने का पानी भी विशेष गरम लेते हैं ? यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—यह दोष-सेवन है।

रतनगढ़ में शाम को लूणे (कपड़े) धोने के लिए पास ही घरों में गरम पानी मिल ही जाता है। मैं भी एक बार हनुमान-मलजी कुनणमलजी के साजवालों के साथ गया था, उवाला हुआ पानी तैयार था। हनुमानमलजी ने एक बाई से पूछा—'बाई,

गरम पानी है क्या ?' बाई ने कहा—'महाराज, है।' पूछा—पानी क्यों गरम किया ? उत्तर मिला—हाथ पैर धोने को किया, मगर आप लीजिए ! हनुमानमलर्जी ने भगोना (गंज) पानी लेने के लिए उठाया । ज्यादा गरम होने से भगोना हाथ से छूट गया, गिर पड़ा । करीब आधा पानी गिर गया । पास ही मोरी थी, मोरी में पानी चला गया । मैंने कहा—महाराज, मोरी में कोई जीव होगा ? वे बोले—गरम होने से छूट पड़ा, जीव तो देखे नहीं । एक भाई भी बोला कि जीव तो दिखाई नहीं देते । हनुमानमलर्जी ने उसकी आलोचना नहीं की । आवश्यकता के अनुसार पानी मिल ही जाता, लेकिन विवेक से तो काम ही नहीं लिया ।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये नेरहपयी लोग कितना गरम पदार्थ लेते हैं । शास्त्र में गरम पदार्थ लेना स्वाज्य है ।

नोटः—वास्तव में बात यह है कि साधु के लिए शास्त्रों में गरमागरम आहार या जल लेना मना है । नेरहपयी गरमागरम आहार लेते हैं और कहते हैं कि आचा० श्रु० २ अ० १ पि० उ० ७ सूत्र ६ में यह बताया है कि पखे से ठंडा करके गृहस्थ आहार दे तो साधु न लेवे, ऐसा ही लेवे, अतः इस पर से गरमागरम भोजन लेना ग्राह्य समझते हैं । लेकिन यह उनकी भूल है । यहाँ किसी भी तरह गरमागरम आहारादि लेने का समर्थन नहीं है, यहाँ तो वायुकाय के घात की दृष्टि से पूखा किया हुआ लेना मना किया है । वे यह भी कहते हैं कि

निशी० उ० १७ मे जो गरमागरम लेना ढड बताया है वह पात्रा फट जाने के लिए बताया है, परन्तु वहाँ पात्रा फटने की कोई बात नहीं है, ये तो अपनी जिब्हा-लोलुपता को सात्विक रंग देने के लिए और अपने अनाचार को येन-केन-प्रकारेण आचार बताने के लिए झूठमूठ अर्थ का अनर्थ करते हैं ।

५ प्रश्न—तेरहपथी लोग प्रमाण से अधिक समय तक सरस अर्थात् रसयुक्त आहार, मेवा-मिष्ठ अन्न, द्राव्यादिक, मलाई, मक्खन, वर्फ आदि तरह तरह के पदार्थ आने से जिब्हालोलुपतावग आहार करते हैं । यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—यह दोष-सेवन है । जिब्हा-लोलुपता असयम है, पाप है ।

६ प्रश्न—तेरहपथी आचार्य तुलसीगणीजी सयोग दोष सहित आहार करते हैं । उदाहरण के तौर पर दूध घाटिए का मेल, पिसे हुए लहसन के घाटिए या भुनी हुई कुल्लिए और दाल का मेल, साबुत नीबू के रस का मेल, दूध वादाम कुल्लिए व मिश्री का मेल, मक्खन गोले का मेल, इत्यादि । इस तरह के अनेक मेल हुआ करते हैं । यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—यह दोष-सेवन है । इस तरह के मेल करना ही जिब्हा-लोलुपता का प्रमाण है और जिब्हा-लोलुपता दोष है, असयम है, पाप है । देखिए—

(१) भगवती श० ७ उ० १ सू० १२ मे बताया है कि [क] लोलुपी बन कर आहार करे तो इंगल दोष है [ख] क्लि-

नना सहित आहार करें तो धुन्न दोष है, और [ग] अन्य द्रव्य मिला कर आहार करें तो संयोग दोष है ।

(२) प्रश्न व्या० संव० २ अ० १ सू० ११ में बताया है कि संयोग दोष रहित अण्डे-बुरे का व्याख्या न करे, दोष न लगाए, वह सुसाधु है ।

(३) सूत्र० १० में अखंडित चाग्रि वाले को ही मुसाधु कहा है ।

(४) सुच० १ श्रु० अ० ७ सू० २१ में बताया है कि व्यवहार शुद्धि के लिए निर्दोष आहार ले कर संयोग दोष लगा कर जो आहार ले वह समय से दूर है, असाधु है । वैसा ही छोटे-बड़े स्नान और कपडे के सम्बन्ध में बताया है ।

७ प्रश्न—नेहपंथी लोग सचित्त का शंका सहित साबुत हरे फ्रूट गम पानी में निकाले हुए लेते हैं । नारंगी छिलके सहित [सतरा], साबुत अमृत [जाम, अमरुद], बीज सहित नीबू [दाल में रस डालने के लिए], अंगूर, हरी किशमिश के गुच्छे, बीज रहित काले अंगूर के गुच्छे, साबुत अनार व खुले कुल्लिए, साबुत सेब, साबुत बनस्पति, साबुत सफ़रजग [नाइपानी] आदि आदि हरी चीजों का ये लोग सेवन करते हैं । यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—यह दोष-सेवन है । देखिए—

(१) दशवे अ० ५ उ० १ गा० ७० में बताया गया है कि कोई भी बनस्पति जिसका छेदन-भेदन न हुआ हो, अग्नि शस्त्र

मे पूरी पकी न हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । पानी साफ करने के लिए जो फिटकरी काम में लाई जाती है, वह सचित्त है इसलिए उसका उपयोग भी उचित नहीं है । देखिए दश० अ० ५ उ० १ सूत्र ३४ ।

(२) आचा० सू० २ पिण्डे अ० १० उ० १ श्रु० ३ में यह वर्णन आया है कि अखंड फल का छेदन-भेदन न हुआ हो और उसमें पूरा शस्त्र न परणमा हो अर्थात् कोई चीज़ उसमें पूरी तरह न घुली मिली हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । और श्रु० २ अ० १० उ० ८ सूत्र ५ में आम के, ताड़ के आदि कोई भी अन्य फल के तथा सूत्र ९ व १० में अपक्क [विना पकी] सिंघाड़े आलू शाक-भाजी को ग्रहण करने के लिए मना किया है ।

उपर्युक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में शास्त्रीय प्रमाणः—

पाठः—“जं किंचिउ पृङ्कडं । सङ्गी मागंतु मीहियं ।

सहस्सं तरियं भुंजे दुपक्खं चव सेवई ॥१॥

—सुयग० १ श्रु० अ० १ उ० ३

शब्दार्थः—ज० - जो, कि० - किंचित मात्र, पू० - पूतिकर्म, स० - श्रद्धावत, आ० - आनेवाले को, इ० - उद्देश्य कर किया, स०—हजार गृहान्तर, म० - भोगे, दु० - दोनो पक्ष, च० - निश्चय, मे० सेवन करे ॥

टीकाः—कोई श्रद्धावत गृहस्थ आने वाले साधु के लिए पूर्ति कर्म वाला आहार बनाए और वहाँ आहार एक हजार घर के अन्तर से मिले तो भी आधाकमी लेने वाला साधु गृहस्थ के समान है ।

पाठः—आहा कम्मंण भुंजमाणे समणे निगंथे किं वधई, किं पकरई, कीं चिणाई, कीं उव चिणाई ? गोयमा ? आहाकम्मं भुंजमाणे आउ—यवज्जाओ सत्तकम्म पगडीओ सिटील वधण वद्धाओ धणिय वंधण वद्धाओ पकरेइ, जाव अणु-परियट्टइ । से केणट्टेणं जाव आहा कम्मंणं भुंजमाणे जाव अणु परि-यट्टइ ? गोयमा आहाकम्मंणं भुंजमाणे आयाए धम्मं आइ-कमइ आयाए धम्मं आइकममाणे पुढविकायं णाव करवइ जाव तसकायं णाव करवइ जेसि पियणं जीवाण सरीराइं आहार माहारेइ तेवी जीवे नाव करवइ, सतेण ट्टेणं । गोयमा ? एवं वुच्चइ, आहा कम्मंणं भुजमाणे आड यवज्जाओ सत्त-कम्म पगडीओ जाव अणिपरियट्टइ ॥ १७ ॥

भग० श० १ उ० ९ सू० १७

शब्दार्थः—आ०—आघाकर्मी, भु०—भोगता, स०—भ्रमण, नि०—निगंथ, कि०—वया, वं०—वोधे, प०—करे, चि०—चुने, कि०—वया, उ०—उपचुने (चुनाव करे), गो०—गोत्रम, आ०—आघाकर्मी, भु०—भोगना, आ०—आयुष्य, व०—व्रीडकर, म०—सात, क०—कर्म प्रकृति, सि०—शियिल, व०—वधन, व०—वंधी हुई, घ०—दूढ, व०—वधन, व०—वंधी हुई, प०—करे, जा०—यावत्, अ०—आघाकर्मी, प०—परिभ्रमण, से०—वह, के०—कैसे, जा०—यावत्, आ०—आघाकर्मी, भु०—भोगता, जा०—यावत्, अ०—परिभ्रमण करे, गो०—गोयमा, आ०—आघाकर्मी, भु०—भोगता, आ०—आत्मासे, घ०—घर्म, अ०—अतिक्रम, आ०—आत्मा में, घ०—घर्म, अ०—अतिक्रम, पु०—पृथ्वी-कायक, ण०—नहीं, अ०—अनुकपा करे, जा०—यावत्, त०—असकायक, ण०—नहीं, अ०—अनुकपा करे, जं०—जिन, जी०—जीवो के, श०—शरीर वा आहार, आ०—करे, तं०—उन, जी०—जीवो की, ण०—नहीं अ०—अनुकपा करे, से०—वह, ते०—इसलिए, गो०—गोयमा,

ए० - ऐसा, वृ० - कहा जाता है, आ० - आधाकर्मी, भु० - भोगता, आ० - आयुष्ये, व० - छोड़ कर, स० - सात, क० - कर्म प्रकृति, जा० - यावत्, अ० - परिभ्रमण करे ॥ १७ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! आधाकर्मी आहार भोगने वाला साधु निर्ग्रन्थ क्या बोधे, (प्रकृति की अपेक्षा से) क्या करे, (स्थिति की अपेक्षा से) क्या चुने, (अनुभाग की अपेक्षा से और प्रदेश बंध की अपेक्षा से) क्या उपचिने ? हे गौतम ! आधाकर्मी आहार भोगने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ, आयुर्कर्म छोड़ कर यदि शेष सात प्रकृतियों शिथिल बन्धन वाली हों, तो उन्हें दृढ बन्धन वाली बनाये, अल्पकाल की स्थिति वाली को दीर्घ काल की स्थिति वाली बनाए, यावत् अनन्तकाल तक चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करे । हे भगवन् ! किस कारण से आधाकर्मी भोगने वाला साधु सात कर्म प्रकृतियों को दृढ बन्धन वाली बनावे, यावत् चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करे । हे गौतम ! आधाकर्मी आहार भोगने-वाला आत्मा से धर्म का विरोध करता है, आत्मा से धर्म का विरोध करते हुए वह पृथ्वीकाय आदि पटकाय के प्रति अनुकम्पा के भावों से रहित होता है और जिन जीवों के शरीर का आहार करते हैं उनके प्रति भी उसमें अनुकम्पा के भाव नहीं होते हैं । इसलिए हे गौतम ! आधाकर्मी आहार भोगने वाला आयु-कर्म छोड़ कर अन्य सातों कर्मों का दृढ बन्धन करता है और इस ससार में चतुर्गति में भ्रमण करता रहता है ।

टीका—उपर्युक्त पाठ द्वारा बताया गया है कि आधाकर्मी आहार को भोगने वाला आयुर्कर्म-प्रकृति को छोड़ कर शेष सातों

कर्म प्रकृतियों के बंधन, दीर्घ बंधन एवं दृढ बंधन का शिकार बनता है और इस तरह अनन्तकाल तक इस समार में भ्रमण करने की तय्यारी कर लेता है। आधाकमी आहार, उपर्युक्त पाठ द्वारा, एक सच्चे माधु को—अपनी आत्माका कल्याण चाहने वाले माधु को—सर्वथा त्याज्य है।

तेरहपंधियों का आहार—ये तेरहपंधी लोग स्वादिष्ट भोजन करने वाले घरे का आहार विधेय रूप से करते हैं। अधिक में अधिक बलिष्ठ आहार करने की इन्हे सदैव रुचि रहती है। अपरिचित कुल में तो वे नाम मात्र को गोचर करते हैं, अज्ञान कुल में बहुत ही अन्य मात्रा में आहार लिया करते हैं, २-४ अंगुल या कुछ कम या अधिक गेठी ले लिया करते हैं। ये लोग जब गवला में जाते हैं तब लहसन का शाक शौक के साथ लिया करते हैं। स्वादिष्ट भोजन करने वाले कुल में जिन्हा-लोलुप बन कर आहार के लिए जाना शास्त्रों में त्याज्य और दोषयुक्त बताया गया है: परन्तु इन लोगों को शास्त्रों के विधानों से क्या मतलब ? इन्हें जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा से क्या मतलब ? इन्हें तो पेट-पूजा से काम है, इन्हें तो मजे उड़ाने से प्रयोजन है। इनकी स्वाद-लोलुपता की कुछ न पूछिए ? बादाम का हलवा तथा अन्य हलवा, ३०-३५ तरह की मिठाई, मक्खन का गोला, बादाम की कतली, रस-गुल्ले, दूध, खड़ी आदि आदि अनेक बलिष्ठ पदार्थ जिन को गिनाया जाय तो सहज ही १००-१५० तक सख्या हो सकती है, इनको अच्छी तरह हजम है। अन्य मंत्रा आदिक भी महानि के ३०

दिनों में आयद दो-तीन दिन न आते होंगे, बाकी गेज ही आते हैं। इस तरह इन साधु कहलाने वाले प्राणियों की जिन्हा-लोलुपता का कुछ ठिकाना है ? क्या यही उनका साधुत्व है कि जो माल गृहस्थों को भी साधारणतया नसीब न हों, अपने साधुत्व का साइन बोर्ड लगा कर ये लोग उन्हें गेज हड़प किया करें। साधु की नीति तो यह होनी चाहिए कि अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए, जैसा भी ख़ा-सूखा भोजन मिले उसमें ही पूर्ण मनोप के साथ निर्वाह किया जाय। देखिए—

[१] सुयडा० प्र० श्रु० अ० ७ सू० २४ में बताया गया है कि जो जिन्हा-लोलुपी अर्थात् गस-न्यपटी बन कर स्वादिष्ट भोजन करने वाले कुल में गोचर करता है और उसकी दूसरे से प्रशंसा करता है वह शत प्रतिशत साधुत्व से दूर है अर्थात् उस में साधुत्व का लेश मात्र भी नहीं है।

[२] सुयडा० प्र० श्रु० अ० ७ सू० २५ में यह वर्णन आया है कि जो अपना घर त्याग करके दूसरे के भोजन में लोलुपी बन कर अपना उदर-पोषण करता है और गृहस्थ की प्रशंसा करता है वह अनाचारी है और वह अनन्न काल के लिए जन्म-मरण की तय्यारी करता है।

[३] आचा० प्र० श्रु० अ० ५ उ० ३ सू० ६-७-८ में यह विधान है कि मुनि को अपने शरीर के साथ अभ्यंतर युद्ध करना चाहिए। बाह्य युद्ध करने में क्या लाभ है ? युद्ध के योग्य शरीर मिलना मुश्किल है।

[४] आचा० प्र० श्रु० अ० ५ उ० ३ मू० १५ में बताया है कि वीरप्रभु ने ऐसा कहा है कि जो रुखा आहार करते हैं वही तरने हैं, अर्थात् वही मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं ।

[५] सुयडा० प्र० श्रु० अ० ८ सूत्र २५ में कहा गया है कि जो अल्प आहार और पानी ग्रहण करते हैं वही सच्चे साधु हैं ।

नोट—तेरहपंथी स्वादिष्ट भोजन करते हैं इसलिए खूब ज्यादा खा लेते हैं, खूब ठूम ठूस कर अपने पेटों को कोठरियों को भरते हैं ।

[६] सुयडा० प्र० श्रु० अ० १३ मू० १२ में नीरस और सादे भोजन को ग्रहण करने वाला निष्परिग्रही साधु बताया गया है । जो गर्व करता है, जो अपनी इन्द्रियों का गुलाम है—साधु नहीं है—ऐसा व्यक्ति समय से बहुत दूर है । वह ससार में परिभ्रमण करता है ।

[७] सुयडा० श्रु० २ अ० १७ मू० ३२ में लिखा है कि जिस तरह सर्प बिल में घुसता है ठीक उसी तरह शरीर में भोजन को डालना चाहिए । अर्थात् बहुत सादगी से और सीधी तरह से भोजन करना चाहिए ।

[८] सुयडा० श्रु० २ अ० १७ सू० ३१ में दोषरहित आहार करने वाले को साधु कहा गया है ।

नोट—तेरहपंथियों के लिए बिना दोष का आहार करना तो अनहोनीसी बात है । संयोग दोष तक लगाते हैं तब और दोषों का तो कहना ही क्या है ?

[९] ज्ञान० ना० श्रु० १ अ० १८ सूत्र ३२ में रूपवान बनने के लिए आहार करनेवाले को समार में परिभ्रमण करनेवाला बताया है, चिल्लात चोग मर्गखा बताया है ।

नोट—ये तेरहपंथी लॉग रूपवान बनने के लिए अर्थात् शरीर के वर्ण को अच्छा बनाए रखने अथवा अच्छा बनाने के लिए भोजन करते हैं । आचार्य के भाई चंपालालजी यह बहुधा बोलते हुए सुने गए हैं कि यह भोजन शरीर के लिए अच्छा रहेगा । इस बारेमें पूनमचन्द्रजी ने लाडनू में आचार्यजी से पूछा भी था और दीवान साहब मगनलालजी ने कबूल भी किया था ।

[१०] दशवे० अ० ५ उ० १ सू०-४७-४८ में बताया है कि यदि स्वमति से आहार में साधु का निमित्त मादृम हो तो वह आहार अशुद्ध है और उसे न लेना चाहिए ।

नोट—तेरहपंथी तो सब कुछ जानते हुए भी—साधु का निमित्त है, ऐसा देखने हुए भी—आहार ग्रहण करने में कुछ भी सकोच नहीं करते हैं ।

(११) दशवे० अ० ५ उ० १ सू० ५६ में बताया है कि पूरी छान-चीन करके निःशक्ति हो कर आहार करना चाहिए ।

नोट—तेरहपंथी भाषा के हेर-फेर में छान-चीन का नाम कर लेते हैं पर हृदय से कुछ भी नहीं करते । बोलने में निःशक्ति बन जाते हैं लेकिन मन में शंकाशील ही नहीं रहते बल्कि उनको निश्चय रूप से पता होता है कि आहार दोष-युक्त है । शब्द-जाल द्वारा वे समाज को धोका देने की कोशिश करते हैं;

लेकिन वे अपनी आत्मा को ही धोका दे बैठने हैं और पाप के भागी बनने हैं। हरे साबुत फल, बहुत से बीजों वाला साबुत अमरुद [जाम], साबुत नीबू, नारंगी, नास्पानी, सेब, अगूर, किशमिश, बीज सहित बड़ी मुनक्का व बादाम का ये लोग खूब सेवन करते हैं। कहते हैं गर्म पानी में से निकाले हुए छिलके सहित बादाम को ग्रहण करते हैं। भला ! गरम पानी से निकले हुए या भिगोए हुए बादाम के कहीं छिलका रह सकता है ? जब इस बारे में पूछा जाना है तो कहते हैं शंका नहीं रखना चाहिए, शंका रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। इस तरह ये लोग शंका को पास फटकने ही नहीं देते तो निःशक्ति होने का कोई अर्थ ही नहीं है। सच तो यह है कि इन लोगों को सचित्त-अचित्त आदि का कोई विचार ही नहीं है। ये लोग छिलके सहित इलायची लेते हैं। यह सचित्त है—इसका न वे विचार करते हैं न ऐसी शंका ही करने की वहाँ स्वतन्त्रता है। एक दिन की बात है कि नागर बेल के पान के बीजों को खोलने से पता लगा कि अन्दर का पान सूखा नहीं है। आचार्यजी से इस बारे में पूछा गया कि ये बीजे कौन लाया ? उत्तर में सत्याजी का नाम बताया गया। आचार्यजी ने आज्ञा दी कि भविष्य में ऐसे पान न लाए जायें। सूत्र में विधान है कि भूल से सचित्त पदार्थ आ जाय तो ज़मीन में दबा देना चाहिए, लेकिन खाना नहीं चाहिए, लेकिन वे सचित्त पान जो ले आए गए थे, ज़मीन में नहीं दबाए गए बल्कि उनको खा लिया गया। कारण स्पष्ट है। जो भूल से न लाएँ बल्कि जान-

बूझ कर लाएँ वे जर्मन में क्यों टावे, क्यों न खाएँ? कई बार मैंने चौथमलजी महाराज से कहा, “मोटा पुगसाँ! ये वादाम तो छिलके सहित है, सचित्त हैं”। वे बोले—“क्यों, गरम पानी के उवाले हुए हैं।” मैंने धीरे से कहा—“उवालेने से तो छिलका नहीं रहता है पर यहाँ तो छिलके हैं।” चौथमलजी ने इस पर कहा—“शका नहीं रखो।” इतना कहते ही मंगलचन्द्रजी, हनुमानमलजी तथा सागरमलजी में से किसी एक ने उन वादामों को खा लिया। इस तरह ये लोग सचित्त आदि सब तरह का दोषयुक्त आहार ग्रहण करते हैं और शका न रखने की दुहाई दे कर अपने पेट की मट्टी की आग को बड़े बड़े बटिया फलों-पकवानों-मेवों-मिठाइयों से बुझाते हैं।

(१२) दशवे० अ० ८ सू० २३ में भोजन के विषय में गृद्ध-दृष्टि अथवा गृद्ध-मनोवृत्ति रखने के लिए मना किया गया है।

(१३) दशवे० अ० ८ सूत्र ५६ व ५७ में ग्मसयुक्त अर-अर आहार को तालपुट जहर के समान बताया गया है।

(१४) दशवे० अ० ९ उ० ३ सूत्र १० में बताया है कि वही साधु पूजनीय है जो आहारादिक में लोलुपता या कौतुकता नहीं रखता है, जो माया-विहीन और पेमुनता-रहित है, जो अदीन वृत्ति वाला है, जो प्रशंसा नहीं करता है।

सूत्र ११ में बताया है कि जो उपर्युक्त गुणों के विरुद्ध आचरण करे, वह असाधु है।

नोट:—उक्त प्रमाण के आधार पर ये तेरहपंथी असाधु ठहरते हैं। इन लोगों को जहाँ सरस आहार मिलता है और उसे ज्यादा लेने की इच्छा हो जाती है (जो इन के लिए स्वभाविक ही है) तो वे गृहस्थ से बोलते हैं कि 'भाया, तुम भी व्रत निपजा लो, अपने हाथ से दो'। इस तरीके से ये लोग विशेष रूपसे अर्थात् अधिक मात्रा में सरस आहार प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ कहीं इन्हें सरस आहार नहीं मिलना वहाँ ये लोग बोलते हैं कि 'भाया, अब इच्छा नहीं है'। यह नीरस आहार कम से कम लेने की इनकी तरकीब है। स्पष्ट है कि सरस आहार लेते समय ये गृहस्थ से जो व्रत निपजाने की बात कहते हैं वह कोरा शब्द-जाल है क्योंकि यदि इनके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी होती तो नीरस भोजन के समय भी ये ऐसा ही बोलते, लेकिन वहाँ उलटा ही बोलते हैं। स्पष्ट है कि यह अपनी जिह्वा-लोलुपता की तृप्ति करने के लिए तरकीबें हैं।

(१५) उत्तरा० अ० ८ सू० १४-१५ में कहा गया है कि जो साधु सरस भोजन में गुद्ग-दृष्टि अथवा लोलुपता रखता है वह असुर कुमार जाति में उत्पन्न होता है और आगे चल कर संसार में नृवृ परिभ्रमण करता है।

(१६) उत्तरा० अ० १७ सू० १५ में बार बार दूध-दही भोगने वाले को पापी श्रमण कहा गया है।

नोट—जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, ये तेरहपंथी लोग दूध, दही, मक्खन का गोला, मगनमाई आदि की घोटो

हुई खीर, खड़ी आदि बहुत-सी चीजें महीने के ३० दिन में २७-२८ दिन अवश्य ग्रहण करते हैं ।

(१७) उत्तरा० अ० १६ सू० ८ में मर्यादा से ज्यादा भोजन करने के लिए मना किया गया है ।

नोट—रसयुक्त भोजन करने की वजह से तेरहपंथी लोग मर्यादा से बहुत ज्यादा खा जाते हैं, जितनी भूख होती है उससे ज्यादा पेट को ठूस लेते हैं ।

(१८) भगवती अ० ७ उ० १ सू० १४ में बताया है कि मुर्गी के अंडे के बराबर प्रमाण वाले घ्रास से अधिक आहार करना मर्यादा से अधिक भोजन करना है जो दोषयुक्त है, पाप है ।

(१९) भगवती० अ० ७ उ० १ सू० १२ में बताया है कि मूर्च्छित तथा गृद्ध बन कर आहार करने वाला इंगल-दोष का सेवन करता है [अर्थात् उस का साधुत्व कोयला हो गया है; नष्ट हो गया है], निंदा करते हुए आहार करना धुम्र दोष है [अर्थात् उसके साधुत्व का धुँवाँ उड़ गया है—लुप्त हो गया है] ।

नोट—तेरहपंथियों के सामने जब नीरस आहार आ जाता है तो निंदा करते हैं । कैसी निंदा करते हैं यह बात नीचे लिखी हुई घटना से स्पष्ट हो जायगी:—

एक दिन पेटे की मिठाई आई थी । वह कुछ नीरस थी । आचार्यजी के बड़े भाई चंपालालजी और कुंदनलालजी दोनों

साज की शामिल पांती में वह मिठाई आगई। पेटे की नीरसता का चंपालालजी को पहिले से ही पता था। जब इन दोनों के साज में हिस्सा होने लगा तो पेटे का एक हिस्सा दूसरे से बड़ा कर दिया गया और बड़ा वाला हिस्सा कुदनलालजी के साज वाले हनुमानमलजी ने ले लिया। जब आहार को बैठे और चौथमलजी ने वह पेटा मुँह में डाला तो मुँह बिगाड़ दिया और और बोले—“ यह दलित्र कौन लाया ”। हनुमानजी बोले कि मुझे मालूम न होने से बड़ी पाती करके मैंने ले लिया लेकिन चम्पालालजी को खबर थी इसलिए उन्होंने एक बड़ी पांती की। जो चम्पालालजी की पांती में परोसा गया वह इधर-उधर घूमता रहा। पाठक गण विचार करें कि उनके उस व्यवहार में और निंदा में क्या अन्तर रह गया ?

[२०] सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि के लिए जो आहार तो निर्दोष लेते हैं लेकिन उसमें संयोग दोष लगा देते हैं वे भी समय से दूर हैं। वैसा ही छोटा-बड़ा स्नान अचित पानी से करने वाले और कपड़ा धोनेवाले के लिये विधान है।

(२१) उत्तरा० अ० ८ सू० ११ व १२ में जिन्हा-लोलुपी न होते हुए (स्स में गृह्य-सरीखी लोलुपता न रखते हुए) शरीर निर्वाह के लिए नीरस आहार लेने का विधान है। सूत्र १२ में चाँकड़ा (घूघरी) आदि रूखा सूखा आहार करने का उपदेश

है। जिसमे सच्चा साधुत्व है उन्हें ऐसा ही सादा और नीरस भोजन करना चाहिए।

(२२) आचार० प्र० श्रु० अ० ५ उ० ३ सूत्र १५ में बताया है कि रूखा आहार करने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(२३) दशवे० अ० १० सू० १७ में उसे साधु बताया गया है जो लोलुपता-रहित है, रस-गृह्य नहीं है, जो अपरिचित्त कुल में गोचरी करता है और जो आदर पूजा का त्यागी है।

(२४) ज्ञाना० अ० ४ सू० १ के सेवट उपसहार २ में पंचों इन्द्रियों को वश में न करनेवाले के लिए चतुर्गति का भ्रमण कहा है।

नोट—जिन्हें जिब्हा (रसना) इन्द्रिय पर वश नहीं है अर्थात् जो जिब्हा लोलुपी हैं वे उक्त प्रमाण के आधार पर चतुर्गति में भ्रमण करने वाले हैं इसलिए पाठक गण सोच सकते हैं कि ये जिब्हा-लोलुपा तेरहपथी कहाँ तक मोक्ष मार्ग के अनुगामी हैं ?

(२५) दशवे० अ० २ सू० २ में यह उल्लेख है कि जिसको मजबूरी से आहार व वस्त्रादि न मिले (भोग न मिले) परंतु उसकी इच्छा करे, वह त्यागी नहीं है।

नोट—स्वेच्छा से किया हुआ त्याग—जो चीज उपलब्ध हो सके उसका त्याग—ही सच्चा त्याग है। मजबूरी से किसी चीज को ग्रहण न कर सकना त्याग नहीं है क्योंकि त्याग में त्यागी

सचित्त-अचित्त

हुई वस्तुको लालसा नहीं होती जब कि ऊपर बताई हुई मजबूरी का हालत में वह लालसा बर्ना रहती है ।

(२६) दशवे० अ० ४ सूत्र २७ में कहा है कि जो कपट-रहित है, सग्ल है, क्षमाशील है, सयमी है, परिपह-विजयी है वही सुमतिवाला है ।

(२७) उक्तग० अ० १५ सूत्र २ में उसे ही भिक्षु कहा है जो गगद्वेषरहित हो और जिसमें मूर्च्छा भी न हो ।

(२८) दशवे० अ० २ सू० ३ में मिलने हुए भांगो को छेड़नेवाले को ही ग्यामी बताया है ।

(२९) प्रथम० न्या० स्वर दुर्गा २ अ० ३ सू० ३ में बताया है कि जो शुद्धाचारों तो नहीं है लेकिन अपने को शुद्धाचारी कहता है वह आचार का चोर है ।

नोट—पाठक गण विचार करें कि क्या ये तेरहपथी लोग पंमे चोर नहीं हैं ?

(३०) निर्गा० उ० ३ सूत्र ९ आं २७ में बताया है कि यदि साधु वाणी का कला से आहागति प्राप्त करे तो उसके लिए लघुमासिक है ।

(३१) आचा० श्रु० २ पिन्टे० अ० १० उ० ३ सू० ३ में बताया है कि साधु को जीमण में न जा कर बहुत घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेना चाहिए ।

नोट—जहाँ स्वादिष्ट आहार मिलता है वहाँ ये तेरहपथी लोग डकड़ आहार ले लेते हैं और बहुत-से घरों से थोड़ा थोड़ा

आहार लेने की तक्लीफ नहीं उठाने है। उनके आचार्यजी तो यहाँ तक कहा करते हैं कि अगर किर्मी रूम या अन्य कार्य के बाद मिठाई बच्च और वह चार मन भी हो तो उम मत्र मिठाई को लेने में भी कोई दोष नहीं है। हट हो गई।

(३२) निशी० उ० १६ सू० ३६ व ३७ में यह उल्लेख है कि चारों आहार को पृथ्वी पर या विद्योने पर रखने में, रखाने में, रखने को अच्छा जानने में दोष है और इसके लिए लघु चौमामी नामक प्रायश्चित है।

नोट—ये तेरहपथी लोग विद्योना विद्या कर हिंसे करते हैं।

(३३) आत्रा० प्र० श्रु० अ० २ उ० ६ सू० ४ में यह वर्णन आया है कि जो रस-लोलुपता और ममत्व-बुद्धि का त्याग करते हैं वे ही सच्चे साधु हैं और वे ही मोक्ष-मार्ग के सच्चे अनुगामी हैं।

(३४) ज्ञाना० प्र० श्रु० अ० ७ सू० १९ में बताया है कि जिस तरह उज्झिता ने साड़ी (धान) के दाने ले कर फेक दिए इसी तरह यदि साधु महाव्रत ले कर प्रमादवश उसको छोड़ दे तो वह चतुर्गतिमय ससार में भ्रमण करता है।

(३५) सूत्र २२ में भगोती जैसे साड़ी के दाने निगल गईं जैसे ही ये जिब्हा-लोलुपी तेरहपथी लोग महाव्रत को निगल जाते हैं।

नोट—जिब्हा-लोलुपी साधु को अनन्त ससार में परिभ्रमण करने वाला बताया है। ऐसे साधु की पूजा होती हो तो भी वह

अनन्त दुख का भागी अवश्य है। ये तेरहपंथी साधु निश्चय ही अनन्त संसार का परिभ्रमण करेंगे और अनन्त दुख उठाएँगे।

(३६) [क] सूत्र २६ में आया है कि रक्षीता ने लिए हुए साड़ी के दाने पेटों में इन्तज़ाम के साथ रखे। इसी तरह कोई महाव्रत अंगीकार करके उसे सुगन्धित तो रखे लेकिन उसमें कोई वृद्धि न करे तो वह पूजनीय है। [ख] सूत्र २७ में लिखा है कि गेहिणी ने साड़ी के दानों की बर्तौतगी की इसलिए उसने प्रणिष्ठा पाई। इसी तरह जो साधु महाव्रत अंगीकार करके उसमें वृद्धि करे वह प्रणिष्ठा का पात्र है।

(३७) आचा० प्र० श्रु० अ० ६ उ० ४ मू० ८ में, आज्ञा के बाहर जो उपेक्षा करते हैं, उन्हें हिंसक बताया है।

(३८) प्रश्न० व्या० दुर्ती० स्वर २ द्वार २ अ० १ सू० ११ में उसे ही साधु बताया है जो संयोग दोष न लगाए, जो अच्छे-बुरे की व्याख्या न करे।

नोट—जैसा कि पहिले कहा भी जा चुका है—ये तेरहपंथी लोग अच्छे-बुरे की व्याख्या खूब किया करते हैं। आचार्यजी के बड़े भाई चंपालालजी कहा करते हैं कि “ब्रम्बई वाले मगन-भाई बड़े अच्छे दानार हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आज तो मगनभाई के यहाँ गोचरी है। एक झोली से क्या होगा, २-३ तो लेओ। यह खीर मगन भाई की है। इसकी क्या तारीफ की जाय ? खूब ही बढ़िया है। इसका भाई हीराभाई तो दलित है,

दलित्र खाना खाना है, आदि-आदि । अब पाठक गण विचार करे कि इन साधु वेपथारियों में नाधुन्व कहा है ?

(३९) प्रश्न व्या० दु० म्वर अ० १ सू० १० भा० ३ में अखड चरित्र वाले को और सद्भावना वाले को मन्चा साधु बनाया है, और उसके लिए बहुत-से घणों से थोड़ा थोड़ा आहार करने का विधान है, जैसे कि प्रतिक्रमण में “गोय चरियायें” द्वारा गाय की तरह गोचरी करने का आदेश है ही ।

(४०) उक्त० अ० २५ सू० २२ में कहा गया है कि जिन्होंने इन्द्रिय-दमन करके शरीर को तपा कर कृश बना दिया है वे सुत्रनी हैं, वे ही सुसाधु हैं, वेही निर्वाण-प्राप्ति के योग्य हैं ।

(४१) प्रश्न व्या० स्व० २ अ० ४ सू० ११ भा० ५ में सग्स आहार लेना मना किया है । म्निग्ध आहार जो काम-वर्द्धक है उसका त्याग करे, दूध, दही, मक्खन, घृत, तन्द, गुट-खीर, शक्कर मिस्री सहित मदिरा और मांस वर्गह का न्याग करे—ऐसा साधु के लिए आदेश है ।

(४२) दशा० श्रु० दिशा ५ सू० ४ में उत्तम आचार पाठने वाले को देवदर्शन होना बताया है ।

भिक्षुजी का कथन

मरस आहार ले बिना मर्यादा, तो बधे देहिरी लोथोजी ।
काच मणी प्रकाश करे ज्यै, कुगुरु माया थीथोजी ॥

—सा० ॥३८॥

— शी० शु० भा० २ दा० १

पाठः—“जे मायरं च पियरं च हिच्चा गारं तथा
पुत्तपसु धणं च । कुलाई जे धावइ साउ गाई । आहाहु मे
सामणी यस्स दूरे ॥ २३ ॥

कुलाई जे धावइ साउगाइ । आघाति घम्म उदराणु
गिह्हे । आहाहु से आयरियाण सय से । जो लावएज्जा
असणस्स हेऊ ॥२४॥

णिक्खम दीणे पर भोयणांमि । मुहमंगलीए उदराणु
गिह्हे ॥ निवार-गिद्ध व माहावसा हे । अदूरए एहइ घातमेव
॥ २५ ॥

अन्नस्स पाणास्सिह लाइयस्स अणुप्पिय भामतीं सव-
माणे । पासत्थयं चैव कुसीलयं च । निस्साणए होई जहा
पुलाए ॥ २६ ॥

अण्ण पिंडेणं हियासएज्जा । णो पूयणं तवसा आव-
हेज्जा ॥ सदेहिं रुवेहि असज्जमाणं । सन्वेहि कामेहि विणीय
गेहिं ॥२७॥

सव्वाइं संग्गाइं अइच्च घीरे । सव्वाइं दुक्खाइं तित्ति-
क्खमाणे ॥ अखिले अगिद्धे अणि एय चारी अभयंकरे ।
त्रिक्खु अण विलप्पा ॥२८॥

— सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २३-२८

शब्दार्थ—जे०—जों, मा०—माताको, पि०—पिताको, हि०—छोड़कर
गा०—घरको, ता०—तया, पु०—पुत्र, प०—पगु, व०—वन, च०—और,
क०—कुल में, जे०—जो, घा०—दौडता है, सा०—स्वादुक,

अ० - अथ, आ० - कहा, से० - वह, सा० - साधुत्व से, दू० - दूर ॥ २३ ॥

कु० - अच्छे घरों में, जे० - जो, धा० - दोड़ता है, सा० - स्वादुक, आ० - सुनाता है, ध० - धर्म, उ० - उदरके, गि० - गृध्र, अ० - अथ, आ० - कहा, से० - वह, आ० - अच्छा, संयम के, सं० - शतांश, जो० - जो, ला० - लाए, अ० - अज्ञान के, हे० - हेतु ॥ २४ ॥

गि० - निकल कर, दि० - दिन, प० - दूसरे के, भो० - भोजन में, मु० - मुखमांगलीक, उ० - उदर के, गि० - गृध्र, नि० - साल, गि० - गृध्र, य० - बड़ा व सूकर, अ० - शीघ्र, ए० - जाता है, धा० - घात ॥ २५ ॥

अ० - अन्न का, प० - पानी का, लो० - वस्त्रादि का, अ० - अतिप्रिय, भा० - कहता है, से० - सेवक जैसे, पा० - पाध्वंस्थ, चे० - निश्चय, कु० - कुशीलिए, नि० - निस्सारी, ही० - होता है, ज० - जैसे, पु० - पुलाक ॥ २६ ॥

अ० - अज्ञात कुल का, पि० - आहार से, हि० - सहन करे, णो० = नहीं, पू० - पूजा, त० - तपस्वी, आ० - इच्छे, स० - शब्द से, रू० - रूपसे, अ० - इच्छा करे, स० - सब का, का० - काम, वि० - छोड़कर, गे० - गृध्रपना ॥ २७ ॥

स० - सब, स० - संग, अ० - छोड़कर, धी० - धैर्य, स० - सब, दुं० - दुख, ति० - सहन करता हुआ, अ० - संपूर्ण, अ० - अगृध्र, अ० - अप्रतिबद्ध, अ० - अभय, क० - करे, भि० - साधु, अ० - निलोपी ॥ २८ ॥

भावार्थ—श्री० तीर्थंकर भगवान् कहते हैं कि जो माता, पिता, पुत्र, पशु, घर, धन आदि को छोड़ कर साधु बनता है परन्तु रसगृद्धि में आसक्त हो कर अच्छा आहार लेने के लिए बड़े कुल में परिभ्रमण करता है, वह साधुत्व से दूर है ॥ २३ ॥

जो साधु स्वादृक् कुल में गस्त-लपटी बन कर गोचरी करने को जाता है और जो साधु आहार के लिए दूसरे की प्रशंसा करना है वह ज्ञान प्रतिज्ञात साधुत्व में दूर है ॥२४॥

जो अपने गृह-कुटुम्ब का त्याग करके अन्य घर के भोजन में गृद्ध बनने है, उदर-पोषण के लिए गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं, जैसे मकर [मुअर] चावल के दाने में गृद्ध होता हुआ तुल्य घात को प्राप्त होता है उसी तरह ये कुर्गाल का सेवन करने वाले मंमार में अनन्तकाल तक जन्म-मरण करते हैं ॥२५॥

ये अमंयमी कुर्गाल लोग अन्न के लिए, पानी के लिए तथा वस्त्रादि के लिए जिमको जैसा रुचे वैसा चोलने हैं । जैसे धान्य-रहित तुप निम्मार होता है वैसे ही ये पाखण्डी लोग मदाचार से भ्रष्ट पार्श्वस्व भाव को प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥

अज्ञान कुल में आहार पानी ले, अन्न प्रान्त आहार से मयम पाले परन्तु दानता न धारण करे, राजादिक मुझे पूजगे ऐसी इच्छा करके तपस्या करे तथा शब्द रूप में अनासक्त हो कर और सत्र तरह के काम भोगों में अगृद्ध होना हुआ विचरे, वह सच्चा साधु है ॥ २७ ॥

वह [सच्चा] साधु सत्र तरह के सग से रहित, विवेक-शील, सत्र दुखों को सहन करने वाला, ज्ञानादि से परिपूर्ण, काम भोग की अभिलाषा रहित, अप्रतिबंध-विहारी, सत्र जीवों को अमय करने वाला, विषय और कषाय रहित होता है ॥२८॥

टीका:— उपर्युक्त सूत्रों में सच्चे और झूठे साधु दोनों का वर्णन किया है। सूत्र २३-२४-२५-२६ में असाधु अर्थात् पाखण्डी और झूठे साधु का वर्णन है। और सूत्र २७ व २८ में सच्चे साधु का वर्णन है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि जिन्हा-लोलुपता रखने वाला, स्वादुक कुल में आहार करने वाला, साधु सच्चा साधु नहीं है। वह साधु-त्रेपी होते हुए भी साधुत्व से दूर है। जो अपना घर तो छोड़ देता है लेकिन दूसरे के घर के भोजन में लोलुपता रखता है वह दंभी है, क्योंकि अपना घर छोड़ने से क्या हुआ जब मोह न छूटा, जब तृष्णा न छूटी। ऐसे घर छोड़ने वाले पाखण्डियों से तो जो अपना घर छोड़ कर दूसरे के भोजन में लोलुपता-गृद्ध-दृष्टि-रखते हैं, वे गृहस्थ अच्छे हैं जो अपने घर की रूखी सूखी रोटियों में ही सन्तोष रखते हैं। जो अन्न-पानी आदि द्रव्य के लिए दूसरे की रुचि के अनुसार बोले, दूसरे की प्रशंसा करे, वह खुशामदी है, स्वार्थी है, दंभी है इसलिए ऐसा व्यक्ति साधुत्व का ढाँग तो कर सकता है पर साधुत्व पा नहीं सकता।

अत्र पाठकगण विचार करें कि उक्त प्रमाण के अनुसार ये तेरहपंथी लोग कैसे ठहरते हैं ?

पाठ:—अलोले न रसे गिद्धे, जिम्भा दंते अमुच्छिण्ण ।

नरसट्टाए भुञ्जिजा भवणट्टाए महा मुणि ॥ १७ ॥

उत्तरा० अ० ३५ सूत्र १७

शब्दार्थः—अ० - अच्छे आहार में लोलुपता रहित, न० - नहीं, र० - रस में, घृतादि में, गि० - गृद्ध बने, जि० - जिन्हा को वश में

करने वाला, अ० - सरस आहार में मूर्च्छा रहित, न० - नहीं, र० - स्वाद का लालच न करे, भु० - अन्नादिक भोगे, म० - संयमका पालन किया, अ० - अर्थे आहार करे, म० - बड़ा, मु० - साधु ॥१७॥

भावार्थ—महामुनि सरस आहार की प्राप्ति से खुश नहीं होता है, उसमें लुब्ध नहीं होता है, मुझे सरस आहार मिले—ऐसी इच्छा नहीं करता है। वह रसेन्द्रिय का विजयी होता है, अच्छे आहार में मूर्च्छा रहित होता है, स्वाद में आसक्त नहीं होता, धातु-वृद्धि के लिए आहार नहीं करता है, केवल संयम का पालन करने के लिए ही आहार का सेवन करता है।

टीका—यहाँ बताया गया है कि साधु शरीर-पुष्टि के लिए या धातु-वृद्धि के लिए आहार नहीं करता है, बल्कि वह तो इस उद्देश्य से ही आहार करता है कि उसका शरीर संयम पालन करने के योग्य बना रहे। स्वाद लेने के लिए भी वह भोजन नहीं करता है क्योंकि वह जिह्वा-इन्द्रिय पर विजय प्राप्त किए होता है। वह जिह्वा-इन्द्रिय को अपने वश में रखता है, जिह्वा-इन्द्रिय के वश में वह नहीं होता है। इसलिए जिह्वा की उच्छ्रंखलता-जिह्वा की रस-लोलुपता-का अनुभव उसे नहीं हो पाता है क्योंकि जिह्वा उसके मन के वश में होती है और मन उसके वश में होता है और अनुभव करने का काम मन द्वारा ही होता है। साधुत्व ऐश आराम नहीं है, ऐयाशी नहीं है। वह एक साधना है—एक तपस्या है, और तपस्वी को संयमी होना अनिवार्य है अतः यहाँ यह त्रिकुल स्पष्ट कर दिया

गया है कि सच्चे साधु में रस-लोलुपता हो ही नहीं सकती, जिसमें यह हो वह सच्चा साधु नहीं है ।

स्पष्ट है कि ये तेरहपंथी लोग इस कसौटी पर कस जायँ तो थोड़े नहीं बल्कि बहुत गिरे हुए, समय से बहुत दूर, साधु-वेपधारी असाधु ठहरेंगे ।

पाठ—

सुद्धे सणाओ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज भिक्खु अप्पाणं ।
जायाए घासमे सेज्ज्या, रसगिद्धे न सिंया भिक्खाए ॥११॥
पन्ताणि चेव सेवेज्जा सीयपिण्ड पुराण कुम्मासं ।
अद्दु षक्कसं पुलाग वा जवणट्ठाए निसेवए मंघु ॥१२॥

उत्त० अ० ८ सू० ११-१२

शब्दार्थ—मु० - दोपरहित ते पण, ए० - एपणा समिति सहित आहार को, न० - जाने को, त० - एमे आहार के लिए, ठा० - थापे, भि० - साधु, अ० - अपनी आत्माको, जा० - संयम निर्वाह के लिए, घा० - आहारको, ए० - गवेपणा करे, र० - रस के लिए, गि० - गृह, न० - नहीं, सि० - होना, भि० - भिक्षा के लिए ॥१॥

प० - नीरसको, च० - डकट्टा, समुच्चए, से० - सेवन करे, सि० - शीतल, पि० - आहारको, पु० - पुराने घानको, कु० - उड़दको, अ० - अथवा, व० - मूंग उड़द आदि एकत्रित, पु० - चना आदि, वा० - अथवा, ज० - शरीर के निर्वाह के लिए, नि० - भोगे, म० - बोरकुट आदि ।

भावार्थ—भिक्षा के लिए निकला हुआ साधु एपणा शुद्धि जान कर उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करे, याचना करके आहार के ग्रास की गवेपणा करे, परन्तु रस में गृह न बने ॥११॥

शरीर के निर्वाह के लिए आहार की आवश्यकता होती है इसलिए मसाले तथा घृतादि रहित नरिस आहार, शीतल (ठंडा) आहार, पुराने धान्य का आहार, मूंग उड़द चने आदि के उबाले हुए बाकुले और बोर का कूट आदि जो कुछ भी मिले साधु उसका सेवन करे और सतोपभाव धारण करे ॥१२॥

पाठ—

तवास्सियं किसं दन्तं, अवाचियं मंसं सोणिय ।

सुव्वयं पत्त निव्व्राणं तं वय वृम माहाणं ॥२२॥

—उत्त० अ० २५ सूत्र २२

शब्दार्थ—न० - तपस्वी, कि० - दृढं, द० - इन्द्रियो का दमन करनेवाला, अ० - उपचय रहित, म० - मास, सो० - रक्त, सु०-सुव्रती, प० - प्राप्न हुआ, नि० -निर्वाण, ते० - उसने, व० - हम, वू० - कहिए, मा० - महान् ॥

भावार्थ—जिन्होंने इन्द्रियों का दमन करके, बरह तरह का नप करके, अपने शरीर का रक्त, मास सुखा कर शरीर को सूखा बना दिया है, वे सुव्रती हैं और निर्वाण प्राप्त करने के योग्य हैं; वे महान् हैं ।

टीका—यहाँ माल मलीढे खानेवालो कां, मजे से रस-युक्त भोजन चाटने और पेट ठूसनेवालों को साधु नहीं कहा है वल्कि उन्हें साधु कहा है जो इन्द्रिय-विजयी हैं और जिन्होंने तपस्या से अपने शरीर को सुखा दिया है ।

पाठ—

इह जीवियं अणिय मेत्ता, पव्भट्ठा समहि जोएहिं ।
 ते कामभोग रस गिद्धा, उव वज्जन्ति आसुरे काए ॥१४॥
 तत्तो विय उव्वट्ठिता, ससार बहु अणुपरियडन्ति ॥
 बहु कम्मलेव लिच्चाणं, वोही होई सुदुल्लहा तेसिं ॥१५॥

—उत्त० अ० ८ सूत्र १४ व १५

शब्दार्थ—इ० - इस मनुष्य जन्म के लिए, जी० - मयम का जीवन, अ० - तप समय नहीं करता हुआ, प० - भ्रष्ट, स० - समाधि से, जो० - योग द्वारा, ते० - वे, का० - कामभोग, र० - रस के लिए, गि० - गृह्य होता हुआ, उ० - उत्पन्न होता है, अ० - असुर कुमारादिक में, का० - उसके शरीर के लिए ॥१४॥

त० - वहाँ से, वि० - फिर, य० - फिर, उ० - निकले, म० - ससार में, व० - बहुत, अ० - बारम्बार परिभ्रमण करता है, व० - बहुत, क० - कर्म, ले० - बन्धन करके, लि० - बन्धा गया, वो० - सम्यक्त्व का लाभ, हो० - होना, सु० - अत्यन्त, दु० - दुर्लभ है, ते० - उस जीव को ॥१५॥

भावार्थ—जो साधु इस मनुष्यजन्म में तपसयमादिक से अपनी आत्मा को बश में नहीं करते, जो समाधियोग से भ्रष्ट होते हैं, और जो कामयोग में गृह्य बने हुए हैं, वे असुरकुमार की काया में उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

वे वहाँ से निकल कर संसार में बहुत परिभ्रमण करते हैं । ऐसे साधुओं (?) पर कर्मों का इतना गहरा आवरण होता है कि उनको (साधुत्व तो क्या) सम्यक्त्व प्राप्त करना भी दुर्लभ है ॥ १५ ॥

पाठ—

दुद्ध दही विगईओ, आहा रेई अभिक्खण ।

अरते य तवो कम्मे, पाव समणोत्ति वुच्चई ॥१५॥

—उ० अ० १७ सूत्र १५

शब्दार्थः—दु० - दूध, द०- दही, वि० - विगय (घृतादि),
आ० - आहार, अ० - वारम्बार, अ० - उममें आसक्ति, य० - फिर,
त्त० - तपस्या, क० - करने के लिए, पा० - ये पापी, स० - श्रमण,
नि० - ऐसा, वु० - कहिए ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो दूध, दही आदि घृतादि विगय का वारम्बार
आहार करे और तपश्चर्या करने में प्रसन्न न रहे, उसे पापी
श्रमण कहते हैं ।

टीका—यहाँ दूध-दही बार-बार भोगने वाले और
तपश्चर्या न करने वाले को पापी श्रमण बताया है । ये तेरहपथी
ऐसे ही पापी श्रमण हैं क्योंकि ये लोग दूध-दही तो हमेशा ही
खाते हैं बल्कि ये लोग तो रोज़ माल उड़ाते हैं, क्रम-से-क्रम
३०-४० द्रव्यसे अधिक-से-अधिक २५० द्रव्य तक भोगते हैं ।
ये लोग कैसे कैसे रसयुक्त माल, फल, मेवा, और मिठाइयाँ आदि
खाते हैं यह पहिले बताया ही जा चुका है ।

नोट—ये लोग अपने सब काम खाने के लिए माल
मिलने की सुविधा को देखते हुए करते हैं, यहाँतक कि इनकी
धार्मिक क्रियाएँ भी इसी दूषित दृष्टि-बिन्दु को लिए होती हैं ।
कोई कोई सालभर में ऋषिपंचमी को उपवास कर लेते हैं ।
जब इन्हें चौमासा करना होता है तो अमुक जगह में कितने

गृहस्थ हैं कैसे हैं, आदि ये सब जान कर वहाँ चतुर्मास करते हैं, माल मिलने की सुविधा जहाँ नहीं होती है वहाँ चतुर्मास नहीं करते हैं। कोई अगर इनसे पूछता है कि आप ऐसी छानवीन क्यों करते हैं तो कहते हैं कि महाराज को खन्नर करनी होती है, साधु कोई लकड़ी के तो हैं नहीं, जहाँ तकलीफ हो वहाँ चौमासा करना मुश्किल है—आदि आदि ।

पाठ—

विभूसा इत्थि संसग्गो, पणीयं-रस-भोगण ।

नरस्सत्त गवेसिस्स, विसं ताल उकं जहा ॥५६॥

—दशवे० अ० ८ सूत्र ५६

शब्दार्थः—वि० — विभूपासहित, इ० — स्त्री का, सं० — संसर्ग, प० — फीकी विन्दुओं का झरता हुआ आहार, भो० — ऐसे तीन बोल कौन छोड़ता है। न०—साधु, अ० — आत्मा का, ग० — गवेपणा करने वाला, वि० — विप, ता० — तालपुट जहर, ज० — खाने से थोड़ी देर में प्राण घात होता है। ऐसे भोग भोगने से अनन्त जन्ममरण का भागी बने ।

भावार्थ—आत्मा की गवेपणा करने वाले पुरुष को विभूपा स्त्रियों का संसर्ग और घी की बूँदों से झरता हुआ रसयुक्त आहार तालपुट विप के समान है ।

टीका—ये तेरहपंथी लोग रोज़ घी की बूँदों से झरते हुए रसयुक्त-पदार्थ-रूपी तालपुट ज़हर को खा कर अपने संयम का और अपनी आत्मा का घात करते हैं। कैसा भी पदार्थ हो बिना खूब घी के इन लोगों को वह पसंद नहीं आता। बाजरे का खिचड़ा भी होगा तो वह भी इन के लिए विशेष रूप से घृतयुक्त

होना चाहिए । गृहस्थों को ये लोग ऐसी भाषा में समझा देते हैं कि गृहस्थ स्वयं पदार्थ को अच्छी तरह धी से भर कर देते हैं । ये लोग गृहस्थों से कहा करते हैं—‘हम को एक कल्प-प्रमाण से अधिक धी ऊपर से लेना नहीं है । अगर पहिले से ही पदार्थ के अन्दर धी हो तो वह भ्रातृ है ।’ ऐसी भाषा से वे एक तरह से गृहस्थ से पदार्थ में न्यून धी डालने का संकेत कर देते हैं और अपना काम निश्चल लेते हैं । यह कैसा दम्भ है ?

‘पाठ--

मुष्णी मोणं समायाय धुणे कम्म-सरीरगं, पंतं ल्हं
सेवति वीरा संमत्त दंसिणो । एस ओहंतरे मुष्णी
तिण्णे मुत्ते विरय चियाहिते-त्तिवेमी ॥१५॥

आचा० १ श्रु० अ० ५ उ० ३ सू० १५

शब्दार्थ—मु० - मुनि, मो० - साधुत्व, स० - अंगीकार कर के, धु० - दूर करे, क० - कर्म, म० - शरीर, प० - हल्का, ल० - हल, वे० - सेवन करते हैं, वी० - वीर, मम्मकदृष्टि, ए० - वही, वो० - भव, न० - तरने वाले, मु० - माधु, ति० - तिरे हुए हैं, म० - मुक्त हुए हैं, वि० - विरक्त हुए हैं, वि० - कहा है, ति० - ऐसा मैं कहता हूँ ।

:भावार्थ—साधु ही ऐसा संयम अंगीकार करके शरीर को सुखाने हैं । ऐसे सम्यक्दृष्टि वीर पुरुष सुखा-सूखा आहार करते हैं और ऐसे ही पराक्रमी सब पापों से छुटकारा पा कर भवसागर को तर गये हैं और उन्हीं की प्रशंसा की गई है । यह मैं तीर्थंकर के कथनानुसार कहता हूँ ।

टीका—यहाँ रूखा-सूखा आहार करने वालों को ही मोक्ष-मार्ग का अनुयायी कहा गया है। इस कसौटी पर इन तेरहपंथियों को कसा जाय तो ये खोटे उतरेंगे—इनमें से एक भी मोक्षमार्ग का अनुगामी सिद्ध न होगा, क्योंकि ये लोग तो रूखा-सूखा आहार न ले कर रसयुक्त तर माल लेते हैं, कहीं रूखा-सूखा मिलता है तो 'नहीं चाहिए'—ऐसा भाव प्रकट करके थोड़ासा ले लेते हैं और जहाँ तर माल मिलता है वहाँ पात्रा भर लेते हैं।

पाठ—

जे ममाईयमर्ति जहाति से जहाइ ममाइतं ।

सेहु दिट्ठपहे मुणी जरस णत्थि ममाइतं ॥ ४ ॥

आचा० प्र० श्रु० अ० २ उ० ६ सूत्र ४'

शब्दार्थः—जे० - जो, म० - ममत्व, वु० - बुद्धि, ज० - छोड़ता है, से० - वे, म० - ममत्व, से० - व, हु० - निश्चय, दि० - दृष्टि, मु० - साधु, ज० - छोड़ते हैं, मु० - साधु, ज० - जिनके, ण० - नहीं, म० - ममत्व, ॥४॥

भावार्थ—जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करते हैं वे ही मोक्ष-मार्ग को जानने वाले साधु हैं।

पाठ—

अलोलो भिक्खू न रसेसु गिध्दे, उच्छं चरे-
जिविय नाभि कंखी । इद्धिं च सक्कारण पूयणं
च चएट्टियप्पा आणि हैं जे स भिक्खू ॥ १७ ॥

—दशवे० अ० १० सू० १७.

शब्दार्थ—अ० - नोनूपता रहित, मि० - माधु, न० - नहीं,
 र० - गरम आहार के लिए, मि० - गूढ़ होने, उ० - थोड़ा थोड़ा लेते,
 च० - बिचरे, जि० - जीना, न० - नहीं, ज० - इच्छा करे, उ० -
 ऋद्धिको, च० - फिर, म० - मत्तार द्रव्य आदिका लाभ, पू० - वचन
 को स्तुति नाहे नहीं, च० - फिर, न० - लालच छोड़े और जान ग्रहण
 करे, ज० - सात्मा, अ० - प्रेम रहित, जे० - जे, म० - वह, मि० -
 माधु ॥

भावार्थ—जो माधु लोलुपता रहित किन्हीं प्रकार के रस में
 गूढ़ नहीं होता है, अपरिचित कुल में गोचरि करना है, जीने
 का इच्छा नहीं करना है, ऋद्धि नन्कार व पूजा का त्याग करता
 है, जो ज्ञानादिक में स्थिर आत्मा वाच्य है, और कपट-माया रहित
 है वह साधु है ।

पाठ—

जो पञ्चइत्ताण माहव्वयाइं. सम्म च नो
 फासयइं पमाया । अनिग्ग हप्पा च रस्से मु
 गिंदे न मूलओ छिन्नइ वंधणं से ॥ ३९॥

आउत्ताया जस्स य नत्थि काइ इरि याए
 भासाए नेहसणाए । आयाण निक्खेव
 दुंगुच्छणाए, न वीर जायं अणु जाइं मग्गं ॥४०॥

चिरं पि से मुण्ड रुइ भविचा, अथिरव्वए
 तव नियमेहि महे । चिरं पि अप्पाण
 किले-सईचा न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥

पुछेव मुट्टी, जह से असारे-आयन्तिए कुडक
हावण वा । रादामणी वेरुलीयप्पगा से,
अमहग्घए होई य जाणएसु ॥ ४२ ॥

कुशील लिंगं इह धार इत्ता इंसिज्झ यं
जीविय वूहइत्ता । असंजए सजय लप्प माणे,
विणिग्घाय मागच्छई से चिरपि ॥ ४३ ॥

विसं तु पीयं जह कालकूडं, हणई सत्थ जह
कुग्गहिय । एसो वि धम्मो विसओ व वन्नो,
हणई वेयाल इवा विवन्नो ॥ ४४ ॥

जे लक्खणं सुविण पउज्जमाणे, निमित्त को
उहल संपगाढे । कुहेड विज्जा सवदार जीवी न
गच्छई सरणं तम्मि काले ॥ ४५ ॥

तमं तमेणेव उसे असीले सया दुही विप्परिया
मुवेत्ति । संघावती नरंग तिरिक्ख जेणिं,
मोण विराहेत्तु असाहुरुवे ॥ ४६ ॥

उद्देसियं कियगडं नियागं, न मुच्चइ किंचि
अणे साणिज्जं । अग्गीविवा सव भक्खी
भवित्ता, इतो चुए गच्छइ कद्दुपावं ॥ ४७ ॥

न तं अरी कंठ छेत्ता करेइ, जंसे करे अप्प-
णिया हुरप्पया । से नाहई मच्चुसुहं तु पत्ते,
पच्छाणुत्ता वेण दया विहुणो ॥ ४८ ॥

निराद्विया नगरुई उ तस्त, जे उचामद्वं विवज्जा
समेई । इमे वि से नत्थि परोवि लोए दुहओ
वि से शिज्जइ तत्थ लोए ॥४९॥

एमेव हा छन्द कुशील रुवे, मगं विराहित्तुं
जिणुत्तमाणं । कुरुरी विवा भोग रसाणु गिद्धा,
निरट्ट सोया परियाव मेइ ॥५०॥

उत्त० अ० २० सूत्र ३९ से ५० तक

शब्दार्थ—गो० - ये, प० - दीक्षा ले के, म० - महाव्रत को छोड़े, म० - नम्यवस्त्र रूप में, च० - फिर, न० - नहीं, फा० - सेवन करे, प० - प्रमादी, धका हुआ, अ० - वरा में न किया, अ० - आत्मा, व० - फिर, र० - रमादिक स्वाद के लिए, गि० - गृद्ध, रसे० - रस के लिए गृद्ध होता हुआ आषाकर्मों आहार स्थान की प्ररूपणा करके बहुत में हृदयो में मिय्यान्व भर दे, न० - नहीं, मू० - ऐसा मूल है, छि० - छोड़ मके, व० - राग द्वेष और कर्मरूपी बन्धन, मे० - वह कायर ॥ ३९ ॥

अ० - प्रयत्न कर के, जे०-यह, य० - फिर, न०-नहीं, क० - किंचित मात्र, इ०-ईर्या के लिए (रात्रि में चलने से ईर्या का पालन न करे), भा० - वचन के लिए, त० ऐसा ही, व० - एषणा समिति के लिए, आ० नि० - उपकरण का आदान प्रदान, दु० - मात्रा बादि पगठावते, वि० - धी० महावीर आदि का धैर्यवन्त मार्ग, ज्ञा० - सेवन करे, म० - मार्ग, अ० - चल, न० - न सके ॥४०॥

चि० - बहुत ममय लगे, अ० - फिर, से० - वह, मु० - मस्तक मुंडा के, रु० - रुचिवन्त, भ० - हो कर के, अ० - अस्थिर व्रत वाला, सम्यक्त्व को छोड़ने वाला, त० - तपस्वी, नि० - अभिग्रह से, म० - भ्रष्ट, चि० - बहुत ममय तक, पि० - फिर, अ० - आत्मा को,

कि०—लोचादिक का क्लेश कर के, न० — नहीं, पा० — पार होने वाला, हो० — होता है, हु० — निश्चय, न० — ससार का, पु० — शुद्ध सम्यक्त्व रूप धन विना खाली मुट्ठी, ज० — जैमा, से० — वह, अ०—अमार, अ० — आन्तरिक रूप से हृदय में कपट रखने वाला, कु० — खोटा, क० — रूप को तरह अमार अर्थात् विना कीमन का हो, वा० — फिर, रा० — कौच का टुकड़ा, वे० — वेड्युयं रत्न की तरह, पा० — तेज कान्ति सहित दिखता है परन्तु, अ० — व्ययं, हो० — होता है, अ० — फिर, जा० — जानने वाले के आगे ॥ ४२ ॥

कु० — ढीला (पासत्या), लि० — लिंग-वेप, र० — इस मनुष्य-लोक में, धा० — धारण कर के, उ० — रजोहरणादिक तीनों चिन्ह कर के, जी० — अजीव का रूप जीतव्य, वृ० — पेट भगई कर के, अ० — असयमी होता हुआ, अम० — पाँच आश्रवद्वार का सेचन करता हुआ माधु-वेपी आचार फेरफार के मार्ग को ठीक ठीक नहीं प्ररूपता है उसे सयमी नहीं जानना, स० — सयमी हूँ, ल० — ऐसा कहता हुआ व्यवहार करे, वि० — अनेक प्रकार की वेदना, आ० — प्राप्न करे, मे० — वह द्रव्यलिगी, चि० — बहुत समय तक, पि० — फिर ॥४३॥

वि० — विप, तु० — फिर, पी०—पिया, ज० — जैमा, का० — काल-कुड, ह० मारे, स० — शस्त्र, ज० जैमा, कु० — खराब, रा० — ग्रहण किया हुआ, ए० — ए, वि० — फिर, घ० — हिंसा घर्म, वि० — विप, उ० — उपमान सहित, ह० — मरे, वे० — वेताल, इ० — जैमा, आ० — अविधि मन्त्र जपते हुए ॥४४॥

जे० — वेप-घारी, ल० — सामुद्रिक, शरीर के लक्षण, नु० — स्वप्न विचार, प० — लोगो में प्रचार करे, नि० — निमित्त कहे, को० — पुत्र उत्पन्न करने के लिए स्त्री पति को, स० — अति अशक्त, कु० — झूठा, अश्रेयकारी, वि० — विद्यामन्त्र आदि करे, आ० — पाप उत्पन्न करने वाली, जी० — जिए, न० — वह मन्त्र आदि से, ग० — प्राप्त, स० — मन्त्रादिक को शरण से आधार, त० — अन्त, का० — काल के विषे ॥४५॥

त० - अति अज्ञान के कारण, उ० - फिर, से० - द्रव्ययती,
 वेपधारी, अ० - शील रहित, स० - सदा, दु० - दुखी, वि० -
 विपरीत, उ० - प्राप्त परलोक के लिए सुख प्राप्त करने की आशा
 हो पर दुख प्राप्त हो, स० - निरन्तर जाता है, न० - नरक, ति० -
 तिर्यच की, जो० - योनि में, मो० - चरित्र, वि० - विराधना करके,
 अ० - असाधु, र० - रूप ॥ ४६ ॥

उदे० - आषाकर्मों आदि आहार भोगनेवाले को लाभ बताया
 है, कि० - साधु के लिए मोल लाया लेता है, नि० - नित्य पिंड लेवे,
 न० - नहीं, मू० - छूटता है, कि० - किंचित मात्र, अ० - एषणीक
 दोष से नहीं छूटता है, अ० - अग्नि की तरह, वि० - वैसा, स० -
 सब, भ० - भक्षी, भ० - होके, इ० - यहाँ से, चु० - पुनर्जन्म से, ग० -
 जाता है, के० - कर के, पा० - पापकर्म ॥ ४७ ॥

नतं० - स्वतः मिथ्यात्व को सेवन करके सम्यक्त्व रूपी जीवत्व
 का घात करनेवाला, तं० - वह दुख में पड़ा है, अ० - वैरी,
 क० - प्राण का, छ० - मारनेवाला, न० - नहीं, क० - करे,
 जं० - पड़ा हुआ, से० - वह वेपधारी, क० - करे, अ० - अपनी
 आत्मा का घातक, अनाचारी, से० - वह वेपधारी, न० - जानसे,
 म० - मरने के, मू० - मूख में, प० - पहुँचे, तु० - जब, प० -
 पश्चात्ताप करे, द० - संयम, वि० - विराधना करे वह संयमरहित,
 नि० - अर्थ रहित, नि० - चारित्र्य अंगीकार करके पश्चात्ताप करे,
 गृहस्थी में वापिस न जा सके, न० - चरित्र की, र० - शक्ति, उ० -
 फिर, त० - वह द्रव्ययती, वेपधारी, जे० - वे उत्तम, अ० - संयम
 को, वि० - विराधना करके, इ० - इस लोक, वि० - फिर, से० -
 वह वेपधारी, न० - नहीं, प० - पर, वि० - फिर, लो० - लोक भी
 नहीं, दु० - दोनों लोक में, अ० - फिर, से० - वह वेपधारी भ्रष्ट
 चिन्ता करके, जी० - खिजे और छेद को प्राप्त हो, त० - वहाँ, लो०
 - लोक में ॥ ४९ ॥

स० -- इस तरह, अ० -- स्वयम्, छ० -- स्वेच्छाचारी बनी, कु० -- कुशील का सेवन करनेवाला, रू० -- रूप, म० -- मार्ग, वि० -- विराधना करके, जि० -- जिनेन्द्र, उ० -- जिन उत्तम, कु० -- जेमे पक्षी दुख पाता है, वि० -- वैसा, भो० -- भोगने का इच्छुक, र० -- स्वाद के लिए, गि० -- गृह, नि० -- निरर्थक, सो० -- फिक, प० -- पश्चात्ताप करता है ॥ ५० ॥

मावार्थ—जो अहिंसादिक पाँच महाव्रत को अर्गीकार करके रसना के लोलुपी बने, इन्द्रियों का निग्रह न करे, महाव्रतों का ठीक तरह से पालन न करते हुए आत्मा को बश में न करें वे राग द्वेष रूपी वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ सकते ॥३९॥

ईर्यासमिति—जमीन देख कर चलना, भाषा समिति—विचार कर बोलना, एषणा—समिति—निर्दोष आहार आदि का सेवन करना, आदान—निपेक्षणा समिति—उपकरण प्रयत्नपूर्वक रखना और परिठावणिया समिति—उच्चारादि यत्न से परिठावना, इन पाँचों समितिरूप मोक्ष-मार्ग का जिस प्रकार वीर पुरुषों ने समाचरण किया उस प्रकार वे किंचित मात्र भी नहीं कर सकते ॥४०॥

जो पाँचों महाव्रत, द्वादश प्रकार का तप, अभिग्रह आदि धर्म का पालन करने में अस्थिर हो, भ्रष्ट हो जायें, वे बहुतकाल तक लोचादि कर तथा शीत तपादि का कष्ट सहन करके, अपनी आत्मा को क्लेशित व दुखी बना कर भी इस ससार-समुद्र से पार नहीं हो सकते ॥४१॥

जिस प्रकार खाली मुट्टी असार होती है, जिस प्रकार खोटा रुपया असार होता है और जिस प्रकार काच का टुकड़ा राधा-

मणि के समान प्रकाशवान होने हुए भी जौहरी के आगे मूल्य प्राप्त नहीं करता है, वैसे ही अन्नाऋण में कपट रखने वाला अनाद (निकम्मा) होता है ॥४२॥

इस मनुष्य-लोक में जो कोई साधु के गुण तो न खवे लेकिन ग्जोहर्ण भुववस्त्रोकादि साधु का लिंग-श्रेय धारण करके अपना पेट भरता है वह अमयमा असाधु है । ऐसे द्रव्यलिंगी माधु, श्रेयशाली असाधु, बहुकाल तक संसार में दृक्ष भोगते हैं ॥४३॥

जिस प्रकार तालपुट व विष खाने में प्राणों का नाश होता है, जिस प्रकार उल्टा शय्य गार्थों में धारण करने से और जिस प्रकार विधि बिना ही वैनालिक मन्त्र का जप करने से मृत्यु हो जाती है वैसे ही हिंसा-धर्म की आगवना करने वाला वारम्बार मृत्यु को प्राप्त होता है ॥४४॥

जो माधु चक्रादि ऋक्षण-विचार, नामुष्टिक शास्त्र, निमित्त विद्या, मन्त्र-मन्त्र-यन्त्रादि विद्या, कौतुक (आश्चर्य उत्पन्न करने वाली) विद्या, का उपयोग जीवों के अहित के लिए करता है वह मरने के बाद अपने को दुर्गति से बचाने में समर्थ नहीं हो सकता ॥ ४५ ॥

अनि अज्ञान के वर्गीभूत हो कर साधु का श्रेय धारण करके भी परलोक में सुख की आशा से कुछ कष्ट सहते तो भी वह

• तालपुट जहर वह जहर है जिस को भूँह में डालते ही-जिन्हा में शिमवा स्पर्श होने ही-मृत्यु हो जाती है ।

चरित्र का विराधक असाधु है जो निरन्तर नरक तिर्यच गति में भ्रमता रहेगा ॥ ४६ ॥

जिस प्रकार अग्नि सर्वभक्षी होती है वैसे ही यदि साधु भी उद्दिष्ट आहार, कृतगड, मोल का या मोल लाया आहार, नित्यपिंड, इत्यादि दोष-युक्त आहारादिक सत्र का भक्षण करता है, किंचित मात्र भी नहीं छोड़ता है तो वह पाप-कर्म का उपार्जन करके दुर्गति में जाता है ॥ ४७ ॥

प्राण का नाश करने वाला वैरी जितना जुल्म नहीं करता है उतना जुल्म दुरात्मा दुष्टाचारी करता है। वह गुणविहीन साधु-वेषधारी दयाधर्म-रहित असाधु मृत्यु के समय महापश्चाताप करेगा ॥ ४८ ॥

जो सयम मे अरुचि रख कर आत्म-कल्याण की साधना को नष्ट करता है उसका इस लोक में भी नाश होता है और परलोक में भी। भ्रष्टाचारी दोनो लोकों मे पश्चाताप करता है ॥ ४९ ॥

कुशील का सेवन करनेवाले स्वच्छंटाचारी, भोग रस आदि मे गृद्ध लोग, जिनेन्द्र भगवान के उच्चमोत्तम मार्ग की अवहेलना करके ठीक उसी तरह दुखी होते हैं जिस तरह मास-खड ग्रहण की हुई पक्षिणी दुखी होती है ॥ ५० ॥

टीका—यहाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो साधु का वेष धारण करता है, मुँहपत्ती लगाता है, रजोहरण रखता है लेकिन उसके भीतर सयम नहीं है बल्कि रागद्वेष, कपट

तथा वासना भरी हुई है तो वह साधुवेगी होने हुए भी साधु नहीं है बल्कि असाधु है, चरित्र का विराधक है, केवल द्रव्यलिंगी है भावलिंगी नहीं है। भावलिंगी न हो कर द्रव्यलिंगी होने से तो द्रव्यलिंगी न होकर भावलिंगी होना श्रेष्ठ है, अर्थात् जिस व्यक्ति ने साधु का वेप पहिन रखा है लेकिन जिस में कपट है, रागद्वेष है, वासना है, कपय है, मूर्च्छा है, असंयम है, उससे वह गृहस्थ अच्छा है जो साधु का वेप तो धारण नहीं किए हुआ है लेकिन जिसमें रागद्वेष, कपट, असंयम, कपय, मूर्च्छा, वासना आदि नहीं है या अपेक्षाकृत कम है। किसी का साधुत्व उसके अंतरंग पर निर्भर है, न कि बहिरंग पर। वेप तो केवल यह प्रकट करता है कि वह व्यक्ति अमुक साधु-संस्था से सम्बन्ध रखता है लेकिन वह साधु है या नहीं—यह तो उसके अंतरंग गुणों पर ही निर्भर है। हो सकता है कि साधु-संस्था का सदस्य सचमुच साधु हो, अर्द्धसाधु हो या असाधु हो। खोटा रुपया एक पैसे से ज्यादा कीमती होता है लेकिन बाजार में उसे कोई नहीं लेता, बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वह रुपए की हैसियत से चलना चाहता है जबकि रुपए के गुण उसमें नहीं हैं। उसके मुकाबले में एक पैसा बाजार में चल जाता है क्योंकि उस पर पैसे की मुहर है और उसमें पैसे के गुण भी हैं। ठीक यही बात साधु और गृहस्थ के बारे में है। गृहस्थ गृहस्थ की मुहर धारण करते हुए भी गृहस्थ के गुण रखता है, तो धर्म के बाजार में उस गृहस्थ का उस व्यक्ति से ज्यादा आदर और मूल्य है और होना चाहिए; जो अपने ऊपर

साधु की मुहर लगाए हुए हैं अर्थात् जो साधु का वेप धारण करे हुए है मगर जिसमें साधु के गुण नहीं हैं। इस तरह ये तेरहपंथी लोग सब्जे गृहस्थों से भी हर तरह गए वीते हैं।

पाठ—

अलोलुपं मुहाजीवी अण गारं अकिञ्चन ।

अस सत्तं गिहेत्थेसु, तं वयं वूम् माहाणं ॥२८॥

—उ० अ० २५ सूत्र २८

शब्दार्थ—अ० - आहारादिक के लिए, अ० - लोलुपी मु० - जो, किसी का कार्य किए बिना आहार लेते हैं, अ० - घर रहित साधु, अ० - स्वर्णादिक द्रव्य रहित, अ० - परिचय रहित, गि० - गृहस्थ के लिए सगति रहित, ते० - उसको, व० - हमें, वू० - कहते हैं, मा० - महान् ॥

भावार्थ—जो अचित्त निर्दोष अनुद्दिष्ट [अन्य के लिए—अपने लिए नहीं—ब्रनाया हुआ] आहार को ग्रहण करते हैं, जो लोलुपता रहित हैं, कुटुम्बियों तथा गृहस्थों से सम्बन्ध न रखने वाले हैं, उन्हें मैं महान् कहता हूँ ।

पाठ—

अलोलुए अक्कुहए अमाई, अपिसुणे यात्रि अदिणवित्ति नो
भावए नोवि य भावियप्पा अकोउ हल्ले य सया स पुज्जो॥ १०॥

दशवे अ० १ उ० ३ सू० १०

शब्दार्थ—अ० - आहार वस्त्र के लिए लोलुपता रहित, अ० - इन्द्रजाल आदि कौतुक रहित, अ० - माया रहित, अ० - चुगली रहित, या० - फिर, अ० - दीनता रहित, वि० - आहार की गवेपणा करे,

नो० - अप्रसन्न, भा० - भावना करके अन्य के पाम अपनी तारीफ करने के लिए कहे, नो० - नहीं, य० - फिर, भा० - अपने गुण कहे, व० - नाटक आदि देखे, य० - फिर, म० सदा, म० - वे, पु० - पूजनीय है।

भावार्थ—जो साधु आहारादिक में लोलुपता रहित, इद्र-जालादि कौतुको से रहित, माया-विहीन, चुगली-रहित है, अर्दानृत्ति वाला है, आँगे से अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला, औरों में अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला है तथा कौतूहलता-रहित है वह साधु नैदैव पूजनीय है।

पाठ—

रसा पयामं न निसेवियञ्वा, पायं रस, दित्ति करा नराणं ।
दित्तं च कामा समाभिट वन्ति, दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥१०॥

उत्त० अ० ३२ सूत्र १०

शब्दार्थ—र० - परिणीत रस, प० - बहुत, न० नहीं, निसे० - सेवन करे, पा० - परहरे, र० - रस, दि० - कामदीपक को, क० - करने वाला, म० - मनुष्य को, दि० - कान्तिवान् पुरुष, च० - फिर, का० - कन्दर्प, स० - समोर, अ० - आकर के पीडा उत्पन्न करता है, दु० - वृक्ष को, ज० - जैसा, सा० - ऐसा स्वादिष्ट, फ० - फल है उसके, व० - वंसा, प० - पक्षी समोर आता है, बाके पीडा उत्प्रावे, व० - वैसा ॥१०॥

भावार्थ—जिस प्रकार फलफूल कर पुष्ट हुए वृक्ष को बहुत से पक्षी आकर दुख देने हैं वैसे ही जिन्होंने दुग्वादि पाँचों विगय धी आदि सेवन कर अपने शरीर को पुष्ट बनाया है, उन्मत्त काम उनको दुखी करता है। अतः ऐसा जान कर

काम पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधु दूध, दही, घृत, नेल मिष्ठान्ह पदार्थों का सेवन नहीं करने हैं ॥१०॥

टीका—जो लोग गरिष्ठ भोजन करके अपने शरीर को हृष्टपुष्ट बना लेते हैं, स्वभावतः उन्हें कामपीडा सताया करती है क्योंकि एक तो उनके शरीरमें बल का संचार ही उत्तेजना पैदा करता है, दूसरे वे जिब्हा-लोलुपी होने से इन्द्रियों के आधीन हो जाते हैं, उनका मन दृढ-प्रतिज्ञ नहीं रह पाता और वे कामविजय पाने में अबल हो जाते हैं। ऐसे लोग मन ही मन काम की बातें सोचा करते हैं। शरीर कारण बग अथवा विवशता बग समयी रहता है या उसे रहना पडना है तो भी मन में असयम आ जाता है, मन गिर जाता है और आत्मा का पतन हो जाता है। अतः साधु का कर्तव्य है कि वह जिब्हा को अपने आधीन रखे। उससे एक तो जिब्हा को आधीन रखने में इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास होगा; दूसरे शरीर इतना हृष्टपुष्ट न बन पायगा कि काम की लहरें हिल कर उसे चलायमान कर सकें। अतः चरित्र-वान सुसाधु बनने के लिए रूखा-मूखा नीरम भोजन करना परम आवश्यक है।

पाठ—

पिंडोल एव दुस्सी ले, नरगाओ न मुच्चई ।

भिक्षाए वा गिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिवं ॥ २२ ॥

उत्त० अ० ५ सूत्र २२

शब्दार्थः—पि० - गृहस्थ द्वारा लाया हुआ आहार, उ० - सेवन करे, ए० - प्रभाव के लिए, दु० - छोटे आचार वाला, न० - नरक से, न० - नहीं छूटता, भि० -- आज्ञा सहित साधु, वा० - अथवा, गि० -- सुव्रती गृहस्थ, वा० -- सब, मु० -- अच्छे व्रत का करनेवाला, क० -- जावे, दि० -- दैवलोक में ॥

भावार्थ—जो कोई साधु भिक्षा से आजीविका का प्रवन्ध करनेवाले है परतु अनाचार व पापकर्म, का त्याग करने वाले नहीं हैं ऐसे दुर्गचारी नरक जाने से नहीं बच सकते । अर्थात् वे निश्चय ही नरक में जायँगे, जब कि सदाचार का पालन करने वाला गृहस्थ स्वर्ग मे जाता है ॥ २२ ॥

पाठ—

सन्नाई पिण्ड जेमेइ नच्छई सामुदाणियं । गिहिनि संज्जं च व हेइ पाव समणेत्ति बुच्चई ॥१९॥

एयारिसे पञ्च कुशील संबुडे रुवन्धरे मुणि पवराण हेट्ठिमे । अयंसि लेए विसमेव गरहिए, न से इहं नवे परत्थलोए ॥ २० ॥

उ० अ० १७ सूत्र १९ व २०

शब्दार्थः—स० - अपना जातीय सम्बन्ध, पि० - आहार, जे० - जीमे, न० - इच्छा न करे, सा० - समुदाणी का आहार, गि० - गृहस्थ के घर को, नि० - बिना कारण, च० - फिर, वा० - बैठे, पा० - वह पापी, स० - वह साधु, ति० - ऐसा, उ० - कहिए ॥१९॥

ए० - ऐसा होता तो, प० - पासत्या, उसन्ना, अवछन्दा, सध-सतो, कुशील सेवी -- ये पाँच, कु० - कुशील सहित तथा जान दर्शन चारिद्र तप वीर्य इन पाँचो का कुशील, असं० - आश्रव को न रोकने

वाला जानना, रु० - यति के वेप का धारण करने वाला, हे० - बहुत नीच, अ० - इस लोक में, वि० - विप के समान, ग० - वन्दनीय, न० - नहीं, म० - माघु मे, प० - प्रधान, से० - उस पापी श्रमण को, इ० - इस लोक का मुख भोगने के लिए, ने० - नहीं, प० - परलोक, लो० - सुखी ॥२०॥

भावार्थ—जो स्वज्ञाति के आहार की इच्छा करे परन्तु समुदाणीक आहार की गवेषणा नहीं करे, जो वृद्धावस्था रोग अथवा तपश्चर्या के कारण के बिना गृहस्थ के यहाँ बैठे उसे पापी श्रमण कहना चाहिए ।

पाठ—

से भिक्षू वा (२) जाव पविट्टं समाणे से
आगंतरे सुवा, आरामागारे सुवा. गाहावति
कुले सुवा परियावसहे सुवा अन्न गंधाणि
वा पाण गंधाणिवा सुरभि गंधाणि वा अग्घाय २
से तत्थ आसाय वडियाए मुच्छिए, गिट्ठे
गट्टिए, अज्झोववन्ने 'अहो गंधो अहो गंधो'
णो गंध मासा एज्जा ॥२॥

आचा० श्रु० २ अ० पिण्डअ० १० उ० ८ सू० २

शब्दार्थ—से० - वे, भि० - साधु साध्वी, जा० - यावत्, प० - प्रवेश करे, से० - वे, आ० - सराय मे, आ० - बंगले में, गा० - गृहस्थ के घर में, प० - तापसों के स्थान में, अ० - आहार की सुगंध, पा० - पानी की सुगंध, सु० - अच्छी गंध, अ० - सूष कर, से० - वे, त० - वहाँ, आ० - आस्वाद के लिए, म० - मूर्च्छित, गि० - गूढ़, अ० - अहो गंध, अ० - नहो गंध, गं० - गंध का स्वाद न ले ।

भावार्थ—मुनि को गोचरी जाते समय मार्ग में, मुसाफिर-खाने में, बंगले में, गृहस्थ के घरों में या भिक्षुक आदि के मठ में, अन्न-पानी की सुगंध संघ कर, वैसा आहार पानी खाने-पीने के लिए आसक्त बन कर 'वाह सुगंध, वाह सुगन्ध' ऐसा विचार कर सुगंध नहीं लेना चाहिए ।

पाठ—

जे भिक्खू आसणं वा ४ उसीणो सिणं पडिग्ग ।

हेति, पडिग्ग हंतं वा सहज्जई ॥ १३७ ॥

निशी० उ० १७ सूत्र १३७

भावार्थ—जो साधु अशनादि चारों आहार गरमागरम ग्रहण करे, ग्रहण करने को अच्छा जाने, उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है ।

पाठ—

नो अति मायाए पाण भोयणं आहारेत्ता
भवति से निग्गंथे । तं कहमित्तिचं ? आय-
रियाह निग्गंथ रस खलु अतिमायाए पाणभो-
यणं आहारे माणस्स बंभयरिस्स बंभचेरे
संका वा करवा वा वित्तिगिच्छा वा समुपज्जिजा
भेदं वा लभेज्जा उम्मायंवा पाउणिज्जा, दीह-
कालीयं वा रोगायकं हवेज्जा केवलि पन्नचाओ
धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा नो अति मायाए
पाण भोयणं आहारेज्जा ॥ ८ ॥

उत्त० अ० १६ सू० ८

शब्दार्थ—नो० - नहीं, अ० - अति आहार, पा० - पानी, भो० - भोजन के, आ० - आहार करते को, म० - होता, से० - वे, नि० - साधु, त० - वह, क० - किस के लिए, इ० - ऐसा, चे० - कदाचित् शिष्य पूछे, आ० - आचार्य, आ० - कहें, नि० - साधु को, स० - निश्चय, अ० - अति मात्रा, पा० - पानी और, भो० - भोजन, व० - ब्रह्मचारीको, आ० - आहार करते को, व० - ब्रह्मचारी के लिए, म० - शका उत्पन्न हो, पालन करना या नहीं, और दूसरे को भी शका उत्पन्न हो कियह (ब्रह्मचारी) पालन करता है या नहीं, वा० - फिर, क० - ब्रह्म की इच्छा हो, वा० - फिर, वि० - ब्रह्मचर्य पालने के फल की प्राप्ति में संदेह हो, वा० - फिर, स० - उत्पन्न होवे, भे० - चरित्र नष्ट करने को, वा० - फिर, ल० - प्राप्त हुए, उ० - उन्माद, मस्ती, व० - फिर पा० - प्राप्त हो, दी० - बहुत, का० - बहुत नमय का, वा० - फिर रो० - रोगादिक, ह० - होता है, के० - केवली, प० - प्रतिपादन किया, घ० - धर्म से, म० - भ्रष्ट होता है, त० - इसलिए, नो० - नहीं, अ० - अति मात्रा, पा० - पानी, भो० - भोजन, आ० - करे ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो मर्यादा से अधिक आहार पानी का सेवन नहीं करते हैं वे साधु हैं ।

प्रश्न—मर्यादा से अधिक आहार पानी का सेवन करने वाले को साधु क्यों नहीं कहना चाहिए ?

उत्तर—जो मर्यादा से अधिक आहार पानी लेगा उसको (१) शंका (२) काक्षा (३) वित्तिगिच्छा (दुर्भावना) (४) व्रतभंग (५) उन्माद (६) दीर्घकाल का रोग और (७) धर्म से भ्रष्टता—इन ७ दोषों का भागी होना पड़ेगा; अतः इन दुर्गुणों से बचने के लिए मर्यादा से अधिक आहार या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पाठ—

अह भंते ! सङ्गालस्स सधुमस्स संजोयणा
दोस दुट्ठस्स पाण भोयणस्स के अट्ठे पण्णत्ते ?
गोयमा । जेणं निग्गंधेवा निग्गंधी वा फासु
एसणिजं असणपाण खार्इमसाइमं पडिग्गा
हेत्ता संमुच्छिण्ण गिद्धे गढीए अज्झोववण्णए
आहरं आहारेइं एसणं गोयमा । म इग्गाले
पाणभोयणे जेणं निग्गंधेवा निग्गंधीवा फासु
एसणिजं असणपाण खार्इमसाइं मेणं पडिग्गं-
हेत्ता महया अप्पात्तिया कोह किलाम करेमाणे
आहार माहारेइं, एसण गोयमा । सधू पे
पाण भोयणे । जेणं निग्गंधेवा जाव पडिग्गहेत्ता
गुगुप्पायण हेड अण्णदब्बेणं सद्धिं संजोएत्ता
आहार माहारेइं, एसणं गोयमा संजोयणा दोस-
दुट्ठे पाणभोयणे ॥ एएणं गोयमा । सङ्गा लस्स
सधु मस्स संजोयणा दोम दुट्ठस्म पाणभो-
यणस्स अट्ठे पण्णत्ते ॥१२॥

—भग० ज० ७ उ० १ सूत्र १२

शब्दार्थ—अ० - अय, भ० - भगवान, स० - इगाल सहित,
स० - धूम्र सहित, स० - संजोयणा, दो० - दोष, दु० - दुष्ट, पा० - पानी,
मो० - नीजन का, के० - क्या, अ० - अर्थ, प्र० - प्ररूपा, गो० - गौतम,
जे० - जो, नि० - नाधु, नि० - साध्वी, फा० - प्रामुक, ए० - खुद,
अ० - अग्रत, पा० - पान, प० - लेकर, स० - मूर्च्छित, गि० - गृद्ध;

ग० - स्नेह-युक्त, अ० - एकाग्रता में आहार करे, ए० - उमको, स० - इगाल सहित, पा० - पान, भो० - भोजन, जे० - जो, नि० - साधु, नि० - साध्वी, फा० - प्रामुक, ए० - शुद्ध, अ० - अग्रन, पा० - पान, खा० - खादिम, स० - स्वादिम, प० - लेकर, म० - बड़ा, अ० - प्रीति-रहित, को० - क्रोध, कि० - क्लामना, निंदा, क० - करना, आ० - आहार, आ० - आहार करे, ए० - यह, गौ० - गौतम, स० - वृत्र सहित, पा० - पान, भो० - भोजन, जे० - जो, नि० - साधु, नि० - साध्वी, जा० - यावत्, प० - लेकर, गु० - गुण, उ० - उत्पादक हेतु, अ० - अन्य द्रव्य, म० - माय, न० - मिलाकर, आ० - आहार करे, ए० - यह, गो० - गौतम, न० - संज्ञायणा, दो० - दोष, दु० - दुष्ट, पा० - पान, भो० - भोजन ॥

भावार्थ—हे भगवन ! इगाल दोष धूम्र दोष व संज्ञायणा दोष वाला आहार किसे कहते हैं ?

हे गौतम ! जो साधु साध्वी प्रामुक एणिक अशनादि ग्रहण कर के उन में गृद्ध मूर्छित व लोलुपी बनना हुआ आहार को उसको इगाल दोष लगता है । जो साधु साध्वी प्रामुक एणिक आहागदिक ग्रहण कर के अप्रीति, क्रोध व निंदा करते हुए आहार करे उसको धूम्र दोष लगता है । और जो साधु साध्वी प्रामुक व एणिक अशनादि ग्रहण कर के स्वाद के लिए उसमें अन्य द्रव्य मिला कर आहार करे उमको संज्ञायणा दोष लगता है । हे गौतम, यह इगाल धूम्र और संज्ञायणा दोष का वर्णन है ।

नोट—इन तेरहपर्या लंगो में कोई एक या दो नहीं बल्कि तीनों दोष प्रचुर मात्रा में मिलते हैं ।

(१) दशवे० अ० ५ उ० १ सूत्र ९८-९९ में “ भुञ्जेऽज्ञा दोष वशिष् ” द्वारा साधु को पाँच मॉडले के दोषों को छोड़ने का आदेश है । लेकिन आचार्य नामवारी तक इन पाँचों दोषों को सेवन करने हैं, फिर माधारण साधु का तो कहना ही क्या है !

(२) बृहद्० क० उ० ५ सू० ४७-४८-४९-५० में तथा निशी० उ० १२ सू० ३७ में साधु के लिए पहिले पहर के लिए हृण आहार औपधि आदि को चौथे पहर में सेवन करने के लिए मना किया गया है और यदि यह दोष सेवन हो जाय तो ठंड भां बनलाया है । लेकिन ये तेहपथी पहिले पहर के आहार औपधि आदि का उपयोग चौथे पहर में भी करते हैं लेकिन उस समय गृहस्थ से अनुमति माँग लेते है । उनका विचार है कि इस तरह उन्हें दोष-सेवन का भागी नहीं बनना पड़ना है मगर वास्तव में यह ठीक नहीं । साधु जब गृहस्थ से औपधि आदि ले लेता है तभीसे उसका सम्बन्ध गृहस्थ से नहीं रहता है क्योंकि गृहस्थ तो उसका दान कर देता है । एक चीज़ एकही व्यक्ति द्वारा बार बार दान में नहीं दी जा सकती और साधु गृहस्थ की चीज की रक्षा भी नहीं करता है; अतः तेह-पथियों का यह व्यवहार आगम के विरुद्ध है । चौथे पहर में गृहस्थ से अनुमति माँगने का कोई अर्थ ही नहीं है । हाँ, कोई विशेष (गाढागाढी) कारण हो तब साधु के लिए चौथे पहर में भोगना श्राव्य ठहराया गया है और उसके लिए गृहस्थ की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठ—

कन्द मूलं पलम्बं वा, आम छिन्न च सन्निर ।

तुम्बाग सिंगवेरं च आमग परिवज्जए ॥ ७० ॥

दशवे० अ० ५, उ० १ सू० ७०

शब्दार्थ—क० - मूरणादिक कन्द, मू० - पिन्डाड आदि मूल, प० - ताड क फल, वा० - फिर, आ० - कच्चा, छि० - छेदन किया हुआ, स० - टुकड़े किए, तु० - तूमडा, सि० - अदरक, च० - फिर, वा० - कच्चा (मचित्त), प० - छोडदे (साधु) ।

भावार्थ—कन्द, पिंडालु आदिमूल, विजोग आदि फल, तोरु आदि शाक, तुम्बा और अदरक आदि वनस्पति—ये सब कच्चे हों और उनका छेदन-भेदन तो किया हो परन्तु अग्नि आदि जल के संयोग से पके न हो तो उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पाठ—

से भिक्खु वा (२) वा गाहा वडंकुलं पिंडवाय
पडियाए अणुपविट्टे समाणे, से जाओ पुण ओ
सहीओ जाणेज्जा, कसिणाओ, सासिआओ अविदल
कडाओ अतिरिच्छच्छिण्णाओ, अब्बोच्छि-
ण्णाओ, तरुणियं वा छिवाडिं अणमि कंत मभा
भज्जितं पेहाए अफासुयं अणंसणिज्जति मण्ण-
माणे लाभे संतेणो पडिगाहेज्जा ॥ ३ ॥

आचा० श्रु० २ पिंड० अ० १० उ० १ सू० ३

शब्दार्थ—से० - वे, भि० - साधु, मि० - माध्वी, ग० - गृहस्थ के घर में, पि०—आहार के लिए, अ०—प्रवेग करता है, से०—वे,

जे० - जो, पु० - और, मो० - भीषधि, जा० - जाने, क० - पूर्ण,
मा० - सजीव, अ० - दो टुकड़े न करे हो, अ० - तिरछा छेदन
न करा हुआ, अ० - अन्वड है, त० - कच्ची, छि० - फलियो, अ० -
अलग न करी हुई, अ० - अभेद्य, पे० - देखकर, अ० - अप्रासुक,
ब० - दोष सहित, म० - जानकर, ला० - प्राप्त हुए, णो० - नहीं.
प० - ग्रहण करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— गृहस्थ के घर में धान्य फलादि अखण्ड हों,
छेदन भेदन न किया हो। उसमें शास्त्र का पूरी तरह प्रवेश न हुआ
हो, ऐसा साबुत फल या कच्ची मूग आदि की फलियाँ अप्रासुक
तथा अनेपणिक जान कर गृहस्थ साधु माध्वी को दे तो साधु
माध्वी को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

नोट—यहाँ अखण्ड फलादि लेना वर्जित है। लेकिन ये
नेहृपंथी लोग लेते हैं। इस बात को वे स्वीकार भी कर चुके
हैं। पूनमचन्द्रजी चोरडिया जब लाडनूँ गए थे तब उनकी
पहिले गोठीजी में ही मुलाकात हुई। गोठीजी ने पूनमचन्द्रजी
में कहा—“कन्हैयालालजी ने पैम्पलेट में कैसी झूठी बात
लिखमारी? भला साधु क्या मनरा लेते हैं। मुझे ६० वर्ष
होगए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ।” पूनमचन्द्रजी ने कहा—
आचार्यजी से पूछा था क्या? गोठीजी ने ‘नहीं’ में उत्तर
दिया। इस पर पूनमचन्द्रजी ने कहा कि चलिए, पूछ लेना
चाहिए। वे दोनों आचार्यजी के पास गए। वहाँ करीब ४००
भाई बहिन उपस्थित थे। पूनमचन्द्रजी ने आचार्यजी से पूछा
—“महाराज, साबुत सनरे जाम (अमरुद) और नीबू लेते हैं,
या नहीं? उत्तर में मगनलालजी दीवान साहब ने धीरे से

कहा—“उबाले हुए लेते हैं ।” इस पर पूनमचन्द्रजी ने कहा कि पैम्फ्लेट में उबाले हुए ही तो लिखे हैं जो कि सच है। उस समय गोठीजी चुपकी साध गए, उनका चेहरा उतर गया । इस तरह यह बात वे स्वीकार कर चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त वे और भी कई चीजें सचित्त की शंका सहित लेते हैं । पिस्ते, किशमिश (दांख), बड़ी मुनक्का, निवजा अजीर, खुवानी से निकाले हुए छिलके सहित बादाम, छिलके उतारे हुए बादाम, छिलके सहित गरम पानी से निकाले हुए बादाम और कच्चा नारियल [वीज निकाला हुआ], छिलका सहित इलायची, पान के बने हुए वीडे [कुल सूखे हुए—सब नहीं], पान का चूरा, सूखे पान आदि बहुत सी चीजें ये लोग ग्रहण करते हैं । एक तो आहार से उपजीविका होने के बाद—भूख मिटने के बाद—इन चीजों की जरूरत ही क्या है और अगर वे फिर भी लेते हैं तो सचित्त की शंका न करके निःशंकिन होकर सचित्त-अचित्त सब खा जाते हैं, जैसा कि पानों के विषय में पहिले उल्लेख किया जा चुका है ।

छिलके सहित इलायची लेना कितनी आपत्तिजनक बात है ? ये लोग उसमें भी सचित्त की शंका नहीं करते । एक दिन की बात है कि खुवानी से निकाले हुए बादाम आचार्यजी खा रहे थे, उसमें से कनक को एक धोवा उसके धोबे में दिया । मैं ने यह देखा और कहा—माई, ये छिलके सहित बादाम हैं । यह क्या ? किसी ने उत्तर में कहा—ये तो अचित्त होते हैं । मुझे उसका अचित्त होना न ज्ञेय और अभी भी नहीं

जैचता हैं; क्योंकि उसमें उस तो लगता ही नहीं है। विचार-गोले पाठकवृन्द देखें कि जो लोग ऐसी सचित्त की शंका-महिन चीज को भी बिना मक्कोच के और बिना सचित्त की शंका किए हड़प कर जाते हैं वे कितने दृःभाहर्मी और स्वेच्छा-चारी हैं।

मनं के बारे में श्री० चौथमन्त्रजा महागज ने एक बार पूछा तो उत्तर मिया कि शंका नहीं रखना चाहिए। भला सोचिए कि पानी में भिगोने के बाद बाढाम के ऊपर कहीं छिलका कैसे रह सकता है? लेकिन ये खाने के लोन्धी जान बूझकर उलटी मान्यता करते हैं। देखिए, भिक्षुजा ने क्या कहा है—

“नवोहि पदार्थ मांहलो उंधो सरधो ज्यो एक ।
तो हि मिथ्यावी मुलगो भूला भरम अनेक ॥
दशांहि मिथ्यान्व माहिलो चाकी रहे कदा एक ।
तांहि गुणठाणो पाहिलो कहथो समजो आण विवेक ॥
नव तत्त्व ओळख्या विना पहरे साधुरो वेप ।
ममझ पडे नहीं तेहने भारि हु वै विशेष ॥
लिधि टेक छोडे नहीं कुडो करे पक्षपात ।
कु गुगंरा भरमा विया बहुला बुडा जात ॥

श्रावक० पान २८

उपर्युक्त रचना में भिक्षुजा ने कहा है कि दस बोलों में से एक भी बोल रहे तो वह मूढ़ मिथ्यात्वी है। जो साधु का वेप ले ले उस पर और भी बोल आ जाता है। बात यह है कि एक

भी बोल उलटा रहे तो उसका असर ऐसा खराब होता है कि सभी बोल उल्टे हो जाते हैं ।

नोट—तेरहपथी लोग किशमिश को सचित्त मानते हैं इसलिए गन्म पानी में से निकाली हुई लेते हैं । कई दफा इसे छोड़ भी दिया पर पीछे चालू भी कर दिया । उनका यह डोवा-डोलपना साधुत्व के अयोग्य है ।

ये लोग आमकी फोंके भी भांगते हैं । आमकी फोंक का सचित्त होना ही अधिक सम्भव है, लेकिन ये लोग कोई सकोत्र भी नहीं करते । निगीथ ३० १५ बोल ७ के अनुसार आमके टुकड़े नहीं किये जा सकते । तेरहपथियों का यह उत्तर ठीक नहीं कि कच्चे आम के टुकड़े नहीं किये जा सकते, पके के किये जा सकते हैं, क्योंकि प्रकरण देखने से मालूम होता है कि वहाँ पके आमको सचित्त बनाया है । हाँ, अचित्त आमरस का उपयोग किया जा सकता है । उसके अचित्त बनाने का उपाय यह है । पहिले आम को घास में पकाया जाय, बाद को गुठली समेत उसे मला जाय, और गुठली अलग कर दी जाय, तो आमरस प्राप्त होता है । उसके अचित्त होने की ही सम्भावना है और यदि उसमें शकर दूध पानी मिला दिया जाता है तब तो उसके अचित्त होने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता है । आम का यह उपयोग ही उचित प्रतीत होता है ।

ये तेरहपथी लोग डाल (शाखा) का पका केला भी ले लेते हैं; लेकिन यह केला सचित्त है । जो केला भट्टी में पकाया

जाना है वहाँ अचित्त है अतः उमें ही लेना चाहिए, और वह भी बिना छिलके का। बृहद० क० उ० १ सूत्र २ में 'नाल्पलम्बे भिन्ने' शब्द का अर्थ ब्राकेट में 'किया' किया जाता है परन्तु इसका शान्तविक अर्थ बालि नाड़ का फल किया है। केले के लिए तो आत्रा० श्रु० २ अ० १० उ० ८ सूत्र १२ में 'तक्ली मथ ण्वा' शब्द का प्रयोग किया गया है और नायु के लिये लेना मना किया गया है।

ये लोग खुल्लमखुल्ला केले लेते हैं और सनेर गम पानी में से निकले हुए न्य लेते हैं, छिलके सहित ही गम पानी में निकले हुए नायुत ले लेते हैं। लेकिन गम पानी में से निकालने में सनेर अचित्त नहीं होता। यह तो छिलके सहित की बात है, लेकिन छिलका सहित भी हां तब भी गम पानी में से निकालने मात्र से इम का अचित्त होना सम्भव नहीं है; क्योंकि अन्दर बाज भी होते हैं। शकर टालने में भी अचित्त होना संभव नहीं है, क्योंकि शकर का परिणमन अच्छी तरह नहीं हो पाता, वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। सनेर का गम पानी में उबाला जाय तो वह खान योग्य नहीं रहता, यद्यपि वह अचित्त हो जाता है। सनेर का यहाँ उपयोग ठीक मालूम होता है कि उसका शुद्ध रस निकाला हुआ हो और उसे गर्मी लगी हुई हो।

ये लोग खरबूजा और खीर ककड़ी पपीता आदि में शकर मिला कर लेते हैं लेकिन यह भी ठीक नहीं है क्योंकि शकर का परिणमन अंग अंग में नहीं हो पाता है।

दशवे० अ० सूत्र ७ में आव दाड़िम (अनार) के बीज लेने को अनाचार बताया है लेकिन ये लोग उसको भोग लेते हैं जो शास्त्र-विरुद्ध है ।

ये लोग बाजरे का, गेहूँ का, ज्वारी का, चने का मोरण ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि कोई कोई दाना कच्चा भी रह सकता है, इस-लिए निःशक्ति रूप से मोरण नहीं लिया जा सकता । दशवेकालिक सूत्र में शंका सहित लेना मना किया है, अतः मोरण लेना भी उचित नहीं प्रतीत होता ।

ये लोग मतीरा (तरबूज) का पानी और शक्कर डाली हुई फाँक लेते हैं । ये दोनों सचित्त हैं ।

ये तेरहपंथी लोग कहा करते हैं कि जो चीज़ उग सके वह सचित्त और जो न उग सके वह अचित्त है । लेकिन उनका यह विचार भ्रम-मूलक है । प्रश्न व्या० मृषा० अ० २ सं० २ अ० ५ में पक्के फल को लेना मना किया है, क्योंकि पका फल सचित्त होता है । तेरहपंथियों के विचार के अनुसार, क्योंकि पका फल नहीं उग सकता, वह अचित्त होता है लेकिन ऐसा नहीं है । वह अचित्त होता तो उसको लेना मना क्यों किया जाता ? और भी बहुतसी अचित्त चीज़ें उग सकती हैं अथवा उनमें से जीव उत्पन्न हो जाते हैं और बहुतसी सचित्त चीज़ें नहीं उगती हैं । अतः तेरहपंथियों का यह विचार ठीक नहीं है ।

फलों के विषय में आर्याय प्रमाण देखिए—

पाठ (१)—

से भिक्षु वा (२) जाव पविष्टे समाणे सेजं
पुण जाणेज्जा, पलं वजातं तंजहा—अं
पलं वा, आंवाडग पलं वा, ताल पलं वा,
झिझिरिपलं वा, सुरभि पलं वा, सह्य
पलं वा, अप्ण तरं वा, तहप्पगारं पलंवातं
आमगं असत्थ परिणत अफासुयं ॥

—आ० श्रु० २ अ० १० उ० ८ सूत्र ५

शब्दार्थः—ने० - वे, भि० - नाथू नाध्वी, जा० - गृहस्थके घर
में प्रवेश कर, ने० - वेजाने, प० - फल की जाति, त० - वह, ज० -
यथा, अ० - आम के फल, अ० - आवडा के फल, ता० - ताड़ के
फल, झि० - झिझिरी बेल के फल, नू० - शतद्रु फल, नू० - सल्लकि
फल, अ० - लींग, त० - इसीप्रकारके, प० - फलकी जाति, अ० -
बच्चे, अ० - अग्रस्य परिणत, अ० - अप्रामुक ॥

भावार्थ—आम के फल, आम्रदे के फल, ताड़ के फल
झिझिरी बेल के फल, शतद्रु फल, सल्लकि फल तथा अन्य किसी
भी प्रकार का फल हो जो शस्त्र द्वारा न भेदित किया हुआ
हो तो उसे अप्रामुक जान कर ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पाठ (२)—

णण्णत्थ, तक्कलि मत्थ एणवा, तक्कलिसी
मेणवा, णालिण्ण मत्थ एणवा, खज्जूर
मत्थ एणवा, ताल मत्थ एणवा, अप्ण तरंवा;

तहथगारं आमगं असत्थ परिणयं जावणो
पडिगाहेज्जा ॥१२॥

आचा० श्रु० २ अ० १० उ० ८ सू० १२

शब्दार्थ—ण० - यह विशेष केले का गर्भ, त० केले का गुच्छा,
णा० - नारियल का मस्तक, ख० - खजूर का मस्तक, ता० - ताड़
का मस्तक, अ० - और भी, त० - इसी तरह, आ० - कच्चे,
अ० - सचित्त, जा० - यावत्, णो० - नहीं ग्रहण करे ॥

भावार्थ—केला, नारियल, खजूर, ताड़ अथवा अन्य ऐसी
कच्ची वस्तुएँ जो शस्त्र द्वारा भेदित न हों, उन्हें अप्रासुक जान
कर ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पाठ(३)—

तहा कोल मणस्सिन्नं वेलुपं कासवनालियं
तिलपप्प डगं नीमं आमगं परिवज्झए ॥२१॥

दशवे० अ० ५ उ० २ सू० २१

शब्दार्थ—त० - ऐसा, को० - पक्का बोर, अ० - अग्नि में
नहीं पका हुआ, वे० - बाँस करेले, का० - श्रीफल, ना० - गोला,
ति० - तिल्ली की, प० - कच्ची पपड़ी, नी० - कन्द वृक्ष का फल,
आ० - कच्चा, प० - त्याज्य ।

भावार्थ—गुठली सहित कूटा हुआ बोरकुट, बाँस करेला,
नारियल का फल (श्रीफल), तिल्ली की पपड़ी, कन्द वृक्ष का
फल आदि सब कच्चे फल त्याज्य हैं !

और भी देखिए:—

पाठ—

उगमं मे पुच्छेजा कस्तदा केण वा कड ।

सोच्चा निस्सकिय मुद्धं, पडिगाहेजा सजए ॥५६॥

दशवे० अ० ५ उ० १ सूत्र ५६

शब्दार्थ—उ० - जाहार को उचित्त के लिए, मे० - मुने, पु० - पूछना, क० - किम के लिए, अ० - किम काम के लिए, के० - किमने आहागादिक, वा० - अथवा, ए० - किया है, मो० - मुन के, नि० - गया गहन, मु० - निर्दोष, प० - ले ले, न०—सावु ॥

भावार्थ—साधु कोई नई वस्तु देखे जिसमें अंका होना स्वाभाविक ही है तो वह पूछे कि उसे किसने बनाया है, क्यों बनाया है, आदि । ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुन कर निःशंकित हो जाय तभी उसे ग्रहण करे ।

टीका—यहाँ यह बताया गया है कि पूर्ण पूछनाछ कर के निःशंकित हो कर किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए । पूछनाछ में शब्द-जाल या मायाचारी नहीं होनी चाहिए; बल्कि पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए । मन को संतोष हो जाय तब ही निःशंकित होने में ईमानदारी ।

नोट—नेग्रहपंथी लोग गृहस्थों से सचित्त का त्याग करने के लिए कहा करते हैं । गृहस्थ लोग कहा करते हैं—‘महाराज, यह त्याग निभ नहीं सकता’ । इस पर ये लोग कहा करते हैं—जब तक महागज यहाँ बिराजमान है तब तक तो त्याग कर ही लें । इस पर वेचारे गृहस्थ कुछ दवाव की बजह से, कुछ लज्जावश, झुक जाते हैं और हर्ष वनस्पती गरम पानी में

से निकाल कर भावना भी भा देते हैं। अपने लिए प्राप्ति के ध्येय से ऐसा त्याग कराया जाता है अन्यथा महाराज के विराजने के समय तक के लिए क्यों त्याग कराने पर जोर दिया जाता है। वास्तव में यह सत्र पर्दे की आड़ में भाव-चोरी है। ऊपर से ये लोग कहा करते हैं कि 'शंका न रखो'। क्या खूब ? जो जी में आए खाओ, जो सामने आए खाओ और शंका न रखो। कितना अच्छा उपदेश है, कैसा बढ़िया समाधान है ! सच तो यह है कि ये लोग सचित्त-अचित्त का कुछ भी विचार नहीं करते हैं और जिस तरह भी हो सके उस तरह अपनी जिन्हा-लोलुपता को तृप्त करते हैं।

एक बार पूनमचन्दजी लाडनू में आचार्यजी के पास गए थे, तब उन्होंने आचार्यजी से कहा था—“महाराज ! अगर आप सतरे जाम आदि चीजे न लें तो क्या हरज है ?” उत्तर मिला—“हम तो कल्पता काम करते हैं। कन्हैयालालजी कितने ही पैम्फलेट छपा लें, भले ही तीन लाख रुपये खर्च कर दें, पर वे तेरहपंथियों का क्या विगाड सकते हैं।” ऐसे थे आचार्यजी के शब्द। देखिए, जो व्यक्ति आचार्य कहा जाता है उसमें ऐसा घमंड, ऐसा मान ? यह आचार्यत्व है या कुछ और ? सुय० प्र० श्रु० अ० १३ सूत्र १४ में कहा है कि जो प्रज्ञावान हो कर गर्व करता है वह बाल अज्ञानी है। अब पाठक गण विचार करे कि ये तेरहपंथी लोग और इनके आचार्य क्या हैं ?

अध्याय : ६

जीमण्वार

प्रश्न—तेरहपंथी कहा करते हैं कि गृहस्थ यदि एक लिस्ट (फहरिस्त) बना कर गृहस्थ लोगों को जीमण्वार का न्योता दे तो साधु को नहीं लेना चाहिए लेकिन यदि लिस्ट बना कर जीमण्वार का न्योता न दिया जाय तब साधु वहाँ से आहार ले सकता है और इस में कोई दोष नहीं है। यदि जीमण्वार के बाद मिठाई आदि बची हो तब साधु को आवश्यकता हो तो ४-५ मन तक उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या तेरहपंथियों का यह मन्तव्य ठीक है ?

उत्तर—नहीं। तेरहपंथियों ने अपनी जिम्हा-छोलुपता के कारण ऐसा विधान बनाया है। इसका आगम तथा देव से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध तो इनकी कौरी कल्पना-शक्ति से ही है जहाँ सच्चाई का नाम मात्र भी नहीं है। शास्त्रों में तो इस प्रकार जीमण्वार की मिठाई आदि का लेना बर बार मना किया है जैसा कि आगे सूत्रों के उद्धरणों से पता लगेगा।

भिक्षुजी ने भी इसका निषेध किया है। भिक्षुजी की तद्विषयक गाथा निम्न प्रकार है:—

“ जिमणवार में वहीरण जावे आसाधारी नहीं
रीत जी। वरज्यो आचारंग वृत्त कल्पने, वली
उचाराध्येन निशीथजी। सरस आहार ल्यावे भर
पात्रा ज्या लज्या छोडी ले भेखजी ॥ २० ॥

—शी० श० भा० २ ढाल १

और भी देखिए—

(१) बृहत् कल्प० उ० १ सूत्र ४६ या ४८ में जीमण में जाने के लिए मना किया है।

(२) निशी० उ० ८ सू० १५ में जीमन में जाने पर गुरु-चौमासिक दंड बताया है।

पाठ—

(३) जत्थेव सा संखडी सिया, तं जहा गामंसि
वा, णगरंसि वा, खेडंसि वा, कव्वडमि
वा, मंडवंसि वा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा,
दोण मुहंसि वा, निगमंसि वा, आसमंसि वा,
रायहाणींसि वा, सणीवेसंसि वा, संखडिं संखा-
डेयाए णो आभि संधारेज्या गमणाए, केवली
बूया आयाण मेयं ॥६॥

संखडिं संखडिं पडियाए आभिसंधारे माणे

आहा कम्मियं वा, उद्देसियं वा, मीस जाय
 वा, क्रिय गडं वा, पामिश्चं वा, अच्छेञ्जं
 वा, आणिसिद्धं वा, अभिहडं वा, आहाद्दु दिञ्ज
 माणं भुजेञ्जा असजए भिक्खु पडियाए खुड्डिय
 दुवारियाआ महल्लियाओ कुञ्जा, महल्लिय
 दुवारियाओ खुड्डियाओ कुञ्जा, समाओ सि-
 ज्जाओ विसमाओ कुञ्जा, विसमाओ सिज्जाओ
 समाओ कुञ्जा, पवायाओ सिज्जाओ णिवा-
 याओ कुञ्जा, णिवायाओ सिज्जाओ पवायाओ
 कुञ्जा, अंतो वा त्रिहि वा उवसयस्स हरियाणि
 छिंदियं छिंदियं दालिय दालिय संथारगं
 संथारेज्या एस विलुंगयामो सिज्जाय तुम्हा से
 सजए णियंठे अण्णयरं वा तहप्पगारं पुरे
 संखडि वा पच्छा संखडिं वा संखडि पडीयाए
 णो अभि सधारेञ्जा गमणाए ॥७॥

—आचा० २ श्रु० पिन्डे० अ० १० उ० २ सू० ६-७

शब्दार्थ—ज० -वहाँ, सा० - वह, म० - जीमण, सि० -
 कदाचित्त, त० - वे, ज० - यया, गा० - ग्राम में, ण० - नगर में,
 खे० - खेड़े में, क० - कवठ में, म० - मडप में, प० - पाटण में,
 अ० - आगर में, दो० - दो मुख में. णि० - निग्राम में, आ० - आश्रम
 में, रा० - राजधानी में, स० - सन्निवेप में, स० - जीमण, स० -
 जीमण लेने, णी० - नही, अ० - विचार करे, गा० - जाने का, के० -
 केवली ने फरमाया, आ० - आदान यह है ॥ ६ ॥

म० - जीमण में से, स० - जीमण, प० - लेने, अ० - जाने की इच्छा करे, अ० - आधाकर्मों, उ० - उद्दिष्ट, मी० - मिश्र, की० - मोल लिया, पा० - उधार लिया, अ० - छीन कर लिया, अ० - जवरदस्ती लिया, अ० - सन्मुख आहार दे, आ० - ऐसा, दि० - देता हुआ, भु० भोगने, अ० - गृहस्थ, भि० - साधु के, प० - लिए, खु० - छोटे, दु० - द्वार की, म० - बड़ा, कु० - करे, म० - बड़े द्वार की, खु० - छोटे, कु० - करे, स० - सम जगह को, वि० - विपम करे, वि० - विपम जगह को, स० - सम करे, प० - हवा वाली, सि० - जगह को, णि० - विना हवाकी, कु० - करे, णि० - विना हवाकी, प० - हवा की करे, अ० - अन्दर, वा० - बाहर, उ० - उपाश्रय की, ह० - हरिकाय, छि० - छेद कर, दा० - विदार विदार कर, सं० - विछोना, स० - विछावे, ए० - ऐसी तरह, वि० - दोष लगे, सि० - स्थानक के, त० - इसलिए, स० - सयति, नि० - निग्रथ, अ० - अन्य, त० - तथा प्रकार का, पु० - पहिले का, स० - जीमण, प० पीछे का, स० - जीमण, म० - जीमण के, प० - लिए, णो० - नहीं, अ० - वारि जाना ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिस-ग्राम-नगर-पुर-पाटणादि में जीमण हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि केवल-ज्ञानी ने जीमण में जाने से कर्मों का आश्रय होना कहा है ॥ ६ ॥

यदि साधु उक्त प्रकार के जीमण में जायँगे तो भाविक गृहस्थ साधु की भावनार्थ भोजन बना देंगे, आमत्रण देकर आहार देगे, अपने लिए और साधु के लिए शामिल आहार बनायँगे, भोग्य वस्तु मोल ला कर देंगे, उधार ले कर देंगे, निर्बल के पास से बलात्कार पूर्वक ले कर देंगे, गृहस्थ की अनुमति बिना उसकी चीज़ देंगे, अन्य स्थान से सन्मुख ला कर देंगे, इस तरह दिया हुआ आहार वे खायँगे, तथा वे गृहस्थ साधु के लिए

अंधेरी जगह में प्रकाश करने के लिए छोटे द्वार का बड़ा द्वार करेंगे, सम भूमि को विपम करेंगे, विपम भूमि को सम करेंगे, शीत ऋतु में ठंड का निवारण करने लिए वायु आने के मार्ग को बन्द करेंगे, उष्ण काल में वायु आने के लिए छोटे द्वार को बड़ा करेंगे, अन्दर या बाहर जो घास अंकुर आदि होगा उनका छेदन करेंगे, जो छेदन करने योग्य नहीं होंगे तो मड़ी से आच्छादित करेंगे, साधु को सोने-चैठने के लिए पाटले विडाने का काम करेंगे, ऐसे अनेक दोषों का स्थान जीमणवार को जान कर पूर्व सखडि पच्छा संखडि में साधु को कदापि नहीं जाना चाहिए ।

पाठ (४) —

से भिक्खू वा (२) अन्नतरं संखडिं वा
 सोच्चा णिसम्म संपरिहावति उस्सूय भूतेण
 अप्पाणेण 'धुवा सखडि' णो संचाएति तत्थ
 इय रेतरेहिं कुले हीं सामुदाणियं एसिय वेसिय
 पिंडवाय पडिगहीता आहारं आहारेचाए,
 माइठाणं संपासे । णो एवं करेज्जा ॥ से तत्थ
 कालेणं अणुपवि सिचा तत्थे तरे तरेहिं
 कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं
 पडिगाहिचा आहारं आहारेज्जा ॥ ३ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १० उ० ३ सू० ३

शब्दार्थ—से० - वे, भि० - साधु साध्वी, अ० - दोनो में से एक, स० - जीमण, सो० - सुनके, णि० - अवधार कर, स० - वहाँ

जाए, उ०—उत्सुक बन, अ०—स्वयं, घु०—निश्चल, स०—जीमणमें, णो०—
नहीं, स०—समर्थ, त०—वहाँ, इ०—दूसरे, कु०—कुलमें, सा०—
बहुत घरो की, ए०—निर्दोष, वे०—विशेष निर्दोष, पि०—आहारादि,
प०—ग्रहण करके, आ०—आहार, आ०—भोगे, मा०—माया, ठा०—
स्थान, स०—स्पर्श, णो०—नहीं, ए०—ऐसे, क०—करे,
से०—वे, त०—वहाँ, का०—समय पर, अ०—प्रवेग कर, त०—
वहाँ, इ०—तरह तरहके, कु०—कुल में, म०—अनेक घरो में,
ए०—निर्दोष, वे०—विशेष निर्दोष, पि०—आहार, प०—ग्रहण कर,
अ०—आहार, आ०—भोगे, ॥

भावार्थ—यदि कोई साधु साध्वी जीमण में भिक्षार्थ
जायगा तो वह फिर भिन्न कुलों में से निर्दोष आहार लाने का
परिश्रम नहीं करेगा, किन्तु वहाँ ही सदोष आहार का भोगी
होगा। ऐसे प्रमाद-वृद्धि का कारण जीमण में कदापि नहीं जाना
चाहिए; परन्तु भिक्षा के समय बहुत घरों से आधाकर्मदि दोषों
से रहित आहार ग्रहण करके भोगना चाहिए।

नोट:—उपरोक्त प्रमाणों द्वारा यह त्रिकुल स्पष्ट है कि
साधु के लिए जीमण में से आहार लेना अर्थात् वहाँ से आहार
लेना जहाँ जीमण हुआ है या होने वाला है, दोष है। इस तरह
एक ही जगह से अधिक मात्रामे आहार लेना मना किया है।
लेकिन तेरहपंथियों के मतानुसार तो ४-५ मन तक आहारादि
एक ही जगह से लिया जा सकता है। आगम में तो बहुत घरों से
थोड़ा थोड़ा आहार लेने का आदेश है (प्रश्न० व्या० २ संवरद्वार
अ० १ सूत्र १०)। सुवह ग्राम जो प्रतिक्रमण किया जाता है
उसमें 'गोयर चरियाए' द्वारा गाय सरीखी गोचरी करना बताया

नित्य-पिण्ड

प्रश्न—नित्यपिंड का सेवन दोषयुक्त है या नहीं ?

उत्तर—हाँ, दोष-युक्त है । लेकिन तेरहपंथी नित्यपिंड को लेना दोष नहीं मानते हैं और उसके समर्थन में कहते हैं कि सार्द्धशतक प्रश्न ५७ में निशी० उ० २ सू० ४६-४७ में ठहरने की जगह के स्वामी (सज्ज्ञातर) का पिंड ग्रहण करने में दंड व्रताया गया है, उ० ९ सू० १ व २ में राज-पिंड लेना और भोगना दोनों में दण्ड का विधान किया है, लेकिन निशी० उ० २ सू० ३३ में नित्यपिंड का भोगना दोषयुक्त व्रताया गया है । इस तरह सज्ज्ञातर-पिंड को ग्रहण करना और राजपिंड को ग्रहण करना और भोगना पाप है—यह स्पष्ट है, लेकिन नित्यपिंड को ग्रहण करना पाप नहीं है, उसे भोगना पाप है । यदि नित्यपिंड लेना भी पाप होता तो सज्ज्ञातर-पिंड और राज-पिंड की तरह इस को लेना भी स्पष्ट रूप से दोषयुक्त व्रताया गया होता । इस तर्क को लेकर इन तेरहपंथियों की यह मान्यता हो गई है कि नित्यपिंड न भोगा जाय तो उसे लेना दोष नहीं है ।

तेरहपंथियों का यह कथन भ्रम-मूलक है। ये लोग रोगी साधु के लिए खाने को भी लेते हैं और अन्य कामों के लिए नित्य प्रतिदिन पानी और औषधि आदि लिया करते हैं। यह शास्त्रोक्त अप्राह्य है—पाप है। उनका यह व्यवहार भिक्षुजी के कथन के भी विरुद्ध है। प्रश्न ५६ में लिखा है कि नित्यपिण्ड वस्तु अशुद्ध नहीं है, अतः विशेष कारण से उसे लेने में कोई दोष नहीं है। कोई यह कहे कि यह अनाचार है तो क्यों लेते हो ? अनाचार तो स्नान करना भी है। खैर, नित्यपिण्ड अंजन आदि कारण-वश लेना दोषयुक्त नहीं है, लेकिन रोज लेना—बिना किसी विशेष उपर्युक्त कारण के लेना—तो सर्वथा दोष-सेवन है ही।

नोट—तेरहपंथी कहा करते हैं कि नित्यपिण्ड लेना दोष नहीं है, लेकिन भोगना दोष है। उदाहरण के तौर पर हाथ-मुँह धोने, लूणे धोने, पानी-शरीर पर मलने के तेलादि-लेने आदि में कोई दोष नहीं बताते हैं। भोगने का अर्थ ये लोग गले से नाँचे उतारना समझते हैं लेकिन भोगने का अर्थ यह नहीं है। भोगने का अर्थ है काम में लेना, व्यवहार में लाना, उपयोग करना, आदि। इस तरह हाथ-मुँह धोने के लिए पानी काम में लाया जाय तो यह पानी भोगा गया, शरीर पर तेल मला जाय तो यह तेल भोगा गया। तेल तो शरीर के अन्दर भी जाता है और शरीर को पुष्ट करता है, अतः उसके लिए तो तेरहपंथियों का मान्यता के आधार पर भी भोगा जाना ही कहा जायगा। इन लोगों ने अपने को अधिक से अधिक सुविधा और आराम देने के लिए अर्थ का अनर्थ करने में कोई कसर नहीं की है और

भोगने का वे जो अर्थ करते हैं वह उसका एक बड़िया उदाहरण है ।

तेरहपथी कहते हैं कि दशवे० अ० ६ सूत्र ४९ में चार चीजों को ममत्व-भाव से लेना अप्राप्त्य कहा है, लेकिन सूत्र ५० में तीन को ही अप्राप्त्य कहा है, नित्यपिंड को छोड़ दिया है, अतः नित्यपिंड ममत्व-भाव से लेना अप्राप्त्य है, अन्यथा वह प्राप्त्य है ही । लेकिन यह उनका भ्रम है । सूत्र में जो 'नियागंग' शब्द है उसका अर्थ 'नित्य एक घर से लेना' है, और 'ममायन्ति' का अर्थ आमत्रण करने वाले के घर से ही लेना है । 'ममायन्ति' का अर्थ ममत्व-भाव नहीं है । तेरहपथी इसका यह अर्थ करके गलती करते हैं । ऐसा ही अर्थ सुप्रसिद्ध जर्मन ऐतिहासिक-विद्वान् डा० जाकोबी के शिष्य प्रो० लेमनसाहव के शिष्य ब्रोल-धर ने किया है ।

तेरहपथी लोग जगह बदल बदल कर एक ही मकान में अलग अलग क्षेत्रों में भोजन लेते हैं । भोजन एकही व्यक्ति से लेते हैं लेकिन स्थान बदल लेते हैं और वह भी एकही घर या हवेली में । एकही व्यक्ति से भोजन लेते रहना नित्यपिंड है, न कि एकही स्थान में भोजन लेते रहना । नित्यपिंड होने न होने का सम्बन्ध दातार के न बदलने बदलने से है, स्थान के न बदलने बदलने से नहीं । तेरहपथियो ने तो साधु-धर्म को तमाशा बना दिया है । जैसे एक नाटक का पात्र स्टेज पर खेल दिखाता है लेकिन परदे बदल बदल कर, तब भी वह उसी स्टेज का अभिनेता है, इसी

तर्ह ये लोग साधुत्व को रंग-मच्च बना कर उस पर स्थान-रूपी परदे तो बढलने रहते हैं लेकिन व्यक्ति रूपी स्टेज वही होता है। इस तर्ह ये साधु-धर्म का पालन क्या कर रहे हैं? एक खेल कर गक्ता है। मच्चमुच्च इनका लीलाएँ बड़ी ही विचित्र है।

इन तेरहपथियों ने यह कह कर कि 'जित व्यवहार' के अनुसार ढोप नहीं हैं, नित्यपिंड संवन करना शुरु कर दिया। भग० श० ८ उ० ८ मू० ७ में पाँच तर्ह के व्यवहारो का उल्लेख आया है। (१) आगम व्यवहार (२) मूत्र व्यवहार (आचाराग आदि) (३) आज्ञा व्यवहार (४) धारणा व्यवहार (५) जित व्यवहार। एक का विच्छेद हो तो अगले का अनुकरण करने का आदेश है। ऐसा ही विधान व्यवहार मू० उ० १० मू० ६ मे है। आगम व्यवहार का तो आजकल अभाव ही है। मूत्र व्यवहार से साधु-जीवन का संचालन होना है। जब मूत्र व्यवहार न रहे तत्र आज्ञा व्यवहार के लिए स्थान है, आज्ञा व्यवहार न रहे तत्र धारणा व्यवहार का स्थान है और जब धारणा व्यवहार न रहे तत्र जित व्यवहार को स्थान है। जित व्यवहार का अर्थ है वह व्यवहार जो ४-५ निःपक्ष व्यक्ति मिल कर जो आज्ञाएँ दे उस के अनुकूल हो, उसका उल्लघन न करे। लेकिन जब आगम व्यवहार, मूत्र व्यवहार, आज्ञा व्यवहार और धारणा व्यवहार में से कोई न हो तर्भा जित व्यवहार का अनुकरण वाजनीय है। आजकल मूत्र व्यवहार है अतः मूत्र व्यवहार का ही अनुकरण होना चाहिए। जित व्यवहार की बात मूत्रो के आदेश के विरुद्ध है। जयाचार्यजी ने भोले भाले लोगो को भ्रमजाल में डालकर,

मुलात्रे में डालकर, पथ-भ्रष्ट करने के लिए ही ऐसा लिख मारा है ।

पाठ—

“ जे नियागं ममायति कियमुदे सियाहडं ।

वहंते समणु जाणन्ति इ अवुत्त महेसिणा ॥ ४९ ॥

—दशवे० अ० ६ सू० ४९

शब्दार्थः—जे० - ये कोई द्रव्य साधु, नि० - गृहस्थ नित्य आमत्रण देता है, म० - हमारे घर से इतना आहार, आ० - लेना, कि० - (साधु निमित्त) बेचा तोले के देवे, उ० - (साधु को) रोष कर देवे, अ० - सामने ला कर देवे, व० - वध (स्थावर आदि जीव का होता है), तो०--वह द्रव्य साधु, स० - अच्छा जाने, इ०--ऐसा, वृ० - ऐसा बताया, म० - भगवान महावीर स्वामी ने ॥ ४९ ॥

भावार्थ—नित्यपिंड अर्थात् सदैव एक ही घर से भोजन लेना, निमंत्रण देने वाले के घर ही जाना, कोई साधु के लिए ही मोल ले कर दे तो उसे ग्रहण करना, कोई साधु के लिए ही बना कर दे तो उसे लेना, कोई साधु के सन्मुख ला कर दे तो ले लेना—यह अप्राह्य है, त्याज्य है, दोष-सेवन है, पाप है । ऐसे दोष-सेवी को पटकाय के वध का अनुमोदक समझना चाहिए । ऐसा महाऋषि श्री० तीर्थंकर भगवान ने कहा है ।

टीका—उपरोक्त पाठ में नित्यपिंड लेने वाले को षट-काय के वध का अनुमोदक कहा गया है । जयाचार्यजी ने भगवान जिनेन्द्र और आगम की इस आज्ञा को न मान कर जो

लिम्बा है उर्त्साको मान कर ये तेरहपयी लोग कारणवश औपधि व चारों आहार और दूसरे कामों के लिए या पचमी [म्यन्डिल-भूमि] के लिए धोवण का पानी वोग्रह लेते हैं और इस दोप-सेवन को दोप-सेवन नहीं समझते हैं। चाहे 'लेना' कहो, चाहे 'ग्रहण करना' कहो एक ही बात है, एक ही अर्थ है। यह अन्ध-जाण तो केवल भोले-भाले लोगों को फँसाने के लिए और अपना उल्टू-साधा करने के लिए बुना गया है। मूत्र में जब स्पष्ट रूप में मना है तो जिन व्यवहार आदि की दुहाई दे कर लेना सर्वथा अनुचित है, चोरी और सीनाजोरी है। मूत्रों के होने हुए जिन व्यवहार को कोई जगह नहीं, अन्यथा मूत्रों के विधान का महत्त्व ही क्या रह जायगा ? जब स्पष्ट लिखा है तब तो उसके विरुद्ध यह आचरण और बकालन है, और यदि स्पष्ट न लिखा होना तो ये लोग न जानें क्या करने ?

पाठ—

जे भिक्षुणितियं वंदेई वदंतं वा साइज्जइ ॥४८॥

जे भिक्षुणितियं पसेसई पसंसतं वा साइज्जई ॥४९॥

—निशी० उ० १३ सू० ४८-४९

भावार्थ—जो साधु सदैव एक ही घर से चार प्रकार के आहागादिक (नित्यपिण्ड) लेनेवाले की वन्दना करे, करने वाले को अच्छा जाने, (अथवा) जो साधु नित्यपिण्ड लेनेवाले की प्रशंसा करे, करनेवाले को अच्छा जाने, (उसे लघुमासिक दंड बताया है)।

नोट—उपरोक्त प्रमाण द्वारा नित्यपिंड का ग्रहण करना स्पष्ट रूप से त्याज्य एव दोष-युक्त है ।

पाठ--

सखुड्ग वियात्ताणं, वाहियाणं च जे गुणा ।
 अखण्ड फुडिया कायव्वा तं सुणेह जहा तथा ॥६॥
 दस-अट्ट य ठाणाईं जाईं वालो वरज्झई ।
 तत्थ अन्नयरे ठाणे निग्गंथ ताओ भस्सई ॥७॥
 वय छक्कं, काय छक्कं, अकप्पो गिहि भायणं ।
 पलियंक्कं निसज्जा य, सिणाणं सोभ वज्जणं ॥८॥

.—दशवे० अ० ६ मू० ६-७-८

शब्दार्थः—म० - वह, खु० - वालक द्रव्य-भाव में, वि० - युवक, वा० - वृद्ध पर्यन्त (व्याधिचाला), च० - फिर (व्याधि विना), जे० - वे, गु० - गुण (अठारह स्थानक रूप आचरण करते), अ० - देश विराधना रहित, अ० फु० - सर्व विराधना रहित, का० - रहना, त० - वे, सु० - मैं कहता हूँ ॥ ६ ॥

द० अ० - अठारह, य० - यानि, ठा० - अठारह स्थानक, जा० - वे स्थानक, वा० - वाड तत्व का अज्ञान, अ० - सेवन करे, त० - वे (अठारह महीने का), अ० - कोई भी, ठ० - एक स्थान (विराधे), नि०-साधुत्व से, भ० - भ्रष्ट होता है ॥ ७ ॥

व० - अर्हिसादिक व्रत, छ० - छह, का० - पृथ्वीकाय आदि छह काय, ख० - छह, अ० - अग्राह्य आहारादिक लेवे, गि० - गृहस्थ का, भा० - भाजन में जीमे, प० - पलग पर सोवे (अथवा) बैठे, नि० - बैठना (गृहस्थ के यहाँ), य० - फिर, मि० - स्नान करना, सो० - शोभा के लिए वाल आदि सँवारना, व०-मना किया है ॥ ८ ॥

भावार्थ—छोटी वय वाले से वृद्ध पर्यंत और सुरोगी व निरोगी को देग व सर्व विगधना रहित जो गुण है वह मैं जैसे के मैंने कहता हूँ, सो मुनिए । पूर्वोक्त गुणी साधु अवगुणों के अखण्ड न्यागी होते हैं । अवगुण के अठारह स्थानक हैं जिनसे बाल अज्ञानी अपनी आत्मा को दूषित करता है । उसमे से किसी एक स्थानक का सेवन करने वाला साधु साधुत्व से भ्रष्ट होता है ।

अब इन अठारह स्थानक के नाम बताते हैं:—

६ व्रत—(१) प्राणातिपात (२) मृषावाट (३) आडत्तादान (४) अन्नक्षर्च्य (५) परिग्रह (६) रात्रिभोजन—इनका त्याग; ६ त्यागरूप काय—(१) पृथ्वी काय (२) जल काय (३) वायु काय (४) अग्नि काय (५) वनस्पति काय (६) व्रस काय, इस तरह ये चारह हुए; अब (१३) अप्राप्त * वस्तु लेना (१४) गृहस्थ के व्रतनों में खाना (१५) पलंग पर बैठना (१६) गृहस्थ के घर बैठना (१७) छेटा-व्रत स्नान करना (१८) शोभा करना । यदि साधु इन अठारह स्थानकों में से एक की भी विराधना करे तो तीर्थंकर भगवान के कथनानुसार उसे (१) बाल (२) भ्रष्ट (३) पाँच महाव्रत का त्यागी, (४) लोभी (५) गृहस्थ सरीखा (६) महा-वीर के वचनों में विमुख और (७) साधुत्व से वंचित कहा

* दशवे० ध्रु में आगे चल के जो अर्थ किया है वह म प्रकार है.—अशुद्ध महान (संया) लेना अशुद्ध वस्त्र लेना, पात्र लेना, पित्तपिण्ड लेना, वामपत्र पर से भोजन को जाना, उद्विष्ट भोजन लेना, सन्मुख लाया भोजन लेना ।

जा सकता है। अतः साधु का कर्तव्य है कि वह ऊपर बनाए हुए अठारह दोषों से अलग रहकर अपने जीवन को आगम में बनाए हुए साधु-जीवन के अनुकूल बनाए।

भिक्षुजी का वचन

“अठारे ठाणा कहया जुवा जुवा एक विराधे कांय जी ।
 बाल कस्यो श्री० वीर जिणेंसर साधम जाणो सोय जी ॥
 साधु मत जाणो इण चल गत सुं ॥ ३ ॥
 आहार सेव्याने वस्त्र पातर असुध लिया नहीं संतोजी ।
 दशवैकालीक छटे अध्ययने भिष्ट कस्यो भगवंतो जी ॥४॥
 नित को बहिर एकण घर को, च्यारां में एक आहारोजी ।
 दशवैकालीक तिजे अध्ययने साधने कस्यो अणाचारोजी ॥१०॥
 जो लेवे नित को घोवण पाणी तिण लोण्यो सूत्र रोन्वायजी ।
 बतलाया बोल नहीं सुध दूषण देवे छिपायोजी ॥ ११ ॥
 नहीं कल्पते वस्तु बहिरें, तिण में मोटा खोटीजी ।
 आचारांग पहिले सुतखंडे कह दियो भगवंत चोरोजी ॥१२॥

टीका—भिक्षुजी ने यहाँ यह बताया है कि अठारह ठाणों में से कोई एक को भी विराधना करे तो उसे साधु नहीं मानना चाहिए। इसी तरह भिक्षुजी ने नित्यपिंड घोवण पानी लेने वालेकां चोर बताया है—भ्रष्ट बताया है। इस से यह त्रिकुल स्पष्ट है कि तेरहपणियों ने चौधे पट्टधर जयाचार्यजी के लिखे अनुसार दोष-सेवन शुरू कर दिया और वह न ध्यान दिया कि भगवान् जिनेन्द्र और आगम की प्रामाणिक आज्ञा क्या है ?

पाठ—

जं भिक्षुं णितियं पिंडं भुंजइ भुजंत वा सादइइ ॥३३॥

—निशी० उ० २ सू० ३३

शब्दार्थ—जे० - जो, नि० - माधु, णि० - नित्य, पि० - आम्ला-
दिक चार आहार, भुं० - भोगने को अच्छा जाने ॥३३॥

भावार्थ—जो माधु मंदैत्र एक ही घर के आहार पानी
आदि का सेवन करे, कर्मे को अच्छा जाने, (उसको लघु-
मासिक प्रायश्चिन का विधान है) ।

नोट—यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया
है कि नित्यपिंड का सेवन करना ठीक है और इस टांप के
लगने पर लघुनामिक प्रायश्चिन का विधान है ।

पाठ—

ते गिच्छं नाभि नंदंज्जा, संचिक्खस्त गवेसए ।

एवं सु तस्स साभणं जं न कुज्जा न कारवे ॥३३॥

—उत्त० अ० सूत्र ३३

शब्दार्थ—ते गि० - चिकित्सा की प्रशंसा करना, ना० - अनुमो-
दन नहीं करना, म० - प्रमाधि महिन रहना, व० - चारित्र्य आत्मार्थी,
ए० - यह विधि (इस प्रकार), सु० - इमलिए, त० - उन माधु को,
सा० - चारित्र्य पालना मुल्य, ज० - आत्मा द्वारा पीड़ित, न० - नहीं
करे स्वतः, न० - पर गृह्यमे भी न करावे ॥३३॥

भावार्थ—आत्मा की गवेयणा करने वाले साधु रोग-
परिग्रह को श्रेयनीय कर्म के उदय का कारण जान कर चिकित्सा

की प्रशंसा नहीं करते हैं। इस तरह जो चिकित्सा नहीं करते हैं, अन्य से नहीं कराते हैं और करने वाले को अच्छा नहीं जानते हैं, उनमें ही सच्चा साधुत्व है।

पाठ—

“ उदेसिय कियगडं नियागं न मुच्चई किं
अणेसणिज्जं । अग्गी विवा सच्च भक्खी
भावन्ता, इत्तो चुए गुच्छइ कद्दुपावं ॥४७॥

उत्त० अ० २० सूत्र ४७

शब्दार्थ—उ० - आघाकर्मि आहार स्थानक उद्दिष्ट भांगे, कि० - मोल का लाया लेवे, नि० - नित्यपिंड चारो आहार लेवे, न० - नहीं, मु० - छोड़े, कि० - किंचित मात्र, अ० - दोष सहित, अ० - अग्नि, वि० - तरह, स० - सब, भ० - भक्षी, भ० - होता है, इ० - यहाँ से, चु० - मरके दुर्गति में, गु० - जाता है, क० - करके, प० - पाप कर्म ॥

भावार्थ—जिस प्रकार अग्नि सर्वभक्षी है, उसी प्रकार जो साधु भी सर्वभक्षी है अर्थात् जो साधु के उद्देश्य से बनाया गया आहार [उद्दिष्ट आहार], मोल लाया हुआ आहार, तथा नित्यपिंड इत्यादि दोषयुक्त आहारादिक को न छोड़े, बल्कि उनका भी भक्षण कर जाय वह महा पाप-कर्म का उपार्जन करने वाला है और वह दुर्गति में जाता है।

नोट—देखिए, यहाँ नित्यविण्ड को उद्विष्ट आहार सगीर्वी
 त्याज्य और दोषयुक्त वस्तु बताया है। जो लोग नित्यविण्ड हड़प
 जाने के आदी हैं वे उपर्युक्त प्रमाण द्वारा पापी हैं और दुर्गति में
 जाने का नय्यारी करनेवाले अभाग हैं। क्या तेहपंथी अपनी भूल
 सुधारेंगे !



अध्याय : ८

फांकी

प्रश्न—तेरहपंथी लोग एक, दो या तीन दिन का साधु की भावनार्थ रखा हुआ पानी छेते हैं और उसमें कोई दोष नहीं समझते हैं। क्या उनका यह व्यवहार ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि यह दोष-सेवन है। दोष को दोष भले ही न समझा जाय लेकिन दोष तो दोष ही है।

भिक्षुजी ने बताया है कि आसणादिक चार आहार रखने से कर्म-बंधन होता है। दशवे० अ० १० सू० ८ में आसणादिक चार आहार का सचय करनेवाले को और करते को अच्छा न जानने वाले को साधु बताया है। निशी० उ० ४ सूत्र २४ में यह उल्लेख है कि यदि साधु के देने योग्य वस्तु गृहस्थ द्वारा स्थापित करके रखी हो तो उस घर में बिना पूछ-ताछ या गवेषणा किए आहारादिक के लिए जाय, जाते को अच्छा जाने तो उसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है। सुबह शाम प्रतिक्रमण में बोल्य जाता है कि रात्रि के समय आसणादिक चारों आहार और कणमात्र भी स्निग्ध पदार्थ रखे, रखाये, रखते को अच्छा जाने तो मिच्छामिदु-

कण्डं देते है । देखिए, कितना स्पष्ट वर्णन है । आगे पानी का वर्णन देते है ।

याठ—

तहे बुच्चावायं पाणं अटुवा वार धोवणं ।

संसे इमं चाउलोगदं अहुणा-धोयं विवज्जए ॥७५॥

जं जाणेज्ज चिराधोयं मईए दसणेणवा ।

पडि पुच्छिऊण सोच्चावा, जंच निस्संकिंयं भवे ॥७६॥

—दशवे० अ० ५ उ० १ सू० ७५-७६

भावार्थ—ऊँचा सुगंधमय पानी, द्राक्षादिक का धोवण, और अवच जिसमें अच्छी सुगंध नहीं है वैसा काँजी का धोवण, गुड की हँडियों को धोकर निकाला हुआ धोवण, काय-रोट का धोवण, चावल का धोवण और चौबीस प्रकार के धान्य का धोवण इत्यादि तत्काल (एक मुहूर्त के पहिले) बने हुए हो तो ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्योंकि एक मुहूर्त तक धोवण मिश्र रहता है और अधिक समय तक रखा रहने से वह अचित्त बन जाता है ॥ ७५ ॥

पूर्वोक्त प्रकार के किसी भी धोवण को बने हुए बहुत देर हो गई है ऐसा उसके रंग आदि के बदल जाने से अपनी बुद्धि से जानना चाहिए और दृष्टि से देखना चाहिए और पृष्ठ कर शंकारहित हो जाना चाहिए अर्थात् यह निश्चय हो जाना चाहिए कि अच्छी तरह शस्त्र-परिगमन द्वारा वह अचित्त बन गया है और तब उसे ग्रहण करना चाहिए । यदि ग्रहण

करने समय ऐसा विचार हो जाय, ऐसी शका उत्पन्न हो जाय, कि यह धोवण ग्राह्य है या नहीं, तो उसे चाहिए कि गृहस्थ से थोड़ासा धोवण अपने हाथ का हथेली पर लेकर उसे चख ले और देखे कि वह ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं ? ॥७६॥

नोट—ग्रहण करते समय निःशक्ति होना जरूरी है । मन में किसी भी तरह की किसी अन्न तक भी शंका हो तो ग्राह्य वस्तु भी ग्रहण करना दोष-सेवन है । अपनी तरफ से पूरी सतर्कता रखते हुए पूरी छानबीन के बाद जब मन में कोई शका न रह जाय तभी ग्रहण करना उचित है । निःशक्ति होने का यह अर्थ नहीं है कि शका का कारण होते हुए भी शका न करना । यह तो एक प्रकार की आत्मवचना है, पाप है ।

पाठ—

चउत्थ भतियस्सणं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइ
पडिगाहिचाए तं० उस्सेइ मे संभेइ मे चावल धोवणे ।
छट्ठ भतियस्सणं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं
पडिगाहिचाए तजहा-तिलोदए, तुसोदए जवोदए ।
अट्ठम भतियस्सणं भिक्खुस्स कप्पंति तओ पाणगाइं
पडिगाहिचाए त जहा आयामए सोवीरए—सुद्ध
वियडे ॥ १६ ॥

—ठा० अ० ३ उ० ३ सूत्र १६

शब्दार्थ—च० - चौथभक्त, भि० - साधु को, क० - ग्राह्य है (तीन), प० - पानी, प० - लेने को, उ० - जीसमान, स० - सस्वेदिम,

च० - चावलो का पानी, छ० - छट भक्ति वाले, मि० - साधु को, क० - ग्राह्य है (तीन), त० - तीन तरह के पानी, प० - लेने को, ति० - निल का धोवण, तु० - तुस का धोवण, ज० - जौ का धोवण, अ० - अष्ट भक्ति वाले को, मि० - साधु को, क० - ग्राह्य है, त० - तीन तरह का पानी, पा० - लेने को, आ० - आछ, सो० - आटे का धोवण, सु० - शुद्ध गरम पानी ॥

भावार्थ—चौथभक्त (दो उपवास करने वाले) साधु को तीन प्रकार का पानी ग्रहण करना चाहिए—(१) ग्रीही जैसी वस्तुओं का धोवण (२) शाकभाजी उत्राल कर जो पानी निकले वह धोवण और (३) चावलों का धोवण । पट-भक्त (दो उपवास करनेवाले) साधु को भी तीन प्रकार का पानी ग्राह्य है—(१) निल का धोवण (२) तुस का धोवण और (३) जौ का धोवण । अष्टभक्त (तीन उपवास करने वाले) साधु को भी तीन प्रकार का ही धोवण ग्राह्य है—(१) झाछ (मट्टा) की आछ (२) कांजी का पाणी और (३) उष्ण जल ॥

टीका—यहाँ यदि उपवास ब्रेला-तेला की तपस्या में भी (१) ग्रीही भाजी का उत्राला पानी (२) चावल का धोवण, (३) निल का धोवण (४) आटे के भूसा का धोवण (५) जौ का धोवण, (६) झाछ की आछ (७) कांजी का पानी और (८) उष्ण जल का सेवन करे तो ग्राह्य है । उक्त प्रकार के पानी लेने से तपस्या का भंग नहीं होता । इससे यह स्पष्ट है कि तीक्ष्ण शस्त्र के परिगमन के बिना साधु को पानी नहीं लेना चाहिए; क्योंकि वही पानी पूर्णतः अचित्त होता है जिसमें तीक्ष्ण शस्त्र का परिगमन कर दिया जाता है ।

दशवे० अ० ८ सूत्र ६ मे गरम पानी लेने का आदेश है।

पाठ—

(१) उस्से इम वा (२) सांमइम वा (३) चात्रलोदंगं वा
[आचा० २ श्रु० अ० १० पिंढे उ० ७ सू० ९]

(४) तिलोदंगं वा (५) तुसोदंगं वा (६)
जवोदंगं वा (७) आयाम वा (८) सोविरं वा
(९) मुद्ध वियड वा ॥

[आचा० २ श्रु० अ० १० उ० ७ सूत्र १०]

(१०) अंत्र पाणगं वा (११) अवा डग पाणग वा
(१२) कविट्ट पाणग वा (१३) मातुलिंगं
पाणग वा (१४) मुद्धिया पाणग वा (१५)
दालीव पाणगं वा (१६) खज्जुर पाणग वा
(१७) णलिए पाणग वा (१८) करीर पाणग वा
(१९) कौल पाणगं वा (२०) अमलग पाण
(२१) चिंचपाणगं वा ॥

अणतर वा तहप्पगार पाणं गजात सं अट्टिय
सकणुय सवियग असजए भिक्खु पडियाए
छव्वेण वा सेणवा, बाल गेणवा आविलियाण
पवीलियाण, परिसाइयाण आहदुदलएज्जा,
तहप्पगार पाणं गजात अफासुय लाभे सते णो
पडिगाहेज्जा ॥ १ ॥

[आचा० २ श्रु० पिंढ० अ० १० उ० ८ सूत्र १]

शब्दार्थ—(१) आटा का घोया हुआ पानी (२) टोकले का पानी, (३) चावलों का घोया हुआ, (४) तिल्ली का घोया [ओसपान का], (५) तुस का घोया, (६) जी का घोया, (७) ओसमान का, (८) छाछ की भाछ, (९) उष्ण जल, (१०) आम का घोया, (११) अम्बाड़ी का घोया, (१२) कबूट का घोया, (१३) बिजौरे का, (१४) द्राक्ष का, (१५) अनार का, (१६) खजूर का, (१७) नारियल का घोया हुआ, (१८) कैर का, (१९) बोरकुट का, (२०) ओबले का, (२१) डमली का ॥

अ० - ओर में, त० - वैसा, पा० - पानी, म० - गुठली महित, स० - छाल महित, म० - बीज महित, अ० - गृहस्थ, मि० - साधु के लिए, छ० - छवटी में, दु० - वन में, वा० - चल्नी में, आ० - छान कर, प० - विगंध छानकर, य० - शुद्ध कर के, अ० - ऐसा, द० - देवे वैसा, पा० - पानी, अ० - मदोष, ल० - मिले तो, न० - न लेवे ॥

भावार्थ—उपरोक्त २१ प्रकार का पानी आचाराग मूत्र में बनाया गया है । अन्य इसी तरह का पानी हो और उसमें गुठली, छाल या बीज रह गया हो और गृहस्थ साधु के लिए वस्त्र या चल्नी से छान कर दे तो साधु को उस जल को अप्राप्तुक समझ कर ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

दशवे अ० ५ उ० २ मूत्र २२ में तीन बार उवाले हुए पानी को लेने का आदेश है, लेकिन तेरहपयी लोग तो मामूली पानी ही लेने हैं जो शास्त्र-विरुद्ध है ।

ये लोग २-३ दिन तक का रखा हुआ अचित्त पानी भी ले लेते हैं परन्तु पानी की तीन योनियाँ बताई हैं—(१) सचित्त (२) मिश्र (३) अचित्त । कृत्वि कृत्वि ४ पहर अर्थात् १२ घंटे के बाद तक रखा हुआ हो तो अचित्त पानी के सचित्त होने की

तथा उत्तमं त्रस जीवों के उत्पन्न होने का संभावना है, अतः वह पानी मचित्त या मिश्र होना चाहिए, केवल वे लोग उसे लेने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं ।

पाठ—

जे भिक्खु उस्सयमं वा, संसेयमंवा, चा उलोदगंवा,
वगेदगंवा, तिलोदगंवा, तुसादेगंवा, जो वोदगंवा,
भूमोदगंवा, आयामंवा, सोवगंवा, अंबकंजितं वा, सुद्ध
विचडंवा, आह्वणो घोयं अलं विलं अपाणितं अविघत्थं
अवकतं जाव पडिगाहेति पडिग्ग हंता सार्वज्जइ ॥१३८॥

—निशी० ठ० १७ सूत्र १३८

भावार्थ—जो माद्यु [१] आममान का पानी [२] ऋतनी
आदि का वोग [३] चावणे का वोग [४] गुड आदि के
व्रतनों का वोग [५] निलों का वोग [६] तुमा का वोग
[७] जौ का वोग [८] मूमा का वोग [९] लोहा गम कक्रे
जिम पानी में उसे बुझाया हो वह पानी [१०] छाल जो आल
[११] चंजी आन्ध (आन) का शुद्ध अचित्त पानी [१२] नक्काल
का (जिसे वनाए डूए पत्र मुहूर्त का समय न हुआ हो) पानी
जिमके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, जिम्में अन्य
शब्द का परिगमन न हुआ हो, जो जीवों के प्रदेशों से रहित नहीं
हुआ हो, जो जीव से पृथक् न हुआ हो, उसे ग्रहण कर, ग्रहण
करते को अच्छा जानें, (उसे लघु चैनामिक प्रायश्चित्त करना
चाहिए) ॥१३८॥

नोट—यहाँ उपरोक्त प्रकार का तीक्ष्ण शस्त्र का धोवण पानी लेना बताया गया है। शास्त्रों का यही विधान है। वर्ण, रस गंध, आदि में कोई परिवर्तन न हुआ हो अर्थात् जिसमें किसी अन्य शस्त्र का परिगमन न हुआ हो, या जिसकी सात्विकता के विषय में शका हो तो वह जल नहीं लेना चाहिए; यदि कोई ले तो यह दोष-सेवन है और अपराध है, जिसके प्रतिकार के लिए दूध का विधान है। कहीं भी शास्त्र में राख का पानी या राख के शस्त्र का धोवण पानी लेने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। वागीस सम्प्रदाय के साधु व्रतनों का धोया हुआ पानी अचित्त समझ कर लेते हैं और तेरहपंथी साधु उसी नकल को ले कर राख का धुला हुआ पानी लिया करते हैं।

पहिली बात तो यह है कि राख शस्त्र ही नहीं है, उससे जल का जीव-रहित होना ग़लत बात है। जिस तरह मिट्टी पानी में डाल दी जाय, तो उससे जल अचित्त नहीं हो जायगा, इसी तरह राख डालने से भी जल अचित्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि राख पानी में धुलती नहीं है। पानी में राख डाल कर जब पानी को हिलते हैं, तो राख के कण पानी में बिखर जाते हैं और पानी काला मालूम होने लगता है। लेकिन कुछ समय तक पानी को न हिलाया जाय और उसे रख दिया जाय, तो हम देखेंगे कि राख पानी के नीचे बैठ जायगी और साफ़ पानी ऊपर रह जायगा। कोई यह कह सकता है कि वह पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, बल्कि उसमें राख का कुछ

अंश घुल जाता है, लेकिन यह भी गलत है। हम खुर्दबीन से देखें, तो हम उस पानी में राख के बहुत सूक्ष्म कणों को, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते थे, घूमते हुए पायेंगे। यदि हम उस जल को फिल्टर पेपर से छानें तो हम देखेंगे कि विलकुल शुद्ध और साफ पानी छनकर नीचे आ जायगा और राख के कण पेपर पर जम जायेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि उस पानी में भी राख नहीं घुली है। राख तो एक तरह का कार्बन है। जब राख पानी में घुलनशील नहीं है तब यदि हम उसे ग़लत भी मान लें तो उसका परिगमन भी क्या और कैसा हुआ ? इस तरह राख का पानी अचित्त नहीं है। कहीं तो शास्त्रों में तीक्ष्ण शस्त्र के परिगमन का आदेश और कहीं राख जैसी चीज का प्रयोग, जिसके तीक्ष्ण शस्त्र तो क्या साधारण गस्त्र होने में भी संदेह है और जो पानी में घुलनशील तक नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि तेरहपंथियों की यह राख का पानी लेने की क्रिया भी शास्त्र-विरुद्ध है, दोषयुक्त है।

तेरहपंथी साधुओं को रग बदला हुआ पानी मिले तो यह कह कर कि 'इच्छा नहीं है' उसे कम ही लेते हैं। यह देखा गया है कि पानी पीने वाली केवल एक वाई है मगर वह एक या दो घडा राख का पानी बना लेती है और अगर पहिले दिन का बचा होता है तब भी दूसरे दिन पॉतरा कर के बना लेती है। तेरहपंथी इस बात को जानते हैं, लेकिन यह जान-बूझ कर भी वे वाई से पूछते हैं 'वाई! यह पानी साधुओं के लिए तो नहीं है?' वाई ने साधु के लिए ही बनाया है लेकिन वह बोलती है—

‘ नहीं ’ । फिर साधु पूछता है, ‘ बाई, पानी कितना लेना ? ’ । बाई कहती है, ‘ महाराज, आज मेरा चौबियार उपवास है इसलिए मुझे तो चाहिए नहीं, आप लीजिए ’ । तीवियार उपवास वाली कहा करती है कि मुझे तो दो-तीन लोटे चाहिए, आप सब लीजिए । इस पर साधुजी (!) २-४ लोटे छोड़ कर सब ले लेते हैं । इस तरह ये लोग दोगयुक्त पदार्थ लेते हैं । क्या वे यह नहीं जानते कि इस एक बाई के लिए यह एक दो घड़ा पानी कैसा और वह भी उपवास में ? वे समझते हैं कि यह पानी उनके लिए बनाया गया है लेकिन वे अपने आप को जान-बूझ कर ठगते हैं और साधुजी अपने को ठगने में सफल हो जायँ इसलिए बाई बेचारी झूठ बोलती है । इस तरह ये साधु लोग स्वयं पाप करने हैं और अपने लिए दूसरे से पाप कराते हैं । इस तरह मायाचारी और भावचोरी का बाजार इस साधु-संस्थामें खूब गर्म है । भला ऐसी निकट जगह कहीं साधुत्व जैसी पवित्र और महान चीज ठहर सकती है ? कदापि नहीं ।



अध्याय : ९

भोगों का त्याग



रहपंथी लोग कहा करते हैं कि हमको जो मिलता है, उसे हम भोगते हैं, अतः इसमें हमारा क्या अपराध है, इसमें क्या पाप है ?

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इन्हें रसयुक्त आहार, मिठाइयाँ, फल आदि न मिलते बल्कि रूखा-सूखा भोजन ही मिलता तो ये रस-त्यागी होते। त्याग की यह कैसी विडम्बना है ? कोई चीज़ न मिले तो यह उसका त्याग नहीं है, बल्कि त्याग वही है, जहाँ यदि चीज़ मिले तब भी उसे ग्रहण न किया जाय। मिलती हुई चीज़ को न लेने में त्याग है। चीज़ न मिले तो उसे लेने या न लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। त्याग का सम्बन्ध मिलने या न मिलने से नहीं है बल्कि मिलनेपर लेने या न लेने से है। इसलिए यह तेरहपंथियों का शब्द-जाल है। सच्ची बात यह है कि त्याग का इनमें नाम ही नाम है। दम्भ, लोलुपता, कषाय

आदि सभी दुर्वासनाएँ इनमें भरी हुई हैं, तो फिर त्याग हो भी कहाँ से ? त्याग आसमान से थोड़े ही टपकता है, उसका सम्बन्ध तो आत्मा से है, वह तो अन्दर की चीज़ है ।

कहने और सुनने में तो तेरहपंथियों की बात बड़ी मज़ेदार है लेकिन वह मज़ेदार इसलिए नहीं कि वह उचित और सत्य है, बल्कि इसलिए है कि वह एक ग़लत चीज़ की बढ़िया बकालत है । लेकिन असत्य पर बकालत भी कबतक खड़ी हो सकती है ? सत्य की एक टक्कर लगते ही वह भड़भड़ा कर गिर पड़ती है । इस तरह इन तेरहपंथी लोगों की अपनी भोगलिप्सा की यह बकालत भी सत्य के आगे नहीं ठहर सकती है ।

तेरहपंथियों की इस बकालत के उत्तर में हम यहाँ कुछ प्रमाण पेश करते हैं:—

(१) सुय० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र० ३२ में लिखा है कि प्राप्त काम-भोगों को साधु न भोगे वह विवेकी है, ऐसा श्री० तीर्थंकर देव ने कहा है ।

(२) दशवे० अ० २ सू० ३ में बताया है कि जो मिलते हुए भोगों को छोड़े वही त्यागी है ।

(३) उक्त० अ० १५ सूत्र २ में यह उल्लेख है कि जो राग-द्वेष-रहित है, प्रज्ञावान है और मूर्च्छा-रहित है वही साधु है ।

(४) आचा० प्र० श्रु० अ० २ उ० ६ सूत्र ७ में कहा है कि सत्र गब्द आदि काम-भोगों की प्राप्ति होवे तो उसमें खुश न होने

वाला और समय को अगीकार करके शरीर को निर्बल करने वाला, हलका व रूखा-मूखा भोजन करने वाला, वीर पुरुष है ।

पाठ—

लद्धे कामे ण पत्थेज्जा विवेगेएव माहिए ॥

—सुय० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र ३२

शब्दार्थ—ल० - प्राप्त हुए, का० - काम भोगो को, ण० - नही, प० - इच्छा करे, वि० - विवेकी, ए० - ऐसा, आ० - कहा ॥

भावार्थ—जो साधु प्राप्त काम-भोगों को नहीं भोगने वे ही विवेकी हैं ।

पाठ—

जे य कन्ते पिए भोए लद्धे विप्पिद्धि कुव्वई ।

साहीणे चयइ भोए से हु “चाइ” त्ति वुच्चई ॥३॥

—दशवे० अ० २ सूत्र ३

शब्दार्थ—जे० - ये कोई, य० - फिर, क० - शोभायमान, पि० - प्रियकारी, भो० - शब्दादि भोग, ल० - मिले, वि० - विशेष प्रकारसे, शुभ भावना करके, पि०-छोड़ना, कु०-करे, सा० - स्वाधीन, च० - उसको छोड़े, भो० - शब्दादि कामभोगोंको, से० - वह पुरुष, हु० - निश्चय, चा० - त्यागी, त्ति० - फिर, वु० - कहा है ॥३॥

भावार्थ—जो कांत व इष्ट शब्दादि विषय के प्राप्त होने पर भी अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं के साथ स्वाधीन काम-भोगों का त्याग करते हैं, वे ही त्यागी कहलाते हैं ।

नोटः—ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिलती हुई चीज़ को या उस चीज़ को जो प्राप्त की जा सकती है, छोड़ना ही त्याग है। नेरहपंथियो को बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिलते हैं और वे खा लेते हैं—इससे ही वे जिह्वा-इन्द्रिय के स्वामी नहीं कहे जा सकते। यदि यही होता कि उन्हें जो मिलता है वही वे सनोप के साथ खा लें हैं तब भी कुछ ठीक होना। लेकिन वहाँ तो यह भी नहीं है। मायाचार, भावचोरी और कपट द्वारा नीरस भोजन न लेने और अधिक-से-अधिक रसयुक्त भोजन मिलने की ओर उनकी प्रवृत्ति और प्रयत्न-शान्ति रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि इन लोगों में न संयम है, न इन्द्रिय-निरोध। सचमुच ये बेचारे तो भोग-लिप्सा के बड़े ही दयनीय शिकार हैं। भगवान इन्हें सुबुद्धि दे!



आचार-अन्याचार



रहपंथी साधु कहा करते हैं कि हम जो कुछ पालते हैं वह आचार है, अर्थात् हम तो वही काम करते हैं जो धर्मानुकूल है। उनका यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है, बल्कि इस से तो उनकी भयंकर स्थिति

का ही पता लगता है। दुनिया में दो तरह के पापी हुआ करते हैं। एक तो वे जो पाप-कार्य को अपनी बुद्धि द्वारा बुरा काम मानते हैं लेकिन जो अपने मनके इतने गुलाम हैं अर्थात् जो इतने असंयमी हैं कि उसे बुरा समझ कर भी करते हैं। दूसरे वे जो पाप-कार्य करते हैं और उसे अच्छा काम समझते हैं। इन दो तरह के पापियों में दूसरी प्रकार के पापी अधिक दयनीय होते हैं; क्योंकि वे पाप को पाप न मान कर पाप करते हैं। उनकी अवस्था तो एक ऐसे ही रोगी की अवस्था से मिलती है जो बीमार है लेकिन अपनी बीमारी को बीमारी न समझ कर उसका इलाज नहीं करता है। स्पष्ट है कि ऐसे रोगी का रोग

बढ़ता ही जायगा, और अन्त में वह उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा। वह रोगी जो अपने रोग को रोग समझता है, उसका इलाज करेगा, परहेज रखेगा, कम-से-कम इलाज का ध्यान रखेगा और धीरे धीरे इस ओर बढ़ेगा भी। ठीक इसी तरह जो पापी अपने पाप-कार्य को बुरा समझता है, वह उसे न करने की कोशिश करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पूर्ण या किसी अंश तक वह उसमें सफल भी होगा। वह सफल हो या न हो लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि उसके सफल होने की संभावना है। पहिले प्रकार के पापी में विवेक तो होता है पर सयम नहीं होता, जब कि दूसरी तरह के पापी में न विवेक होता है, न सयम। ये ब्रेचारे तेरहपंथी साधु, वेपधारी असाधु, ऐसे ही हैं कि जिन में न विवेक है और न संयम है। ऐसे लोगों के हित का सम्भावना कम होती है। यदि अभव्य नहीं तो दूर-भव्य ऐसे ही ब्रेचारे दयनीय प्राणियों के लिए कहा गया है।

ये लोग अपने को सदाचारी कह कर अपने मुँह-मियाँ-मिट्टू तो बन जाते हैं अर्थात् अपने को तो ये लोग प्रसन्न कर लेते हैं लेकिन सत्य को प्रसन्न नहीं कर पाते। ये लोग दुनिया को ठगने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद ही ठगे जाते हैं। बात यह है कि आचार-अनाचार किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होता है, वह तो इस तान पर निर्भर होता है कि वह देव और आगम का आज्ञा तथा स्वहित और परहित के नियमों के कहाँ तक अनुकूल है। किसी कार्य में जितनी प्रतिकूलता होगी उनसे ही

अंग में वह पाप होगा। अतः किसी भी कार्य को पुण्य या पाप, आचार या अनाचार, कहने के लिए उस कार्य को हमें इसी कसौटी पर कसना चाहिए, न कि इस कसौटी पर कि यह कार्य किस व्यक्ति ने किया है अर्थात् ऐसा कार्य करने के लिए किस व्यक्ति ने कहा है। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति सदाचार, अनाचार, दुर्गुण आदि का ठेकेदार नहीं है। एक भले आदमी से बुरा काम जान-बूझ कर या अनजान में हो सकता है और एक बुरे आदमी से अच्छा काम भी हो सकता है; अतः किसी भी व्यक्ति को लेकर हमें किसी कार्य का निर्णय न करना चाहिए, बल्कि उस कार्य को स्वतन्त्र रूप से परीक्षा करना चाहिए और व्यक्ति की परीक्षा उस के कार्यों में करना चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए कि कार्य की अच्छाई या बुराई व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अच्छाई बुराई उस के कार्यों पर निर्भर है। तेरहपंथियों की परीक्षा उनके कार्यों से की जाय तो हम उन्हें सदाचार से बहुत दूर पाते हैं। हम तो उनके कार्यों की ही परीक्षा करेंगे और तब उनके विषय में निर्णय करेंगे। वे सदाचार के ठेकेदार तो हैं नहीं, कोई भी नहीं है, अतः उनके कार्य को सदाचारमय केवल इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि वह 'उन' का कार्य है।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

णियट्ट माणा वेगे आयार गोयर माइक्खंति ॥ ४ ॥

णाणा भट्टा दंसण लूसीणो, णम माणा एगे जीवितं
विप्परिणा मंति ॥ ५ ॥

—आचा० प्र० श्रु० अ० ६ उ० ४ सूत्र ४ व ५

शब्दार्थः—णि० -- नयम को छोड़, वे० -- कितने ही, आ०--
आचार गोचार, मा० -- कहते हैं ॥ ४ ॥

पा० -- ज्ञान में भ्रष्ट, द० -- दमन - नाशक, ण० -- न हुए,
ए० -- कितने, जी० -- जीविकी, वि० -- विपरीत करते हैं । ॥ ५ ॥

भावार्थ—कुछ लोग शुद्ध संयम को मानते हैं, समझते हैं;
लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते हैं । ऐसे लोग दो तरह की
मूर्खनाएँ नहीं करते ॥४ ॥

कुछ लोग स्वयं भ्रष्ट होने हुए भी कहते हैं कि हम जो
पालने हैं, वही सदाचार है । वे ज्ञानदर्शन से भ्रष्ट हैं और संयम-
धर्म में दूर हैं, भले ही वे आचार्यादिक को नमस्कार करें ।

नोटः—उक्त प्रमाण के आधार पर हम बिना किसी प्रति-
वाद के भय के कह सकते हैं कि ये तेरहपंथी साधु (?) ज्ञान-
दर्शन से भी भ्रष्ट हैं और संयम-धर्म से भी दूर हैं ।



अध्याय : ११

दान और प्रशंसा

प्रश्न—तेरहपंथी साधु सामने या पीछे दान की और दातार गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं। यह दोष है या नहीं ?

उत्तर—यह दोष है। प्रमाण देखिए—

(१) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २४ में लिखा है कि जो साधु रस-लोलुपी बन कर स्वादुक कुल में गोचरी करता है और दूसरों से इसकी प्रशंसा करता है वह शत प्रतिशत साधुत्व से दूर है।

(२) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २५ में यह उल्लेख है कि जो अपना घर त्याग कर दूसरों के भोजन में गृह-दृष्टि रख कर उदर-पोषण करता है और इसके लिए गृहस्थ की प्रशंसा करता है वह कुशील का सेवन करने वाला अनन्त काल तक जन्म-मरण करता है।

(३) निशा० उ० २ सूत्र ३८ * में बताया गया है कि दान देने से पहिले या बाद को दातार की प्रशंसा करना, करने को अच्छा जानना योग्य है और उसके विष्णु, लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है ।

और भी देखिए:—

पाठ—

णिक्त्वम दीणे पर भोयणंमि मुहमंगलीए उदराणू गिद्धे ॥
निवार गिद्धे व महावरा हे, अद्रूरए एहइ घातमेव ॥ २५ ॥

—मुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २५

भावार्थ—जो लोग अपने गृह-कुटुंब को छोड़ कर दूसरों के घरों के भोजन में गृह बनते हैं और उदर-पोषण के लिए गृहस्थ की प्रशंसा करते हैं वे उम मुअर [शूकर] की तरह अपना सर्वनाश करते हैं जो चावल के दाने में गृह-दृष्टि रखता हुआ [शिकारी के जाल में फँस जाने या शिकारी के प्रहार से] बिनाश को प्राप्त होता है । ऐसे कुशल का सेवन करने वाले अनन्त काल तक जन्म-मरण धारण करते हैं ।

नोट—पहिले बताया जा चुका है कि ये तेरहपंथी लोग उन गृहस्थों की जिनके द्वारा उन्हें स्वादिष्ट और रसयुक्त भोजनों

* जे भिक्षु पुरे संघववा पच्छा संघवं वा,
करेई करंतं वा साहिज्जई ॥ ३८ ॥

की प्राप्ति होती है, खूब प्रशंसा करते हैं। जो सेवा-सुश्रूषा करता है उसकी तारीफ़ भी ये लोग खूब करते हैं। इस तरह इन लोगों के लिए दान और दातार की प्रशंसा करना एक साधारण बात है; अतः वे आगम-प्रमाण के अनुसार कुशील का सेवन करने वाले हैं और निश्चय ही इन लोगों को अनन्त काल तक इस ससाररूपी भवसागर में परिभ्रमण करते हुए दुख उठाना पड़ेगा।



अज्ञात कुल में गोचरी



परिचित कुल की गोचरी का शास्त्रों में विधान है, क्योंकि इस से उद्विष्ट-भोजन-त्याग के पालन में सुभीता होता है और दोष लगने की बहुत कम सम्भावना रहती है; लेकिन तेरहपर्या अपरिचित कुल की गोचरी नाम मात्र को ही करते हैं। वे तो विशेष रसयुक्त भोजन करने वाले खादुक कुलों से ही आहार प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय तो माल उड़ाना ही होता है और माल ऐसे ही कुलों की गोचरी में मिल सकता है, अपरिचित कुल की गोचरी से माल मिलने की कम ही सम्भावना है।

अज्ञात कुल की गोचरी की सात्विकता के विषय में प्रमाण देखिए—

[१] सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सू० २७ में बताया है कि अज्ञात कुल से प्राप्त नीरस भोजन और पानी से संयम का पालन करना चाहिए।

[२] दशवे० अ० १० सूत्र १६ में कहा है कि वस्त्र-पात्र प्रमुख उपद्रि में मूर्च्छा-रहित अज्ञात कुल में थोड़ा थोड़ा लेने वाला सर्व-द्रव्य-भाव से सगति-रहित होता है और वही भिक्षु है ।

[३] दशवे० अ० १० सूत्र १७ में उसे साधु बताया गया है जो लोलुपता-रहित है, अपरिचित कुल में गोचरी करता है, पूजा-सत्कार का त्यागी है, माया-कपट-रहित है ।

[४] दशवे० अ० ९ उ० ३ सूत्र ४ में यह विधान है कि अज्ञात कुल में थोड़ी थोड़ी गोचरी करनी चाहिए और दातार की प्रशंसा या निंदा नहीं करना चाहिए ।

[५] उत्तरा० अ० ३५ सूत्र १६ में भी अज्ञात कुल में थोड़ी थोड़ी गोचरी लेने का आदेश है ।

[६] अंतग० वर्ग ३ अ० ९ सूत्र १० में यह कथन है कि नेमिनाथ भगवान के तीनों शिष्य घूमते घूमते देवकी रानी के यहाँ पहुँच गए और ब्रह्मा के पारणे में तीनों ने अलग अलग वक्त आहार लिया ।

और भी देखिए—

पाठ—

अन्नाय उच्छ चरई त्रिसुद्धे जवणठया समुयाणं
च निच्चं । अलब्धुयं नो परिदेवएजा, लद्धुं न
विकन्थयई, स पुज्जो ॥ ४ ॥

—दशवे० अ० ९ उ० ३ सूत्र ४

शब्दार्थः—अ० - अज्ञात कुल में, उ० - गाय की तरह, न० - लेना, वि० - विगुद (४२ दोष रहित), ज० - मयमनिर्वाह के लिए, अ० - उसके लिए, न० - समुदायिक गोचरी करे (गहू हमारा यह तुम्हारा न करे), न० - फिर, नि० - हू ममय, अ० - आहार-दिक बिना मिले, तो० - नहीं, ग०-दुग्धपावे (में ऐसा अभागी हू ऐसा रहे और गृहस्थ की दुर्वाई न करे), न० - आहारादिक प्राप्त, न० - न करे, वि० - गृहस्थ की प्रशंसा, म० - बह दिव्य, पु० - पूजनीय है ॥

भावार्थ—जो साधु संयम के निर्वाह के लिए ४२ दोष रहित शुद्ध मामुदानिक आहार अज्ञात कुल में से थोडा थोडा लेने के लिए निकलते हैं, आहार प्राप्त न होने पर व्यक्ति अथवा देश की निंदा नहीं करते हैं और आहार प्राप्त होने पर दातार या देश को प्रशंसा नहीं करते हैं, वे पूजनीय साधु हैं ।

पाठ—

समुयाणं उच्छ्रमेसिञ्जा जहा मुत्तमणिन्द्रियं ।
लाभा लाभम्मि संतुट्ठे, पिण्डवायं चरे सुणी ॥१६॥

—उत्तरा० अ० ३५ सूत्र १६

शब्दार्थ—म० - समुदायिक भिक्षा लेना परन्तु, उ० - थोडी थोडी लेना, ए० - ऐसे आहार की गवेषणा करे, ज० - जैसा, सु० - मिदान्न में १२ कुल का आहार लेना बनाया, अ० - नीच कुल की छोटे, अनिन्दनीय कुल का लेवे, मंग मदिरा और निन्दनीय आहार छोटे, दूसरे की निंदा भी न करे, ला० - आहार मिलते हुए, अ० - न मिलते हुए, म० - संतोष में, वि० - आहार लेने के लिए, च० - विचरे, मु० - साधु ॥

भावार्थ—जिन कुलों में जाने से दुगुच्छ (निंदा) होती हो ऐसे कुलों में भिक्षा आदि के लिए नहीं जाना चाहिए और माँस मटिरा आदि निंदा-जनक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। परन्तु उच्चश्रेणी के क्षत्री आदि, जघन्य श्रेणी के नाच किसान आदि, और मध्यम श्रेणी के वैश्य आदि के कुलों में बहुत से घरों से थोड़ा थोड़ा आहार शास्त्रोक्त विधि के अनुसार एषणा गवेषणा के साथ ग्रहण करना चाहिए। इस विधि का पालन करने पर आहार प्राप्त हो या न हो, हर हालत में हर समय संतोष धारण करना चाहिए और किसी की स्तुति या निंदा भी नहीं करना चाहिए।

इस तरह हम देखते हैं कि शास्त्रों में—आगम में—अज्ञात कुल की गोचरी का और वह भी इस रूप में कि बहुत से घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लिया जाय, स्पष्ट आदेश है। इस तरह की गोचरी करने वाले को दशवे० अ० १ में भ्रमर (भ्रमर) के सदृश्य बताया गया है, क्योंकि भ्रमर बहुत से फूलों पर बैठकर उनका रस चूसा करता है। इस से उलटी गोचरी करने वालों को शास्त्रों में गधे की तरह बताया गया है; क्योंकि गधा जहाँ मुँह लगाता है वहीं अपना पेट भर लेता है। इस तरह साधुओं को आगम ने गोचरी के कार्य में भ्रमर बनने का आदेश दिया है, न कि गधे बनने का। दुख है कि ये बेचारे तेरहपंथी लोग भ्रमर नहीं हैं बल्कि..... ।

ये तेरहपंथी लोग निमंत्रणपर भी गृहस्थों के यहाँ आहार प्राप्त करने के लिए जाया करते हैं, जो सर्वथा आगम-

विरुद्ध है। श्रावक इन से प्रार्थना करते हैं कि “आज हमारे यहाँ अठई प्रमुख का पारणा है या जैवाई (दामाद) आदि का भोजन है, अतः कृपा करके आप देरीसे अवश्य पधारिएगा आदि” —और ऐसे निमंत्रण पर आहार के लिए ये साधु-नामधारी लोग जाते हैं।

व्यवहार० उ० ६ सूत्र ४ से ९ तक में बताया गया है कि साधु के जाने से पहिले गृहस्थ के लिए बनी हुई रसोई और पहले उतरे हुए चावल साधु के लिए ग्राह्य हैं, और पीछे उतारी हुई दाल ग्राह्य नहीं है। लेकिन नेरहपंथियों के व्यवहार में व्यवहार सूत्र के इस आदेश को भी कोई स्थान प्राप्त नहीं है।



ईर्या-समिति

प्रश्न—नेरहपंथी साधु ईर्या-समिति के अनुसार चलते हैं या नहीं ?

उत्तर—नहीं। ये लोग छद्मस्थ होने से गलती करें या अनजाने में इनसे गलती हो जाय तो भी किसी अंश तक वह क्षम्य हो सकता है; लेकिन वे तो जान-बूझ कर विरुद्ध आचरण करने का अक्षम्य अपराध करते हैं। वह कैसे ? देखिये—

(१) पंचभद्रा वाले झोगमलजी की नेत्र-शक्ति बहुत कम है, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति उनके सामने जाकर बोले तो वे उसे पहचान नहीं पाते, बल्कि उन्हें घूटना पड़ता है—“भाई, कौन है ?” वह अपना परिचय दे देता है। इस पर झोगमलजी कह देते हैं कि उन्हें कल दिखाई देता है। इस पर से यह स्पष्ट है कि जब झोगमलजी को कई फीट का आदमी पास से पहचान में नहीं आता तो ज़मीन पर चलने वाले छोटे छोटे कीड़े-मकौड़े भला क्या दिखाई देते होंगे ? कुछ भी नहीं। उनके

आगे कोई दूसरा साधु चले तब भी ठीक है; लेकिन ऐसा भी नहीं होना है। स्पष्ट है कि यहाँ ईर्या-समिति का जग भी पालन नहीं होता है।

(२) भिक्षुजी के कथन के अनुसार तथा शास्त्रानुसार चलने हुए बातें करना साधु के लिए मना है। यह मौन ईर्या-समिति का एक अंग है। लेकिन देखा गया है कि दावान साहब मगन-लालजी की सेवा में गृहस्थ पंचमी आते जाते हैं और उस समय प्राम-प्राम में विहार करते हुए मगनलालजी श्रावको से बहुत वार्तालाप करते हैं।

(३) एक वृद्ध साधु है, जिनका नाम हमें इस वक्त याद नहीं आ रहा है। उन्हें भी बहुत कम दिखाई देता है; लेकिन वे भी अकेले में आते जाते हैं।

(४) विहार में कितने ही तेरहपथी साधु तो कोतल बोटों की तरह अथवा स्पेशल ट्रेन की तरह तेज़ चलते हैं और इस तरह स्तुतिवान होने की डिग्री भी पाते जाते हैं। शीघ्र चलने में ईर्या-समिति का पालन बहुत * कठिन है; शायद असंभव भी है। ईर्या-समिति के ठीक पालन के लिए धीरे धीरे देख कर और मौन रहकर चलना ही उचित है। शास्त्र में “चे मद मणुव्विगो” द्वारा मन्द गति से चलने की आज्ञा है।

* एक बार आचार्य तुलसीदासजी ने कहा था कि कितने ही जोर से चला जाय कोई हजं नहीं है, यदि देख-देख कर चला जाय। देखिए, शास्त्र के बिनाइ कैसा स्पष्ट उपदेश है ?

इस तरह कुछ मोटे मोटे उदाहरणों द्वारा यह दिखाया गया है कि तेरहपंथी साधु ईर्या-समिति का पालन नहीं करते हैं। और भी बहुत सी घटनाओं को दिया जा सकता है; लेकिन हम समझते हैं कि ऊपर की चार बातों में ही हमारा मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है।

अब भिक्षुजी का कथन देखिए—श्री० भाग २ टाल १

“कहो आचार्य उत्तराध्य नमे. साधु करे चालतां
वाताजी। ऊँची तिरछी दृष्टि जावे, तो हुए छव
कायरी घातोजी ॥ ३७ ॥

दबक दबक उतावलां चाले ब्रस थावर मान्या जायजी।
इरज्या सुमत जोयां विन चाले, ते केम साधु
धायजी ॥ ३९ ॥

एह वा गुरु साचा करमाने, ते अंध अज्ञानी बाल जी,
फोडा पडे उत्कृष्ट तिए में तोरुले अनन्तो कालोजी ॥ ४४ ॥

नोट—ऊपर ईर्या-समिति का विस्तार से जो वर्णन भिक्षुजी द्वारा किया गया है, उसकी कसौटी पर इन तेरहपंथियों को कसा जाय तो ये लोग पटकाय और ब्रस व स्थावर जीवों के धानक ठहरेगे। सचमुच इन लोगों द्वारा ईर्या-समिति की पूरी पूरी हिंसा होती है।

और भी प्रमाण देखिए—

पाठ—

मे गामेवा नगरेवा गोअरग्ग गओ मुणी ।

चरे मन्द भणुच्चिगो अव्वक्खिनेण चे असा ॥२॥

—दशवे० अ० ५ उ० १ सूत्र २

शब्दार्थ—ने० - वह साथ, गा० - गांव में, वा० - अथवा, न० - नगर में, व० - अथवा, गो० - गोचरी, ग० - गया, मु० - माधु, च० - चले, म० - घीरे धीरे, अ० - उद्वेग रहित, अ० - विग्रह रहित (शब्दादि न झोलते हुए), चे० - चिन्तना भी न करे ॥

भावार्थ—ग्राम-नगरादि में गोचरी जाने के लिए तय्यार साथु को शान्ति के साथ शब्दादि विषयों में पूर्ण अनासक्ति रखने हुए धीरे धीरे उपयोग ग्व कर (ध्यानपूर्वक) चलना चाहिए ।

पाठ—

दवदवस्स नगच्छेज्जा, भासमाणोय गोयरे ।

हसन्तो नाभी गच्छेज्जा, कुलं उच्चा वयं सया ॥१४॥

—दशवे० अ० ५ उ० १ सूत्र १४

शब्दार्थ—द० - जार से, द० - जोर से, न० - नहीं, ग० - चले, भा० - बोलता हुआ, ग० - फिर, गो० - गोचरी के लिए, ह० - हँसता हुआ, न० - नहीं, अ० - चले, कु० - कुल उ० - उँचा, व० - नीचाई में, म० - मदा देते ॥

भावार्थ—ऊँच-नीच कुल में गोचरी के लिए जाते हुए साथु को जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए और दूसरो के साथ वार्तालाप करने हुए या हँसते हुए भी नहीं चलना चाहिए ।

पाठ—

द्वदवस्स चरति पमत्तंय अभिक्खणं ।

उल्लंघणे य चण्डेय पात्र समणेत्ति चुच्चई ॥ ८ ॥

—उत्त० अ० १७ सूत्र ८

शब्दार्थ—द० - जोर जोर में, च० - चले, प० - ईर्या के लिए प्रमादी, अ० - पुरण, अ० - वाग्म्वार, उ०— उत्तपन करने वाला, य० - फिर, च० - प्रौढी, य० - फिर, पा० - पापी, म० - धमण, ति० - गंगा, वु० - कहा है ॥

भावार्थ—जो साधु ब्रह्मन शीघ्रता से चले, ईर्या-समिति के पालन में प्रमादी हो, वाग्म्वार ठीक ठीक क्रिया-कर्म आदि का उल्लंघन करे और जो क्रोधी हो वह पापी धमण है ।

नोट—इस तरह हम देखते हैं कि शास्त्रों में ईर्या-समिति पालन के लिए शीघ्र चलने, चलने समय बोलने व हँसने आदि के लिए मना किया गया है । ईर्या-समिति का व्यंय यह है कि मार्ग में चलते समय साधु, कीड़े-मकौड़ों की हिंसा का भारी न हो और इसीलिए ईर्या-समिति का यह विधान है कि साधु को धीरे धीरे आगे देखते हुए कदम उठाना चाहिए । नेत्र न चलने, और चलने समय न हँसने या न बोलने की बात तो इसलिए कही है, क्योंकि ऐसा करने में ध्यान बट जाता है और ईर्या-समिति का ठीक ठीक पालन नहीं हो पाता है । हँसने बोलने की ही बात नहीं, कोई भी काम जिस से ध्यान बटे और आगे आगे देखने में प्रमाद या भूल की संभावना हो

सके तो उस काम को भी नहीं करना चाहिए। गोचरी के लिए जाने समय श्रावकों के बरों का ग्व्याल करना, क्या आहार मिले या न मिले ऐसा ग्व्याल करना या संव या सत्र के किसी व्यक्ति के बारे में सोचना अर्थात् ईर्या-समिति से विषयान्तर किसी भी बात का ग्व्याल आना ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसे ग्व्यालानों में इत्र कर ईर्या-समिति को दुत्रा देना पड़ता है। उमका ठीक ठीक पालन होना तो बहुत दूर की बात है।

संक्षेप में और भी प्रमाण देखिए—

(१) उक्त० अ० २० सूत्र ३८ से ४२ तक में बताया गया है कि जो साधु पाँचों समिति में भ्रष्ट होते हैं वे बहुत काल तक लोच, शीत, तार, आदि के कष्ट सहते हुए भी संसार से पार नहीं हो सकते। वे तो ऐसे ही हैं जैसा कांच का टुकड़ा, जो मणि सगंवा तो दिखता है लेकिन मणि नहीं है, बल्कि उस से एक जघन्य चीज है। ऐसे ही ऊपर बताया हुआ साधु साधु-वेप के कारण साधु तो दिग्वाट देना है लेकिन वह सचमुच साधु नहीं है, बल्कि उम में जघन्य प्राणी है।

नोट—पाँचों समिति में ईर्या-समिति आ ही जाती है; अतः ईर्या-समिति का पालन न करने वाला काँच की तरह नकली ही है, मरचा साधु नहीं है।

(२) आचा० श्रु० २ अ० १२ उ० २ सूत्र ८ में भ्रामा-नुग्राम में विचरने वाले साधु को विचरने समय दूसरों से बातें करना मना है।

(३) भग० श० ७ उ० १ सूत्र ११ में कहा गया है कि बल्ल-यात्र रजोहरणादि रखने वाला बिना उपयोग के चले तो यह क्रिया पापमय है ।

(४) भग० श० ७ उ० ७ सूत्र १ में यह कथन है कि व्रत-साहित साधु सूत्र के अनुसार चले तो यह क्रिया ईर्यावाही पुण्यमय है, अन्यथा पापमय है ।

(५) भग० श० १० उ० २ सूत्र १ में यह उल्लेख आया है कि नार्ग में चलते समय सौन्दर्य-रूप आदि का अवलोकन करना सूत्र-विरुद्ध क्रिया—पाप-क्रिया (सांप्राइक)—है ।



कस्त्र और पात्र

प्रश्न—(क) जयाचार्यजी कृत प्रश्नोत्तर ० के प्रश्न १२५ में कहा गया है कि यदि बस्त्र को तीन पुसली तेल आदि लगाया जाय तो दोष नहीं है ! वर्तमान में रातके समय पहिने का कपडा पंद्रह दिन न बापरने [बगनने] पर धेने है और कई अहलवान आदि तो लते ही पहिले धो लेने है तब बापरने है । ये सुगोभित कपडों का उपयोग भी करते है; दम रुपयो ने ऊपर की कीमती कपडा भी बगनने है । यह दोष है या नहीं ?

(ख) वर्तमान में पात्र को भी गकर सुगोभित बनते है । जयाचार्य कृत प्रश्नोत्तर ० में प्रश्न नं० १२४ में लिखा है कि तीन पुसली तेलआदि और लोड्रादि लगाने में दोष नहीं है, हाँ, मूर्च्छा-वश नहीं गंगना चाहिए । अतः आजकल तेरह-पंधियो का जो व्यवहार है वह दोषयुक्त है या नहीं ?

उत्तर—(क) दोष है । प्रमाण देखिए—

(१) आचा० श्रु० २ वस्त्र० अ० १४ उ० २ सूत्र १ में लिखा है कि त्रैमा कपड़ा मिल्के त्रैमा ही काम में जाना चाहिए, धोना नहीं चाहिए ।

(२) सुयग० श्रु० १ अ० ७ सूत्र २१ में यह उल्लेख है कि ओभा के लिए कपड़ा धोनेवाला या स्नान करनेवाला मन्थन में दृढ़ है । वैसा ही आहार के सम्बन्ध में कहा है ।

(३) आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० १ सूत्र १८ में शीतल अथवा गरम पानी में पुगना वस्त्र भी धोना न्याय्य बताया गया है ।

(४) निर्शा० उ० १५ सूत्र १५९ में यह बताया गया है कि ओभा के लिए वस्त्र पात्र क्रम्वल ग्जोहृण घोष, धोने का अच्छा जान तो लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है ।

नाट—कॉई कॉई नेग्रहपंथा दिनके पहिनने के कपड़े तो नहीं धोते हैं, परन्तु १५ दिन के बाद निर्शाथिया आदि धोते हैं । मुझे याद है कि वर्णा में चंपालालजी ने ग्जोहृण घोष धे । जहाँ में गहना था वहाँ भी प्रायः धोया करते थे ।

(५) निर्शा० उ० १८ सूत्र ५१ व ५४ में यह कहा गया है कि यदि साधु ऐसा विचार करे कि नवीन वस्त्र मिला कर के अचित्त पानी से धोऊँ, या करते को अच्छा जाने, अथवा यदि साधु नेल, घृत आदि लगावे, लगाते को अच्छा जाने तो सूत्र ५४ में उसे लघुचैमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है ।

(६) निशी० उ० १८ सूत्र ७२ में यह उल्लेख है कि लकड़ी के गंज पर व न्तग्भ [न्यूटी] आदि अन्नदीय जगह पर धूप में कपड़ा रखे, रखने को अच्छा जाने, तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बनाया है ।

नोट—नेहृपथी न्यूटी आदि पर नृणं सुखाने हैं और लकड़ी के गंज पर भी सुखाने हैं ।

(७) निशी० उ० ५ सूत्र ६५ में यह आया है कि साधु किसी भी उपकरण का भाग तोड़ कर ज़मीन में गाड़ दे, गाड़ने को अच्छा जाने, तो उसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त है ।

नोट—नेहृपथी ऐसी चादरों को जिन में उन्हें अरुचि हो जाती है, गुप्त रूप में खींच-तान कर के फाड़ने हैं और चौकी में भी डाल देने हैं । जब शाम के समय या सुबह को चौकीदार इन लोगों से, जो मच बोलने का दावा करते हैं, पूछता है कि यह उपकरण किसका है तो उसे उत्तर नहीं मिलता है । प्रत्येक व्यक्ति में पूछा जाय तो हरणक अस्वीकार करता है । देखिए इन लोगों की मच्चाई और ईमानदारी ! वहाँ किसी गृहस्थ आदि गैर व्यक्ति का उपकरण तो रहता नहीं है, इन्हीं लोगों का, जो साधुता का माइनबोर्ड लगा कर खोटी साधुता से अर्थात् असाधुता से दुनिया को ठगते फिरते हैं, सामान रहता है, अतः यह निश्चित है कि वह फटी हुई चादर इनमें से किसी एक की होगी लेकिन इनमें से कोई भी उसे स्वीकार

नहीं करता है। इस तरह ये लोग कपडा फाड कर आगम के विरुद्ध चलने का पाप तो करते ही है, लेकिन ऊपर से झूठ बोलने का भी पाप करते हैं—इस तरह ये दुगने पाप के भागी बनते हैं।

(ख) दोष-युक्त है। प्रमाण देखिए—

(१) आचा० श्रु० २ अ० १५ उ० १ मू० १ में लिखा है कि बलवान मुनि एक ही पात्र रखते कहे गये हैं, बाकी सब तीन पात्र रखते हैं। यह क्या बात है? केवली जानें।

(२) निशी० उ० २ सूत्र २५ मे यह विधान है कि तुम्हे के पात्र, काठ (लकड़ी) के पात्र आदि स्वयं शोभा के लिए अच्छा करे, मुँह पेदा बगैर ठीक करे, या करते को अच्छा जाने, तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया है।

[३] निशी० उ० २ सूत्र २६ मे यह बताया गया है कि शोभा के लिए काम्ब्री पटरी काँटे आदि को रँगो या सुधारे, अथवा ऐसा करने वालों को अच्छा जाने, तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया है।

[४] निशी० उ० १४ सूत्र ११ मे बताया है कि खरान पात्र को अच्छा करे, करते को अच्छा जाने, तो लघुचौमासिक दंड बताया है।

[५] निशी० उ० १४ सूत्र १२ मे यह उल्लेख है कि नये पात्र को तेल घृत मक्खन लगावे, चरबी लगावे, एक बार या बार-बार लगावे तो लघुचौमासिक दंड बताया गया है।

[६] निशा० उ० १४ सूत्र १३ में कहा गया है कि नष्ट पात्र को लोह कोष्ठक आदि द्रव्यों में रंगे, रंगने को अच्छा जाने, तो लघुचौमामिक द्रव बनाया गया है ।

[७] निशा० उ० १४ सूत्र १४ में यह कथन है कि नष्ट मिले हुए पात्र को अचिन पानी, गरम पानी से धोवे, धोने को अच्छा जाने तो लघुचौमामिक प्रायश्चित्त बनाया है ।

[८] निशा० उ० १४ सूत्र १५ में बतलाया गया है कि बहुत दिन बाद पात्र को लोह और पद्म चूर्ण में रंगे, रंगने को अच्छा जाने, तो लघुचौमामिक प्रायश्चित्त बनाया है ।

[९] निशा० उ० १४ सूत्र १६ और १७ में यह उल्लेख है कि नष्ट पात्र के मिलने पर बहुत दिनों के बाद लोह आदि में उंन रंगे, रंगने को अच्छा जाने, तो लघुचौमामिक प्रायश्चित्त बनाया है ।

नोट—इस सूत्र में 'बहु दिवसिपण' पाठ का अर्थ किसी किसी आचार्य ने 'नानपुसलां उपगन्त' कर दिया है; लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है, बल्कि इस का अर्थ है, 'बहुत दिन बाद' (बहु-ज्यादा, दिवसिपणं-दिन बाद) ।

[१०] निशा० उ० १४ सूत्र २० में बताया है कि नष्ट सुगन्धित मिले हुए पात्र को घी तेल मक्खन लगावे, लगाने को अच्छा जाने, तो लघुचौमामिक द्रव बनाया गया है ।

[११] निशी० उ० १४ सूत्र ३६ व ३७ में यह वर्णन है कि पृथ्वी पर, घर की छत पर, किसी भी पदार्थ पर, पात्र भीगा हुआ धूप में रखे, रखते को अच्छा जाने, तो लघुचौमासिक दंड बताया गया है ।

और भी प्रमाण देखिए—

क-उत्तर के लिए पाठ

पाठ—

से भिक्खु वा (२) अहेसणि ज्ञाहं वत्थाइं
जाएज्जा अहा परिग्गहाइं वत्थाइं धारेज्जा
णो धोएज्जा णो रएज्जा णो धोयरत्ताइं वत्थाइं
धारेज्जा अपलि उंच माणे गामंतरेसु ओमचे
लिए एयं खलु वत्थ धारिस्स सामग्गियं ॥१॥

—आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० २ सूत्र १

शब्दार्थः—मे० - वे, भि० - साधु साध्वी, अ० - अथ, ए० -
एषणिक, व० - वस्त्र, जा० - याचे, अ० - जैसा ग्रहण किया, व० -
वस्त्र, घा० - धारण करे, णो० - नहीं, धो० - धोवे, णो० - नहीं,
र० - रेंगे, णो० - नहीं, धो० - धूप, या० - रंगा हुआ, व० - वस्त्र,
घा० - धारण करे, अ० - बिना छिपाए, गा० - अन्य ग्राम, ओ० -
सादा वस्त्र धारण करने वाला, ए० - यह, ख० - निश्चय, व०-वस्त्र-
धारी का, सा० - आचार ॥ १ ॥

भावार्थ— साधु साध्वी को वस्त्र अच्छा नहीं करना चाहिए,
जैसा मिले वैसा ही पहिनना चाहिए । उसे धोना नहीं चाहिए

और रँगना भी नहीं चाहिए, गँगा हुआ या धोया हुआ वस्त्र पहिनना भी नहीं चाहिए। अन्य ग्राम को जाते समय वस्त्र छिपाना नहीं चाहिए। वस्त्रधारी मुनि का यही आचार है।

पाठ—

से भिक्खु वा (२) णो णवए मं वत्थे त्तिकद्दु
णो बहुदेसि एण सिणाणेण वा जाव प
धमंजा ॥ १७ ॥

मं भिक्खु वा (२) णो णवए म वत्थे त्तिकद्दु
णो बहु दसिएण सीतादग वियडेण वा जाव
पधोवेजा ॥ १८ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० १ सू० १७ व १८

शब्दार्थ—मे० - वे, भि० - साधु साध्वी, णो० - नहीं, ण० - नवीन, मं० - मेरा, व० - वस्त्र, त्ति० - डाल, क० - करके, णो० - नहीं, व० - बहुत थोड़ी, सि० - सुगन्धित द्रव्य से, जा० - यावत्, प० - विशेष ममले (मले) ॥ १७ ॥

मे० - वे, भि० - साधु साध्वी, णो० - नहीं, ण० - नवीन, मं० - मेरे, व० - वस्त्र, त्ति० - ऐसा करके, णो० - नहीं, व० - बहुत थोड़ा, सी० - शीतोदक, वि० - अचित्त से, जा० - यावत्, प० - बोधे ॥ १८ ॥

भावार्थ—साधु साध्वी को यह विचार करके कि मेरा वस्त्र नया नहीं है अर्थात् पुराना हो गया है, थोड़े ब्रह्म सुगन्धित द्रव्य से उसे नहीं मसलना चाहिए ॥ १७ ॥

और इसी तरह पुगने वस्त्र को भी गीनल या गर्म जल में नहीं धोना चाहिए ॥ १८ ॥

पाठ—

जे भिक्खु विभूमा बडीयाए वत्थ
वा ४ धोवई धोवंतंवा साईज्जई ॥ १५९ ॥

—निशी० उ० १५ सू० १५९

भावार्थ—जो साधु विभूषा के लिए वस्त्र पात्र कम्बल रजोहरण धोवे, धोने को अच्छा जाने तो उसके लिए लघु-चौमासिक प्रायश्चित्त है ।

पाठ—

जे भिक्खु णवे इमे वत्थे लद्धे त्तिकद्दु बहु दिवसी एणवा
सी उदग वियड्ढणवा जाव पधो वं तं वा साईज्जई ॥ ५१ ॥

जे भिक्खु सुब्भिगंधे वत्थे लद्धे त्तिकद्दु ते
लेणवा जाव भिलंडत्तं वा साईज्जई ॥ ५४ ॥

—निशी० उ० १८ सूत्र ५१ व ५४

भावार्थ—जो साधु ऐसा विचार करे कि मुझे नया वस्त्र प्राप्त हुआ है, इसे बहुत दिन से अथवा बिना कारण अचित्त धोवण तथा गरम पानी से धोऊँ, या ऐसा विचार करने वाले को अच्छा जाने तो लघु चौमासिक प्रायश्चित्त वनाया है ॥ ५१ ॥

जो साधु सुगंधित वस्त्र प्राप्त कर के उसमें तेल, घृणादि लगावे,

लगाने को अच्छा जाने, धोवे या धोते को अच्छा जाने, तो उसे भी लघु-चौमासिक प्रायश्चित्त ही बताया गया है ।

नोट—यहाँ वस्त्र धोना, धोते को अच्छा जानना और नेल-घृतादि लगाना, लगाने को अच्छा जानना यह जाव शब्द में बताया है । यह ऐसा दोष है जिसके सेवन पर टंड का विधान है, अतः उक्त आगम प्रमाणों के आधार पर जयाचार्यजी का मन्वय मिथ्या ठहरना है ।

और भी देखिए—

[१] आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० १ म० ६ में बहुमूल्य सुशोभित मलमल आदि वस्त्र लेने के लिए मना किया गया है ।

नोट—नेहपथा तो बहुत सुशोभित वस्त्र पहिनते हैं । एक तारी मलमल व अहलवान का जो कार्पा मूल्यवान होते हैं ये बहुत उपयोग करते हैं । गिरी हुई क्रीमन के समय कम से कम ४० रुपये का और अधिक से अधिक २०० रुपये तक का अहलवान जिसे गृहस्थ ने ५-७ दिन ही उपयोग में लाया है, ये लंग निःसकोच हो कर बल्कि खुशी के साथ छे लेंते हैं । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, मत्र को मालूम है ।

[२] बृह० उ० ३ सूत्र ७ व ८ में साधु साध्वी को सुन्दरना-रहित कपड़े का उपयोग करने का आदेश है ।

[३] निगी० उ० १५ सूत्र १०१ में यह वर्णन है कि साधु सफ़ेद कपड़े धारण करे, लेकिन चार तरह के नहीं । जो

चार तरह के न छोड़ कर धारण करे उसे लघुचौमासिक दंड बताया गया है। वे चार तरह के कपड़े ये हैं—१. जिनको गृहस्थ हमेशा धारण करे, २. जो स्नान के बाद धारण करने के लिए हो, ३. जो उत्सव के समय धारण करने के लिए हो, और ४. जो राज-सभा में धारण करने के लिए हों।

[४] निशी० उ० १८ सूत्र ४८ में बताया गया है कि साधु यह विचार करे कि मैं अचित्त पानी में वस् धोऊँगा, ऐसा विचार करते को अच्छा जाने, तो लघुचौमासिक दंड बताया है।

[५] बृहद० उ० २ सूत्र २९ व ३० में साधु के लिए पाँच तरह के कपड़ों को ग्राह्य बताया गया है (१) जङ्गिए—ऊन के (ऊननो), ग्रेम के (२) भङ्गिए—अलसी के झाड़ के * [३] सन के साणए, [४] कपास के पोतए [५] और तिरीड पट्ट—वृक्ष की छाल के। अर्थ में यह बताया गया है कि उत्सर्ग मार्ग में कपास और ऊन के वस्त्र ग्राह्य हैं, और अपवाद मार्ग में बाकी तीन तरह के वस्त्र ग्राह्य हैं। कपास व ऊन का न मिले तब बाकी तीन तरह के कपड़ों को बरतना उचित है। इसी तरह रजोहरण भी पाँच तरह का बताया गया है, (१) ऊन का (२) ऊँट की ऊन का (३) सन का (४) डाम (घास) का, (५) तिनकों का। उत्सर्ग मार्ग में एक ऊन का ही बताया है लेकिन ऊन का न मिले तो बाकी चारों में से किसी भी तरह का ग्राह्य है।

* कोई कोई '२ भङ्गिए' शब्द का अर्थ २-रेसमका करते हैं।

नोट—इस तरह हम देखते हैं कि साधुओं के लिए वस्त्र के सम्बन्ध में काफी नियम और ब्रधन हैं, लेकिन ये तेरहपंथी लोग तो अपनी मनमानी करते हैं। जब रतनगढ़ में महामहोत्सव हुआ था तब आचार्यजी ने रेशमी चोलपट्टा पहिना था। सामान्य साधु तो रेशमी गानियों को ब्रह्म ही व्यवहार में लाते हैं।

नोट—(१) आचार्य और साधु का एक ही आचार है; अतः आचार्य के लिए विशेष रूपसे कपडा नहीं धोना चाहिए। टा० टा० ७ म० ४९ में अर्थ अर्थात् टीका में धोना बताया है, लेकिन पाठ में कुछ नहीं है; अतः टीका का अर्थ अमान्य है। टीका में अनेक बातें अमान्य हैं।

(२) बृहद उ० ३ सू० ९ व १० में बताया है कि साधु को सावुन धान रखना नहीं कल्पना है; हाँ, चादर अलग अलग कपके रखने की अनुमति है। निगी० उ० २ सू० २३ के अनुसार अभेष अखण्ड वस्तु को रखे रखने को अच्छा जाने तो मासिक दंड बताया है। लेकिन ये तेरहपंथी लोग किलारी फाड़कर सावुन धान रख लेते हैं और इस तरह आगम की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं।

ख—उत्तर के लिए पाठ

पाठ—

जे णिगंथे तरुणे जाव थिर संघा यणे से
; एगं पयं धारेजा णो वीयं ॥ १ ॥

—आचा० शु० २ पात्रो अ० १५ उ० १ सू० १

शब्दार्थ—जं० - जो, णि० - माघु, त० - युवक, जा०—यावत्, धि० - दृढ सघापणी, मे० - वह, ए० - एक, पा० - पात्र, धा० - धारण करे, णो० - नहीं, वी० - दूमरा ॥

भावार्थ—जो मुनि युवक बलवान और मजबूत है वे एक ही पात्र रखे, दूसरा पात्र न रखे ।

पाठ—

जे भिक्खु लाउं पायं वा दारुपायं वा मट्ठीया
पायं वा सयभेव परिघट्टेई वा, संट वेई वा
जंमा वेई वा, परिघट्टंतं वा संट वंतं वा.
जंमा वंतं वा साईज्जई ॥ २५ ॥

एवं दंडयं वा लंढीयं वा अवेहहणं वा, वेणु
तुइयं वा, जाव जंमाइवंतं वा साईज्जई ॥ २६ ॥

—निशी० उ० २ सूत्र २६

शब्दार्थ—जं० - जो, णि० - भिक्षु, ला० - तुम्हे के पात्र, दा० - काष्ठ के पात्र, म० - मट्ठी के पात्र, स० - स्वयमेव, प० - पेंदा, दाहि० - सस्यापे ॥

भावार्थ—जो साधु तुम्हे के पात्र, काष्ठ के पात्र और मट्ठी के पात्र को, जो खराब हैं, गोभा के लिए अच्छा करे, मुँह पेंदा आदि लगाए, बारबार जमाए, जो अच्छा करता हो मुशरता हो जमाना हो उसे अच्छा जाने ॥२५॥

इस ही प्रकार गोभा के लिए डडे को, लकड़ी को, वाँस की खापटी को, वाँस की शलाका को, काँटे निकालने के

हिगोर आदि के कोंटे को आप मुशारे, मुधारते को अच्छा जाने, (तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ॥२६॥

नोट—नेरहपंथी तुम्बा के पात्र का मुँह तथा पेन्द्रा आदि लगाने हैं और शोभा के लिए रँगते भी हैं। तुम्बा तो सिर्फ पानी के ही काम आता है, इसलिए उसे रँगने की उपयोगिता की दृष्टि से कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए तुम्बा को रँगने का व्यय शोभा बढ़ाना ही हो सकता है। यही नहीं, ये लोग काम्बी पटरी आदि को भी स्वयमेव मुधारते हैं और रँग कर उसे बहुत सुन्दर बना लेते हैं तब उसे काम में लेते हैं। यदि उद्देश्य शोभा बढ़ाना नहीं है तो भला पटरी काम्बी को रंग लगा कर बढ़िया बनाने और आचार्यजी के पानी पीने के ग्लास को इनका सुन्दर बनाने का क्या प्रयोजन है? बात यह है कि पात्रादि की स्वच्छता तो ठीक है, क्योंकि स्वच्छता सात्विक चीज़ है और वे बिना रँगें काम्बी, पटरी और तुम्बा आदि को स्वच्छ रख सकते हैं; लेकिन उनकी आँखें तो सौन्दर्य और श्रृंगार-लोलुपी हैं, इसलिए वे इन चीज़ों में श्रृंगार करके इन्हें सुन्दर बनाते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, वस्त्र आदि के सम्बन्ध में भी उनका यही दृष्टिकोण रहता है। चक्षु इन्द्रिय और मन इनके वश में नहीं है, इसलिए ही ऐसा असंयम है।

पाठ—

जे भिक्खु त्रिवण्ण पडिग्गहं, वण्णमंतं
करेइ करंतं वा साईज्जई ॥ ११ ॥

—निशी० उ० १४ सूत्र ११

शब्दार्थ—जे० - जो, नि० - नाशु, वि० - खराब बर्ण है, प० - पात्र, व० - वर्ण पत्र, क० - (अच्छा) कर्ते, क० - करने का अच्छा जाने ॥

भावार्थ—जो साधु खराब पात्र को अच्छा करे, करने का अच्छा जाने, (उसके लिए लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बनाया गया है) ।

पाठ—

जे भिक्खूपवेइमे पडिग्गहेणं लद्धे चिकई तेलेण वा
घणण णवणीएण वा वासाएज्ज वा मंखेज्ज वा भिल्लि-
गेज्ज वा मक्खंतं वा भिलिगंतं वा साईज्जई ॥१२॥

—निशी० उ० १४ सूत्र १२

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र मिला है; उसे तेल, घृत, मक्खन, चरबी एक बार या बार-बार लगावे, लगाने को अच्छा जाने, (उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बनाया गया है) ॥

पाठ—

जे भिक्खूणवे इमे पडिग्गहं लद्धे चिकद्दु लोद्धेण वा
क्खेण वा, चुण्णेण वा, ण्हाणेण वा जाव साईज्जई ॥१३॥

—निशी० उ० १४ सूत्र १३

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र मिला है; लोदक कोष्टक पद्मचूर्ण आदि द्रव्यों से उसे रंगे, रंगते

को अच्छा जाने, (उसे पूर्ववत् प्रायश्चित्त अर्थात् लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ॥

पाठ—

जे भिक्खू णवे इमे पडिग्गई लद्धे चिकइद्दु सीउदग
वियडेण वा, उस्सिणो दग वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा
पधोवेज्ज वा उच्छोलंतं वा पधोवतं वा साईज्जई ॥१४॥

—निशी० उ० १४ सूत्र १४

भावार्थ—जो साधु यह विचार कर के कि उसे नया पात्र मिला है, उसे अच्छे ठंडे पानी से अथवा अच्छे गरम पानी से धोए, एकवार या बार-बार धोए, धोते को अच्छा जाने, (उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है) ॥

पाठ—

जे भिक्खू णवे इमे पडिग्गहे लद्धे चिकइद्दु बहु दिवसि-
एण तेलेण वा घएण वा, जाव साईज्जई ॥१५॥

—निशी० उ० १४ सूत्र १५

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र मिला है, बहुत दिनों के बाद नेल घृत आदि लगाए, लगाने को अच्छा जाने, (उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ।

नोट—किसी किसी आचार्य ने 'खराब होने से पहिले' का अर्थ 'मर्यादा के पड़ना' किया है । मंत्र में उसका कोई संकेत

भी नहीं है, अतः अकारण ही अपने मनमें ऐसा अर्थ लगाना बुद्धिसंगत नहीं है।

पाठ—

जे भिक्षू णवे इमे पडिग्गहं लद्धे चिकद्दु बहु दिवसि-
एणं लोद्धेण वा कब्बेण वा ण्हाणेण वा, पउमच्चुण्णे
वा, वणेण वा, जाव माह्ज्जई ॥ १६ ॥

—निशी० उ० १४ सूत्र १६

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र मिला है, उसे बहुत दिन के बाद लोड़ करके, पद्म चूर्ण, वर्ण आदिसे से रँगें, रँगते को अच्छा जाने, (उसे पूर्ववत् दंड अर्थात् लघुचौमासिक दंड बनाया है) ॥

पाठ—

जे भिक्षू णवे इमे पडिग्गहे लद्धे चिकद्दु बहु दिवसिएण
सीउदग वियडेण वा उस्सिणोदग वियडेण वा जाव
साह्ज्जई ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे नया पात्र मिला है उसे बहुत दिन के पश्चात् अचित्त ठंडे पानी या अचित्त गरम पानी से धोए, धोते को अच्छा जाने, (उसे भी लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है)

नोट—उपर्युक्त दो पाठों में 'बहु दिवसिएण' शब्द आया है। किसी किसी शिथिलाचारी आचार्य ने इसका अर्थ 'तीन-

पुसलि उपरान्त १ दिया है, जो मर्चया असगत है । इसका अर्थ
“ बहुत दिन के बाद भी न रँगना ” है ॥

पाठ—

जे भिक्खु धुणांसि वा गिहे लुयांसि वा उस कालंसी
वा काम जलंसी वा पडिग्गहं आया वेज्जवा जाव
साईज्जई ॥ ३६ ॥

जे भिक्खु ददांसि वा भिचिसि वा सेलुंसि वा अंत-
रिक्ख जायांसि वा पडिग्गहं आया वेज्जा वा जाव
साईज्जई ॥ ३७ ॥

भावार्थ—जो साधु पृथ्वी के स्तम्भ पर, तथा घर की छत
पर ओस के पानी से भीगे हुए किसी पदार्थ को अथवा पात्र
को अनाप में दे, विशेष अताप में देवे ॥३६॥

जो साधु घर की छत पर तथा घर के बरोंडे आदि ऐसी जगह
में जिस के ऊपर आकाश हो, पात्र को अताप में दे, देते को अच्छा
जाने, (उसे पूर्ववत् दंड है) ॥

पाठ—

जे भिक्खु सुभिग्गंध पडिग्गहे लद्धे चिकद्दु तेलेण
वा घण्णावा, णवणीएण वा साईज्जई ॥ २० ॥

—निशी० उ० १४ सू० २०

भावार्थ—जो साधु यह विचार करके कि उसे सुगन्धित
पात्र मिला है, उसे तेल घृत मक्खन आदि लगाए, लगाते को

अच्छा जाने. (उसे पूर्ववत् प्रायश्चित्त अर्थात् लघुर्वात्मात्तत्र प्रायश्चित्त व्त्वाया गया है) ॥

नोट—हम देखने हैं कि उपरोक्त सूत्रों में—आगम वाक्यों में—पात्र को रँगना, सुशोभित बनाना तथा यह विचार करके कि नया पात्र मिला है उसे तेल घृत आदि लगाना, पानी से धोना, रँगना, बहुत दिन बाद रँगना, खूबसे अच्छा करना, इन सब कर्मों के लिए नया किया गया है; अतएव जयाचार्यजी का कथन विस्तृत मिथ्या है। तेरहपंची अपने समर्थन में टीका में आए हुए 'बहु दिवसिष्ण' का 'तीन पुस्तक उभयगत' अर्थ देना किया करते हैं, लेकिन व्याकरण और भाषा के कितनी भी नियम से यह अर्थ ठीक नहीं है। यही नहीं, सूत्रों में ही कई जगह इत्थञ्च अर्थ 'बहुत दिन बाद' दिया गया है। आचा० भ्रु० २ अ० १४ उ० १ सूत्र १७ व १८ तथा निशा० उ० १८ सूत्र ५१ में 'बहु दिवसिष्ण' का अर्थ 'बहुत दिन बाद' ही किया गया है। अतः निशा० उ० १४ का टीका का अर्थ विस्तृत गलत और अनर्गल है।

बृहद्० अथ उ० १ सूत्र १६ में साध्या को मात्राया अन्दर से रँगना मित्रे तो लेना, और रँगना न मिले तो ऐसा ही लेना बताया है। अतः स्पष्ट है कि स्वयम् पात्र मात्राया रँगना अनुचित है—आगम की आज्ञा के प्रतिकूल है।

सूत्र १७ में सद्यु को बिना रँगना बताया है। रँगना हुआ लेना मना है।

और भी देखिए—

[१] आचा० श्रु० १ अ० ८ उ० ४ सूत्र १ में एक पात्र तीन वस्त्र रखना बताया है ।

[२] आ० श्रु० २ अ० १५ उ० १ सूत्र १ में बलवान साधु को एक ही पात्र रखना बताया है, दूसरा पात्र न रखना बताया है । तुम्हा का मिट्टी का या काष्ठ (लकड़ी) का जो मिले उसे ही रखना बताया है । कितने ही आचार्य कहते हैं कि यह पाठ अभिग्रह-श्रारियों के लिए है ।

[३] नेरहपंथी निशीथ की हुंडी (उ० १८ नंबाँ अधिकार) में लिखा है कि जल-भगे नात्र से जल का भरनन कतके और आहार के पात्र पात्राया मे जल निकालना कहा है । इससे साधु के तीन पात्र ठहरने है । ये नेरहपंथी लोग यह भी कहते हैं कि व्या० सू० उ० २ सूत्र २८-२९ में भी तीन पात्र ठहरने हैं । लेकिन आगे देखने पर पता चलेगा कि तीन पात्रों की बात आगम के अनुकूल नहीं है ।

[४] बृहद्० कल्प उ० ३ सूत्र १५ x में दीक्षा लेने समय लिए जाने वाले उपकरण में पात्र ही बताया है, तीन पात्रों का कोई उल्लेख नहीं है । पाठ में तीन पात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अर्थ में यह लिख दिया गया है जो सर्वथा गलत और भ्रमपूर्ण है । पाठ में ब्रह्म के बारे में 'तिहिय कसिणेहि' पाठ है

x " रय हरण पडिग्गह " गोच्छा मायाए

तिहिय कसिणेहि वत्थेहि आयाए ॥

अच्छा जाने, (उसे पूर्ववत् प्रायश्चित्त अर्थात् लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ॥

नोट—हम देखते हैं कि उपरोक्त सूत्रों में—आगम वाक्यों में—पात्र को रँगना, सुशोभित बनाना तथा यह विचार करके कि नया पात्र मिला है उसे तेल घृत आदि लगाना, पानी से धोना, रँगना, बहुत दिन बाद रँगना, खराब से अच्छा करना, इन सब कामों के लिए मना किया गया है; अतएव जयाचार्यजी का कथन विल्कुल मिथ्या है। तेरहपंथी अपने समर्पन में टीका में आए हुए 'बहु दिवसिण' का 'तीन पुसलि उपरान्त' अर्थ पेश किया करते हैं, लेकिन व्याकरण और भाषा के किसी भी नियम से यह अर्थ ठीक नहीं है। यही नहीं, सूत्रों में ही कई जगह इसका अर्थ 'बहुत दिन बाद' किया गया है। आचा० श्रु० २ अ० १४ उ० १ सूत्र १७ व १८ तथा निशी० उ० १८ सूत्र ५१ में 'बहु दिवसिण' का अर्थ 'बहुत दिन बाद' ही किया गया है। अतः निशी० उ० १४ का टीका का अर्थ विल्कुल ग़लत और भ्रमपूर्ण है।

बृहद्० कल्प उ० १ सूत्र १६ में साध्वी को मात्रीया अन्दर से रँगना मिले तो लेना, और रँगना न मिले तो ऐसा ही लेना बताया है। अतः स्पष्ट है कि स्वयम् पात्र पात्रीया रँगना अनुचित है—आगम की आज्ञा के प्रतिकूल है।

सूत्र १७ में साधु को बिना रँगना लेना बताया है। रँगना हुआ लेना मना है।

पाणिएसिवा उद्धट (२) भोतएवा, पित्तएवा एस कप्पो" अर्थात् आहार ग्रहण करके खाने का विधान है। इस पर से तीन पात्रों का समर्थन नहीं होता है; क्योंकि कमडल पात्रा और मात्रीया ये सतवीर साधु के लिए आवश्यक है, सुदृढ़ साधु के लिए नहीं।

नोट—कितने ही मूत्रों में 'कमडलग सिवा' पाठ है, और कितने ही मूत्रों में नहीं है। मालूम होता है यह पीछे से जोड़ा गया है। क्या यह ठीक है यह केवली ही जानते हैं।

[७] व्यवहार० उ० ८ सू० ५ में सतवीर को उपदिष्ट प्राय वताई है। उस में हैं—(१) डंडा (२) पात्र (३) छत्र अर्थात् सिर टकने का कपडा (४) मात्रीया (मिट्टी का बरतन) (५) पाटीया (६) वस्त्र (चिग्मली सहित) (७) चर्म (८) चर्म का टुकड़ा। इस पर से भी तीन पात्र नहीं ठहरते हैं।

नोट—लेकिन तेरहपंथी आचार्य काष्ठ की तीन थालियाँ, पात्रा एक, प्याला एक, गिलास एक (पानी पीने का), मट्टी की मटकी (पानी के लिए), मात्रीया (उडगी), दूध पीने का प्याला, चौड़पट्टे दो, चादर (पट्टेवड़ी), अहलवान एक, वनात एक और विट्टौने के कपड़े (रात में सोने के लिए), चर्मला आदि मिलाकर सया सौ से डेढ़ सौ हाथ तक कपडा आदि बहुत से पदार्थ रखते हैं। एक सतवीर को जो पदार्थ रखना बताया है उस से भी ज्यादा संख्या में इनके आचार्य उपदिष्ट रखते हैं और इस

तरह शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आचरण करते हैं। साधारण साधु और आचार्य के लिए आचार के एक ही सरीखे नियम हैं, अतः आचार्य ज्यादा रखने के अधिकारी नहीं हैं। प्रत्येक साधारण साधु भी तीन पात्र और गोटों में नारियल के टोपसी प्रायः तीन चार रखा करते हैं और इस तरह वे भी अनाचार का सेवन करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यह तो सध का सध ही प्रायः भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है।

[८] प्रश्न० व्या० सत्र २ अ० ५ में साधु के लिए उपदि-
निम्न प्रकार बताई है—

जपियं समणस्स सुविहियस्स तहो पडिग्घारिस्स
भवई, भायण भंडोवहि, उवगरण पडिग्गतो, पाय
बंधणं, पाय केमरिया, पायद्ववणंच, पडलाइं,
तिण्णी वर यत्ताणंच गोच्छओ तिण्णिप पच्छगा
रयहरणं चोलपट्टम मुहण णंत कमादियं, एपपीय
संजमस्स उववूहण द्याए वाया यत्र दस मसग सीय
ओसिण परिरक्खणहायाए उवगरणं, राग दोस रहियं
परिहरियच्चं संजएण मिच्चं, पडिलेहण पप्फोउण
पमज्जणाए अहोय राओय अप्पमतेण होई ॥

शब्दार्थः—ज० - वात्मभावी, त० - साधु को, सु० - शुद्ध
आचार वाले, त० (ततस्) - त्वार पीछी उपकरण पात्र धारण करते
हैं, भ० - वह बताते हैं, भा० - भाजन, भ० - भङ्ग, उ० - उपकरण,
पा० - पात्रों, पा० - पात्रवधन की शौली, पा० - पात्र को साफ करने

का गोच्छ्रा, पा०—पात्र रखने का पाट, प०—पात्र लपेटने का लपेटा, नि०—तीन (पात्र, झोली और कपडा), गोचरी जाने वस्तु साफ करने के लिए जीव रक्षार्थ पडिलेहना करे, गा०—पुणजणी, ति०—तीन. १०—चादर, २०—रजोहरण, चौ०—चौडपट्टा, मु०—मुखवस्त्रिका आदि, ण०—नील, क०—चाग्नि पालने को, ए०—असमर्थ, स०—सयमी, उ०—अथवा कोई जीव की हिना न करे, वा०—वायु, द०—डन मच्छर, मी०—गीत, उ०—उष्णता, प०—दूर रखने के लिए, उ०—उपकरण, रा०—राग द्वेष, रा०—रहित, प०—मत्र दोषो को परिहरें, म०—सात्रु, नि०—दोनो समय, प०—प्रतिलेखना, प०—उधर उधर न हिलावे, प०—दृष्टि से अच्छा देखे, अ०—दिन को, २०—राति को सदैव, अ०—अप्रमादी, हो०—होवे ॥

भावार्थ—शुद्धाचारी सन्यास साधु निम्न उपकरण रखने हैं—(१) पात्र, (२) पात्र को बाँधने की झोली, (३) पात्र साफ करने का गोच्छ्रा, (४) पात्र रखने का पाट पाटला, (५) पात्र लपेटने का लपेटा [पहिले तीन उपकरणो का जीव-रक्षणार्थ गोचरी जाने समय यन्पूर्वक साफ कर लेना चाहिए], (६) गोच्छ्रा, (७-८-९) तीन पडिलेहनी, (१०) रजोहरण, (११) चौडपट्टा, (१२) मुखवस्त्रिका इत्यादि । ये संयम-निर्वाह के लिए रखना चाहिए । इन के बिना संयम-निर्वाह कठिन है । अथवा वायु, डन मच्छर, सर्दी, गर्मी आदि परिषह से बचने के लिए रखे, इन उपकरणो में राग द्वेष आदि सब दोषो का त्याग करता हुआ सदैव दोनो समय प्रतिलेखना करे, दृष्टि से देखे, यन्पूर्वक ही उधर उधर हिलावे, जीव की शक्ता के स्थान पोछ कर स्थापन करे, दिन-रात सदैव अप्रमादी होवे । “चिष्णां चर यत्ताणंच” का अर्थ कई आचार्य “तीन पात्र और तीन पात्र के

ढक्कल" करते हैं और कई 'तीन व्रतन' अर्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जब ऊपर ही पात्र बना दिया गया है तब फिर दुबारा बनाने की क्या आवश्यकता है, क्यों दृसर्ग बार तीन पात्र बनाए जायेंगे ॥

निग्रीय० उ० १ सूत्र ५७ व ५८ और उ० १६ सूत्र ३८ व ४२ में बताया है कि साधु कोई भी उपकरण डेढ़ महानि से अधिक न रखे और यदि रखे तो दण्ड का भागी हो। यही उ० ५ सूत्र ६१ से ६८ तक में और उ० २ सूत्र ४ में बताया है। लेकिन तेरहपंथी साधु इस नियम का भी कोई पालन नहीं करते हैं।

पात्र के रंगों के विषय में प्रमाण देखिए—

पाठ—

स अण्डादि सन्वे आलाव गा जाहा वत्थे सणाए
णाणन्तं तेह्णेण वा, घण्ण वा, णवणीए वा, वसाए
वा, सिणाणादिजाव अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि
थंडिलंसि पडिलेहिय २ पमज्जिय २ तओ संजया-
मेव आमज्जेज्जवा ॥ १२ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १५ उ० १ सूत्र १३

शब्दार्थः—स० - अण्डे सहित, न० - सब, आ० - बाल्यापक,
ज० - जैसे वस्त्रोष्णता में, णा० - विशेष, ते० - तेल से, घ०-घृत में,
प० - भवस्तन से, व० - चर्बी से, सि० - मुगधित द्रव्य, जा०-यावत्,

४८ - अन्य, त० - उर्मा प्रकार की, य० - स्थण्डिल में, ग० - देव देव कर, प० - पोछ पोछकर, त० - जव, म० - साधु, आ० - धिमे ॥ १२ ॥

भावार्थ—अडा आदि सहित सर्व आलापक वस्त्रोपपणा में कहे अनुसार जानना चाहिए। यहाँ यह विशेष है कि नेल धी चर्त्री आदि से पात्र लेपा हुआ हो तो अचित्त स्थान में जाकर देव-देव कर पोछ-पोछ कर यत्नपूर्वक उसे साफ करना चाहिए।

टीका—आचा० अ० १४ उ० १ व २ सूत्र १ में वस्त्र धोना-रँगना मना किया है। उपर्युक्त पाठ में 'जाव' शब्द में पात्र रँगना बाना साफ मना किया है। विशेष-लगा हुआ द्रव्य निकाल के साफ करना बताया है। बुधवारि सम-वशरण सूत्र ४० में १ वस्त्र १ पात्र रखने का आदेश किया गया है। बृहद् कल्प उ० १ बोल १८ में बताया है कि चिर-मर्त्या बांधने के काम में लेना चाहिए, अन्य काम में नहीं। लेकिन ये गृहपथी लोग इन सब आज्ञाओं का कोई पालन नहीं करते हैं।

अब कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जायगा जिससे पाठकों को पता लगेगा कि इन तेरहपंथी साधु-त्रेपियों को वस्त्र पात्र आदि उपकरणों के प्रति कितनी मूर्च्छा है ?

(१) गृहस्थ आचार्यजी से प्रार्थना करता है कि 'हुजूर, कृपा करके हमारे घर पधारिणा'। आचार्यजी उसके घर पधारते हैं तब गृहस्थ उन से कपड़ा लेने की विनती करता है। पहिले ही

कमर में पेटी में रखे हुए कपड़े पेटी सहित बाहर निकाल कर रख देता है। आचार्यजी यह नहीं पूछते हैं कि एक ही पेटी बाहर क्यों रखी गई। वे तो कपड़े लेना शुरू कर देते हैं। कपड़ा घटिया होता है तो 'इच्छा नहीं है' कह कर छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, और कपड़ा बढ़िया होता है, तो "गृहस्थ के भाव देखके" ले लेते हैं। घटिया कपड़े वाले गृहस्थ के भाव इन को नहीं टीखते। बाह, कैसी मायाचारी और विडम्बना है। एक बार बम्बई वालों ने अहलवान (चादर) देन की विशेष कोशिश की। आवश्यकता नहीं थी मगर फिर भी उसे लिया गया। उस नए अहलवान के ६ रूमाल (खेलीये) नाक साफ करने के लिए बनाए गए, जिन में से दो मुझे मिले, दो जगन्नाथजी को मिले और दो किसी और ने लिए, जिसका नाम मुझे मादूम नहीं है। देखिए, रूमाल तो फटे हुए पुराने कपड़े के करने चाहिए; लेकिन इन लोगों ने ४०-५० रुपए के नए कीमती अहलवान को फाड़ कर नाक साफ करने के रूमाल बनाए। यह एक नमूना है इन साधुत्व का नाटक करने वाले ढोंगियों के ठाट का, ऐश्वर्य का, और इनकी तपस्या के खोखलेपन का। उन रूमालों में से जो दो रूमाल जगन्नाथजी को दिए गए थे, उनमें एक रूमाल मौजूद है, जो चाहे आकर देख सकता है।

(२) चौथमलजी महाराज के पास कई पात्री हैं उनमें से एक लाल पात्री है जो केवल पंचमी जाने के वास्ते पानी लेने के लिए है। अन्य कामों में वे उसका उपयोग नहीं करते हैं, और वे कहा करते हैं कि और कामों में लेने से यह खराब हो जायगी; इसलिए

और कामों में इसका उपयोग नहीं करता हूँ। मूर्च्छा का कितना स्पष्ट और नग्न परिचय है? चौथमलजी ही नहीं, ये सब लोग कई कई पात्र रखते हैं और इसी प्रकार मूर्च्छा रखते हैं। स्वयं मेरे और मेरे पुत्र कनकमल दोनों के पास ५ पात्रों में से शुरू शुरू में एक ही पात्र रखवाया लेकिन आचार्यजी ने कह कर दो पात्र फिर ज्यादा बढ़वा दिए। वे दो पात्र अन्त तक काम में नहीं आए। पात्र के प्रति इन लोगों की यह मूर्च्छा कितनी अधिक है ?

(३) आचार्यजी के भाई चपालालजी को यह कहने सुना गया है कि ऐसा रजोहरण बाबास सम्प्रदाय वालों को मर के जन्मान्तर में भी नहीं प्राप्त हो सकता। द्वेष के साथ मिली हुई मूर्च्छा का कितना नग्न रूप है !

(४) चपालालजी ने एक बार आचार्यजी से कहा था कि इन हरे गुच्छों को भोगने से शरीर अच्छा होगा। यह है शरीर के प्रति मूर्च्छा !

इसी तरह बाँधने के लिए पट्टी बाँधने के लिए डोरी आदि हर चीज के प्रति इन लोगों में मूर्च्छा पाई जाती है। अमूर्च्छा, निर्दिष्टता, अनासक्ति, और उदासीनता का तो यहाँ नाम भी नहीं है।



अध्याय : १५

स्नान

प्रश्न—(क) जयाचार्य कृत प्रश्नोत्तर के प्रश्न ५६ में जीतव्यवहार के आधार पर स्नान करना साधु के लिए दोष नहीं बताया । क्या यह ठीक है ?

(ख) वर्तमान तेरहपंथी आचार्य स्वन्दल भूमि जाते हैं तब वहाँ पर मुँह धोया करते हैं, सामान्य साधु भी धोते हैं । कई साधु छिप कर धोते हैं, कई कागण लगा कर धो लेते हैं । ऐसे भी साधु हैं जो नहीं धोते हैं, लेकिन कारणवश लेने में दोष नहीं बताते हैं । यह दोष पात्र है या नहीं ?

(ग) तेरहपंथी साधु दाँत-साफ़ करते हैं, नाखून निकालते हैं, चोट गुमडादिक धोते हैं, मरहम लगाते हैं आदि । क्या ये क्रियाएँ ठीक हैं ?

उत्तर—(क), (ख) और (ग) तीनों का उत्तर ' नहीं ' में है ।

शास्त्र में बताया गया है कि रोगी या निरोगी अवस्था में स्नान की इच्छा करने मात्र से संयम नष्ट हो जाता है । दाँत

साफ करना, मुँह धोना, आँखें साफ़ करना, नाखून निकालना, पसीना पोछना, हाथ पैर आदि धोना, ये सब क्रियाएँ शास्त्र के अनुसार निषिद्ध हैं। जत्र आगम अर्थात् सूत्र के प्रमाण मौजूद हैं तत्र जीतव्यवहार की मान्यता का क्या अर्थ। जीतव्यवहार का विधान तो तभी धर्मानुकूल है जत्र आगम-प्रमाण उपलब्ध न हो।

प्रमाण देखिए—

(१) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में वीर प्रभु ने कहा है कि छोटा बड़ा स्नान करनेवाला, कपडा धोने वाला संयम से दूर है, क्योंकि वह सयोजना [संयोग] दोष लगाता है।

(२) दशवे० अ० ६ सूत्र ६१ में बताया है कि गेगी अथवा निरोगी जो कोई साधु स्नान की इच्छा करता है उसका आचार संयम से दूर है—उसका संयम नष्ट हो गया है।

(३) सुयडा० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र १५ में लोलुपता-पूर्वक बलिष्ठ आहार लेना, हस्तपादादिक धोना तथा गरीर को साफ़ करना व्याज्य बताया गया है।

(४) दशवे० अ० ४ सूत्र २६ में हाथ पैर धोने वाले साधु को सुगति दुर्लभ बताया है।

(५) सुयडा० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र १२ व १३ में यह उल्लेख है कि दाँत साफ़ करना, देश स्नान करना व हाथ पैर धोना, नख रोम आदि अच्छे करना, साधु के लिए मना है।

(६) निशी० उ० २ सूत्र २१ में कहा गया है कि अचित्त ठंडे पानी या गरम पानी से हाथ पैर कान आँख दाँत

नख मुख धोना, धोते को अच्छा जानना दोषयुक्त है और इसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है ।

(७) निशी० उ० ३ सूत्र २० के अनुसार पाँच एक बार या अधिक बार (विशेष रूप से) धोना, धोते को अच्छा जानना दोषयुक्त है और इसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है ।

(८) निशी० उ० ३ सूत्र २० से २६ तक यह बताया गया है कि साधु साध्वी अपने पाँव को रँगें, मैल उतारे, मसले, तैलादि लगावे, लोद्रादि लगावे, धोवे, या मसल कर शरीर का मैल उतारे, बारबार उतारे, उतारते को अच्छा जाने तो (ये छह बोल शरीर आसरी) यह दंड बताया है ।

(९) निशीथ उ० ११ सूत्र ११२ से १६८ तक में यह बताया है कि पसीना पोछना, नाखून काटना, दाँत साफ़ करना, मुँह धोना आदि अनेक कार्य त्याज्य हैं । जो इन्हें करे उसे गुरु चतुर्मासिक दंड बताया है ।

(१०) दशवे० अ० ६ सूत्र ६५ व ६६ - में नाखून काटना, शरीर को सुशोभित करना आदि कार्यों को ७-८ दृढ़ कर्मों के बन्धन का कारण बताया है और उस बन्धन से छूटना दुर्लभ बताया है ।

नोट—उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि स्नानादि करना शास्त्र में निषिद्ध है, लेकिन ये तेरहपंथी खुल्लमखुल्ला स्नानादि करते हैं और इस तरह आगम की आज्ञाओं के विरुद्ध

आचरण करके समाज को धोका देते हैं और अपनी आत्मा को पतन के मार्ग में दबकेलते हैं ।

और भी देखिए—

पाठ—

वाहिओ वा. आरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए ।

बुक्कन्तो होई अयारो, जदो ह्वई संजमो ॥ ६१ ॥

—दशवे० अ० ६ सू० ६१

शब्दार्थ— वा०—रोगी, वा०—अथवा, अ०— निरोगी, वा०— फिर, मि०— स्नान करना, जो— कोई, उ— फिर, प०— इच्छा करे, व०— ब्रह्म, हो०— होये, अ०— माघ के आचार से, उ०— सानी, द०— हो, न०— समय में ॥६१॥

भावार्थ—रोगी अथवा निरोगी जो कोई साधु स्नान की इच्छा करता है उसका आचार व समय नष्ट होना है ॥ ६१ ॥

टीका—यहाँ रोगी अथवा निरोगी दोनों अवस्थाओं में साधु के लिए स्नान करने की इच्छा मात्र करने में भी संयम का विनाश बनाया है । विचारशील पाठकगण विचार करें कि सूत्र में इतना स्पष्ट विधान होने वृष्ट जयाचार्यजी का कथन कितना मिथ्या ठहरता है ?

पाठ—

सुह-सायगस्स समणस्स सायाउल गस्स निगामसाईस्स ।

उच्छोलणा पद्दो अस्म, दुल्लहा साग्गई तारिसगस्स ॥२६॥

—दशवे० अ० ४ सू० २६

शब्दार्थ—मु० - प्राप्त मुख के, मा० - भोगने वाला, म० - द्रव्य साधु को, सा० - आगामी काल में मुख की इच्छा करने वाला, नि० - सूत्र सीखने के समय और क्रिया अनुष्ठान के समय जंघ लेना, सा० - सोता रहे, उ० - मल दूर करने के लिए और श्रृंगार के लिए ज्यादाही पानी वापरे, मुख नेत्र हाथ पैर आदि, प० - धोनेवाले को ये पाँच कामो को, द० - दुर्लभ है, सा० - शुभ, ग० - गति (मनुष्य गति देवगति मोक्षगति), ता० - भगवान की आज्ञा का लोप करने वाला नाथु नरक में जावे ॥

भावार्थ—सुखद शब्दादि विषयों का स्वाद चखने वाले, साता के लिए आकुल, व्याकुल, निष्काम शयन करने वाले और हाथ पाँव का प्रक्षालन करने वाले साधु के लिए सुगति दुर्लभ है ।

टीका—यहाँ शब्दादि विषयों का रसास्वादन करनेवाले और हाथ पाँव धोने वाले साधु के लिए सुगति दुर्लभ बताई गई है । तेरहपंथी इसी श्रेणी के साधुओं की श्रेणी में आते हैं, इनके लिए सुगति सचमुच दुर्लभ ही नहीं अत्यन्त दुर्लभ है । ये लोग पंचमी की सेवा के समय में भी सुशब्द सुध्वनि में गृह्य बने होते हैं और हाथ पाँव तो खुल्लमखुल्ला धोते हैं, यही नहीं इस धोने को वे शास्त्रोक्त कहते हैं । इस तरह ये लोग पाप करते हैं और उस पाप को पुण्य कहते हैं, चोरी करते हैं, ऊपर से सीनाजोरी करते हैं । फिर भला साधु-धर्म की दुर्गति करने वाले इन दर्भी दोगियों को सुगति कहाँ ?

पाठ—

जे धम्मलद्धं विणिहाय भुजे, वियडेण साहुद्धुय जे सिणाई ।
जे धोवति लुसयंति व वत्थ अहाहुसेणा गणियस्स दूरे ॥२१॥

—सुयडा० श्रु० १ अ० ७ मू० २१

शब्दार्थ—जे०—जो, व०—वमं से, ल०—प्राप्त करके, वि०—
दोष लगा कर, भु०—भोगे, वि०—अचित्त, सा०—संकोच कर,
मि०—स्नान करता हूँ, जे०—जो, बो०—घोता हूँ, लु०—काटना
हूँ, व०—वस्त्र, अ०—अव, आ०—कहा, मे०—वह, णा०—निग्रह
भाव से, दू०—दूर है ॥ २१ ॥

भावार्थ—श्रो० तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि जो साधु
मात्र व्यवहार शुद्धि के लिए निर्दोष आहार खाते हैं और उस
संज्ञोयणा दोष लगा कर भोगते हैं, ऐसे अचित्त पानी से प्रासुक
स्थान में बैठ कर आगोपाग संकोच कर थोड़ा या बहुत स्नान
करते हैं, बखो को बो कर या फाड़कर और फिर सीकर सुशो-
भित करते हैं वे साधु संयम से दूर समझे जाने हैं ॥ २१ ॥

पाठ—

जे भिक्खू अप्पणो अत्थिणि आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज
वा आज्जत वा पामजंत वा साइज्जई ॥ ६१ ॥

—नि० उ० ३ सू० ६१

जे भिक्खू अप्पणो कायाओ सेयंवा, जलंवा
पकवा मलंवा, णिहरेज्जवा वा विसोहेज्जवा,
णिहरंतं वा विसोहंतं वा साइज्जई ॥ ७० ॥

—नि० उ० सू० ७०

भावार्थ—जो साधु अपनी आँखों को साफ करे, मसले,
विशेष मसले, मसलते को अच्छा जाने ॥ ६१ ॥

जो साधु काया का पसीना, विशेष पसीना, मैल, जमा हुआ मैल निकाले, विशुद्ध करे, निकालने व विशुद्ध करते को अच्छा जाने (तो उसके लिए लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ॥७०॥

आचा० श्रु० २ अ० २२ में कहा गया है कि गृहस्थ साधु के पाँव को साफ़ कर या कांटा आदि निकाले साफ़ करे तो ऐसा कराना तथा वैसा ही शरीर के लिए भगंदर जलदर ज्वेन पसीना आदि सम्बंधी कार्य कराना मना है । अ० २३ में साधुओं में परस्पर उपयुक्त कार्य करना कराना त्याज्य है । 'जाव' शब्द में निम्न पाठ दिया है—

पाठ—

से भिक्खु वा (२) अण्णमण्ण किरियं अन्यत्थियं
ससेइय नो तं सात्तिए नो तं नियमे । सिया से
अण्णमणो पाए आमज्जेज्जा वा पमज्जेज्ज वा
नो तं सात्तिए नो तं नियमे सेसं तं चेव ॥ १ ॥

शब्दार्थः—से० - वह, भि० - साधु साध्वी, अ० - परस्पर, कि० - क्रिया, अ० - बाध्यात्मिक, स० - मश्लोपिकी, नो० - नहीं, तं० - उसे, स० - इच्छा करे, नि० - करावे, सि० - कदाचित्, से० - उसके, अ० - परस्पर, प० - पाँव, आ० - मसले, प० - विशेष मसले, नो० - नहीं, तं० - उसे, सा० - इच्छा करे, नो० - नहीं, तं० - उसे, नि० - करावे, से० - शेष, तं० - बना ही ॥

भावार्थ—साधु साध्वी, कर्म-बन्धन की पाँच क्रियाएँ

जो उपरोक्त अध्ययन में बताई गई हैं, उन्हें परस्पर न कराए न उनकी इच्छा करे ।

और भी देविण—

पाठ--

मिणाणं अदुवा कक्कं लोद्ध पउमगाणिय ।

गायस्सुव्व ढणहाए नायरन्ति कयाइ वि ॥ ६४ ॥

—दशवे० अ० ६ उ० १८ सूत्र ६४'

शब्दार्थ—सि० - स्नान, अ० - अथवा, क० - चन्दनादि,
नो० - नोट०, प० - सुगन्धित द्रव्य कुकूम केसर आदि, व० - फिर,
ग० - गरीर के, उ० - मर्दन, टूठ० - त्रिमित्त, ना०-न, या० - याद
करे, क० - कोई भी, वि० - वक्त भी ॥

भावार्थ—साधु स्नान अथवा चन्दन लोठ पद्म-कमल
कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यों में शरीर मर्दन न करे ।

नोट—उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि स्नान तथा
अन्य शारीरिक सफाई आदि के काम करना साधु के लिए द्रोप-
सेवन है, लेकिन तेहपंधी सफाई के सभी काम करते हैं और
इस तरह साधु कहला कर, साधुत्व का टोंग गच कर, साधुत्व की
ही हत्या करते हैं । साधु-धर्म की तो हत्या ये बेचारे क्या कर
सकते हैं, उसे स्थायी रूप से ब्रह्मनाम भी क्या कर सकते हैं, हाँ
अपनी आत्मा का पतन अवश्य कर लेते हैं । ऐसे लोगों पर क्रोध
नहीं, दया ही, आ सकती है ।

गोचरी + पंचमी + विहार — आदि —

प्रश्न—(क) तेरहपंथी गृहस्थ के साथ पंचमी (म्यन्डिल भूमि) के लिए जाते हैं। यह दोप-सेवन है या नहीं ?

(ख) तेरहपंथी गाँव-गाँव में गृहस्थों के साथ विहार करते हैं। अमुक गाँव को अमुक दिन अमुक मार्ग से जाने का विचार भी चार पाँच दिन पहिले से बना लेते हैं और पहिले से ही दूसरों को इसकी सूचना कर देते हैं और रास्ते की सेवा का लाभ बता कर डेरो का आहार लेते हैं। यह दोप-सेवन है या नहीं ?

(ग) तेरहपंथी गृहस्थ के साथ गृहस्थ के घर गोचरी के लिए जाते हैं, थोड़ी वर्षा होते हुए भी गोचरी कर लेते हैं, जोर की हवा चल रही हो तब भी गोचरी कर लेते हैं। यह दोप-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—(क) यह सर्वथा दोप-सेवन है। साधु सूत्र की आज्ञा के अनुसार गृहस्थ को पंचमी के जाते समय साथ नहीं

ले जा सकता, लेकिन ये तेरहपंथी लोग खुल्लमखुल्ला इस विषय में भी अपनी मनमानी करते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आप गृहस्थों को अपने साथ क्यों ले जाते हैं तो ये कपटी लोग बेगारमी से उत्तर दिया करते हैं कि हम सग चलने के लिए गृहस्थों से नहीं कहते हैं, स्वयं वे ही साथ हो जाते हैं। उनकी यह सफाई बिल्कुल कमजोर और लचर होती, यदि वे गृहस्थों से ऐसा न भी कहते होते, लेकिन वहाँ तो वान ही दूसरी है जिससे उनकी सफाई सफेद झूठ से भरी सिद्ध होती है। वहाँ सामान्य साधु गृहस्थों से कहा करते हैं कि हुजूर पंचमी पधारते हैं सेवा का लाभ लो। ऐसा कह कर गृहस्थों को साथ रहने के लिए कहा जाया करता है। यह भी देखा कि एक बार जब तेरहपंथी आचार्य चुरु पधारे और पंचमी की सेवा के समय उच्च शब्दों द्वारा गृहस्थों ने जयध्वनि नहीं की तब सामान्य साधु गृहस्थों से कहने लगे कि यहाँ तो भक्ति कम दिग्बाई देती है, क्योंकि हर गाँव में तो पंचमी की सेवा के समय लोग बड़े जोरों के साथ जयध्वनि बोलने रहते हैं जब कि यहाँ नहीं बोलते। इस उपदेश का भोले-भाले बंचारे श्रावकों पर यह असर पड़ा कि वहाँ ही चौथे दिन खूब ऊँचे शब्दों द्वारा कीर्ति-गान होने लगा, जयध्वनि होने लगी। इस तरह ये लोग सब कुछ गृहस्थों से कह कर अपना काम चला लेते हैं मगर जब इन पर आक्षेप किया जाता है तब कहते हैं कि गृहस्थ स्वच्छा से ऐसा करते हैं, हम उन्हें क्यों मना करे, हम उन्हें सेवा के लाभ से क्यों वंचित करें। यह कितनी मायाचारी है ? जब पंचमी की जगह पास आ जाती है

तब ये लोग गृहस्थों से आगे चलने के मना क्यों करते हैं ? क्योंकि मना करे तो पंचमी कैसे जायँ, काम कैसे चले ? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई, जब टट्टी करने के लिए तुम गृहस्थों से आगे बढ़ने के लिए मना कर सकते हो तब क्या सूत्र की आज्ञा-भंग करने के लिए, अपने साधु-धर्म में कोई दोष लगने देने के लिए, जिनेन्द्र भगवान के आगम द्वारा बताए हुए कल्याण मार्ग का ग़लत पालन करने के लिए, उन्हें पंचमी जाते समय पहिले ही साथ चलने के लिए, मना नहीं कर सकते ? स्पष्ट है कि इन लोगों को न आराम से मतलब है, न जिनेन्द्र भगवान से और न अपने आत्मकल्याण से । ये तो स्वार्थ की मूर्तियाँ हैं, जिनके लिए स्वार्थ मुख्य है, बल्कि सर्वस्व है । इस तरह हम इन तेरहपंथियों के कपट को स्पष्ट देखते हैं ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

से भिक्षू वा भिक्षूणी वा वहिय वियार-
भूमि वा विहार भूमि वा णिक्खममाणे पवि-
समाणे वा, णो अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण
वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण वा संद्धि-
वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा
णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा ॥ ८ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १० उ० १ सूत्र ८

द्राघ्दार्थ—ने० - वे, भि० - माधु, भि० - साध्वी, व० - बाहर,
 वि० - व्युत्सर्ग स्यात्, वि० - स्वाध्याय स्यात्, णि० निकलने, प० -
 प्रवेश करते, णो० - नहीं, व० - अन्यतीर्थियों के साथ, गा० - गृहस्थों के
 साथ, प० - पार्श्वस्य साधु, अ० - अपार्श्वस्य साधु, व० - बाहर,
 वि० - व्युत्सर्ग भूमि, वि० - स्वाध्याय भूमि, नि० - निकले, प० -
 प्रवेश करे ॥ ८ ॥

भावार्थ—साधु साध्वी को अन्यतीर्थी गृहस्थ, ब्राह्मण
 पार्श्वस्थ आदि मनुष्यों के साथ जगल की दिशा में व स्वाध्याय-
 भूमि में नहीं आना जाना चाहिए ॥ ८ ॥

पाठ—

जे भिक्षु अणउत्थिए वा गारत्थिए वा, परिहारिओ
 अपरिहारिएणं सद्धिं वहिया वियारभूमिं वा विहार-
 भूमिं वा निखम वा पविसई वा निक्खमंतं वा
 पविमंतं वा माईजई ॥ ४१ ॥

—निशी० उ० २ सूत्र ४१

भावार्थ—जो साधु अन्यतीर्थीक, गृहस्थ, परिहारिक साधु
 तथा अपरिहारिक साधु के साथ स्यन्डिल भूमि में व स्वाध्याय
 की भूमि में जाय, जाने को अच्छा जाने [तो उसे लघुमासिक
 ढड बताया गया है] ॥ ४१ ॥

टीका—यहाँ स्पष्ट बताया गया है स्यन्डिल भूमि में
 गृहस्थों के साथ जाना अर्थात् पंचमी के लिए गृहस्थों के साथ
 जाना और जाने को अच्छा जानना दोष है, जिसके लिए लघुमासिक

प्रायश्चित्त का विधान है। यदि यह दोष बिना उपयोग के पर-
वश हुआ हो तो जघन्य [सब से कम] चार उपवास का दण्ड,
इच्छापूर्वक हुआ हो तो मध्यम (बीच का) दंड और मोहनीय कर्म
के उदय से मूर्च्छापूर्वक हुआ हो तो उत्कृष्ट (सब से ज्यादा) सत्ताईस
उपवास का दण्ड बताया गया है। लेकिन तेरहपंथी जयाचार्यजी ने
'प्रश्नोत्तर' में प्रश्न ५३ के उत्तर में आचा० श्रु० २ अ० ३
मूत्र २२ का हवाला देते हुए लिखा है—“प्रज्ञावंत साधारे
अर्थे उच्चार पास वण रीजायगा पडिलेहणी कही, ते माटे
विजा तेहनी ने श्राय पडिले हतो पिण दोष नहीं”। इस पर
से तेरहपंथी उच्चार पासवण की जगह को बिना देखे, एक
व्यक्ति के देखने पर ही, सब काम में ले लेते हैं।

तेरहपंथी उच्चार सुचि के लिए पात्रा भर कर या आधा
पात्र या एक दो टोपसी पानी ले जाते हैं जब कि शास्त्र में तीन
पुसलं से अधिक पानी इस कार्य के लिए वापरना त्याज्य
कहा है।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

जे भिक्षु तओ उच्चार पासवणं भूमिओ न
पडिलेहइ न पडिलेहंतं वा साइज्जइ ॥ १५८ ॥
जे भिक्षु उच्चार पासवणं परिहावेत्ता, परित्तिण्हं
नावा पुराणं आयमइ, आयमंतं वा साइज्जइ ॥ १६६ ॥

—निशी० उ० ४

भावार्थ—जो साधु बड़ा नीति, लघु नीति के लिए नीन स्थानक की प्रतिलेखना नहीं करे, नहीं करने को अच्छा जाने (तो उसके लिए लघु-चौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ॥ १५८ ॥

जो साधु बड़ा नीति लघु नीति पगिठा कर नीन पुसली पानी से अधिक पानी लेकर शुचि करे, करने को अच्छा जाने (तो उसके लिए लघु-चौमासिक दंड बताया गया है ॥ १६६ ॥

पाठ—

सं भिक्षु वा (२) समाणे वा वसमाणे वा गामा-
णुगामं दूईज्ज माणे पुच्चा मेवणं पण्णस्स उच्चार
पासवण भूमिं पडिले हेज्जा केवली वूया 'आयाण-
मेयं' अयडिलेहीयाए उच्चार पासवण भूमिए
भिक्षु वा भिक्षुणी वा गओ वा वियाले वा
उच्चार पासवणं परिद्वे माणे पयलेज्ज वा पवडेज्जा
वा सं तत्थ पयले माणे वा, पवडेमाणे वा हत्थ वा
पार्यं वा जाव लूसिज्जा पाणाणि वा जाव ववरोवेज्जा
अह भिक्षवूणं पुच्चो व दिट्ठ जाव जं पुच्चामेव पण्णस्स
उच्चार पासवण भूमि पडिलेहेज्जा ॥ २२ ॥

-आचा० २ श्रु० अ० ११ उ० ३ सूत्र २२

शब्दार्थ—मे० - वे, भि० - साधु साध्वी, म० - स्थिरवासी,
व० - कल्पविहारी, गा० - ग्रामानुग्राम दू० - फिरते, पु० - पहिले,
व० - प्रजावत्त को (ज्ञानी को), उ० - बड़ी नीति की, पा० -

लघुनीति की, भू० - जमीन, प० - देखे, के० - केवली, बू० - फर-
माया, आ० - पापस्यान, मे० - यह, अ० - विना देखे, उ० - बड़ी
नीति, पा० - लघुनीति, भू० - जमीन को, भि० - साधु, भि० -
साध्वी, रा० - रात्रिको, वि० - शामको, उ० - बड़ी नीति, पा० -
लघुनीति, प० - परिठवते, प० - रपटे, प० - पड़े, से० - वे,
त० - ताहाँ, प० - रपटते, प० - पड़ते, हा० - हाथ, पा० -
पौव, जा० - यावत्, लु० - घसाए, पा० - प्राणियो, जा० -
यावत्, व० - विराधे, अ० - अथ, भि० - साधु को, पु० - पहिले,
दि० - उपदेश किया, जा० - यावत्, ज० - जो, पु० - पहिले, प० -
प्रज्ञावत को, उ० - बड़ी नीति की, पा० - लघु नीति की, भू० -
जमीन को, प० - देखे ॥

भावार्थ—एक स्थान में रहने वाले साधु को या मास-
कल्पविहारी या गाँव गाँव फिरनेवाले साधु को सदैव लघु नीति
बड़ी नीति की भूमि का अवलोकन करना चाहिए, अन्यथा केवल-
ज्ञानी ने दोष कहा है । रात्रि के समय या शाम को विना देखी
जमीन में जाने से अनजान में रपट जाय या गिर पड़े तो शरीर
के अगों का भंग हो और नीचे जीवों का भी घात हो; इस-
लिए सब जगह लघु नीति और बड़ी नीति की भूमि पहिले से ही
देख लेना चाहिए ।

टीका—यहाँ एक स्थान में रहने वाले साधु या गाँव गाँव में
फिरने वाले साधु को व प्रज्ञावन्त को अर्थात् प्रतिज्ञावान त्यागी को
लघु नीति बड़ी नीति की जगह को पहिले से ही सब कोई
जगह देखने का आदेश है । दूसरे के दिखाने का यहाँ विधान
नहीं है, स्वयं देखने पर ही यहाँ जोर है । स्वतः ही देखने से
रपटने और गिर पड़ने से पूरी तरह सुरक्षित रहा जा सकता है,

दूसरे के बताने से काम नहीं चल सकता । जयाचार्यजी ने जो स्थापना की है तथा प्रजावन्त का जो अर्थ किया है वह ग़लत है । पाठकवृन्द विचारपूर्वक देखें ।

उत्तर—(ख) यह भी दांप-सेवन है । गृहस्थों के साथ गाँव गाँव में जाने के लिए सूत्र में मना किया गया है लेकिन इन लोगों ने मूत्र के आदेशों, भगवान जिनेन्द्र की आज्ञाओं और साधु-धर्म के नियमों को तोड़ने की मानों कसम खा ली है । ये लोग गृहस्थों के साथ गाँव गाँव घूमते हैं और गृहस्थों से रास्ते की सेवा का लाभ बता कर साथ रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं । इसी प्रेरणा का—उलटे उपदेश का—यह परिणाम है कि इनके आचार्यजी के साथ ५०-६० डेरे चलते रहते हैं । विहार का प्रोग्राम पहिले ही बन जाता है और प्रकट कर दिया जाता है जिसके आधार पर गृहस्थ लोग आपस में विचार करते हैं और तय करते हैं कि पहिले दिन जत्र बड़ी सत्यांजी का विहार हो तो अमुक अमुक इतने डेरे जायँ, इतने डेरे सेवा में रहने से आहार की अड़चन नहीं पड़ेगी, और इतने डेरे पूज्य महाराजजी की सेवा में रहेगे, अमुक गाँव तक अमुक पहुँचा देंगे, फिर अमुक ग्राम के गृहस्थ सेवा में आ जायँगे, आदि आदि । इस तरह ये गृहस्थ लोग इन लोगों के विहार का पूरा प्रबन्ध कर लेते हैं मानों किसी सरकारी अफसर के दौरे के लिए सरकारी नौकर इन्तज़ाम कर रहे हैं । त्रिकुल सरकारी और शाही ठाट-बाट है, यहाँ सादगी साधुन्व फकीरी आदि का नाम भी नहीं है ।

। कभी कोई गृहस्थ थोड़ी सेवा कर के वापिस जाता है तो ये लोग उस से पूछने लगते हैं कि कितने दिन की सेवा हुई। गृहस्थ जब उत्तर देता है तो बोलते हैं—“बस, इतनी ही, हम तो ज्यादा दिन की सेवा समझते थे। देखो, अमुक गृहस्थ तन मन धन में कितनी सेवा कर रहा है, आदि आदि”। चानुर्मास तथा महामहोच्छ्रव के समय और स्थान की सूचना भी ये लोग पहिले से ही दे देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि आचार्य का चानुर्मास या महामहोच्छ्रव है इसका खयाल रखना। इस तरह ये लोग आरम्भ बढ़ने का निमित्त बनते हैं और घुमा-फिरा कर श्रावकों को तय्यारी करने की प्रेरणा कर देते हैं। इस तरह ये लोग तरह तरह से गृहस्थों को अधिक से अधिक रास्ते की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब इन पर इस बारे में दोषारोपण किया जाता है तो ये वेहयाई के साथ यह कहते हैं कि हम तो गृहस्थ से सग चलने के लिए कहते नहीं, वह स्वेच्छा से जाता है, अगर हम निषेध करेंगे तो वह सेवा के लाभ से वंचित होगा और हमें अन्तराय कर्म का बंध होगा, आदि आदि। इस तरह इन लोगों की लचर सफाई है। ये लोग यह क्यों नहीं समझते (समझते तो होंगे) कि पाप और पुण्य का सम्बन्ध, आचार अनाचार का सम्बन्ध, भाव से है शब्द से नहीं। जब ये लोग सेवा में लाभ बताते हैं तभी इनके मनमें यह बात होती है कि यह गृहस्थ साथ चले, अन्यथा उसे सेवा का लाभ बताने का क्या प्रयोजन है? मन में यह भाव होता है पर शब्दों में उसे घुमा-फिरा कर प्रकट किया जाता

है। इस तरह ये लोग शब्द-जाल द्वारा भावों को, अपनी आत्मा को और भगवान को धोका देना चाहते हैं। सचमुच ये बेचारे कितने दयनीय हैं जो यह भी नहीं जानते कि वे दुनिया को भले ही कुछ समय के लिए धोके में रख लें लेकिन भगवान को और मनुष्य को धोका नहीं दे सकते। उनकी आत्मा में कर्मों का बंधन उनके भावों के अनुसार ही होगा और मुँह से ये कुछ भी कहें, वह बंधन अवश्य होगा, वे इस बंधन से नहीं बच सकेंगे और इस तरह वे अपना महान् पतन और अकल्याण करेंगे।

प्राचीन घटनाएँ देखिए—

(१) गज प्रश्नो० सूत्र० प्रदे० अर्धो०—समय देखकर उधर विहार कहँगा पेंसा श्री० केशिकुमारजी ने फरमाया मगर यह नहीं बताया कि अमुक दिन अमुक गाँव के गस्ते से अमुक समय आऊँगा, आदि।

नोट—ये तेरहपथी तो अपना साग प्रोग्राम पूरी तरह बनाकर प्रकट कर देने हैं।

(२) भग० श० २ उ० ५ सूत्र १५—पार्ष्वनाथ भगवान के शिष्य के पधारने के बाद श्रावकों को खबर मिली और तब उन्होंने दर्शन किए।

नोट—उस समय इन तेरहपथियों की यह कुपद्धति चालू होनी तो श्रावकों को पहिले से ही पता होता।

(३) भग० श० १३ उ० ६ सूत्र ६-७—उदई राजाजी के मनोगत भावों को देखकर भगवान पधारे, पीछे गजा ने दर्शन किए।

(४) त्रीपा० श्रु० २ अ० १ सूत्र ३१—सुभाऊ कुमार के मनोगत भाव देख कर भगवान पथारे, इसके पश्चात् भगवान के दर्शन हुए ।

(५) राज प्र० राजा० अ० सूत्र ३२—केर्जा स्वामी जेवया नगरी के मृगवन के उद्यान में पथारे तत्र वननाली को खन्नर हुई ।

(६) विन्ही दिशा० अ० १ सूत्र ३३—निपेध कुमार के मनोगत भावों को देख कर भगवान अग्रनेमि पथारे, इसके पश्चात् दीक्षा ली ।

नोट—उपरोक्त घटनाओं से पता चलना है कि प्राचीन काल में साधु अचानक ग्राम या नगर के किसी उद्यान में आकर ठहरने थे तत्र नगर वालों को पता लगता था कि अमुक साधु आये हैं, इससे पहिले उन्हें पता नहीं लगता था । तेरहपंथी देखें कि उनका पाँच-सात दिन पहिले सत्र प्रोग्राम प्रकट करने का व्यवहार कितना शास्त्रविरुद्ध और अनुचित है ।

तेरहपंथी जब देशान्तर भ्रमण करते हैं तब पहिले से ही श्रावकों से सेवा का नियम करवा लेते हैं लेकिन यह सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है । सुयडा० श्रु० २ अ० १८ सूत्र ३७ में बताया है कि जिस दिशा में जाय उसी दिशा में चार तरह के अप्रतिबन्धों का पालन करे, अर्थात् अल्पग्रन्थी, लुक्षाहारी, सरस आहार के त्यागी, कोई भी प्रतिबन्ध से रहित, होकर ही भ्रमण करे, लेकिन इन लोगों को इन बातों से क्या प्रयोजन ? ये तो बाकायदा ठाट-

बाट के साथ पूरे जट्टस का शकल में विहार करते हैं और सभी तरह के प्रतिबन्ध भी रखते हैं ।

सुयडा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ नू० १५-१७ में बताया है कि देशान्तर में भ्रमण करने समय कोई संकट आए तो किसी आत्मीय या मन्त्रन्धी को याद न करे लेकिन नेहपंथी तो ऐसे समय में तरीके से दूर सन्देश पहुँचा देने हैं, आत्मीय भाइयों को बुला लेते हैं, श्रावकों द्वाग लाखों रुपए भी खर्च करा लेते हैं । एक तरफ तो ये लोग हैं और दूसरी तरफ प्रातःस्मरणीय पूज्य मुनि अर्जुनमालीजी, जिन पर श्रावक राजा श्रेणिक की राजप्रही नगरी में बहुत से व्यक्तियों ने अन्याचार किया लेकिन उन्होंने कोई प्रबन्ध नहीं कराया । यदि वे चाहते तो सब कुछ कर सकते थे ।

ये नेहपंथी लोग स्वयं मोच्छ्रव करने करते हैं जब कि आख में मोच्छ्रव करना कराना तो दर किनारा, देखना तक मना है । निशी० उ० १२ में साधु-माव्ही को मोच्छ्रव देखने की इच्छा करना दोष बनाया है और उसके लिए, चौमासिक प्राय-श्चित्त बनाया है ।

पाठ—

से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइज्ज माणे णो अण्ण
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहरिओ अपरिहरि
एण वा, सद्धि गामाणु गामं दू इज्जज्ज ॥ ९ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १० उ० १ सूत्र ९

शब्दार्थ—से० - वे, भि० - भिक्षु, माघु, भि० - माघ्वी, गा० - ग्रामानुग्राम, दू० - आते जाते, णो० - नहीं, अ० - अन्य-तीर्थी, गा० - गृहस्थों के साथ, प० - भ्रष्टाचार्यों के साथ, अ० - दोषी साधु, म० - मग, गा० - ग्रामानुग्राम, दू० - न निकले न प्रवेश करे ।

भावार्थ—साधु-सार्धों को अन्यतीर्थी के साथ, गृहस्थों के साथ, भ्रष्टाचार्यों के सग यावत् गाँव गाँव आना जाना व विहार करना मना किया है ।

पाठ—

जे भिक्खु अण उत्थिएण वा गारत्थिएण वा
परिहारिए ओ अपरिहारिणं सद्धिं ग्रामाणुग्रामं
दूइज्जई छइज्जंतवा साइज्जई ॥ ४२ ॥

—निशी० उ० २ सूत्र ४२

शब्दार्थ—जे० - जो, भि० - साधु, अ० - अन्यतीर्थी, ग० - गृहस्थों के साथ, प० - परिहारिक, अ० - अपरिहारिक, म० - मग, गा० - गाँव गाँव, दू० - विचरे, दू० विचरते को अच्छा जाने ॥४२॥

भावार्थ—जो साधु अन्यतीर्थीक गृहस्थ, परिहारिक साधु, अपरिहारिक साधु के साथ गाँव गाँव विचरे, विचारे, विचरते को अच्छा जाने तो लघुमासिक प्रायश्चित्त व्रताया है ।

पाठ—

त तेषं से क्सी कुमार समणे चित्तेसारही
एव वायसी अवि ताई चिता समोसरी स्सामो ॥२६॥

—राज० प्रश्नो० प्र० राजा० सूत्र २६

• भावार्थ—उस समय चित सारथी से केशिकुमार कहने लगे कि समय देखकर उस तरफ विहार करूँगा ॥

• नोट—जैसा कि पहिले भी कहा गया है, केशिकुमारजी ने यही कहा कि मैं समय देखकर उस तरफ विहार करूँगा, न कि ग्रह कि अमुक दिन अमुक समय अमुक रास्ते से वहाँ जाऊँगा । इसका कारण यही है कि वे सच्चे साधु थे । वे जानते थे कि यदि पहिले से समय मार्ग आदि का निश्चय कर लिया गया और उसकी सूचना दे दी गई तो इससे उनके निमित्त आरम्भ बढ़ेगा, उनके उद्देश्य से गृहस्थों को आहारादिक का आयोजन करना पड़ेगा, और इससे उनके साधु-धर्म के नियमों की अवहेलना होगी । लेकिन इन तेरहपथियों को भला ऐसा विचार क्यों हो ? इनमें सच्चा साधुत्व हो तभी न ?

भिक्षुजी ने भी स्थानकवासियों को दृष्टान्त द्वारा बावीस सम्प्रदायवालों को आधाकर्मी स्थान में रहना दोष बताया है:—

“ आधाकर्मी जायगा, थान कतिण रो नाम ।
 एहवा थानक भोगवै बलै कहै निरदोष ताम ॥ १ ॥
 बलि कहै म्हे मुख सँ कद कह्यो, जद बोलया भिक्षु स्वाम ।
 जाय जमाई सासरे, ते पिण न कहै ताम ॥ २ ॥
 मुझ निमते सीरो करे, इम तो न कहे तेह ।
 पिण कीधो ते भोगवै, जद दुजीवार करेह ॥ ३ ॥
 जो सीराना छंस करै तो न करै दुजीवार ।
 त्याग नहीं तिणसुं करे, भोजन विविध प्रकार ॥ ४ ॥

ज्यू भेषधारी रहे थानक मझे बले कहे मुख स्रं ताम ।
 थानक मुझ निमते करो, इमम्हे कद कह्यो आम ॥५॥
 त्यां निमते कियो भोगवै, फिर करै दुजीवार ।
 त्याग करे थानक तणा, तो आरंभ टले अपारं ॥ ६ ॥
 वले डावरो कद कहै, करो सगाई मोय ॥
 पिण सगपण किधा, पछै कुण परणीजे सोय ॥ ७ ॥
 वली बहू बाजे कहनी, घर कीणरो मंडाय ।
 डावडा तणोज जाणज्यो, थानक एम गिणाय ॥ ८ ॥
 थानक बाजै तहनो, मोहे पिण रहै तेह ।
 न कह्यो थानक नो तिणा पिण सहू काम करेह ॥ ९ ॥

—भी० ज० २० ढाल २६ पृष्ठ ८९

टीका—उपरोक्त गाथा द्वारा भिक्षुजी ने स्थानकवासियों
 का यह कथन दिया है कि “हमारे लिए स्थानक बनाने के
 लिए गृहस्थों से हम कत्र कहते हैं ? ” इसके उत्तर में भिक्षुजी
 ने कहा है कि साधु के निमित्त बनाए हुए मकान में आप रहते
 हैं, वह फिर दूसरी बार बनता है । अगर आप न रहें तो वह
 दुबारा क्यों बनाया जाय, क्यों इतना आरम्भ किया जाय ?
 भिक्षुजी ने लड़के का दृष्टान्त देते हुए कहा है कि लड़का
 कत्र कहता है कि मेरी शादी करो; परन्तु शादी में पाणिग्रहण
 कौन करना है, और वधू किसकी पत्नी कही जाती है, किस
 के घर में रहती है ? इसी तरह स्थानक माना जाता
 है, वह आपके नाम से पुकारा जाता है और आप ही अन्दर

रहने हैं। अब वर्तमान नेहपंथी देखें कि भिक्षुजी के ऐसे कथन की कसौटी पर कसे जाने पर वे नाम्ना सिद्ध होते हैं या खोटा या खग सोना ? खरा सोना तो ये हैं नहीं बल्कि खोटा सोना भी नहीं है, सोने का कण भी इनमें नहीं है, ये तो कोरे ताम्बा हैं। असलियत और सच्चाई कुछ नहीं है, कोरी नकल है, ढोंग और मायाचारी ही है।

यहाँ एक घटना याद आती है। एक दिन मंगलचन्द्रजी को रतनगढ़ में ऊपर की मजिल में सोना था और रात्रि के समय वहाँ जाने में उन्हें डर लगना था। वे एक गृहस्थ से बोले कि, “भाया ! नाल की सेवा का लाभ उठाओ”। गृहस्थ उठा और उन्हें नाल में से ऊपर पहुँचा आया। इस तरह मंगलचन्द्रजी ने अपना काम बना लिया। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि गृहस्थ से ऊपर पहुँचाने के लिए साफ साफ ही कहा गया। इसी तरह रान्ने की सेवा के लाभ की दुहाई देकर ये लोग अपना उल्टू मीथा कर लेते हैं। रास्ते में सेवा करने-वाले का रसयुक्त वदिया आहार भी ग्रहण कर लेते हैं। आहार कराने के बाद गृहस्थ फिर समोर की मजिल को चले जाते हैं। पहिली मजिल के किगये के मकान का ये नेहपंथी साधु उपयोग कर लेते हैं। दरवाँ मुई कैची आदि भी गृहस्थ विधवा बाई आदि रख लेते हैं यद्यपि उन्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं हानी है क्योंकि नेहपंथी साधुओं के उपयोग में ये आ जाती हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको जमा किया जाय तो एक बड़ा पोथा बन सकता है। ये लोग प्रायः मत्र ही इसी तरह भावचोरी,

कपट, असत्य, मायाचारी, ढोंग, दम्भ आदि करते हैं। गायद ही इनमें कोई अच्छा आदमी एक प्रतिगत् निकले। भिक्षुजी का कथन मानने का ये दावा करते हैं लेकिन आचरण उनके उपदेशों के बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम तो इन तेरहपंथी साधु कहलाने वाले प्राणियों से यहाँ यही अपील करना चाहते हैं कि “ मित्रो! यदि साधुता का तुम लोगों ने साइनबोर्ड ही लगा लिया है तो सच्च साधु बनो और अपना आत्म-कल्याण करो। मनुष्य-योनि बहुत दुर्लभ है। सौभाग्य से तुमने इस समय मनुष्य-योनि पायी है। यदि इसे व्यर्थ गँवा दोगे, यदि इसी तरह कपट मायाचारी आदि पापो द्वारा अपनी आत्मा का हनन करते रहोगे, साधु कहला कर भी साधुधर्म को कलकित और बदनाम करने का महापाप करते रहोगे तो फिर अनन्तकाल के लिए तिर्यंच आदि गतियों में भ्रमण करोगे। क्यों अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो? क्यों सुअवसर पा कर भी हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न फिर सागर में डाल रहे हो। याद रखो; इस बार तुम लोग होश में न आए और तुमने अपना सुधार नहीं किया तो इसका यही अर्थ होगा कि तुम अभव्य हो। तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि यदि तुम भिक्षुजी के कथन को प्रामाणिक मानते हुए भी उनके कथन के विरुद्ध व्यवहार करोगे तो तुम उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह पतित समझे जाओगे जो अपने पति की पतिव्रता स्त्री कहलाती हुई भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है। तुम भिक्षुजी के अनुयायी कहाते हुए भी उनके कथन के विरुद्ध चलते हो, धर्म की दुहाई देते हुए भी अधर्म

का सेवन करने हो, अतः तुम व्यभिचारिणी स्त्री की तरह हो। मित्रो ! प्रतिव्रता स्त्री की तरह पवित्र बनो। भिक्षुजी के सच्चे कथन के अनुसारी बनो। सच्चे साधु बनो।”

पाठ—

सच्चाइं मंगाइं अइच्छ धींगे ।
 सच्चाइं दुक्साईं तितिकख माणे ॥
 अखिले अगिद्रे आणि एयचारि ।
 अभयंकरे भिक्खु अणाविलप्पा ॥२८॥

—सुयग० १ श्रु० अ० ७ सूत्र २८

शब्दार्थ- म० - मंत्र, म० मग, अ० - छोड़ करके, घी०-
 घोर, न० - मंत्र, दु० - दुःख, नि० - महन करना हुआ, अ० - सम्पूर्ण,
 अ० - अगद अ० - अतिव्रत, अ० - अमय, क० - करे, भि०-साधु,
 अ० - निरपे ॥

भावार्थ—साधु मंत्र तरह की सगति में रहित, विवेक-
 शाल, मंत्र दुःखों को सहन करने वाला, ज्ञानादि से सम्पूर्ण, काम-
 भोगों की अभिलाषा रहित, अप्रतिव्रत-विहारी, सब जीवों को
 अभय करने वाला, विषय कषाय रहित, होंगे ॥

नोट—यहाँ साधु के लिए अप्रतिव्रत-विहारी बनने का
 आदेश है लेकिन ये नेहपंथी साधु तो भाषा द्वारा अगाऊ
 (पहिले ही) प्रतिव्रत का लेते हैं ।

उत्तर—(ग)—यह भी सर्वथा ठीक-सेवन है। गोचरी जाने
 समय ये नेहपंथी गृहस्थों को अपने साथ ले लेते हैं। कोई
 साधु कहता है कि अमुक श्रावक का घर मालूम नहीं, और इस

तरह बोलकर उस श्रावक का मकान मालूम कर लेते हैं। श्रावकजी सेवा करो, आदि शब्द बोलकर गृहस्थ या गृहस्थों के साथ गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हैं और साथ ही उसमें से बाहर निकलते हैं। यह स्पष्टतः दोष-सेवन है। बूँदा-बौंदी में, जोर की हवा में, भी गोचरी करना दोष-सेवन है। पहिले कहीं हमने बताया भी है कि जयगणे में पानी बरसते समय में साधु दो तीन जगह ठहरे और उस जगह चौधमलजी ने लघुशुका-निवारण का निमित्त कहकर बरसात के समय ही भोजन पहुँचा दिया। इस तरह इन लोगों के दोषों का कुछ ठिकाना नहीं है।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

से भिक्षु व भिक्षुणी वा गाहावइ कुल जाव पविसित्तु कामे,
 गो अन्नउत्थिण वा, गारत्थिण वा परिहारिओ वा
 अपरिहारिण वा सद्धि गाहावइं कुल पिंडयाव पडियाए
 पेविभेज्जा वा णिक्खमेज्जवा ॥ ७ ॥

—आचा० श्रु० २ अ० १० उ० १ सू० ७

शब्दार्थ—से० - वे, भि० - साधु, मि० - साध्वी, गा० -
 गृहस्थ के घर में, जा० यावत्, प० प्रवेश करना, का० - अभिलाषा,
 गो० - नहीं, अ० - अन्यतीर्थियों के सग, ग० - गृहस्थ के सग, प० -
 परिहारिक, अ० - पार्ष्वस्थ के, स० - साथ, गा० - गृहस्थ के घर,
 पि० - बाहार के लिए प० - प्रवेश करे, णि० - निकले ॥

भावार्थ—शाक्यादि साधु ब्राह्मण शिथिलाचारी इत्यादि

गृहस्थ के सग, गृहस्थ के घर को आहार लेने के लिए साधु का प्रवेश करना व निकलना मना है ।

पाठ—

जे भिक्षू अणउत्थि एणवा गारत्थिएण वा, परि-
हारिओ वा अपरिहारिएण सद्धि गाहावइ कुलं पिंड-
वाय पडियाए अणुपविसइ वा णिक्खमइ वा,
अणुपवि संतं वा णिक्खमंतं वा साइज्जई ॥ ४० ॥

—निशी० उ० २ सूत्र ४०

भावार्थ—जो साधु अन्यतीर्थी के साथ गृहस्थ श्रावका-
दिक के साथ, पण्डितिक दोषी साधु के साथ, अपरिहारिक मूल-
गुण में दोषी पार्श्वस्थ आदि के साथ, गृहस्थ के घर में आहार
पानी आदि के लिए प्रवेश करे, निकले, प्रवेश करते और
निकलते को अच्छा जाने, (तो उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त
वताया है ।)

पाठ—

इंगालं छारिय रासीं तुसरसिं च गोमयं ।
ससरक्खे हीं पाएहीं संजओ त नइकमे ॥ ७ ॥
न चरेज्जवासे वासन्ते, महियाएव पडन्तिए ।
माहा वाए व वायन्ते, तिरिच्छ सम्पाई मेसुवा ॥ ८ ॥

—दशवे० अ० ५ इ० १ सूत्र ७-८

शब्दार्थ—ड० - कोयले की राशि, छा० - राख का, रा० - ढेर, तु० - फोतरे का ढेर, च० - फिर, गो० - गोबर, स० - सचित्त पृथ्वी लिपी हुई, पा० - पग में करके, म० - माघु, त० - उम ढेर के ऊपर से, न० - नहीं, अ० - जावे नहीं ॥ ७ ॥

न० - नहीं, च० - चले, वा० - बरसात में, वा० - बरमते (कदाचित्त भिक्षा को जाते समय बरमात आजाय तो ढके हुए न्यान में रहे), म० - घुअर (कुहग), व० - फिर, प० - पडती है, (तब बाहर न जाय), म० - बढा, वा० - बढा, व० - फिर, वा० - चलती हो, ति० - तिरछा, स० - प्राणी पतग आदि उड़ते हों, वा० - नहीं जाए (हवा चलते समय या पतगों के उड़ते समय, क्योंकि इससे जीवों को व्याकुलता होती है उनका घात भी होता है ॥ ८ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार का सयति (सयमी) अंगार (कोयला) की राशि, क्षार राशि, तुपराशि, और गोमय (गोबर) राशि पर सचित्त रज से भरे हुए पावों से नहीं जाए ॥ ७ ॥

वर्षा होती हो, धूवर पडती हो, वायु तेज चलती हो, बहुत धूल उडती हो, मक्खी मच्छर पतंगे वगैरह बहुत उडते हों, ऐसे मार्ग में सयति (सयमी) गोचरी के लिए गमनागमन न करे ॥ ८ ॥

आचा० श्रु० २ अ० १० उ० ३ सूत्र ९ में भी गोचरी स्वाध्याय ग्रामानुग्राम विहार आदि करना भी ऐसे समय में मना है ।

भिक्षुजी का कथन भी देखिए—

“घणा साधुने साध्वि श्रावक श्राविका लार ।

उलटा पडि जिनधर्म थी पडसी नरक मझार ॥ ६ ॥

महानिशिध में, मै सुणी गुणविणधारी भेष ।

लाखां क्रोडा गमे सांवठा, नरक पडता देख ॥ ७ ॥

नेरहपथा देवे कि वे कितने गहरे पानी मे हैं । भिक्षुजी के कथन के विरुद्ध आचरण करके वे अपनी आत्मा का भी हनन करते हैं और धर्म और तीर्थ को भी बटनाम करते हैं । क्या वे अपनी इस भूल को समझ कर, झूठी मर्यादा त्याग कर, लोग क्या कहेंगे इसका खयाल न करके, अपने साधु नाम को सार्थक करेंगे और अपने आत्म-कल्याण के साथ-साथ ससार का कल्याण भी करेंगे ?



प्रतिलेखना



इन—यह नेहलपर्या जीनन्यवला का दुहार्त देकर नूर्धोदय ने पहिन्दे ही प्रतिलेखना करने ह, कई शान के समय भी करने ह और कोई कोई तो (जैसे शुक्राचार्यजी आदि) बहुतेक बन्दना के समय, चाई ने कुछ देखा कुछ न देखा, ऐसी प्रतिलेखना करने ह । यह दोष-मेवन ह या नहीं !

उत्तर—यह सर्वथा दोष-मेवन ह ।

प्रमाण देखिए:—

(१) उक्त० अ० २६ सूत्र २५ में प्रदान्त व अप्रदान्त प्रतिलेखना बताई गई है । प्रमाद प्रतिलेखना करने वाले को पटकाय का हिंसक बताया है ।

(२) निशीथ० उ० २ सूत्र ५९ + में यह कहा गया है

+ “जे भिक्खू इतरियं पि उवहिण पडिलेहई ण पडिले हंतं वा साईज्जइ” ॥ ५९ ॥

कि जो उपद्धी हैं उसमें से किंचित मात्र भी त्रिना प्रतिलेखना के ग्वे, ग्वते को अच्छा जाने तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बनाया है।

(३) मगवनी० श० १ उ० १ * की टीका में यह कथन है कि प्रमादपूर्वक प्रतिलेखना करने वाला छहकाय का घातक है।

और भी देग्विण्—

पाठ—

पुञ्चि लंमि चउरुभाए, पडिलेहिताण भण्डयं ॥

—उत्तरा० अ० २६ सूत्र २१

शब्दार्थः—पृ० - दिन के पहिले पहर का, च० - पहिले चौथे भागको पहिली घडी में, प० - प्रतिलेखना, भ० - वस्त्रादि उपकरणों की वरं ॥ २१ ॥

भावार्थ—दिन के प्रथम पहर के प्रथम चौथे भाग में (सूर्योदय ने दो घड़ी तक) वस्त्रादि उपकरणों की प्रतिलेखना करे फिर गुरु महागज को वदना नमस्कार करे, स्वाध्याय करे ।

नाट—जब सूत्र प्रमाण के अनुसार सूर्योदय के बाद दो घड़ी में प्रतिलेखना करने का विधान है तब जीतव्यवहार की दुहाई दे कर विरुद्ध आचरण करना सर्वथा धर्मविरुद्ध और पाप है । यह पहिले हम काफ़ी स्पष्ट कर चुके हैं कि आगम-प्रमाण के होते हुए जीतव्यवहार को कोई स्थान नहीं है । लेकिन इन लोगों ने तो यह उरादा कर लिया मान्द्रम होता है कि सूत्रों की दुहाई देने रहां, जिनन्द्र भगवान के गीत गाते रहां, पर करो

* “पडिलेहणा प्रमत्ता छण्हं विराहणा होई ॥ १ ॥

अपने मन की। ऐसे दुराग्रही लोगों से क्या कहा जाय, कुछ समझ में नहीं आता।

पाठ—

पडिले हणा पमाए, छन्विहा पमाय पडिलेहा
प. त. आरभडा सम्मदा, वज्जेयव्वाय मो
सलीतइया, पप्फोडणी चउत्थी विक्खिखन्ता
वइया छटा ॥

—ठा० ठा० ६ उ० १ सूत्र ६-

शब्दार्थ—प०—प्रत्युपेक्षणा, छ०—छः प्रकार की, प०—प्रमाद
प्रतिलेखना, आ०—आरभट, म०—समर्दना, व०—वर्जना, मो०—
मोसली, प०—पप्फोट, वि०—व्याक्षिप्ता, व०—वेदिका ॥

भावार्थ—छः प्रकार की प्रमाद प्रतिलेखना कहीं हैं।
(१) आरभट [जल्दी जल्दी] (२) समर्दन [परस्पर बक्खादि
लगाते हुए] (३) मोसली [तिरछा या मुड़ा हुआ बक्ख रखे]
(४) प्रस्पोटिनी [जोर से बक्ख झटकाए] (५) व्याक्षिप्त
[बक्ख ऊँचा नीचा डाले] (६) वेदिका [घुटने पर हाथ रख
कर बस्त्रादि की प्रतिलेखना करे] ।

नोट—इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ तक प्रतिलेखना
के विषय का सम्बन्ध है, उसके समय और ढंग का सम्बन्ध है
वहाँ भी इन तेरहपथियों का व्यवहार पूर्णतः आगम-विरुद्ध, सूत्र-

विरुद्ध वर्म-विरुद्ध अथवा जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल है। रही प्रतिलेखना के भावों की बात, सो इसका तो इन बेचारों से कोई सम्बन्ध ही नहीं, क्योंकि ऐसे दंभी लोलुपी लम्पटी लोगों के भाव भला इतने शुद्ध और उच्च कहाँ जो वे सच्चे अर्थों में प्रतिलेखना कर सकें। ये लोग तो रिवाज के तौर पर ही कुछ कर करा लेते हैं, असलियत और सच्चाई का नाम भी नहीं है। देखिए, कब इन्हें सुबुद्धि प्राप्त होती है ! कब उनका उद्धार होना है !



शिक्षण — आदि —

प्रश्न—(क) तेरहपंथी गृहस्थां से शिक्षण ग्रहण करते हैं और छोटी उम्र वाले साधुओं को भी ग्राह्य सिखाते हैं । यह दोष-पात्र है या नहीं ?
(ख) कई तेरहपंथी साधु उपकरण को मोड़तोड़ कर परठा देते हैं ? यह दोष-सेवन है या नहीं ?
(ग) ये तेरहपंथी लोग पतली फली का शोभायमान सुन्दर रजोहरण रखते हैं । यह दोष-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—(क) यह सर्वथा दोष-सेवन है ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

जे भिक्षू अण्ण उत्थियं वा गारिस्थियं वा वायणं
पडिच्छंति, पडिच्छंतं वा साइज्जई ॥ २८ ॥

—निशी० उ० १९ सूत्र २८

भावार्थ—जो साधु अन्यतीर्थीक गृहस्थ के पास पढ़े, पढ़ते को अच्छा जाने (तो उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है) ।

पाठ—

जे भिक्खु अवत्तं चाएत्ति वायंतंवा साइज्जई ॥ २१ ॥

—निशी० उ० १९ सूत्र २१

भावार्थ—जो साधु अव्यक्त छोटी उमर वाले को, जिसके काक्षा होंटपर रोम (बाल) प्रगट नहीं हुए हों, शास्त्रार्थ पढ़ाए, पढ़ाते को अच्छा जाने, (तो उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है) ।

नोट—तेरहपथी गृहस्थों से शिक्षण भी ग्रहण करते हैं और छोटी उमर वाले साधुओं को शास्त्र भी पढ़ाते हैं । इन लोगों को घनश्यामरामजी ने कई वर्ष तक पढ़ाया है और रघुनन्दनजी ने भी पढ़ाया है । बच्चों को भी पढ़ाना छिपा हुआ नहीं है । ये सब खुली बातें हैं जिन्हें सब जानते हैं । देखिए, ये लोग खुल्लम-खुल्ला शास्त्र की दुहाई देने हुए भी शास्त्र के खिलाफ आचरण करते हैं और इस तरह जिनवाणी पर दिन-दहाड़े ढाका डालते हैं ।

(ख) यह भी दोष-सेवन है ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

जे भिक्खु दंडगं जाव वेणु सुयणं वा पलिग्भिदिय

२ परिट्ठावेई, परिट्ठावेत वा साइज्जई ॥ ६७ ॥

—नि० उ० ५ सूत्र ६७

भावार्थ—ब्राँस की खपाटी (काम्बी) पूर्ण होंते हुए तोड़मोड़कर परठाए, परठाते को अच्छा जाने तो लघुमासिक प्रायश्चित्त का विधान है ।

नोट—तेरहपंथी ब्राँस की उन खपाटियों को जो उनको पसन्द नहीं आती है अथवा जो उनके मन से उतर जाती हैं, तोड़मोड़ कर चौकी में डाल देते हैं । यह काम शास्त्र-विरुद्ध है जैसा कि ऊपर के पाठ से विदित ही है ।

(ग) यह भी दोष-सेवन है ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

जे भिक्खू सुहूमाइं रयहरण सीसाइं करेइ,
करत वा साहज्जइ ॥ ६९ ॥

—निशी० उ० ५ सूत्र ६९

भावार्थ—जो साधु साखी वहुत सूक्ष्म पतली फलियों का रजोहरण बनाए, बनाते को अच्छा जाने, तो उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है ।

इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ तक शिक्षण रजोहरण आदि का प्रश्न है, इन तेरहपंथी लोगों का आचरण स्वेच्छा-चारिता से भरा हुआ है। बड़ी बड़ी बातों में ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी इनका व्यवहार पूर्णतः दोषपूर्ण और साधुत्व के विरुद्ध है ।

जुवों की पोटली

प्रश्न—जुवों की पोटली बंद करके फेंक देना दोप-सेवन है या नहीं ?

उत्तर—है ।

नोट—एक बार तेरहपथी आचार्यजी विदासर गए । वहाँ एक दिन चौथमल (दूसरे) चौकीदार को जुवों की बँधी हुई पोटली मिली । वहाँ के इन सब महाव्रतधारियों (?) से पूछा गया कि यह पोटली किसने बाँधी और फेंकी है ? किसी ने भी स्वीकार नहीं किया । दूसरे दिन मंगलचन्दजी के नाव के कपडे के टुकड़े में १०-१५ बँधी हुईं जुएँ मिलीं । फिर सब से पूछताछ की गई, पर किसी ने स्वीकार नहीं किया । इस पर चौकीदार चौथमल ने आचार्यजी से यह सब निवेदन कर दिया । फिर सब से पूछा पर तब भी किसी ने स्वीकार नहीं किया । पूनमचन्दजी ने लाडलू में आचार्यजी से इस बारे में पूछा था, जिसके उत्तर में कहा गया था कि जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तब किसी को कैसे दंड दिया जाय ? किसी को दंड दिया जाय या नहीं,

हमें इस से कोई प्रयोजन नहीं, पर हमें तो सिर्फ यह पृष्टना है कि क्या इस शास्त्र-विरुद्ध व्यवहार से और फिर उसकी चोरी से और इस के साथ ही उस चोरी को छिपाने के लिए बार-बार झूठ बोलने से महाव्रत रहता है या नहीं ? कौन नूर्व पेसा ढांगा जहाँ ऐसी हरकतों के होने हुए भी वहाँ साधुत्व की, सात्विकता की, कल्पना भी कर सकेगा ?

प्रमाण देखिए—

पाठ—

तस पाणे वितानेत्ता मंगहेणय थावरे ।

जो न हिंसई तिविहेणं, तं वयं वृम महाणं ॥२३॥

—उत्त० अ० २५ सूत्र २३ ॥

शब्दार्थ—न० - प्रन, पा० - जीव को, वि० विनोय, या० - जानकर, न० - सन्नित्त से, अ० - फिर, या० - न्यावर पृथ्वी आदि पाँच जीवों को, जो० - वह, न० - नहीं, हि० - हिंसा करे, ति० - मन वचन काय पूर्वक ९ कोटि में, त० - उनको, व० - हम कहते हैं, वू० - कहना, म० - साधु ॥

भावार्थ—जो वैद्वियादिक आदि त्रस प्राणी को और पृथ्वी आदि स्थावर प्राणी को सक्षित्त से तथा त्रिस्तार से जान कर मन-वचन-काय-पूर्वक उसका धान नहीं करे, नहीं कराए, और करते को अच्छा नहीं जाने, उसको मैं महाण कहता हूँ ।

पाठ—

जे भिक्खू पुढविकायस्स कलमायमवि समारंभइ सभारभंतं
वा साइज्जइ ॥८॥ एवं जाण्ह वणस्सइ कायस्स ॥१२॥

—निशी० उ० १२ सूत्र ८, १२ ॥

भावार्थ—जो साधु पृथ्वीकाय की स्तोभर भी विराधना करे, करने को अच्छा जाने, वैसे ही वनस्पतिकाय तक की विराधना करे, करने को अच्छा जाने, अर्थात् पाँचों स्थावर की किञ्चित् मात्र विगधना करे, करने को अच्छा जाने, तो उसे लघु-मानिक प्रायश्चित्त बनाया है।

नोट—जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि 'अहिंसा परमोधर्मः'। आगमग्रन्थ भी अहिंसा पर अन्यधिक जोर देने हैं। वास्तव में अहिंसा जैनधर्म का प्राण है। लेकिन ये तेगहपंथी लोग इस महाव्रतों के महाव्रत की भी बुरी तरह हत्या करते हैं। जुओं की पांढरी श्रांथ कर फेंकने में वे जुओं की हिंसा करते हैं और इस तरह ये लोग नकली हिंसा के भागी हैं। इस तरह इन लोगों में अहिंसा महाव्रत क्या, अहिंसा अणुव्रत भी नहीं है। विचार-जाल पाठक विचार करें कि इन में साधुत्व कितना है ?



चोरी



स्री की चीज़ को चुपचाप ले भागना ही चोरी नहीं है, किसी भी चीज़ को, चाहे वह अपनी ही या दूसरे की, चुपचाप डाल देना और फिर उसे स्वीकार न करना भी चोरी है। तेरहपंथी ऐसी ही चोरी करते हैं। सुबह आँर गाम के समय ये लोग अपने उन उपकरणों को जो उन्हें पसन्द नहीं आते हैं, चौकी में डाल देते हैं। चौकीदार जब उन उपकरणों के सम्बन्ध में पूछताछ करता है तो सब अस्वीकार कर देते हैं, कोई कोई कभी कभी कबूल भी कर लेते हैं। आर्जिकाओं में भी ऐसा होता है। उन चीजों में पटरी, परदा, चदर, पञ्चेवडी, नागडे, काम्मी, पेन्सिल, कलम आदि अनेक चीजें काफ़ी होती हैं। पुणजणा रजोहरण आदि नापसन्द होने पर पत्थर आदि पर जानबूझ कर घिस कर खराब कर देते हैं, फिर पठते हैं। इस तरह इन लोगों

मे ऐसी चोरी भी खूब होती है। यह साधु-धर्म के सर्वथा विरुद्ध है।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

चित्तमन्तं मचित्त वा अप्यं वा जड वा बह्वं ।

न गिण्हिद् अदत्तं जे तं वयं वृम माहाणं ॥२५॥

—उत्त० अ० २५ सूत्र २५

शब्दार्थ—चि० - मचिन मनुष्यादिक, अ० - अचित्त स्वर्ण
बादिक, वा० - अथवा, अ० - नम, ज० - जैमा, वा० - अथवा, व० -
बहन, न० - नहीं, गि० - लेवं, अ० - बिना दिया हुआ, जे० - कोई,
त० - उनको, व० - में, वृ० - कहिए, मा० - माघु ॥

भावार्थ—जो सचित्त अचित्त वस्त्र पात्रादि की मन वचन
काय मे धोड़ी या बहुत कितनी भी चोरी न करे उनको मैं
महाण कहना हूँ ॥

पाठ—

जे भिक्षु ममायं पसंमई पससंत वा साइजई ॥५७॥

—निशीथ उ० १३

भावार्थ—जो साधु ममत्व की बढ़ना करे, करते को
अच्छा जाने, तो उसे लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है ॥

पाठ—

जई वियणि गणे किसे चरे । जड विय भुजिय

मासंमतसो । जे इह मायावी भिज्जइ ।

आगं सागम्भायणं तसो ॥९॥

—सुय० प्र० श्रु० अ० २ उ० १ सूत्र ९ .

शब्दार्थ—ज० - यद्यपि, णि० - नग्न, कि० - कृम, च० - विचरे, ज० - यद्यपि, भु० - भोगे, मा० - मास मास खमणके अन्त में, जे० - जो, इ० - यहाँ, मा० - कपट, मि० - मूर्च्छित, आ० - आगे, ग० - गर्भ में, अ० - अनन्त समय ॥

भावार्थ—ब्राह्म परिग्रह न्यागी कृश मास मास खमण का तप करनेवाला साधु भी जो माया कपट का सेवन करे तो वह आगामी अनन्त काल तक गर्भादिक के दुख भोगता है ॥

नोट—इस तरह हम देखते हैं कि तेरहपंथियों में चोरी भी होती है और ऊपर से झूठ भी बोला जाता है । ये लोग “चोरी और सीनाजोरी” को कहावत का अच्छी तरह चरितार्थ करते हैं । भला यहाँ साधुन्व सरीखी महान् और पवित्र चीज का निवास हो सकता है ? नहीं, कदापि नहीं ।



अध्याय : २१

पत्र-व्यवहार — आदि —

प्रश्न—तैरुपथी साधु कहते हैं कि हम चिट्ठी बगैरह नहीं देते । क्या यह सच है ?

उत्तर—नहीं, उनका यह कथन मिथ्या है । दूसरो को ये पत्रव्यवहार करने का दोषारोपण करके उन्हें शिथिलाचारी कहने हैं और इसतरह ये अनजान में ही अपने को शिथिलाचारी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये लोग पत्र-व्यवहारादि करते है ।

नोट—इन लोगों में जो मुख्य पुढारी होता है वह चिट्ठी का काम कपटपूर्ण भाषा द्वारा श्रावकों से करा लेता है । वह कैसे ? वह श्रावक से पूछता है कि पूज्य महाराज विराजते है, वहाँ के श्रावकों का कागज़ (पत्र) समाचार है क्या ? तुम पत्र दोगे क्या ? दोगे तो क्या लिखोगे ? तब वह श्रावक चिट्ठी लिखकर उनको बताना है । यदि वह चिट्ठी उनके दिल के मुताबिक नहीं होती है तो बोलते है कि भाया में उपयोग नहीं है । अमुक जगह थली का भाया बड़ा उपयोगवंत है । यहाँ के भाये तो कुछ समझते नहीं । इस पर वह दूसरी चिट्ठी

लिखता है। वह चिट्ठी श्रावक ही आचार्यजी को बताते हैं। उस चिट्ठी पर यदि आचार्यजी का चातुर्मास का या अन्य काल के विचरणे का हुक्म न हुआ तो फिर वहाँ के श्रावकों से कहते हैं कि हुजूर का अभी तक हुक्म नहीं हुआ, तार दोगे क्या? तार देने से हुक्म होता दिखना है। वस, श्रावक ऐसा ही करता है। जब आचार्य विराजते हैं, वहाँ तार दे दिया जाता है। वहाँ के श्रावकों के नाम का तार आचार्यजी को बताया जाना है तब आचार्यजी हुक्म देते हैं कि अमुक जगह चातुर्मास करो। इसके पश्चात् श्रावक देशान्तर को तार देने है। इस तरह स्पष्ट है कि ये लोग चिट्ठी पत्र दिलाने हैं। चिट्ठी देने और दिलाने में कोई अन्तर नहीं है। श्रावक साधु के निमित्त साधु की अजानकारी में चिट्ठी दे तो साधु का कोई अपराध नहीं है, साधु की जानकारी में दे तो साधु का अपराध है और अगर साधु ही गृहस्थ से चिट्ठी दिलाए तब तो यह भीषण अपराध है, आगम की आज्ञा के विरुद्ध खुला आचरण है।

मैं इन लोगों के कपट जाल से निकल कर जब बाहर आया तो पुरेसीट में तेरहपंथी आचार्यजी ने श्रावक द्वारा ५-६ पृष्ठ में कागज पर मेरे खिलाफ एक लेख लिखाया जिसमें मुझ पर झूठे और कल्पित दोषों का आरोप किया गया था। वह लेख लिखा कर पादरकबडा भेजा गया। इस तरह ये लोग चिट्ठी लिखने, तार देने, किसी के खिलाफ लेख लिखने आदि के सब काम गृहस्थों द्वारा करा लेते हैं और पाप के भागी बनते हैं। अगर श्रावक चिट्ठी आदि लिखने में कोई गल्ती करता है तो

उत्सते कहते हैं कि, देखो भाया हमारा हुक्म इस गीति से है । इस तरह की सूचना दे कर ये लोग पत्र या चिट्ठी में संशोधन परिष्करण आदि भी करा लेते हैं । तात्पर्य यह है कि पत्रव्यवहार सम्बन्धी पूरा काम ये लोग करा लेते हैं । विचारशील पाठक देखें कि उनका यह आचरण आगम के विलकुल विरुद्ध होने से इनमें कितना साधुत्व है । साधुत्व तो क्या इन लोगों में जैनत्व भी नहीं है । जहाँ करुण भाव चोरी मायाचारी अमन्यवादन आदि चुरी बातें हों वहाँ जैनत्व सरीखी पवित्र चीज का मिश्रता सुझिकल ही नहीं अनभव है ।

भिक्षुजों का कथन देखिए—

पाठ—

गृहस्थ माथे कहे संदेशो तो भेलो हुव सम्भागजी ।
 तिणनं साधु किम सरधीजे लौगो जोगने रोगोजी ॥२७॥
 साधु मती जाणे इण चलगत सुं ।
 समाचार विवग सुत कही २ सानी करे गृहस्थ बोलायोजी ॥

—शिशु० भा० २ दाल १ आ०

कागद लिखावे करी आमना परहात देवे चलायोजी ॥२९॥

—साधुमत

नोट—यहाँ भिक्षुजी ने सकेत द्वारा काम कराने वाले साधु को रोगी (अपराधी) कहा है ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

अप्पमे पलियंतोसिं । चारो चोरोति मुच्चयं ॥
 वाधंति भिक्खुयं बाला । कसायवयणे हिय ॥१५॥
 तत्थ दंडेण संवीते । मुट्ठिणा अट्टु फलेण वा ॥
 नातीणं सरति बाले । इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥१६॥
 एते भो कसिणा फासा । फरुसा दुस्साहिया सया ॥
 हत्थी वा सरसंवित्ता । क्रीवा वासागया
 गिहंति वेमी ॥१७॥

—सुयडा० प्र० श्रु० अ० ३ उ० २ सू० १५, १६, १७

शब्दार्थ—अ० - कितनेक, प० - विचरते हैं, चा० - चौकमी,
 चो० - चोर, सु० - सुव्रती, व० - बाँधते हैं, भि० - साधु को, वा०—
 अज्ञानी, क० - कपाय वचन से, ॥ १५ ॥

त० - तहाँ, दँ० - डंडे में, स० - मारे, मु० - मुष्टि में, अ० -
 अथवा, फ० - फलसे, ना० - ज्ञाती को, म० - याद करता है, वा०—
 मूर्ख, ड० - स्त्री, कु० - कुपित हुई ॥ १६ ॥

ए० - इतने, भो० - आहो, क० - सपूर्ण, फा० - स्पर्श, फ०—
 कठिन, दु० - दुस्सह, म० - सदा, ह० - हस्ती जैसे, म० - घर में,
 स० - विषाया, की० - लिक्व, अ० - परवश, ग०—आये, गि०—घर,
 ति० - ऐसा, वे० - कहता हूँ ॥ १७ ॥

भावार्थ—देश देशान्तर में विचरने वाले साधु को कोई अनार्य
 पुरुष, यह चौकसी है यह चोर है ऐसा कहकर, रस्सी प्रमुख से
 बाँधे और कपाययुक्त वचनों का प्रयोग करे, डंडे से मुष्टि से तथा
 खड्ग आदि से मारे तो उस समय वह ज्ञानी ऐसा चिंतवन न

करे कि भरे स्वजन सम्बन्धी यहाँ पर होते तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, ठीक जैसे कि कोई क्रुद्ध स्त्री अपने घरसे निकल कर अन्य स्थान को जाती हो और मार्ग में चोर उसे लूटले तब वह सम्बन्धियों को याद कर लेती है अथवा जैसे बाल परिषह उत्पन्न होनेपर अपने स्वजनों को याद कर लेते हैं (१५-१६) जैसे शत्रु से त्रिधाया हुआ हाथी सम्राम में से भाग जाता है, वैसा ही हे शिष्यो ! सब लोग दुस्सह स्पर्श को नहीं सह सकते । कर्म-बन्धन मे पड़े हुए असमर्थ साधु संयम से भ्रष्ट होते हैं (१७) ।

नोट:—यहाँ स्पष्ट हो गया है कि रास्ते में गृहस्थों को संग नहीं रखना चाहिए, अकेले भ्रमण करना चाहिए और यदि रास्ते में कष्ट आदि आए तो उसे शान्ति से सहन करना चाहिए, स्वजनों मित्रों भक्तों आदि का स्मरण करके दुख का अनुभव न करना चाहिए । लेकिन ये तेरहपंथी लोग तो रास्ते की सेवा का लाभ बताकर गृहस्थों को साथ मे रखते हैं, दूसरी जगह के गृहस्थों को गृहस्थों द्वारा चिट्ठी पत्र अथवा तार द्वारा सूचना भी भिजवा देते हैं । उनका यह व्यवहार पूर्णतः शत्रु-विरुद्ध है ।

और भी देखिए—

(१) आचा० श्रु० २ अ० १२ उ० ३ सूत्र १४ मे बताया है कि यदि कोई आफत आ जाय तो मन ही मन मे भी दूसरे से नहीं कहना चाहिए (अर्थात् दूसरे की याद भी नहीं करना चाहिए) ॥

(२) अंत० वर्ग ६ अ० ३ सूत्र ४७ में कहा है कि अर्जुनमाली मुनि पर राजगृह नगरी में मुष्टि लकड़ी आदि से प्रहार हुए तो भी श्रेणिक राजा को जो कि श्रावक था सूचना देकर अथवा अन्य प्रकार उन्होंने कोई बन्दोबस्त नहीं कराया (इस घटना का उल्लेख पहिले भी किया जा चुका है) ।

(३) टा० टा० ४ उ० २ सूत्र २१ में बताया है कि साधु परिपह से हटे तो कुन्दरिक की तरह नियंच नगक गान में जायगा ।

इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में साधुगण अकेले ही विहार करते थे और उनपर कोई सकट आता था तो उसकी सूचना भी नहीं देते थे क्योंकि वे अपने निमित्त से किसी तरह का आरम्भ आदि होने देना नहीं चाहते थे । यदि अर्जुनमाली मुनि के साथ भी आजकल के तेरहपथियों की तरह श्रावकों का झुंड होता तो भला वे उन पर कैसे मार लगाने देते तथा वे आनताइयों को सजा क्यों न देते, लेकिन नहीं, वे तो सच्चे साधु थे, उन्हें श्रावकों के झुंड से क्या प्रयोजन, अथवा किसी को अपने कष्ट की पत्र या दूत द्वारा सूचना देने की क्या आवश्यकता ? सच तो यह है कि इन तेरहपथियों के शाही कारेवार हैं, इनका साधु-धर्म से क्या सम्बन्ध ?



अध्याय : २२

किवाड़ खोलना, बन्द करना

प्रश्न—तेरहपंथी रजोहरण की दौंडी से ^{इतना} किवाड़ खोलते और बन्द करते हैं। क्या यह ठीक है ?

उत्तर—नहीं, यह सर्वथा दोष-सेवन है। चूल की किवाड़ो को खोलते, बन्द करते समय चूल के अन्दर के मकड़ी आदि जीवों की हत्या होने की बहुत संभावना है; इसलिए यह खोलना और बन्द करना पाप है।

नोट—दरवाजे को सूचक भाषा द्वारा श्रावकों से बन्द कराया व खुलाया जाता है। उसकी तरकीब सीधी है। जहाँ ठहरना होता है वहाँ यदि किसी समय दरवाजा बन्द होने से हवा बन्द होती है या हवा बहुत कम चलती होती है और दरवाजे बन्द या कम खुले होते हैं तो ये तेरहपंथी लोग ऐसा बोल दिया करते हैं कि—अहो, यहाँ तो हवा नहीं है। वस, श्रावक समझ जाते हैं और किवाड़ खोल देते हैं, हवा आने लगती है और ये लोग उसका सेवन कर लेते हैं। कभी हवा ज्यादा तेज चलती होती है और किवाड़ खुले होते हैं तो ये

लोग यह कह दिया करते हैं कि आज तो बहुत ठंड है। वस, श्रावक किवाड़ बन्द कर देते हैं। मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना है। राजलदेशर में जहाँ इनके आचार्य व्याख्यान के लिए बैठते थे उधर की तरफ की ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा लगा था। उसमें साँकल न होने से डोरी बंधी हुई थी। हवा का आवागमन नहीं था और कुछ अन्धेरा भी था। वहाँ समय पर कोई गृहस्थ भी उपस्थित नहीं था। कुणमलजी के भाई चौथमलजी वहाँ पधारे, बोले—यहाँ तो अँधेरा है, हवा भी नहीं है। ऐसा कह कर उन्होंने किवाड़ की डोरी खोल दी। हवा के दबाव से किवाड़ खुल गए, फिर पत्थर लगा दिए। पता नहीं शाम को वे कैसे बन्द हो गए। दूसरे दिन भी चौथमलजी ने ऐसा ही किया। इस तरह ये लोग किवाड़ खोलते और बन्द करते हैं और गृहस्थों से तो खुलवाते और बन्द कराते ही हैं। गृहस्थ से कह कर काम कराना इसे ही कहते हैं। ये लोग सफाई में कहेंगे कि हम किवाड़ बन्द करने या खोलने के लिए थोड़े ही कहते हैं। मैं उत्तर में कहूँगा कि आप लोग कहते हैं, हाँ यह बात ज़रूर है कि आपका कहना सीधे-साधे ढंग का नहीं, बल्कि एक ऐसे टेढ़े ढंग का है जो कपटी मायाचारी व्यक्ति ही धारण कर सकते हैं। मतलब इससे नहीं है कि आपने अपने मुखारविन्द से क्या स्वर या व्यंजन निकाले, किस भाषा का प्रयोग किया, क्या शब्द निकाले, मतलब इस बात से है कि आपने क्या भाव प्रकट किया, अपने मन की कौन सी बात दूसरे के मन तक पहुँचाई। बस यहीं पुण्य और

पाप की बात है। स्वर व्यंजन भाषा और शब्दों में न पुण्य है न पाप, पुण्य और पाप तो भावों में हैं, और जहाँ तक सद्भावों का सम्बन्ध है वहाँ तक वे बेचारे दिवालिया ही हैं।

भिक्षुजी का कथन देखिए—

मन करीने जो जडना चाँछे । तिण नही जाणी पर
पीडाजी । पति-समां उत्तराध्येन में, वरज गया
माहा विरोजी ॥ १६ ॥

—शीशु० भा० २ ढाल १

भाड़े का मकान

नेरहपणियों का आचरण भिक्षुजी के उपरोक्त कथन के सर्वथा विरुद्ध है। इसी तरह का दोषयुक्त आचरण ये लोग भाड़े के मकान में रहने का करते हैं। खिवराजजी कुचेय्या [धूलिया वाले] कहते थे कि कुरला में जिस मकान के तीन दिनों के तीस रूपए मगनभाई जेवरी ने दिए, उस मकान में मूरजमलजी रहे और बुलाराम वाले मिश्रीलालजी सुराणा कहते थे कि घासीरामजी का जब बुलाराम में चौमासा किया था तब वे ऐसे मकान में रहे थे जिसके भाड़े की बात उनमें माटूम था। उन्हें माटूम न होना तो वे दोष-पात्र न होते, गृहस्थ ही दोषी होते, लेकिन जब साधु को माटूम हो कि वह जिस मकान में रह रहा है उसके लिए किराया दिया जायगा या दिया जा रहा है तो गृहस्थ के साथ-साथ साधु भी दोषी है, बल्कि साधु गृहस्थ से भी ज्यादा दोषी है। (जब इनके आचार्यजी का विहार छोटे खेड़ों में

होता है तब सेना में रहने वाले गृहस्थ जाटों से मकान भाड़े पर ले लेते हैं और दो दिन के लिए उसका ठहराव करते हैं और आप तो पहिले ही दिन दूसरी मञ्जिल को चले जाते हैं जब कि रात के समय ये साधु लोग ही उस मकान में रहते हैं। दूसरे दिन का ठहराव तो केवल इसीलिए करते हैं, क्योंकि साधुओं को अगले दिन वहाँ रहना है। उन्हीं के निमित्त से मकान दूसरे दिन के लिए भी लिया जाता है, अन्यथा एक ही दिन के लिए लिया जाता।

इस तरह इन तेरहपंथियों की हरकते बहुत ही भद्दी हैं। हवादार जगह को बिना हवा की करना, बिना हवा या कम हवा की जगह को हवादार करना, (दरवाजे आदि बन्द करके अथवा खोल कर, या बन्द करा कर व खुलवा कर), साफ़ सफ़ाई करे हुए मकान को व्यवहार में लाना, ऐसी बहुतसी क्रियाएँ जो ये लोग रोज करते हैं, पूर्णतः आगम सूत्र तथा भगवान् जिनन्द्र की आज्ञाओं के प्रतिकूल है।

प्रमाण देखिए—

(१) निशी० उ० ५ सूत्र ६२ × में यह वर्णन है कि मकान साफ़ कराया हुआ हो, खिड़की आदि बनाई लिपाई पुताई हो, ऐसे मकान में साधु रहे, रहते को अच्छा जाने तो लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया है।

× जे भिक्खू सपाहुडियं सेज्जं अणुपविसइ अणु-
पविसंतं वा साइज्जई ॥ ६२ ॥

(२) निगो० उ० ५ मूत्र ६३ मे यह उल्लेख है कि साधु के निमित्त से कोई वस्तु बाहर निकाली जाय, निकालने को अच्छा जाने, तो लघुमासिक दंड बताया है ।

(३) उक्त० अ० २ मूत्र ८* में यह कहा गया है कि यदि साधु ग्रीष्मऋतु आदि में उष्ण भूमि आदि के कष्ट से, अथवा बाद पसीना मैल बर्गह के कारण, आभ्यन्तर तृष्णा मे पीड़ित हो जाय और यह इच्छा करे कि वृष्टि अथवा वायु से कष्ट दूर हो सुख मिष्ट, तो वह असाधु है ।

नोट—नेग्रहपयी अपने दिल पर हाथ रखकर देखे कि वे इस आज्ञा का कहाँ तक पालन करते हैं ?

मकान

भाडे का ही वान नहीं, ये लोग जिन मकानों मे रहने हे समय समय पर उनमें दुरुस्ती होती रहती है, खिड़कियाँ आदि बनती सुधरती रहती है, पुताई सफ़ाई नो प्रायः होती ही रहती है और इन लोगों को इन सब वानों का पना होता है । लाडलू में ये लोग जिस मकान में ठहरते है उस में गृहस्थ नहीं रहते है । जगन्नाथजी बोलते थे कि उस मकानमें नए दरवाजे बनाए गए । वे यह भी कहते थे कि ऐसा अनेक जगह हुआ है । जब उन मकानो में गृहस्थ लोग नहीं रहते हैं बल्कि ये ही लोग

* उसिणं परियात्रेणं परिदाहेणं तज्जिए धिसु वा
परिया वणं, सायं नो परिदेवए ॥

ठहरते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट ही है कि मकान की दुरुस्ती सफाई आदि सब इनके ही निमित्त से होनी है और उन्हें इसका पता होता है। इनके ठहरने के लिए ही लाडनूँ, विदासर, डूगरगढ़, राजलदेसर आदि स्थानों में मकान बनाए जाते हैं और खाली रखे जाते हैं अर्थात् केवल मात्र उनके ठहरने के लिए ही छोड़ दिये जाते हैं। यह पूरा पूरा दोष-सेवन नहीं तो और क्या है ?

प्रमाण देखिए—

(१) दशवे० अ० ६ सूत्र ४८ में अकल्पनीक चार पदार्थ लेने को मना किया है; १—स्थानक, २—चारों आहार, ३—वस्त्र, ४—पात्र ।

(२) आचार० श्रु० अ० ८ उ० १ में अकल्पनीक पदार्थ लेनेवाले को चोर कहा गया है ।

(३) आचा० श्रु० २ अ० १० में ' पुरुषानकृत ' का अर्थ यह किया गया है कि मालिकी बदल जाय अर्थात् एक के हाथ से दूसरे के हाथ में मकान की मालिकी चली जाय । ऐसे ही पुरुषानकृत मकान में साधु को रहना बनाया है । लेकिन ये तेरह-पंथा ' पुरुषानकृत ' का अर्थ यह करते हैं कि उसमें श्रावक रहा हो, मले ही वह अन्दर जाकर उस में से फौरन ही या जल्दी ही बाहर आ जाय । यह अर्थ नहीं है अनर्थ है ।

(४) बृहद० उ० १ सूत्र ३० से ३४ तक में साधु को उस मकान में रहना जिसमें स्त्री रहती हो दोषयुक्त बनाया है ।

वैसा ही साध्वी के लिए उस स्थान में रहना जिसमें कोई पुरुष रहता हो, लाज्य कहा है। हाँ, साधु को पुरुषवाले मकान में और साध्वी को स्त्री वाले मकान में रहने की अनुमति है। साधु को गृहस्थ के घर के मध्यभाग में रहने का निषेध है, और साध्वी को रहना बताया है क्योंकि मध्यभाग में स्त्रियादिक रहती है।

नोट-नेरहपंथी साधुओं का आचरण उक्त प्रमाण की आज्ञाओं के सर्वथा विरुद्ध है, यहाँ तक कि वे मकान के मध्यभाग में भी रहते हैं।

नौकर रखना

नेरहपथियों की सेवा में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम नारासिंह सिन्धु है। वह आचार्य के लिए पंचमी का जगह देख कर आता है, और लाठी लेकर आगे आगे चलता है, गाय भैंस कुत्ता आदि होता है तो उसे हटाने के लिए मार भी देता है, क्वाड़ आदि, जैसी आवश्यकता हो, लगाना और खोलना भी है, पलेवण प्रतिक्रमण का हुन्म होता है तो द्रव्य-सत्यांजी को उसकी मचना भी देता है; * रात्रि को उजाले की जरूरत हो तो कडील ले आना है और उसी मकान में रात्रिभर कंडील रखना भी है, आदि आदि। इसे श्रावकों की तरफ से करीब ३००-४०० रुपए साल की आमदनी हो जाती है। रतनगढ़ में जो महोत्सव हुआ था, उसे शायद नाव के श्रावक मोहनलालजी

* बृहट० उ० २ सूत्र ७ में रात्रि के समय जहाँ दीपक हो वहाँ रहने को मना किया है।

ने कराया था। उन्होंने उस समय नरसिंह सिक्ख को सोने के पत्त्र के कड़े इनाम में दिए थे। इन लोगों को पता लगा तो इन्होंने उसका अनुमोदन ही किया—कहा, ठीक तो दिया है। उस से कुछ दिन पहिले वह यह कहकर चला गया था कि साल में उसे कम आमदनी हुई थी। जब वह पीछे आया तो कहा गया कि इसको लहर आ जाती है, साल में इतनी आमदनी इसे अन्यत्र नहीं होती या हो सकती है, आदि आदि। नरसिंह के कामों को देखकर, उसकी आमदनी के साधनों को देखकर, यह कहने में कोई असत्य नहीं रह जाता है कि वह श्रावकों द्वारा इन लोगों की सेवा करने के लिए रखा हुआ नौकर है और उसे उस सेवा का पुरस्कार मिलता है और यह सब इन लोगो को भली-भाँति मालूम है। यदि वह नौकर की हैसियत न रखता होता तो उसे अपनी कम ज्यादा आमदनी का विचार क्यों होता ?

इसी तरह कई वर्षों से एक घनश्यामरामजी ब्राह्मण इन द्रव्य साधुओं को सिखाने-पढ़ाने का काम करते हैं। उनको भी ४००-५०० रुपये साल की आमदनी श्रावकों की तरफ से होती है। जब कोई दीक्षा लेता है तब उसके सम्बन्धियों की तरफ से उन्हें रुपये दिलाए जाते हैं। मेरे पूछने पर उनने कहा था कि मैं तो कई वर्षों से इन साधुओं को पढ़ाने का ही काम करता हूँ, चार पाँच सौ रुपये की आमदनी हो जाती है। एक तो शास्त्र में गृहस्थों से शिक्षण लेना ही मना है जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, दूसरे भाड़ेतू नौकर रखना या रखवाना या

जानकारी में श्रावकों द्वारा रखा जाना भी विलकुल शास्त्र-विरुद्ध है, लेकिन घनश्यामरामजी को रखने में तो ये दोनों दी टोप आ जाते हैं और इस तरह टोप दुगुना तिगुना और भीषण हो जाता है। इसी तरह एक रघुनन्दन प्रसादजी ने इन लोगों को सस्कृत का शिक्षण भी दिया है।

दोनों का झूठ

पेसा भी होना है कि जब ये लोग देशान्तर में भ्रमण के लिए निकलते हैं तब इनके साथ जाने के लिए श्रावक लोग कुछ व्यक्तियों को रुपए ठहरा कर भेजते हैं, लेकिन भाषा द्वारा ये साथवाले भाड़ेनु लोग सेवा का ही ध्येय ब्रताते हैं, लेकिन असलियत का इन लोगों को पता होना ही है या हो जाना है, कुछ छिपता नहीं है। ये लोग कैसा झूठ बोलते हैं यह नीचे की एक छोटी सी कहानी से मालूम होगा—

एक बेध्या की लड़की ने एक राजा से कहा कि 'झूठ में बड़ा मजा है।' राजा ने पूछा, सो कैसे? उत्तर में लड़की ने कहा कि मैं किसी दिन ब्रता दूंगी। दूसरे दिन वह लड़की अपने घर कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करने बैठी। राजा ने उसे बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत से बोली कि कृष्ण भगवान से वार्तालाप कर के आऊंगी। दूत ने जा कर राजा से यह कह दिया। जब लड़की राजा के पास आई तब राजा ने पूछा कि क्या कृष्ण भगवान तुझ से बोलते हैं। लड़की ने कहा 'हाँ'। राजा ने कहा—हम से भी बात करा दे। लड़की बोली—प्रार्थना करने

से पता लगेगा मगर खुश करने के लिए आपको खर्च बहुत करना पड़ेगा। राजा ने खर्च के लिए एक लाख रुपए दे दिए। लड़की ने कुछ खर्च कर के मूर्ति को सुन्दर और शोभायमान बना दिया और पास ही राधिकाजी की एक सुन्दर मूर्ति भी रखवा दी। स्वयं उसने सफेद कपड़े पहिन लिए और बैठ गई। राजा को कहला भिजवाया कि राजा रानी दोनों मिलकर आएँ और दोनों सफेद कपड़े पहिन कर आएँ, भगवान ने बातचीत करना स्वीकार किया है। लड़की के कहने के अनुसार राजा रानी सफेद कपड़े पहिन कर आए। थोड़ी देर बाद बोली कि भगवान राधिकाजी से बोल रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो वर्णसंकर होता है, अर्थात् जिसकी उत्पत्ति अपनी माँ के पति से न होकर किसी अन्य व्यक्ति के माँ से अनुचित सम्बन्ध होने के परिणाम स्वरूप होती है, उसे भगवान की बोली सुनाई नहीं पड़ सकती। रानी ने विचार किया कि मैं अगर कहूँगी कि मुझे तो भगवान बोलते सुनाई नहीं पड़ते तो राजा मुझे वर्णसंकर समझ कर छोड़ देगा—मेरा त्याग कर देगा, इसलिए वह कहने लगी कि अहा, राधिकाजी से भगवान बात कर रहे हैं, कितनी सुन्दरता से बोल रहे हैं, कितनी मधुर आवाज़ है, आदि २। रानी की यह बात सुन कर राजा ने मन ही मन में विचार किया कि रानी को तो भगवान बोलते सुन पड़े लेकिन मुझे नहीं, कहीं मैं वर्णसंकर न होऊँ। ऐसा भय खा कर

राजा भी कहने लगा कि हाँ, भगवान बोल रहे हैं। दोनों ऐसा स्वीकार कर के अपने महल को चले गए। दोनों अपने दिल की बात दिल में ही छिपा कर चले गए, और दोनों समझ भां गए कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही हाल इन तेरहपंथी साधुओं (?) और उनके श्रावकों का है। ये गजारानी की तरह झूठ बोलते हैं और उस झूठ द्वारा, कपट द्वारा, अपना काम निकालने हैं।



माया-कपट



सा कि पहिले अध्यायों में बताया जा चुका है इन तेरहपंथी द्रव्य साधुओं के आचरण में अथ से इति तक माया-कपट भरा हुआ है। मन में कुछ और हो और वाणी में कुछ और हो—इसका नाम कपट है। ये लोग मन की बात को साफ़ साफ़ नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, क्योंकि इनके मन में तो मैल-प्राप ही भरा हुआ है उसे प्रकट करें तो यह साधुता का जो ढोंग है इसकी पोल न खुल जाय। इसलिए इन लोगों को कपट से काम करना पड़ता है, कपट न करें, मायाचारी न बनें तो इनका काम कैसे चले ? इनकी सारी दिनचर्या में शायद ही कोई काम ऐसा हो जिसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। आहार लेने, पंचमी जाने, माल वस्त्रादिक लेने, ठहरने, भ्रमण करने आदि सभी कामों में मायाचारी भरी होती है जो साधुत्व तो क्या साधारण सौजन्य के भी खिलाफ होती है।

देखिए—

(१) भग० श० ३ उ० ६ सूत्र २ में मायावी मिथ्यादृष्टि को विभग ज्ञान उत्पन्न होना बताया है ।

(२) ज्ञाना० प्र० श्रु० अ० ८ * सूत्र उपसंहार में बताया है कि मोक्ष के लिए उग्र तप, सयम व व्रत का साधन करनेवाले साधुओं को धर्म में किंचित मात्र माया भी अनर्थकारी होती है, जैसे महाबल के भव में मल्लिनाथ को तीर्थंकर प्रकृति का वंश होने पर भी माया के कारण स्त्री लिंग मिला ।

(३) भग० ग० १ उ० २ सूत्र १३ में प्रमादी संयमी को दो क्रियाएँ लगती बताई हैं—(१) आरंभिक (२) मायाप्रतनीक । सुय० प्र० श्रु० अ० ८ सू० ३ में बताया है कि प्रमादी बाल और अप्रमादी पंडित है ।

(४) उक्त० अ० ९ सूत्र ४३ व ४४ x में बताया गया है कि कोई बाल (अज्ञानी) तपस्वी मास मास के पारणे में कुशाभ्र के अन्न भाग पर रहे इतना अन्न खावे, एक अजुली पानी पीवे, तो भी उसे सवर धर्म की कला प्राप्त नहीं होती है ।

* उग्र तव संयम व औपगिष्ठ फल साहगस्त विजयस्त
धम्माविसए वि सुहूमावि होईमाया अणत्थाय ॥१॥
जह मालस्त महाबल भवंमि तित्थ यरणा भवंधेवि
तव विसए थोव माया जाया बुवइति हे उत्ति ॥२॥
x मासे मासे तु जो बालो कुसग्गेणंतु भुजए । नसो
सुयक्खायस्त धम्मंसं कलं अग्घाई सोलंसिं ॥

नोट—तात्पर्य यह है कि शरीर से कितना ही तप किया जाय लेकिन मन में तप की भावना और साधना न हो तो आत्म-कल्याण असंभव है। “मुँह में राम बगल में छुरी” की कहावत चरितार्थ करने वाले तो पापी हैं, भला उनका कल्याण कैसा ?

(५) सुय० प्र० श्रु० अ० २ उ० १ सूत्र ९ * में स्पष्ट कहा गया है कि ब्राह्म परिग्रह त्यागी कृश मास मास खमण का तप करने वाला साधु भी यदि माया-कपट का सेवन करे तो आगामी काल में वह अनन्त गर्भादिक के दुःख पायगा।

नोट—ऊपर यह बताया गया है कि ब्राह्म परिग्रह त्यागी यदि अन्तर परिग्रह—कषाय द्वेष वासना मोह क्रोध माया लोभ आदि—का भी त्यागी नहीं है, यदि कोई बाहर का योगी अन्दर ही अन्दर भोगी है, जो ब्राह्म तपस्या तो करता है लेकिन अतरंग तपस्या जिस में नहीं है, ऐसा दिखावटी साधु या त्यागी सचमुच साधु या त्यागी नहीं है, बल्कि आत्मग्रंथना करने वाला दभी दौंगी पापी है।

(६) सुय० प्र० श्रु० अ० १२ सूत्र २२ में साधु को शब्द रूप स्पर्श में अनासक्त हो कर माया कपट रहित संयम को पालने का आदेश है।

* जइ वि य णिगणे किसे चरे । जइ वि य भुंजिय
मास मंतसो ॥ जे इह मायावी मिज्जई । आगंता
गन्भायणं तसो ॥

(७) आचा० प्र० श्रु० अ० ३ उ० १ सूत्र ६ * में कहा है कि जगत् में जीव अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं, इस दुखोत्पत्ति का मुख्य कारण आरंभ ही है । प्रमादी व मायावी प्राणी वारंवार गर्भ में आकर के मृत्यु के मुख में पड़ता है । जो ज्ञानी महात्मा जन्ममरण से डरते हैं व शब्दादि विषयों से दूर रहते हैं और जो वाह्य और अभ्यंतर को सरल और सात्विक व शुद्ध रखते हैं वे जन्ममरण के दुख से मुक्त होते हैं ।

(८) दशवे० अ० ५ उ० २ सूत्र ४७ से ५१ S तक में यह कथन है कि जो तप के चोर, वचन के चोर रूप के चोर आचार के चोर और भाव के चोर होते हैं वे किल्बिषी देवता होते हैं ॥ ४८ ॥ किल्बिषी देवताओं में देवत्व होकर भी वे नहीं जान पाते हैं कि

* आरभजं दुष्कृत् मिणातिणच्चा, मायी पमाई पुण-
रेइ गन्म, उवे हमाणे सद रुवेसु अंजू, माराभि संकी
मरणा पमुच्चति ॥ ६ ॥

S तवतेणं, वइतेण रुव-तेणे य जेनेर । आचार भाव
तेणे य, कुच्चई देव किच्चिसं ॥ ४८ ॥

लद्ध णवि देवत्त उववन्नो देव किच्चिसे । तत्थाविं
से न याणाई किं मे किच्चा इमं फलं ॥४९॥
तत्तोवि से चइत्ताणं, लब्धि ही एल सुयगं नरगं
तिरिक्ख जोणिं वा वो ही जत्थ सुदुल्लहा ॥५०॥
एयंच दोसं दड्ढणं गाय पुत्तेण भासियं अणुमा-
यंपि मेहावी, मायामीसं विवज्जए ॥५१॥

किस कृत्य का उन्हे यह फल मिला है ॥ ४९ ॥ वहाँ से चल कर वकरो या गूंगे वकरो होते हैं, भवपरम्परा नरक और तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं जहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है। इसीलिए म० महावीर ने माया को पूर्णतः त्याग देने का उपदेश दिया है।

(९) भग० श० ५ उ० ४ सूत्र १८ में मायावी को मिथ्या-दृष्टि देव-गति में उत्पन्न होना बताया है।

गर्व + मद

इन लोगो मे घमंड भी भरपूर है। जब मैंने इनके खिलाफ पैम्फलेट्स निकाले थे तो इनके आचार्य ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि कन्हैयालालजी हमारा क्या विगाड़ सकते हैं, वे अपनी तीन लाख की सम्पत्ति भी खर्च कर दें तब भी हमारा क्या विगाड़ सकते हैं? इनकी इस गर्वोक्ति का उल्लेख मैं पुस्तक की भूमिका में कर चुका हूँ। तात्पर्य यह है कि ये लोग साधु कहाते हैं, अपने को साधु कहते हैं मगर घमण्ड भी करते हैं जब कि साधुत्व और गर्व का कोई मेल ही नहीं है। जहाँ घमंड हो वहाँ साधुत्व कैसा, और जहाँ सच्ची साधुता हो वहाँ घमण्ड का क्या काम ?

प्रमाण देखिए—

(१) भग० श्रु० १२ उ० १ सूत्र २६ में कहा गया है कि जो क्रोध करता है वह ७-८ कर्मों के दृढ़ बन्धन का भागी

होता है, वह अंशव्रती मुनि की तरह ससार में परिभ्रमण करता है ।

(२) दशवे० अ० १० सूत्र १९ में कहा गया है कि जो जातिमद, रूपमद, लाभमद, मूत्रमद नहीं करता है वही साधु है ।

(३) सुय० श्रु० १ अ० १३ सूत्र १४ * में बताया गया है कि जो प्रज्ञावत हो कर के भी गर्व करता है वह बाल-अज्ञानी है ।

(४) सुय० श्रु० १ अ० ९ सूत्र ३६ में मान माया को छोड़ने का आदेश है ।

नोट—इस तरह हम देखते हैं कि ये तेरहपंथी साधु-नाम-धारी असाधु माया-ऋषि से भरपूर हैं । ऐसे लोग साधुता-का टोंग कर सकते हैं, अपने को साधु कह कर या दिखा कर कुछ मूर्ख और भोलेभाले लोगों से अपनी पूजा करा सकते हैं लेकिन ये लोग अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, न अपना ही उद्धार कर सकते हैं और न दूसरों के उद्धार में ही किसी अंश तक सहायक हो सकते हैं । ऐसे मायावी लोग अनन्त काल तक इस दुःखमय संसार में परिभ्रमण करते हैं और

* एवं ण से होई समा हपत्ते, जे पन्नव भिक्खु
विउक्कसेज्जा । अहवा वि जे लाभमया वलित्ते
अन्य जणे खिसति बालपन्ने ॥

भयंकर दुख भोगते हैं। ऐसे अभव्य या दूरभव्य प्राणियों के उद्धार की तरफ से निराश होने पर भी हम उन्हें यही कह सकते हैं कि वे इस माया कपट के जाल को तोड़ें, अपनी आत्मा को पहचानें, संयम का पालन करें। लेकिन हम इन लोगों से ही कहना काफी नहीं समझते। हम समाज से और विशेषतया समाज के सूत्रधारों से भी यह कहना चाहते हैं कि कृपया इन गोमुख व्याघ्रों से अपनी समाज और अपने धर्म का रक्षण करिए। जिस वाघ का मुँह गाय सरीखा होता है वह बहुत भयंकर होता है। इसी तरह ये लोग, जो वेष तो साधु का लिए हुए हैं लेकिन महापापी हैं, समाज और धर्म के लिए घातक हैं। सच्चे धर्म-प्रेमियों को इस खतरे की तरफ ध्यान देना चाहिए।

‘ एक सच्चे साधु और श्रावक की सदैव यह भावना रहनी चाहिए—

रहूँ दम्भ से दूर सर्वदा, हो तनिक भी मायाचार ।
 ढोंगों को निर्मूल करूँ मैं, मायाशून्य रहे आचार ॥
 ख्याति लाभ के लालच से भी, नहीं करूँ झूठा तप त्याग ।
 अन्य ढोंग या वंचकता में, थोड़ा भी न रहे अनुराग ॥



अध्याय : २४

भाषा-समिति

यदि तेरहपंथियों की बोली—भाषा व स्वर आदि—सुनी जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उन में भाषा-समिति का—जो साधु की पाँच आवश्यक व अनिवार्य समितियों में से एक है, नाम भी नहीं है। इनकी भाषा-वाणी में अपशब्दों एवं अन्य प्रकार से अनुचित शब्दों की कमी नहीं होती है। एक तो कपट भरे वाक्यों से वैसे ही भाषा-समिति नष्ट हो जाती है लेकिन बाह्य दृष्टि से भी उनकी वाणी में उसका अभाव होता है।

देखिए—

(१) आचा० श्रु० २ अ० १३ उ० १ सूत्र ८ * में साधु

* से भिन्नस्ववा (२) जाय भासा सच्चा जाय भासा
मीसा जाय भासा सच्चा मोसा, जाय भासा
असाच्चा मोसा, तहप्पगारं भासं सावज्जं सकि-
रियं कक्कसं, कड्डुयं णिहुरं, फरुसं, अण्हय करिं,
छेदकरिं, परितावण करिं, उवद् वकारिं, भूतो व
घाइयं अभिकेन्न णो भासं भासेज्जा ॥

को (१) कर्कश, (२) कटु (३) निष्ठुर, (४) कठोर, (५) आश्रव उत्पादक, (६) छेदन कर्ता, (७) परिताप कर्ता, (८) उपद्रव कर्ता (९) क्रियाशील, भाषा बोलना मना किया है।

नोट—ये तेरहपंथी ऐसी बोली प्रायः बोलते हैं जिनमें उपर्युक्त सूत्र में बताए हुए सभी दोष आ जाते हैं। मुझे याद है कि इन लोगों में जो कुनणमलजी है वे तो ऐसी दोष-युक्त भाषा बहुत ही बोलते हैं। एकवार कुनणमलजी के कुछ बोलने पर इनके साथ के हनुमानमलजी बहुत रोए थे। इन लोगों में परस्पर ऐसी दोष-युक्त भाषा खूब बोली जाती है और गृहस्थों से भी ये लोग ऐसा बोलते हैं।

(२) सुयड० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र १७ में अधर्म वाक्य बोलने के लिए मना किया गया है।

(३) सुयड० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र २७ में—मूर्ख, दातार—ऐसा शब्द बोलने के लिए मना किया गया है।

नोट—तेरहपंथी बहुधा ऐसे शब्द बोलते हैं।

(४) उक्त० अ० १ सूत्र २४ × में बताया गया है कि भाषा के दोषों का परिहार करना चाहिए।

(५) सुयड० प्र० श्रु० अ० ८ सूत्र १९ व २५ में माया सहित भाषा बोलने के लिए मना किया गया है।

नोट—पिछले अध्यायों में त्रिपैतया २३ वें अध्याय

× मुसं परिहरे भिक्खू न य ओहरिणि चए । भास
दोसं परिहरे, मायं च वज्जए सया ॥

में यह खूब अच्छी तरह दिखलाया गया है कि ये तेरहपंथी माया कपट से भरी हुई भाषा बोलते हैं ।

(६) सुय० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र २६ में ऐसे वचन बोलने को मना किया है जो हिंसाकारी हों ।

नोट—यहाँ हिंसाकारी वचनों का अर्थ है ऐसे वचन जो दूसरों के भावों को ठेस पहुँचाएँ । यहाँ हिंसा से भाव-हिंसा का प्रयोजन है, द्रव्य-हिंसा का नहीं । यहाँ यह खयाल रखना चाहिए कि हिंसाकारी वचनों से असत्य वचन का मतलब नहीं है । हिंसाकारी वचन सत्य भी हो सकते हैं । काने को काना कहना, लँगड़े को लगड़ा कहना, मूर्ख को मूर्ख कहना, सत्य तो है लेकिन हिंसाकारी है, क्योंकि इससे दूसरे के दिल को चोट पहुँचती है, उसे दुख होता है । अतः सत्यासत्य के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि अमुक वचन ऐसा तो नहीं है जिस से किसी भी प्राणी का हृदय दुखी हो । यदि हाँ, तो वह वचन न बोलना चाहिए ।

(७) निशी० उ० १५ सूत्र १ से ३ * तक में बताया

* जे भिक्खू भिक्खूणं अगाढं वदइ वंदं तंवा साइज्जइ ॥१॥

जे भिक्खू भिक्खूणं फरुसं वदई वंदंतं वा
साइज्जइ ॥२॥

जे भिक्खू भिक्खूणं आगाढं फरुसं वदइ वदंतं
वा साइज्जइ ॥३॥

गया है कि जो साधु किसी साधु से आक्रोश वश ज़ोर ज़ोर से बोले, बोलते को अच्छा जाने, जो साधु किसी साधु से आक्रोश-युक्त कठोर वचन कहे, कहते को अच्छा जाने, जो साधु अन्य किसी भी साधु के प्रति अन्य किसी भी प्रकार की असातना करे, करते को अच्छा जाने, उसे लघुमासिक प्रायश्चित्त बताया है ।

(८) उत्त० अ० २५ सूत्र २४ * में कहा है कि जो साधु क्रोध के वश हो कर, लोभ के वश हो कर, हंसी के वश हो कर अथवा भय के वश हो कर झूठ न बोले, न ब्रुलावे और बोलते को मन वचन काय से अच्छा न जाने, उसको मैं साधु कहता हूँ ।

नोट—यहाँ साधु को यह आदेश है कि वह क्रोध लोभादि वश अपनी भापा को दूषित न करे और न किसी दूसरे की भापा को दूषित करने का निमित्त बने ।

(९) दशवे० अ० ८ सूत्र ४७ में साधु को ऐसी भापा बोलना मना है जिसेस पटकाय की हिंसा होती हो (ये लोग ऐसी भापा बोलते ही रहते हैं) ।

जयाचार्यजी ने भगवान महावीर की दीक्षा का वर्णन करते हुए प्रश्नोत्तर के प्रश्न ५२ में कहा है कि भगवान ने भापा-

* कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।

मुसंन वयई जो उ, तं वयं वूम माहाणं ॥ २४ ॥

समिति-पूर्वक अपने सम्बन्धियों को सीख दी; अतः भाषा-समिति-पूर्वक बोलने में सावध आमना नहीं है। लेकिन जयाचार्यजी का यह कथन सत्य के विरुद्ध है।

आचा० श्रु० २ अ० २४ में तो ऐसा लिखा है—
 “सर्वधिवग्ग पडिविसजेति पडिविसंजेता”, अर्थात् भगवान ने दीक्षा लेने के पश्चात् विहार के समय सम्बन्धियों को विसर्जित कर दिया अर्थात् छोड़ दिया और स्वयं विहार के लिए चल दिए। अतः स्पष्ट है कि सावध आमना हर उस भाषा में है जिससे आरम्भ बदे, और ऐसी भाषा में भाषा-समिति की कल्पना हो ही नहीं सकती।

पिछले अध्यायों में यह अच्छी तरह बताया गया है कि किवाड़ खुलवाने, बन्द कराने, लालटेन रोशनी आदि का प्रबन्ध कराने, मकान की सफ़ाई दुरुस्ती आदि कराने, रोटी न चिपड़वाने, विहार के समय गृहस्थों को साथ में लेने, सेवा सुश्रुसा कराने आदि सभी कामों में ये लोग कपट-भरी वाणी बोल कर सब काम करा लेते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने तो काम के लिए नहीं कहा। वे कहते हैं कि हमने तो काम न करने के लिए कहा क्योंकि उनका कहना ‘नहीं’ में था। मैं उन से कहूँगा कि ‘नहीं’ में ही आपको बोलना है, ‘नहीं’ में बोलने की ही आपने शपथ खा ली है, तो आप इस तरह सीधे-सीधे क्यों नहीं बोलते—स्थानक गंदा नहीं रखना, स्थानक के किवाड़ खुले नहीं रखना, आदि आदि। बात साफ है कि

वाणी में कपट से काम लेकर भोली-भाली जनता को उल्लू
 बनाना है। भला, जहाँ कपट हो वहाँ भापा-समिति कैसे हो
 सकती है ?

एक सच्चे साधु की तो भापा-समिति के विषय में यही
 भावना हो सकती है—

विविध कष्ट सह करभी बोलूँ, सदा सभी से सच्ची बात
 कभी न वंचित करूँ किसी को, हाँ न कभी कटु वचनाघात ॥
 कोमल प्रेमजनक शब्दों का हो मुख से सर्वदा प्रयोग ।
 करूँ न मैं अपमान किसी का और न हाँ गाली का रोग ॥



अनुचित आदर

प्रश्न—तेरहपथी द्रव्य-साधु सरकारी अधिकारी को या धनवान को समझाने अथवा अपनी ओर (अपने पक्ष का) करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, धनवान आदि का विशेष रूप से आदर करते हैं । क्या यह उचित है ?

उत्तर—नहीं, यह बिल्कुल अनुचित है । एक साधु के लिए क्या धनी क्या निर्धन, क्या सरकारी अधिकारी क्या साधारण नागरिकता के अधिकार से भी वंचित प्राणी, सभी बराबर हैं । साधु इन बातों से ऊपर रहता है । वह तो गुणानुरागी होता है और गुणों से ही विशेष बोलना रख सकता है सो भी उसके लिए नहीं उसके गुणों के लिए, और गुण अभीर गरीब दोनों में हो सकते हैं, होते हैं । धनी होना कोई गुण नहीं है, निर्धन होना कोई अवगुण नहीं है । अतः तेरहपंथियों का यह व्यवहार अनुचित है ।

प्रमाण देखिए—

घाट—

जे भिक्षू गाम रक्खियं अत्तिकरेइ, अत्ति
करंतं वा साइज्जइ । एवं सोचेव रायगमओ
णे यच्चो ॥ ८४ ॥ एवं देस रक्खियं ॥ ८८ ॥
एवं सीम रक्खियं ॥ ९२ ॥ एवं रन्नो
रक्खियं ॥ ९६ ॥ एवं सब्ब रक्खियं ॥ १०० ॥

—निशीथ उ० ४

भावार्थ—जो साधु साध्वी ग्राम के अधिकारी पटंल आदि को अपना करे, अपना 'करते को अच्छा जाने, ऐसा ही राजा देश-रक्षक (फौजदार), सीम-रक्षक (नाकादार, थानेदार) जंगल के रक्षक तथा अन्य रक्षकों के बारे में करे, करते को अच्छा जन्मे, तो लघुचौमासिक प्रायश्चित्त ब्रताया है ।

तेरहपंथियों में धनी व अधिकारी को 'अपनी ओर करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा और खराब है । जब कोई नयी आमना लेने वाला होता है तो ये लोग पूछते हैं कि यह असामी कैसा है ? अगर इन्हे मालूम होता है कि वह लखपती है, धनी है या राजकर्मचारी सरकारी अफसर आदि है तो ये लोग उसे अपनी तरफ खींचने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं । यदि वह गरीब आदमी होता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, उपेक्षा से काम लेते हैं । इस तरह धन और अधिकार इन तेरहपंथियों को प्रभावित करते हैं और जिसका मन इन दुनि-

यात्री बातों से प्रभावित हुआ करे और यहाँ तक प्रभावित हुआ करे कि उससे व्यवहार और आचरण में अन्तर पड़ जाय, तो वह मन साधु का मन नहीं है, एक संसार-विरक्त त्यागी का मन नहीं है, बल्कि एक ऐसे दुनिया में लिप्त आदमी का मन है जिसमें साधारण मनुष्य की सभी कमज़ोरियाँ भरी हुई हैं ।



पूजा-सत्कार

प्रश्न—ये तेरहपंथी लोग जानबूझकर अपनी पूजा व सत्कार कराते हैं, पूजा और सत्कार की लालसा रखते हैं, पूजा सत्कार मिले तो न्व्व प्रसन्न रहते हैं न मिले तो खिन्न और नाराज होते हैं। क्या यह उचित है ?

उत्तर—नहीं, यह अनुचित है। साधु का व्यय आत्मसिद्धि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है न कि पूजा-सत्कार पाना। पूजा-सत्कार की लालसा तो दुनिया में रहने वाले दुनियावादी (ससार-लुप्त) प्राणियों की चीज है, ऊँचे मनुष्य-साधु व महात्मा-तो सदैव कर्त्तव्य को ही सामने रखते हैं और यश मिले या अयश, सत्कार मिले या निरादर, स्तुति हो या प्रशंसा, वे अपने कर्त्तव्य से कभी विचलित नहीं होते। सच्चा यश तो भीतर की चीज है और जो व्यक्ति कर्त्तव्यपरायण होता है उसने ही मन में वह सच्चा यश रहता है। एक सच्चे साधु की सदैव यही भावना होती है—

“ घर घर में मैं पाऊँ पूजा या घर घर में अपमान मिले ।
दोनों में ही मुमकान रहे मन के भी भीतर आह न हो ॥

पहिले चुरु की घटना बर्ताई जा चुकी है । चुरु में तीन दिन तक श्रावकों ने पंचमी के आवागमन के समय कीर्ति व प्रशंसा सूचक शब्दों का जोर जोर से उच्चारण नहीं किया, इसपर सामान्य साधुओं ने भायों को उलाहना दिया कि यहाँ के भायों में भक्ति कम है, अमुक जगह के भाए बड़े भक्त हैं, जब महाराज पंचमी को आते जाने थे तो वे खूब जोर से जय-नाद करते थे, आदि आदि । इसका परिणाम यह निकला कि चौथे दिन चुरु के श्रावकों ने भी ‘ धन्य हो पूज्य परमेस्वर ’ आदि आदि वाक्यों का खूब जोर के साथ उच्चारण किया । एक बार पहेट में उनके आचार्य ने भाषण देते हुए कहा था कि देखो, इस शासन की किननी भारी महिमा है, आदि आदि । इस तरह ये लोग अपनी प्रशंसा भी करते हैं और कौशिश करके गृहस्थों से पूजा सत्कार पाने की कौशिश तो विशेष रूप से करते हैं और जब पूजा सत्कार मिलता है तब उस से खुश होते हैं । उनका यह सुख एक तरह का काय-सुख ही है लेकिन उनके लिए काय-सुख पाना कोई असाधारण बात नहीं है । खैर... ,

प्रमाण देखिए—

(१) सुयड ० प्र० श्रु० अ० ९ सूत्र २२ में बताया है कि पंडित [ज्ञानी] पुरुष यश कीर्ति श्लाघा वंदन पूजन तथा

अन्य संसार के सत्र प्रकार के काम-भोगों को जान कर उनसे अलग रहते हैं ।

(२) सुय० प्र० श्रु० अ० १३ सूत्र १२ * में कहा गया है कि अंत प्रांत आहारी निष्परिग्रही साधु गर्व या श्लाघा का कामी हो तो वह समय को न जानने वाला, आजीविका मात्र करने वाला, संसार में परिभ्रमण करता है ।

नोट—यहाँ यह बताया गया है कि ऐसे साधु वेषधारी प्राणी जो संयम का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से साधुता को आजीविका बना कर अपना उदर-पोषण करते हैं । रोटी खाने के लिए चाहिए, साधुता का वेप धर कर और ढोंग रच कर अच्छे अच्छे माल खाने को मिलते हैं, इसलिए कुछ निकम्मे लोग, जो गृहस्थावस्था में दिनरात मजदूरी करके मुश्किल से रोटियाँ खा सकते हैं, साधु-वेप धारण कर लेते हैं और इस तरह अपनी आजीविका का प्रबन्ध कर लेते हैं । श्रद्धावश दीक्षा लेने वाले धर्मार्थी तो विरले ही होंगे, साधारणतः ये लोग पेटार्थी हैं । अपने पेट के लिए ये लोग साधु-वेप धारण करते हैं, वाह्य क्रियाएँ भी तदनुकूल करते हैं ।

* णिक्किचणे भिक्खु सुल्लहजीवी, जे गारवं होइ सिले अगामी ।
आजीवमयं तु अबुज्जमाणो, पुणो पुणो विप्परियासुवेंती ॥

शब्दार्थ—नि० - निष्किचन, भि० - साधु, सु० - अन्त प्रांत आहारी, जे० - जो, गा० - गर्ववत, हो० - होता है, सि० - श्लाघा का कामी, आ० - जोवार्थ, ए० - इस को, अ० - अज्ञान, पु० - बारबाय वि० - विपरीतता को, उ० - प्राप्त होता है ॥

अश्रद्धालु और स्वार्थी मन को भी इस पेशे में जोत देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ढोंग दम्भ और माया-कपट करना पड़ता है। इस तरह ये लोग पेट के लिए अपना शरीर तो बेचते ही हैं, अपनी आत्मा भी बेचते हैं। इस तरह ये लोग वेद्याओं से भी गए ब्रीते हैं, वेद्याओं से भी अधिक पतित हैं; क्योंकि वेद्या तो पेट के लिए अपना शरीर ही बेचती है, लेकिन ये लोग पेट के लिए शरीर और आत्मा दोनों को ही बेचते हैं। हा! कैसा अव-पतन है। मंगलमय भगवान इनका मंगल करे—ऐसी इन पंक्तियों के लेखक की हार्दिक भावना है।

(३) उच्च० अ० १५ सूत्र ५ में कहा है कि जो सत्कार पूजा वंदन और प्रशंसा की इच्छा न करे, संयमी, सुव्रती व तपस्वी हो, ज्ञान-क्रिया-सहित हो, आत्मा की गवेषणा करनेवाला हो, वही भिक्षु कहाता है।

(४) सुय० प्र० श्रु० अ० २ उ० २ मूत्र ६ से ११ तक में कहा गया है कि पूजे जानेपर साधु मान न करे, राजादिक से पूजे जाने पर भी गर्व न करे।

(५) दशवे० अ० ९ उ० ४ मूत्र ७ में यश महिमा के लिए तपस्या करने के लिए मना किया गया है।

(६) दशवे० अ० ५ उ० २ मूत्र ३५ * में मान का कामी, यश का अभिलाषी, मान-सन्मान का इच्छुक साधु कपट-

* पूयणद्वा जप्तौ-कामी माण-सम्माण कामए ।

बहुं पसवई पावे, माया-सल्लं च कुवई ॥

धारी है, माया-कपट रूप सल्ल करने से बहुत पापोजर्न होता है—
पाप-कर्मों का बंध होता है ।

नोट—इस तहर यह विलकुल स्पष्ट है कि पूजा सत्कार
यश सन्मान आदि की लालसा रखने वाला साधु असाधु है ।
तेरहपंथी देखें कि वे इस कसौटी पर कसे जायँ तो साधु ठहरेंगे-
या असाधु ?



प्रतिक्रमण

साधु के लिए प्रतिक्रमण एक आवश्यक नित्यकर्म है।

यह एक प्रकार की तपस्या है जो साधुत्व के लिए अनिवार्य है। लेकिन इन तरहपंथियों में से कितनेक को प्रतिक्रमण करना ही नहीं आता है। और जिनको पाठ पढ़ना आता है उनमें से बहुत कम उसे ठीक ठीक समझ पाते हैं। भावपूर्वक प्रतिक्रमण करने वाले इन लोगों में थोड़े ही प्रमाण में होंगे।

एक बार आचार्यजी ने गंगापुर वाले लालचन्दजी तथा अन्य लोगों को हुक्म दिया था कि प्रतिक्रमण का पाठ दूसरों को सुनाओ। सत्रने अपने अपने मेल के आदमियों को सुनाया और इस तरह एक दूसरे की कमजोरी छिपा कर उन लोगों ने किसी तरह लाज रख ली, छिपा-छिपी चल पढ़ने से असलियत का पता न लग सका। कई लोग रायशी दवेशी के वक्त गुनगुन किया करते हैं, बहुत-से जो पाठ पढ़ भी लेते हैं वे तोते की

तरह बोल देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते । यह सब आगम की आज्ञा के प्रतिकूल है ।

प्रमाण देखिए—

(१) निशीथ उ० १९ सूत्र १६ * में कहा गया है कि साधु दिन व रात्रि और दोनों के प्रथम प्रहर और अन्तिम प्रहर इस तरह चारों प्रहरों में स्वाध्याय नहीं करे, न करते को अच्छा जाने, तो लघुचौमासिक प्रायश्चित्त बताया है ।

नोट—जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, कई तेरह-पंथी लोग प्रतिक्रमण सच्चे अर्थों में नहीं करते हैं और वेबेचारे इतने समझदार भी नहीं है कि कर सके । केवल रिवाज पीटते हैं । होंठ हिलते हैं पर मन में भावों का स्पन्दन नहीं होता है । चौथे दिन की हाजिरी में इनके आचार्य इनसे पूछा करते हैं कि चारों समय सज्जाय की या नहीं तो उत्तर में ये लोग कहा करते हैं कि “ करी दीखे है ” । इस तरह ऊपर से ये लोग झूठ मी खूब बोल लेते हैं । हम देखते हैं कि जहाँ तक प्रतिक्रमण का सम्बन्ध है, इनमें से कई लोग कोरे ही हैं ।

* जे भिषखू चउकालं सज्जायं न करेति न करंतंवा साइज्जइ ॥



पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ

सूत्र में पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ बताई गई हैं और साधु के लिए उन भावनाओं की आराधना करना, उन्हें जीवन में उतारने का अभ्यास करने के लिए उनको समझना, पाठ करना और उनकी भावना करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य कहा गया है। लेकिन ये तेरहपंथी लोग इनकी भावना भी नहीं करते हैं। ये लोग नाम के महाव्रती हैं, सच्चा महाव्रत इनमें नहीं है। अब नीचे एक-एक भावना को लेकर अपने मन्तव्य को स्पष्ट किया जायगा—

प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ

पहिली भावना—ईर्या-समिति का पाटन करने वाला साधु है, इसके विरुद्ध आचरण करनेवाला पट्काय का घातक है।

नोट—ईर्या-समिति के अध्याय : १३ में यह अच्छी तरह दिखाया जा चुका है कि ये तेरहपंथी लोग ईर्या-समिति का पालन नहीं करते हैं, वल्कि उसके विरुद्ध चलते हैं, और इस तरह पट्काय के घातक हैं ।

दूसरी भावना—मन में पाप न रखने वाला साधु है, अर्थात् जिसका मन पापयुक्त सदोष न हो, पूर्णरूपेण अशुभ क्रिया सहित न हो, कर्मबधकारी, छेदनकारी, भेदनकारी, कलहकारी, द्वेषपूर्ण व घातकारी न हो, वही साधु है ।

नोट—इस विषय में भी पहिले बहुत कहा जा चुका है। पहिले से विहार चातुर्मास आदि का निश्चय प्रकट करना और उसे घोषित करना, पहिले से ही चिठी या तार (कपटपूर्ण भाषा द्वारा) दिलवाना आदि इन तेरहपंथियों के बहुत-से काम हैं जिनमें यह अपनी भाषा द्वारा क्रिया व आरम्भ आदि के निमित्त बनते हैं। पाठक गण देखें कि इनका मन उक्त भावना में बताए हुए साधु के मन से कितनी विपरीत प्रवृत्ति वाला है ?

तीसरी भावना—साधु के वचन को पहचानना, खराब क्रियावाले भूतोपघातक सदोष वचन बोलने की इच्छा नहीं करना, पाप रहित बोलना, अखंड चारित्र रखना ।

नोट—तेरहपंथी अनेक दोष-युक्त वचन बोलते हैं, गृहस्थों से काम करा लेते हैं। इस तरह ये लोग इस तीसरी भावना के विरुद्ध भी आचरण करते हैं ।

चौथी भावना—गयेपणा-पूर्वक अज्ञात कुल से थोड़ा थोड़ा आहार ले, मुहूर्त मात्र ध्यान करे, सयोग-दोष रहित व लोलुपता रहित आहार ग्रहण करे, वह साधु है । आहार पानी बिना देखे काम में लेनेवाला प्राणघाती है ।

नोट—तेरहपंथियों का आचरण उक्त भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है ।

पाँचवी भावना—भडोपकरण लेते देते रखते समय यत्नसहित परिवर्तन करना ।

दूसरे महाव्रत की पाँच भावनाएँ

पहिली भावना—बिना विचारे न बोलना, क्रोध लोभ भय हास्य वश जीवनपर्यन्त झूठ न बोलना ।

दूसरी भावना—क्रोध नहीं करना ।

तीसरी भावना—लोभ नहीं करना ।

चौथी भावना—भयभीत न बनना ।

पाँचवी भावना—हास्य विनोद नहीं करना ।

नोट—तेरहपंथियों के जीवन में उक्त पाँचों भावनाओं को स्थान नहीं है । वहाँ तो क्रोध लोभ भय हास्य आदि सभी दुर्गुण निवास करते हैं, और इनमें से हर दुर्गुण के कारण मिथ्याभाषी बनना पड़ता है जो चरित्र का नाशक है ।

तीसरे महाव्रत की पाँच भावनाएँ

पहिली भावना—विचारपूर्वक अपने सहधर्मी के पास से परिमित अवग्रह माँगना (प्रमाणमहित), जिस मकान में गृहस्थ ने झाड़झूड़ (सफाई) की हो उस मकान में न रहना ।

दूसरी भावना—आज्ञा से बाहर आहार पानी आदि ग्रहण न करना ।

तीसरी भावना—प्रमाण सहित अवग्रह लेना, पाट पाटलादि शुद्ध लेना, सम जगह को विपम जगह और विपम जगह को सम करना, वायु आती हो तो उसे बन्द न कराना, न आती हो तो उसे आने के लिए जगह न खुलवाना, ठंडे को गरम और गरम को ठंडा न करना, ब्रस प्राणियों में भय न उपजाना ।

चौथी भावना—अवग्रह माँगते समय वारम्बार मर्यादा बाँधते रहना, घृतादि अधिक न लेना, प्रशंसा न करना ।

पाँचवी भावना—विचारपूर्वक अपने सहधर्मियों से परिमित अवग्रह माँगना, विनयपूर्वक रहना, आचार्य का विनय करना ।

नोट—तेरहपथियों में ये पाँचों भावनाएँ भी नहीं हैं । इस विषय में पिछले अध्यायों में विस्तारपूर्वक बताया ही जा चुका है ।

चौथे महाव्रत की पाँच भावनाएँ

पहिली भावना—बारबार स्त्री-कथा न करना, मनोहर रूप न देखना ।

दूसरी भावना—स्त्री के मनोहर अवयव न देखना, उनका चिन्तन न करना, स्त्रियों की कथा आदि न करना ।

तीसरी भावना—पहिंले की की हुई क्रियाएँ याद न करना ।

चौथी भावना—स्त्री पुरुष नपुंसक वाली शय्या के आसन का सेवन न करना ।

पाँचवी भावना—ज्यादह न खाना-पीना, रसयुक्त खान-पान का सेवन न करना, वीर्य-वर्धक आहार न करना ।

नोट—तेरहपंधियों के चरित्र में इन पाँचों भावनाओं को भी कोई जगह नहीं है । वाग्व्रगीचे देखना, रसयुक्त वीर्यवर्धक भोजन करना आदि ऐसी क्रियाएँ जो उक्त पाँचों भावनाओं के खिलाफ हैं। ये स्त्रीकथा, राजकथा, देशकथा, भातकथा भी चारों करते रहते हैं ।

पाँचवें महाव्रत की पाँच भावनाएँ

पहिली भावना—कान से अच्छे बुरे शब्द सुनने में आसक्ति न होना ।

दूसरी भावना—आँख से अच्छा रूप सौन्दर्य देखने में आसक्ति न रखना ।

तीसरी भावना—नाक से सुगंध लेने में आसक्त न होना ।

चौथी भावना—अच्छे रस का स्वाद लेने की लालसा न रखना, माँस मधु आदि न लेना ।

पाँचवी भावना—अच्छे बुरे स्पर्श में आसक्ति न रखना ।

नोट—तेरहपंथी उक्त पाँचों भावनाओं के विरुद्ध आचरण करते हैं ।

इस तरह हम देखते हैं कि इन तेरहपंथियों के जीवन और आचरण में—चरित्र में—ऊपर बताई हुई पाँचों महाव्रतों की पच्चीस भावनाएँ भावात्मक या क्रियात्मक रूप में नहीं हैं अतः वे साधु हैं ! ऐसे असाधुओं को जिनका असाधुत्व आगम-सूर्य की ज्ञान-किरणों द्वारा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, साधु मानना भूल है, अपराध है ।



रुक्मर



रहपंथियों के जीवन की जो झॉकी इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ से मिलती है उससे यह विष्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इनकी आत्मा सदैव कर्मबन्धन से बँधती रहती है और कर्म-वर्गणाओं का आगमन नहीं रुकता है। ऐसी हालत में कर्म-वर्गणाएँ अपनी अवधि पूर्ण करने पर अथवा अपना फल देकर झड़ती भी जायँ तो भी क्या होता है ? जब तक कर्म-वर्गणाओं का आगमन नहीं रुकेगा तब तक मोक्ष-मार्ग में कैसे बढ़ा जा सकता है। कर्म-वर्गणाओं का आना और आत्मा से बद्ध होना रुक जाय फिर आत्मा से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो तभी मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है। उदाहरण के लिए नदी में डूबती हुई नाव को ले लीजिए। उसमें एक छेद है जिसमें होकर पानी आ रहा है। नाव में कुछ पानी भर गया है। अब हम यदि उस नाव के छेद को बन्द तो न करें लेकिन दोनों हाथों से पानी उलीचना शुरू कर दें:

तो भी कोई लाभ न होगा, क्योंकि जितना पानी उलीचेंगे उतना या उससे अधिक पानी नाव में भर जायगा और धीरे धीरे नाव डूब जायगी। नाव को बचाने के लिए सब से पहिले छेद बन्द होना चाहिए (यह संवर है), फिर नाव से पानी को बाहर उलीचना चाहिए (यह सकाम निर्जरा है); तभी नाव पानी में डूबने से बचकर उसके पार हो सकती है (यह मोक्ष है)। अतः जीवनरूपी—आत्मारूपी—नौका को भवसागर से पार करने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि कर्मवर्गणाओं को रोका जाय, फिर निर्जरा की जाय, अन्यथा भवसागर से पार होना अर्थात् सिद्ध-पद प्राप्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है।

तेरहपंचियों की आत्मारूपी नौकाओं में संवर नहीं है इसी से वे डूब रही है। संवर के लिए संयम, त्याग, तपस्या और वैराग्य की आवश्यकता है, जो इन लोगों में दुर्लभ और अप्राप्य है। खैर...., यह निश्चित है कि इन लोगों में संवर-धर्म नहीं है और जैसी वेदगी रफ्तार है उसमें होना असंभव ही है।

स्पष्टता के लिए कुछ प्रमाण देखिए—

पाठ—

असंबुडा, अणादियं, भमि हित्तिपुणो । कप्पकाल
मुवज्जंति ठाणा अमुर किन्विसिया चिवेमि ॥१६॥

—सुय० प्र० श्रु० अ० १ उ० ३ सूत्र १६ ॥

शब्दार्थ—अ० - सवर रहित, अ० - अनादि, न० - परिश्रमप
करेगे, पु० - बारम्बार, क० - बहुत काल, उ० - उत्पन्न होते हैं,

डा० - स्यान्, अ० - असुर कुमार, कि० - कित्त्विपी में, ति० - ऐसा, वे० - कहता हूँ ॥

भावार्थ—वे संवर रहित पाखण्डी लोग अनादि संसार में परिभ्रमण करेंगे तथा बार-बार नरक आदि का दुख भोगेंगे । कदाचित् तप के प्रभाव से स्वर्गादि गति मिल जाय तो बहुत काल पर्यन्त असुरकुमारादिक कित्त्विपी आदि में उत्पन्न होकर दुख पावेंगे, ऐसा श्री० भगवान ने कहा है ।

पाठ—

तया चयई संभोगं सविहन्तर-बाहिरं ॥ १७ ॥

जया चयई सम्भोगं सविहन्तर-बाहिरं । तया

मुण्डे भवित्ताणं पव्वइय अणगारियं ॥ १८ ॥

जया मुण्डे भवित्ताणं पव्वइय अणगारियं । तया

सवर मुक्कट्ठं धम्म फासे अणुत्तर ॥ १९ ॥

—दशवे० अ० ४ भिक्खू० आ० सूत्र १७, १८, १९

भावार्थ—वह अम्यंतर कयाय व बाह्य कुटुम्ब आदि के संयोग का त्याग करेगा ॥ १७ ॥

जब अम्यंतर व बाह्य संयोग का त्याग करेगा तब द्रव्यभाव से मुंडित बन कर साधुत्व अंगीकार करेगा ॥ १८ ॥

जब मुण्डित बनकर साधुत्व अंगीकार करेगा तब वह उत्कृष्ट संन्यस्य रूप अनुत्तर धर्म का स्पर्श करेगा ॥ १९ ॥

पाठ—

“मणसा जे पउस्संति चित्तं तेसि ण विज्झई ।

अणवज्ज मच्चहं तेसिणति सबुड चारिणो ॥ २९ ॥”

—सुय० प्र० श्रु० अ० १ उ० २ सूत्र २९

शब्दार्थ—म० - मन से, जे० - वह, प० - द्वेष करता है, चि० - मन, ते० - उसका, ण० - न होवे, अ० - निर्वाघ, अ० - असत्य, ते० - उनका, ण० - नहीं, ते० - वह, सा० - सन्नत-चारी ॥

भावार्थ—जो मन से राग-द्वेष करता है उसका मन शुद्ध नहीं होता है, वैसा ही अशुद्ध मन वाला सवर में प्रवृत्ति करने-वाला नहीं होता है ।

और भी देखिए—

[१] उक्ताई सूत्र समवशरण अधिकार सूत्र ३२ में अभ्यंतर व बाह्य परिग्रह त्यागी को ही भगवान का साधु कहा है ।

[२] दशा० श्रु० दशा ५ सूत्र ४ में चित्त समाधि के बोल के आगे कहा है कि पट्काय के रक्षक जो साधु होते हैं उन्हें देव-दर्शन होता है ।

नोट—तेरहपंथियों को तो देव-दर्शन नहीं होता है, इस-लिए वे पट्काय के रक्षक साधु नहीं ठहरते हैं ।



अध्याय : ३०

व्रत-भंग

यदि साधु एक दोष का भी सेवन करे, एक व्रत का भी भंग करे तो छहों व्रतों का ही भंग हो जाता है। साधुत्व तो एक अखण्ड चरित्र का नाम है, अलग अलग नियमों की खिचड़ी नहीं है कि कोई अंश कम हो या न भी हो तो काम चल जाय। अखण्ड चरित्र का प्रत्येक अंश समुचित मात्रा में होना ही चाहिए अन्यथा वह अखण्डित न रहेगा, खण्डित हो जायगा और उसके खण्डित होने का अर्थ यह है कि साधु का साधुत्व कलंकित और नष्ट हो जायगा।

देखिए, श्री० भिक्षुजी ने भी एक दोष का सेवन करने वाले को असाधु कहा है—

पाठ—

“एक दोष सेवे कोई साध । ते संयम दियो विराध ॥
तिणने गुरु जाणीने वान्दे कोई । ते तो अन्त संसारी होई ॥
घणा दोष सेव साक्षात् । तिणने गुरु जाणने वान्दे दिनरात ॥
ते तो पुरो अज्ञानी वाल । ते रुलसी की तेई काल ॥

सूत्र प्रमाण भी देखिए—

पाठ—

से तं सवुज्झमाणे आयाणीयं समुट्ठाए तुम्हा
पावकम्मं णेव कुज्जा करावे ॥ १ ॥

सिया तत्थे गयरे विप्पर मुसति छसु अण्ण
यरंमि कप्पति ॥ २ ॥

सुहट्ठी लालप्प माणे सएण दुक्खेण मूढे विप्परि-
यास मुवेत्ति सएण विप्पमाएण पुढोवयं पक्कु-
व्वति, जंसि मे पाणा पव्वहिया पडिलेहाए णों
णिकरणाए एस परिण्णा पव्वुच्चति कम्मो वसंती ॥३॥

—आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ६ सू० ३

शब्दार्थ—से० - अब, त० - उसे, स० - जान कर, अ० -
ज्ञानादि में, स० - सावधान हो, त० - इसलिए, प० - पापकर्म,
णे० - न करे न करावे ॥ १ ॥

सि० - कदाचित्, त० - उसमें की एक भी, वि० - हिंसा करे,
छ० - छहों में की, अ० - किसी भी, क० - करे ॥ २ ॥

सु० - सुखार्थी, ल० - लालन पालन करता हुआ, स०-स्वकीय,
दु० - दुख से, मू० - मूर्ख, वि० - विपरीतता, उ० - पावे, स० -
स्वकीय, वि० - विविध प्रमाद से, पु० - अलग अलग, व० - व्रत, प० -
पालन करे, जं० - जिस, ए० - यह, पा० - प्राणी का, वा० - बध
करे, प० - देख कर, णो० - नहीं, णि० - निवारण के लिए, ए० -
ऐसी, प० - समझ, प० - कहो, क० - कर्म की उपशाति ॥ ३ ॥

भावार्थ—युक्ति-बोध को जानने वाले मुनि ज्ञानादि में
सावधान बनकर आप स्वयं पाप नहीं करते और दूसरे से नहीं

कराते ॥ १ ॥ जो काय पटकाय जीवों में से एक का भी घात करे, उसे इन्हों काय का घातक कहना चाहिए । प्राणातिपात व्रतादि इह व्रतों में से किसी भी व्रत का भंग करने वाला इहों व्रत का भंग करने वाला गिना जाता है ॥ २ ॥ मूर्ख जीव सुख के लिए लालनपालन करता हुआ अपने दुख से विपरीतता को प्राप्त होता है अर्थात् दुखी होता है, तथा अपने ही प्रमाद से व्रतों को भंग करना है जिससे संसार में प्राणी का वध होता है । उससे दूसरे को दुख हेवे ऐसा काम न करना ही सच्ची परीक्षा है और इसी से शांति प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

नोट—ऊपर विष्कूल स्पष्ट कह दिया है कि एक व्रत का भंग होने पर इहों व्रत का—समूचे महाव्रत का—भंग हो जाता है और यह निश्चिन ही है कि महाव्रत का भंग होने से साधु वेपधारी साधुन्व-विहीन पतित दम्भी बन जाता है ॥ ३ ॥



अध्याय : ३१

असंस्कृत

यह बार बार दिखाया ही जा चुका है कि तेरहपंथी असंस्कृती द्रव्यलिङ्गी साधु हैं, सच्ची साधुता इन में नहीं है। स्पष्टता के लिए यहाँ असंस्कृती साधु व प्रमादी साधु के विषय में कुछ प्रमाण दिए जाते हैं जिनको देखने से इन लोगों की असाधुता का पता लगने में सुविधा होगी, सबसे पहिले हम इनके माननीय भिक्षुजी का कथन ही लिखते हैं, उसके बाद सूत्रों के प्रमाण पेश करेंगे।

भिक्षुजी का कथन

छटे गुण ठाणे प्रमाद कह्यो ते किण हीक
वेला लागतो जाणो। विषे कपाय अशुभ जोग
आयां पिण मुढमति करे उंधीताणो ॥ ३० ॥

—शा० शु० भाग २ ढाल ३ आ०

पाठ—

असं बुद्धेणं भंते अणगारे सिज्झात बुज्झति, मुच्चति,
परिणीव्वाति, सच्च दुक्खाणं मंतं करंति ?

गोयमाणो इण्टे समट्टे ॥ से केणट्टेणं भंते
जाव अंत न करेति ? गोयमा ? असंचुडे
अणगारे आडय वज्जओ सत्तकम्म पग्घा
ओ सि ढिल वंधण वंदावो घणिय वंधण
चद्धाओ पकरेइ; हस्स काल द्वीतीयाओ दिह-
कालट्टितियाओ पकरेइ । मदाणु भावाओ
तिव्वाणु भावाओ पकरेइ । अप्प पदे सगाओ
बहु पदे सगाओ पकरेइ आउमंचणं कम्मं
सियंवंधइ सिय नो वधइ असाया त्रेयाणिज्ज
च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणइ, अणा
इयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंत ससार
कंतार अणुपरियट्टति से तेणट्टेणं । गोयमा ।
असंचुडे अणगारे णो सिज्झई ॥ ४३ ॥

—भग० स० १ उ० १ सूत्र ४३

शब्दार्थ—अ० - असंवृत, अ० - अणगार, नी० - नीले,
चु० - चुडे, मु० - मुक्त होवे, प० - निर्वाण पावे, म० - मवं दुख का,
अ० - अंत करे, गो०-गोतम, णो० - नहीं, इ०-यह अर्थ, स०-समर्थ,
सह०-वह, के०-कैमे, भ०-भगवान, जा० - यावत, अंत-नहीं, क० -
करे, गो० - गोतम, अ० - असंवृत अणगार, आ० - आयुष्य, व० - वर्ज
कर, म० - ज्ञात कर्म प्रकृति, मि० - मिथिल, वं० - वधन, व० -
वधी हुई को, घ० - निष्काचित, व० -बंधन से, व० - वद्ध, प० - करे,
ह० - ह्रस्वकाल की, ठी० - स्थिति को, दि० - दीर्घकाल की, ति० -
स्थिति, प० - करे, मं० - मद, अनुभाग की, ति० - तीव्र अनुभाग,
प० - करे, अ० - अल्प प्रदेश को, व० - बहुत प्रदेश, प० - करे,

आ० - आयुष्य, क०-कर्म को, सि० - कदाचित्, व० - वौघे, सि०-
कदाचित्, नो० - नहीं, व० - वौघे, आ० - असाता, वे० - वेदनीय,
क०-कर्म, भु० - बारम्बार, इ०-इकट्ठा करे, अ० - अनादि, अ० -
अनन्त, दि० - दीर्घकाल, चा० - चतुर्गति, म० - ससार कतार में,
अ० - परिश्रमण करे, से० - उसको, ते० - इसलिए, गो० - गौतम,
अ० - अश्रुत, अ० - अणगार, णो० - नहीं, सि० - सीझे ॥ ४३ ॥

भावार्थ—अहो भगवन् ! असंश्रुत आश्रुतद्वार को नहीं
रोकने वाला साधु क्या सीझे वृझे कर्म से मुक्त होवे निर्वाण को
प्राप्त होवे, वह सब दुखों का अंत करे ? अहो गौतम ! यह अर्थ
समर्थ नहीं है । अहो भगवन् ! किस कारण से असंश्रुत साधु
सीझे नहीं, वृझे नहीं, दुखों का अन्त करे नहीं ? हे गौतम !
असंश्रुत अणगार आयुष्यकर्म छोड़ कर अन्य सात कर्मों की
प्रकृतियों का शिथिल बन्धन हुआ हो तो उसका निकाचित बंधन
करता है, ह्रस्व काल की स्थिति वाले कर्मों को दीर्घ काल की
स्थिति वाला बनाता है, मंद रस देनेवाले कर्मों को तीव्र रस देने
वाला करता है, अल्प प्रदेश आत्मक कर्मों को बहु प्रदेश आत्मक
कर्म बनाता है, आयुष्य कर्म का बन्धन किसी समय करता है
किसी समय नहीं करता है, असातावेदनीय कर्म पुनः पुनः
संचित करता है, और अनादि अनन्त संसार कंतार में परिश्रमण
करता है, इसीलिए हे गौतम ! असंश्रुत अणगार (साधु) सीझे
नहीं यावत् संसार का अन्त करे नहीं ॥

पाठ—

ते दुविहा प० तं० पमत्त संजयाय अयमत्त
संजयाय, तत्थणं जौते अयमत्त संजया तेण.

णो आयांरंभा, णो, प्रारम्भाजाव अणारंभा,
तत्थणं जे ते पमच्च संजया ते सुहंजोगं पंडुच्च
णो आयांरंभा णो परारंभा जाव अणारंभा
असुहं जोगं पंडुच्च आयोरंभावि जाव णो
अणारम्भा ॥

—भगवती० श्र० १ उ० १ सूत्र ३८ का अंश

शब्दार्थ—न० - वह, वृ० - दो प्रकार के, प० - प्रमत्तसंयमी
अ० - अप्रमत्त संयमी, त० - तहाँ, जे० - जो, अ० - अप्रमत्त संयमी,
ते० - वे, नी० - नहीं, अ० - आत्मारम्भी, पा० - नहीं, प० -
प्राग्भ्यां, जा० - यावत्, अ० - अनारम्भी, त० - तहाँ, जे० - जो,
प० - प्रमत्त संयमी, ते० - वे, मु० - शुभ योग, प० - आश्रित,
पा० - नहीं, अ० - आत्मारम्भी, जा० - यावत्, अ० - अनारम्भी,
अ० - अशुभ योग, प० - आश्रित, अ० - आत्मारम्भी, जा० - यावत्
पा० - नहीं, अ० - अनारम्भी ॥ ३८ ॥

भावार्थ—[संयमी के दो भेद हैं—(१) प्रमत्त संयमी
(२) अप्रमत्त संयमी] अप्रमत्त संयमी आत्मारम्भी प्रारम्भी उभया-
रम्भी नहीं हैं परन्तु अनारम्भी हैं और जो प्रमत्त संयमी हैं वे
शुभ योग आश्रित आत्मारम्भी प्रारम्भी व उभयारम्भी नहीं हैं
परन्तु अनारम्भी हैं और अशुभ योग आश्रित आत्मारम्भी प्रारम्भी
उभयारम्भी हैं परन्तु अनारम्भी नहीं हैं ।

पाठ—

संयं संयं पसंसंता गरहंता परं वयं जे उ
तत्थ विउस्संति संसारं ते विउस्सिया ॥ २३ ॥

—सुय० प्र० श्रु० अ० १ उ० २ सूत्र २३

शब्दार्थ—स० - स्वयं स्वयं को, प० - प्रशंसा करते हुए, ग० - निंदा करते हुए, व० - दूसरे को, व० - वचन, जे० - जो, त० - तहाँ, वि० - विद्वत्ता बताते, स० - ससार में हों, वि० - रहेगे ॥

भावार्थ—अपने दर्शन की प्रशंसा करता हुआ और अन्य दर्शन की निंदा करता हुआ जो अपना पंडितपन ब्रतलाता है वह अनन्त काल तक चतुर्गतिमय संसार में रहेगा ।

पाठ—

से वेमिसे जाहावी अणगारे उज्जुकडे णियाय पट्टिव्वणे
अमायं कुव्वमणि वियाहिते जाए सद्धाए णिक्खंते
तमेव मणु पलिज्जा विजहिचा विसोतिय (पाठान्तर-
पुव्वसंजोगं) पणया विरा माहा वीहिं ॥ १ ॥

—आचा० प्र० श्रु० अ० १ उ० ३ सूत्र १

शब्दार्थ—से० - अब, वे० - मैं कहता हूँ, से० - वे, जा० - तथापि, अ० साधु, उ० - आर्यं कर्तव्य के करने वाले, णि० - मोक्ष-मार्ग, प० - प्रतिपन्न, अ० - अमाया को, कु० - करते हुए, वि० - कहे, जा० - जिस, स० - श्रद्धा से, णि० - निकले हूँ, त० - उसी श्रद्धा से, अ० - पालन करे, वि० - छोड़ करके, वि० - सग, पु० - पूर्व संयोग, प० - वीर पुरुषों ने कहा, मा० - मुक्ति का मार्ग ॥

भावार्थ—(हे जंबू) मैं तेरे से कहता हूँ कि पूर्वोक्त रीति से पृथ्वीकाय के आरम्भ से जो निवृत्त हुए हैं वे साधु सरल संयम को पालने वाले मोक्षमार्ग में प्रतिपन्न कपट नहीं करने वाले कहे हैं, उनको उचित है कि जिस श्रद्धा से ससार का त्याग किया संयम लिया, उसी ही श्रद्धा से शंका तथा पूर्व

संयोग का त्याग करके समय का पालन करें; क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग तीर्थंकर शूरीयों द्वारा आराधन किया हुआ है ।

पाठ--

मुणिणा हुएणं पवेइयं अणो हतरा एत णय ओहं
तरित्तए अतीरंगमा एते णय तीरगमिचाए अपारंगमा
एते णय पारंगमिचाए ॥ ११ ॥

आयाणिज्ज च आयाय त मि ठाणेण चिद्धइ,
वितथं पप्य अखेपन्ने तं मि ठाणामि चिद्धइ ॥१२॥

उद्वेसो पासगस्स णत्थि ॥ १३ ॥

चाले कुण णहे काम सस पुण्णे असमित दुक्खे
दुक्खी, दुक्खाण मेव आवट्टं अणपरिय इत्तिवमि ॥१४॥

-आचा० प्र० श्रु० अ० २ उ० ३ सूत्र १२, १३, १४

शब्दार्थ—मु० - तीर्थंकर ने, हु० - निश्चय, ए० - यह, प० -
कहा है, अ० - भवमागर से तिरने वाले, तं० - ये, ण० नहीं, ओ० -
ओघ, तं० - तिरने, अ० - तीर को प्राप्त नहीं हुए, ए० - ये, ण० -
ती० - तीरगामी, अ० - नहीं पारगामी, ए० - य, ण० - नहीं, पा० -
पारगामी ॥ ११ ॥

आ० - आदरणीय, च० - निश्चय, आ० - आदर करके,
तं० - उम, ठा० - स्थान में, ण० - नहीं, चि० - रहे, वि० -
अमत्य, प० - प्राप्त कर, अ० - आखे, तं० - उम, ठा० - स्थान
में, वि० - रहे ॥ १२ ॥

उ० - उपदेश, पा० - तत्त्वज्ञान का, ण० - नहीं है ॥ १३ ॥

वा० - मूर्ख, फु० - फिर, ण० - स्नेह, का० - काम भोगों को
अच्छा जाने, अ० - उस समय नहीं, दु० - दुख से, दु० - दुखों को,

दु० - दृष्टों को, आ० - आवर्त में, अ० - पर्यटन करता है, इ० - ऐसा, वो० - मैं कहता हूँ ॥ १४ ॥

भावार्थ—तीर्थंकर भगवान ने निम्नत्रय नय से ऐसा वर्णन किया है कि जो कूर्तार्याक तथा पाद्वरत्या आदि हैं, वे संसार समुद्र के प्रवाह को तिरने में तौर पहुँचने में पार होने में असमर्थ हैं अतएव न तो वे तिर सकते हैं और न वे तौर पार पहुँच सकते हैं और न पार हो सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी जिन-आदरणीय संयम को ग्रहण कर उस संयम में नहीं ठहरते हैं और कुगुरुओं के मिय्या उपदेश को ग्रहण करके उस में ही निष्ठते हैं, इसीलिए वे पार नहीं पहुँच सकते। तत्वज्ञानी पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमेशा न्यायपंथ गामी होते हैं परन्तु जो अज्ञानी जीव हैं वे बारम्बार रोग के उदय से काम भोगों को मला जानते हैं, इसी से असंख्य दुखों में पड़कर शारीरिक और मानसिक दुखों के चक्र में पर्यटन करता रहता है ऐसा मैं कहता हूँ ॥

पाठ—

सन्वामगंधं परिणय णिगमगंधो परिच्वए ॥ ३ ॥

आदिस्सयाणो कयविककए मुसे ण किणे- ण

किणावए किणंतं ण समणु जाणए ॥ ४ ॥

—आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ५ श्रु० ३ व ४

शब्दार्थ—स० - सर्व दोष को, प० - जान कर के, णि० - निर्दोष, प० - परिवर्तन करे ॥ ३ ॥

आ० - उपदेशरहित, क० - क्रयविक्रय, ण० - नहीं, कि० - क्रय करे, ण० - नहीं करावे, कि० - करते को न अच्छा जाने ॥

भावार्थ—साधुओं को सदैव यही कर्तव्य है किं सर्व दोषों का त्याग कर निर्दोष रीति से परिवर्तन करे ॥ ३ ॥

क्रय विक्रय के उपदेश से रहित साधु आहारादिक वस्तुओं का क्रय विक्रय करे, करावे नहीं कराते को अच्छा जाने नहीं ।

ऊपर जितने पाठ दिए गए हैं वे सब तेरहपंथियों के जीवन पर अच्छी तरह घटते हैं । असंभ्रत साधु के विषय में यहाँ जो कुछ कहा गया है वह उनके सम्बन्ध में सत्य समझना चाहिए । इन प्रमाणों को देख कर भी वे अपने पतन को न देखें, अपने को गिरते से न बचाएँ, अपने को ऊपर उठाने की कोशिश न करें तो यह उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए । मैंने यह अध्याय केवल इसलिए लिखा है कि वे इसे पढ़ कर अपनी आत्मा को टटोल कर देखें और आत्मकल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर हों । आशा कम हैं, फिर भी निराशा के विरुद्ध आशा है । मेरी शुभ भावनाएँ इनके साथ है । भगवान् इन्हें अकल्याण से बचाए ।



आलोचना

शास्त्र में बताया गया है कि साधु से कोई दोष हो जाए, तो उसे उसकी आलोचना करनी चाहिए लेकिन तेरहपंथियों में यह बात नहीं है। वे दिन रात सैकड़ों दोषों का सेवन करते हैं, गुप्त रीति से मोटे मोटे पाप भी कम नहीं करते हैं लेकिन वे कभी उनकी आलोचना नहीं करते। वे तो आलोचना का रिवाज पीटते हैं, और जहाँ रिवाज को रिवाज मान कर करने का ध्येय हो वहाँ दिल का काम ही क्या है। ऐसी क्रिया में शरीर तो उपस्थित रहता है, मन नहीं होता। ऐसी क्रिया का ढाँचा रह जाता है, उस में से प्राण निकल जाता है। इन लोगों की आलोचना आज ऐसी ही निष्प्राण हो गई है, लेकिन दुख तो यह है कि बाहरी रूप में भी इनकी आलोचना दोषों व पापों की आलोचना नहीं है।

ये लोग निम्न प्रकार आलोचना करते हैं—

(१) रायशी के वक्त आचार्यजी को बदनाम करने व गुण ग्राम करने के बाद बोलते हैं—

“ खमागणी अन्नदाता रात्रि पाँच समिति तीन गुप्ति अशा-
वध पणे विन पूज्या हात पग पसान्या हो आल झंझालादि आवे
तो वह कहे कि आल झंझालादि आव्या, माठा आवे तो माठा.
स्वपन्ना दियाया ” ।

(२) देवगी के वक्त उपर्युक्त पद्धति से गुणग्राम करके पाँच
समिति तीन गुप्ति गोचरी व पचमी व विहारादि की आलोचना.
करते हैं ।

इस तरह यह स्पष्ट है कि ये लोग अपने दोषों की अपने
अपराधों की, अपने पापों की व अपनी दुर्बलताओं की न तो
मुँह से ही आलोचना करते हैं और न मन से ही। मुँह से करते
मन से न करते तो भी आलोचना का कोई वाहरी रूप तो
हाना लेकिन वह भी नहीं है । ये लोग अपने दोषों को छिपा
लेते हैं, मन में भी आलोचना नहीं करते हैं क्योंकि मन ही मन
में भी आलोचना करते तो उन दोषों को बार बार न करते बल्कि
धीरे धीरे दोषों से दूर, सद्गुणी पवित्र और महान बनते जाते
लेकिन यहाँ तो गंगा उलटी ही बह रही है । एक पाप करके
उसकी आलोचना करना बल्कि प्रायश्चित्त भी कर लेना अच्छा
है लेकिन उस आलोचना या प्रायश्चित्त को सार्थक एवं सफल
बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह पाप फिर न किया जाय ।
आज पाप किया आलोचना कर ली, कल फिर वही पाप किया
फिर आलोचना करी, परसो फिर वही पाप किया और फिर
आलोचना कर ली और इस तरह पाप और आलोचना का क्रम

चलता रहा तो वह आलोचना आलोचना नहीं हैं, वचकता है दम्भ है। पाप की सच्ची आलोचना उसे फिर न करना है। जिस आलोचना का चरित्र आचरण अथवा व्यवहार पर असर न पड़े वह आलोचना झूठी है निरर्थक है। इसीलिए शास्त्र में अधिक से अधिक तीन बार आलोचना नाम का प्रायश्चित्त करना लिखा है और यह लिखा है कि चौथी बार वह पाप हो तो उस व्यक्ति को साधु संग से निकाल देना चाहिए।

देखिए—

पाठ—

तिहिं ठाणेहीं समणे निगंथे सार्हा भमय संमोइ-
यं निसंमोइयं करेमाणे णाईकमई त सइवा
दहू सढियस्स वा निसग्ग तच्चमोसं आउदइ
चउत्थं नो आउदई ॥ ६ ॥

— ठा० ठा० ३ उ० ३ सूत्र ६

शब्दार्थ—ति० - तीनस्थान से, स०-श्रमण, नि० - निर्ग्रथ को, सा० - स्वधर्मी को, सं० - सभोगी वि० - विसभोगी, क० - करता हुआ, ण० - नहीं, अ० - उल्लंघन करता है, स० - एकदा, द० - देखकर, स० - सभा में, नि० - सुनकर, त० - तीसरी बार, मो० - झूठ, आ० - प्रायश्चित्त देता है, च० - चौथी बार, नो० - नहीं, वा० - प्रायश्चित्त देता है ॥

भावार्थ—अपने स्वधर्मी साधुओं में से किसी ने पाप-कर्म का सेवन किया हो और पूछने पर न कहे या असत्य बोले तो

उसका निर्णय कर के योग्य प्रायश्चित्त देकर उसे शुद्ध करे, फिर ऐसा कार्य करे तो भी उसको प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करे और तीसरी बार भी ऐसा करे तो उसे सभा में प्रायश्चित्त देकर साथ आहार पानी करे । परन्तु यदि चौर्यां बार फिर वह पाप करे तो उसे प्रायश्चित्त न दे बल्कि उसे संघ के बाहर कर दे । ऐसा करने वाला तीर्थंकर की आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला नहीं है ।

पाठ—

से जाणं अजाणं वा कट्टु आहृत्तिमयं पयं ।
 संवरे खिप्पमप्पाणं, वियंत न समायरे ॥३१॥
 अणायार परक्कम, नेवगूहे न निण्हवे । मुइसया
 वियड भावं, असंसत्ते जि इंदिए ॥ ३२ ॥

—दशवे० अ० ८ सूत्र ३१ व ३२

शब्दार्थ—से० - वे साधु, जा० - जानके, अ० - अ नजान में, वा० - फिर, क० - करके, भा० - आधाकर्मों, प० - पटराग द्वेष करके मूलगुण उत्तरगुण का विराघना रूप, स० - छोड़े, खि० - शीघ्र, अ० - आत्मा से करनी करके पाछे आलोचना करना प्रायश्चित्त लेना, वि० - दूसरी बार, तं० - वह अघर्म का सेवन करे ॥ ३१ ॥

अ०-कदाचित् अनाचार सावध व्यापार, प०-सेवन करके गुरु के पास आलोचना करे जब, ने० - नहीं, गू० - गुप्त न रखे, न०- नहीं, नि० - वह सर्व प्रकार से आलोचना न करे, सु० - निर्मल चित्त से, च०-हृमेगा, वि०-प्रकट, भा०-भाव से, (माया रहित होकर) अ०-गृहस्थ के प्रतिबन्ध रहित, जि० - पदेन्द्रिय जीत कर विचरे ॥

भावार्थ—किसी समय जान बूझकर या अनजाने में कोई अधर्म कार्य होगया हो अर्थात् मूलगुण उत्तर गुण की विराधना हुई होवे तो शीघ्र ही आलोचना करके निवृत्त होवे और पुनः ऐसा नहीं करे ॥ ३१ ॥ शुचिभाव धारण करने वाले, सदैव प्रकट भाव धारण करने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाले और प्रतिवध रहित साधु अनाचार का सेवन करके उसे न छुपाएँ ।

नोट—यहाँ सयमी साधु को अनाचार न छिपाने अर्थात् अपने दोष को प्रकट कर देने का आदेश है । यह प्रकटीकरण आलोचना का मुख्य अंग है ।

और भी देखिए—

(१) निशीथ उ० सूत्र १९ में बताया है कि प्रायश्चित योग्य साधु के साथ चारों आहार करने कराने को अच्छा जानना गुरु चौमासिक प्रायश्चित का विधान है ।

इस तरह हम देखते हैं कि तेरहपंथी दोष-सेवन तो बहुत करते हैं किन्तु आलोचना नहीं करते हैं । बार बार दोष-सेवन करने पर बार बार आलोचना की जाय तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वे लोग वैसा भी नहीं करते हैं । मोक्षमार्ग के अनुगामी का कोर्स बहुत कठिन होता है और यह संभव है कि मार्ग में उससे भूले हो जाँय । उन भूलों को निराकरण करके भविष्य में उनसे बचने के लिए आलोचना का विधान है ।

आलोचना करने पर पाप से बचना चाहिए। इस तरह जीवन के लिए आराधना के लिए आलोचना बड़ी जरूरी और महत्त्वपूर्ण चीज है जिसका दुरुपयोग भी नुकसान पहुँचाने वाला होता है और अनुपयोग भी। इन नेहरूपंथियों में उसका उपयोग हं ही नहीं, और जो कुछ है वह प्रायः परम्परागत रिवाज मात्र मान्य होने से दुरुपयोगमय ही है। पाठक वृन्द विचार पूर्वक देखें और निर्णय करें।



हाज़री और लेख

निम्न लेख सामान्य साधु आचार्यजी के समक्ष हाज़री के समय चौथे दिन पढ़ा करते हैं और रोज़ इस लेख पर हस्ताक्षर किया करते हैं। उस लेख की नकल नीचे दी गई है—

मत्थेएण वदामी हाथ जोड आपसुं अर्ज करूं महाराजा-
धिराज श्री० भिक्षु १ भारीमाल २ ऋषिराय ३ जयजश
४ मधवा ५ माणक ६ डालगणी ७ कालुराम ८ तुलछी-
गणी राज महाराजाधिराज की बांधी मर्यादा सर्व कबूल छे ।
खोली मेसास रैवे जटा ताई लोपवारा त्याग छे । आप महा-
दयाल छो, गवाल छो, रुषपाल छो, प्रेम पुज्य परमेश्वर भगवान
छो, सूत्र में आचारज का ३६ गुण कखा त्या गुणां करी
सहित छो । पांच महाव्रत ना पालनहार, चार कषाय ना
टालणहार, पांच इन्द्रिया ना जीतणहार, पांच आचार ना
पालणहार, एहवा तिरण तारण उचम पुरुष आपने जाणुं
छुं । आपरी आज्ञा में चाले साधु साध्वी त्याने १४ हज़ार

३६ हजार आगे विरथकाँ हुता त्या सरीखा सरधु छुं ।
 चोखो साधपणो सरधु छु । म्हा में पणि चोखो साधपणो
 सरधु छुं । आपरी आज्ञा लोपी टालोकड हुवे तिणाने
 अढाई द्वीप का चोर मुं मोठो चोर सरधु छुं । आपरा अत्र-
 गुणवाद बोलने वाला ने भागल भिष्ट अन्यायी महामोह-
 नीय कर्म को बांधण हारो, नर्क निगोद में जावण वालो,
 अनन्त जन्ममरण को वधारण वालो, इसो काम करवारा
 म्हारे तो जावजीव त्याग छे । टालो कड भेले आहार पाणी
 करवारा त्याग छे । पोथी पाना साथे लेज्यावणरा त्याग
 छे । सरधारा क्षेत्र में एक रात उपरांत खणरा त्याग छे ।
 अनन्तासिद्धारी आण छे । पांच पदारी साखंसुं जावजीव
 पचवखाण छे । ये लेख घणो राजी तिखें मनमु लिख्यो छे ।
 सरमा सरमीसु लिख्यो नथी । संवत्—मिती—सही ।

इस तरह उपर्युक्त मजमून के लेख पर रोज सामान्य साधुओं के
 हस्ताक्षर लिए जाते हैं और सप्ताह में दो बार हाजरी होती है,
 श्रावकों के सम्मुख जब अनुक्रमण में खड़े रहते हैं । समझ में
 नहीं आता यह हाजरी क्या होती है ? हाजरी तो चोर डाकुओं
 ठगों और बदमाशों की हुआ करती है अथवा स्कूल व बोर्डिंग के
 विद्यार्थियों की होती है । भला पंचमहाव्रतधारी साधुओं की
 हाजरी कैसी ? अनन्त मिद्धों की साक्षी से त्याग करनेवाले
 महाव्रतधारी साधुओं की यह दुर्दशा हो सकती है ? कदापि नहीं ।
 ऐसी हालत तो दोगी पैटू साधु-वेषधारियों की ही होनी समझ

है। ऐसी पद्धति कभी भी जैन संप्रदाय में प्रचलित नहीं थी। जिसका अविश्वास होता है, जिसकी तरफ से खतरा होता है अथवा जो अविश्वसनीय होता है उसकी लिखापढ़ी की जाती है। आचार्यजी की आत्मा अन्दर ही अन्दर दोषी होने से दूसरों की ओर से संशंकित रहती है। यही नहीं, वे जानते हैं कि वे स्वयं और सब सामान्य साधु दोषी हैं और दोष दूर नहीं हो सकते, इसलिए मूर्ख गृहस्थों को बहकाए रखने के लिए, भोले भोले भक्त हृदयों की आँखों में धूल झोंकने के लिए यह तरकीब की जाती है। यह प्रथा चौथे पट्टधर आचार्य जीतमलजी ने चालू की थी। साधुओं की शिथिलता और स्वेच्छाचारिता को देखकर वे अपनी चतुर बुद्धि से समझ गए कि यही बेढंगी रफ्तार रही तो समाज इनके प्रति अश्रद्धालु हो जायगी अतः समाज को अटकाए रखने के लिए, श्रावकों की श्रद्धा को ढीली न होने देने के लिए उन्होंने यह जाल रचा, ताकि मौके पर कंहा जा सके कि देखो, हम लोग तो रोज ऐसी प्रतिज्ञा व घोषणा करते हैं, आदि आदि। सच तो यह है कि यह पद्धति ही स्पष्ट संकेत करती है कि दाल में काला है, अन्यथा कहाँ महाव्रतधारी मोक्षमार्ग के अनुगामी संसार-विरक्त वीतरागी महात्मा और कहाँ यह लिखा-पढ़ी ?

इस लेख में ऐसी गर्वोक्ति है कि हमारी कोई चूक नहीं है। पहिले अध्यायों से यह बताया जा चुका है कि इन लोगों का जीवन कमजोरियों दोषों और पापों का भंडार है, इस पर भी ये लोग अपने को अचूक कहने की हिम्मत कर बैठते हैं ॥

आश्चर्य तो उस समय होता है जब ये लोग यह कहने का भी दुःसाहस कर बैठते हैं कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी से चूक हो गई थी ।- जब चौदह पूर्व और चार ज्ञान के धारक गौतम स्वामी भी चूक कर सकते हैं तो इन अनिर्मल मतिश्रुत ज्ञान वाले महा अल्पज्ञानी, अत्यन्त कम विवेकी नास-सझ लोगों से तो असह्य चूके होनी चाहिए, लेकिन इनकी गुस्ताखी तो देखिए कि अपने आपको बेचूक मानते हैं । यह तो “ अपने मुँह मियाँ मिट्टू ” बनना है ।

हाजरी के समय आचार्यजी सामान्य साधुओं से जो प्रश्न पूछते हैं—जैसे साध्वियों से तथा ब्राह्मणों से बातचीत करने का काम पडा या नहीं, गोचरी में पानी की धार लगी या नहीं, आदि आदि — तो ये लोग उत्तर में ‘ नहीं काम पडा दीखता है, धार नहीं लगी दीखती है, आदि आदि ’ कह कर साफ झूठ बोल जाते हैं । आहारादि की पाती के समय आर्यिकाओं से तथा ब्राह्मणों से बातचीत का काम पड़ ही जाता है, सँगटा हो ही जाता है, फिर भी ये लोग साफ इनकार कर देते हैं । इसे कहते हैं सफेद झूठ ।

ये लोग रोज उक्त लेख पर हस्ताक्षर करते हैं तथा चौथे दिन हाजरी में इसे पढ़ते हैं । इस लेख में भी त्याग है तथा ऊपर से भी मुँह से बोल कर स्वयं या आचार्यजी के कहने पर त्याग करते हैं । बारबार त्याग क्यों ? त्याग किया जाता है, फौरन ही तोड़ दिया जाता है, फिर त्याग कर लिया जाता है ।

यह सिलसिला चलता रहता है। उस तरह इनकी दार्जरी के त्यागादि से पता लगता है कि इनके त्याग में संयम का कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि रिवाज से है। 'लकार के फकार' जैसे ही आँखों के अन्धों को कहते हैं। देखिए—

(१) दश० ध्रु० अ० २ में बार बार त्याग करके उसके तोड़ने वाले को 'सबला' दोष का भारी बनाया है।

(२) निर्गण उ० १२ सूत्र ३ में बार बार त्याग तोड़ने में चाँमासिक टंड बनाया है।

(३) दशवे० अ० ४ में एक ही बार साधु-दीक्षा लेने के समय त्याग करने का विधान है।

(४) ठा० ठा० १० में दम प्रायश्चित्त का विधान है, निर्गण में अनेक टंड का विधान है मगर बार बार त्याग करने का कहीं विधान नहीं है। छद्मस्थ की चूक होना संभव है मगर ये तो अपने को अचूक मानते हैं, फिर यह गटवड क्यों? विचारगाल्ट पाठक विचार करें।



छुट्टा गुणस्थान

छुट्टे गुणस्थान के सम्बन्ध में तेरहपंथी आचार्यों ने निम्न रचना द्वारा अपना मन्तव्य प्रकट किया है—

छटा गुणस्थान लेखो । बुक्स पडी सेवणा की उत्कृष्टी
थीनी देशउर्गी कोड पुर्वरी कहीं पीण दोष सेवो दड न
लियो । जटातार्णा बुक्स पडी सेवणा संभवे । ते माटे आलोवणा
लिया पिछे कपाय कुशाल संभवे । विना अलोया मेरे तो बुक्स
पडी सेवण इतने छटे गुणस्थाने कही वैमानिक पणे अभी
योगयादिक में उपजेते नव हजार मांही छे तीणसुं भव अधीक
नहीं करे । छटे गुणस्थाने मेरे तो विराधक पणा में मेरे तो
देवतारा सुखा में हाणी पडे पीण पनरे भवसु अधीक न संभवे ।
नव हजार क्रोड माहि पिण कहीये । भगवती शतक १० में
उदेशे दुजे कयो चर्मकाल समये अलोवे वस्तु इम चितवो वे दोष
ढगावे छे । छेडे आलोवे तो आराधक कह्यो । बीना आलोया
मेरे तो वीराधक । नवी दिक्षा आवे जीसो दोपसहित मेरे तो
गुणस्थान नहीं फिरे वीराधक छे । छटो गुणस्थान कहीये

तीनसुं पंधरा भवसु अधिक न संभवे । आभोगीयादिक देव हुवे देवतारा सुखा में हाणी पडे गुण ठाणो छटो हुनो सरघा फिरा पहिले गुण ठाणो आवे समकत चरित्रनो विराधक कहाये । उत्कृष्टो देस उणो अर्ध पुद्गल रुले ते समकितनो विराधक मरा देव हुवे तो असुर कुमारादिक में उपजे अने छटो गुणस्थान हुवे तो नवी दिक्षा आवे जीसो काम कय्यो तथा साधपणो पालवारा परिणाम न हुवे इम धारीले माहासु नहीं पले तो सर्व चारित्र नो विराधक छे । छटो गुणस्थान फीर पीण समगत राखे देस वरत में मरे तो पाचमो गुण स्थान कह्यो । देशव्रत न धान्या तो चौथो गुणस्थान कहाये । समगत सहीन मरे तो वैमाणीक हुवे । सर्व चरित्र विराधक पीण सर्वथा समकतनो आराधक ते माटे भव असंख्या तासु अधिक न करे । भगवती शतक ८ उ० १० में तथा टीका में कह्यो जघन्य ज्ञान दर्शन ना आराधक चारित्र सहित छे । ते चारित्र ना बलसू उत्कृष्ट पनरा भवसु अधिक न करे अने देश वरतनो तथा समगतनो आराधक तेहना असंख्याता भक्ताया ते माटे साधू पणानो विराधक सर्वथा छे । पीण समगत देशवर्तनो आराधक याय उत्कृष्ट असंख्याता भव संभवे । अनो छटो गुणठाणा वाले चोमासी छमासी ताई दोप-सहित त्रिना आलोया मरे तो तेहनो चारित्र नो देस थी विराधक कह्यो तीण सु छटो गुणस्थान न फिरे भव पंधरा सु अधिक न करे । देवतारा सुखा में हाणी पडे अभोगीयादिक हुवे बुकस पडी सेवणा ना पंधरा भव छे । ते माटे भव न बधे कोई पुछे छमासी दोप सेवी ने मन में धारी जाव जीव ताई आलोबारा

भाव नहीं तो छट्टो गुण स्थानो फिरे के नहीं । तेहनो उत्तर कोई आचारज की आज्ञा लोपी ने एक भुंगडो जाणी ने भोगवे तथा इसो नानो दोष जाणीने सेव्यो अने एक जानो तो आलोचना तो दोष जीसो प्रायश्चित नानो दोष हुवे तो थोड़ो साधपणो भांगो तिणसु थोड़ो दंड देवे । घणो न भागो तीणसु मोटो दंड न देवे । अने तेहीज भुंगडादिक भोगत्री तथा नानो दोष सेवी जाव जीव ताई आलोउ नहीं इसी मन में धारी पछे जाव जीव ताई उरे साधपणारी क्रिया अखण्ड पाले पीण ते दोष आलोचना नारा भाव नहीं ते बिना आलोचना काल करे तो विराधक थयो । पिण छट्टो गुणस्थान गुण ठाणो नहीं गयो । सर्व साधूपणो भागे जीसो दोष न सेव्यो ते माटे थोड़ो साधपणो भागे जीसो दोष सेव्यो ते माटे विराधक थयो अनेषणा बरसारो साधपणो सावत रयो तीणसु छट्टो गुणठाणो फिरे नहीं देश थकी संजमनो विराधक पीण सर्व संजम नो विराधक नहीं तेहनो छट्टो गुणठाणो केम फिरे इम हिज छमासी दोष आलोचणारा भाव नहीं ते पीण देश थकी चारित्र नो विराधक छमास नो चारित्र गयो पीण घणा बरसारो चारित्र देखता छमासी दोष भुंगडा बरोबर जाणवो ॥ १ ॥

आचारज उपाध्याय बिना रहणो न कल्पे तथा पवित्रणी बिना रहणो न कल्पे कह्यो । व्यवहार उ० ३ ते उत्कृष्ट विधि आसरी संभवे तथा चोथा आरानी अपेक्षाय ए बोल संभवे । जीम भगवती शतक २५ उ० ७ छे दो स्थापनी चारित्र वाला जघन्य दोषसोह क्रोड उत्कृष्टा नवसोह क्रोड कह्या । ते महा विधेय

मे अने ब्रात्रीसा के बारे तो नथी अने पहला छेहलाकेके बारे १० खेत्रा में छे तीहा टीकाकार कह्यो पांचमा आरा के छेहछे इण भरत में एक साधु एक साध्वी रहसी । इम एकीका क्षेत्र में दोय २ रे लेख १० क्षेत्रा २० संभवे । अने जघन्य उत्कृष्टा प्रत्येक सो क्रोड याते आदि तीर्थकरनी तीर्थनी अपेक्षा छे । थोडा हुवे तो जघन्य में घणा हुवे तो उत्कृष्टा इम कहया । तीम आचारज उपाध्याय त्रिना तथा पवित्रणी त्रिना रहणो न कल्पे कह्यो ते पिण चौथा आरानी अपेक्षा संभवे । अने पांचमा आरामे कदे एक साधु साध्वी घणा हुवे अने कदे एक थोडा हुवे छे हेड एक साधु एक साध्वी रहसी तीर्थसुं उपाध्याय पवित्रणी त्रिना न रहणो एहवो नियम नथी जणाय ॥ २ ॥

साधु साध्वी संगव से सग भुजई पाट कह्यो । ए दिनरी अपेक्षाय एक धानक में बसवी तथा आहार करवो कह्यो । ते माटे इहा बसणो बरज्यो । ते रात्री आसरी ॥ ३ ॥

निशीथ में साधु साध्वी ने साथे विहार करणो बरज्यो । ते त्रिषे परिणाम आसरी बरज्यो । पांण उरें नहीं अठके ॥ ४ ॥

साधू छटे गुणस्थाने आराधक तथा विराधक पणे मुवो तो पंडित मरण कहीये । विराधक हुवो तो पीण पंडीत पणो न गयो । आगे सुखा में हाणी पडे पिण पंडीत विरज छे । तिणसु पंडीत कहीजे ॥ ५ ॥

कर्मचन्दजी स्वामी पूज्यजी महाराज ने पूछा करी के नवी दीक्षा केम आवे । जद पूज्यजी महाराज फरमाई पहला

महाव्रत में तो मिनख (आदमी) मारे तथा गाय भैंस बकरी कुत्तो मोन्यादिक मारे तो नवी दीक्षा आवे । पिण चीडी, काग, कव्रतर परमुखरो प्रायश्चित्त आवे । दूजा महाव्रत में मोटी झूठ आपरे बोल्या सु मिनख (आदमी) आदि ने मार नाखे तो नवी दीक्षा आवे । तीजा महाव्रत में साधमी ना चेलादिकनी चोरी करे तो नवी दीक्षा आवे । चौथा महाव्रत में देवी सुं मनुपणी सु निर्यचणी सु मैथुन सेवे तो नवी दीक्षा आवे अने स्त्री-यादि रे हात लगावे तो चोलो, पचोलो रे आसर देणो । पांचवा महाव्रत में मोटी वस्तु रत्नादिकरी, हीरा आदिक एक मास उपरांत राखे तो नवी दीक्षा आवे । मांस पला दे देवे तो प्रायश्चित्त आवे ॥

उक्त रचना के अतिरिक्त छट्टे गुणस्थान के सम्बन्ध में तेरहपयी आचार्यों की अन्य रचनाएँ भी देखिए—

ढाल २० की झीणी चर्चा

[जयाचार्यजी]

चारीत्र देश विराधक चरणनो, छटो गुण ठाणा
माहि । बुकुसना भव न्याय कर तसु भव पधरे जणाय
॥ २ ॥ चारीत्र ले सहु विराधीयो, रह्यो चौथे गुणठाण ।
फुलाक लब्ध फोडी सैन्या नसावे, मुल उत्तर गुण में दोष
लगावे ॥ समझे नर विरला ॥ ३ ॥

तिणने पुलाक निर्यठो कह्यो-जगभाण-ए छट्टे गुण
ठाणरे ॥ १ ॥ वली प्रमत्त गुण स्थाने चवद जोग जोय.

असत्य मिश्र वचन मन होये ॥ ६ ॥ हंस वायसादिक रूप
 विविध बणावे, असिचरम सहित नर थावे ॥ सम० ॥
 तो पिण प्रायःश्चित ले सुध थावे—ए पाठ भगवती
 मांये ॥ ७ ॥ हय रूप बहु योजन जायतिरारे—जिणनेविर
 कह्यो अणगार रे ॥ स० ॥ निश्चय करीने तिणाने आश्व न
 कहियै । ये पिण पाठ भगवती मै लहीरे ॥ ८ ॥ मासीक
 चौमासीक निशीथ में दाख्या । त्यांरा पाठ हजारं भाण्या
 रे ॥ स० ॥ प्रत्यक्ष ए छटो गुणठाणो—तिण में शंका काय
 मै आणो रे ॥ ९ ॥ दंड न ले राखै मन मेंसल तो उणारी
 उणने मुसकल रे ॥ स० ॥ पिण दोष सेवण री नहीं थाप ।
 त्तिण सुं छटो गुण ठाणो मिलाये ॥ १० ॥

२१ वीं ढाल की गाथा

[जयाचार्यजी]

पडि सेवण मुल उत्तर तणारे । दंडे सुं सेन्या भगोयंजी ।
 पुलक नियंठो तसु कह्योरे भाई । उतो छटे गुणठाणे होय
 ॥ ४ ॥ पडि सेवणा उतर गुण तणो रे । विजो बुकस
 जोय जी । जघन्य दोय सै क्रोड सुरे भाई ओछा कदे नहीं
 होय ॥ ५ ॥ वायसं हंसादिक तणारे । विविध रूप वे कोयजी ।
 बागल जलोक पंखि या तणारे । भाई चक्र छत्र धर जोय
 ॥ १४ ॥ वनखंड बावडी रूप करे रै । शतक तेर में जोयजी ।
 नव में उदेशे निहाल ज्यो रे भाई । ते पिण दंड लिया
 शुद्ध होय ॥ १५ ॥

एकम पूनमचंदजी सारे । बढ पखचंद सु जोयजी ।।
 ज्ञाता अध्ययन दश में जिन कह्यो रे । मांहरा साध साध्वी
 होय ॥ १८ ॥ छटो गुण ठाणो जावे नहीं रे । वीर वचन
 अवलोयजी । खामी देख छदमस्थ नीरे । आतो समकित
 तूं मत खोय ॥ १९ ॥ नई दीक्षा आवे जिसेरे । दोष न
 सेवे कोयजी । अथवा थाप करे दोष नीरे । भाई फिरै छटो
 गुण ठाणो सोय ॥ २० ॥ छटो गुण ठाणो साध छरे ।
 असाधु सरघ लै कोयजी ॥ मिथ्यात आवे तेहनेरो भाई । तु
 दश ब्राला में जोय ॥ २१ ॥ मासिक चौमासिक दंड
 थकी रे । छटो गुणठाणो नहीं कोयजी । फिरै उधी सरघा
 तथा थाप थकी रे भाई । तथा जवर दोष थी जोय ॥ २२ ॥

नियंठा

[जयाचार्यजी]

पुलाक वकुस पडिसेवणा परवए, दिलसं कषाय कुशील
 देखए । या में दोष तणो दंड जोयरे वले दोपरी थापन
 कोयए ॥ ३३ ॥ तिए कारण चारित्र-चिजए, दोष थाप्यां
 जावै गुणं छीजए । जितरो दंड तितरो चर्ण जायए, दोष
 थाप्यां संर्व विल लायए ॥ ३४ ॥

भिक्षुजी का कथन

उपयोग री खामी उपरे दियो स्वाम दृष्टान्त ।

निरमल निको नितसुं शुद्ध जाणो तसु तंत ॥१॥

कुण को देखी गुरु कह्यो, ए कुण को शिष्य जेय ।
 ऊपर पग दिज्यो मति, तहत कियो शिष्य सोय ॥२॥
 थोड़ी वारथी शिष्य तिको फिरतो फिरतो आय ।
 एक पग दीधो तिण उपरै, तव गुरु बाल्या ताही ॥३॥
 तुझ में वरज्यो थो तदा मत दिज्यो पग साक्षात ।
 शिष्य कहै उपयोग शुद्ध चुक्यो स्वामी नाथ ॥ ४ ॥
 बिजी बेलं शिष्य बली, फिरता फिरता फेर ।
 दो पगदिधो कण उपरै, गुरु निपेधो फेर ॥ ५ ॥
 आगे तुझे वरज्यो हुंतो कहे शिष्य कर जोड़ ।
 महाराज उपयोग मुझ चूक गयो इण ठाड़ ॥ ६ ॥
 गुरु कहे अवक्रे चुकियो, तो काल विगैरा त्याग ।
 फिरता फिरता शिष्य फिरी बलि चुक्यो ते जाग ॥ ७ ॥
 इम बार बार खामी पडी, ते विगय टालण थी तांहि ।
 बली कण उपर पग देणे थीं राजी नाहीं मन मांहि ॥८॥
 कर्मयोग उपयोग में खामी तो अधिकाय ।
 पिण नीत शुद्ध अरु थाप नहीं, साधपणो ते न्याय ॥९॥

भिक्षुजी का कथन

छटे गुण ठाणे प्रमाद कह्यो ते किण हीक बेला लागतो
 जाणो ॥ विषे कषाय अशुभ अशुभ जोग आयां पिण
 मुढ मती करे उंधी ताणो ॥

जयाचार्यजी ने ऊपर ढाल में जो यह कहा है कि मुनि विक्रिया-ऋद्धि से अनेक प्रकार के रूप धारण कर ले तो भी साधुपना नहीं जाता है, उनका यह कथन भ्रममूलक है ।

प्रमाण देखिए—

पाठ—

अणगारस्स भावियप्पणो अयंमेवा रुवे विसय
विसयमेत्ते वुड्ढे नोचे वणं संपत्तिए विकुब्बिसूवा ३
एवं परिवाडोए नेयव्व जाव संद माणिया ॥ २ ॥

—भग० श्र० ३ उ० ५ सूत्र २

शब्दार्थ—अ० - साधु, भ० - भावित आत्मा का, अ० - यह, य० - ऐसा, वि० - विषय, वि० - विषय मात्र हैं, वु० - कहा, नो० - नहीं, स० - सत्ति, वि० - विक्रिया की, ए० - ऐंमे, प० - परिपाटी, ने० - जानना, जा० - यावत्, स० - पालखी रूप ॥ २ ॥

भावार्थ—भावित आत्मा अनगार के विक्रिया करने के विषय में कहा है । परन्तु इतने रूप गत काल में किसी ने किया नहीं है, वर्तमान में नहीं करते हैं और आगामी काल में करेंगे भी नहीं । जैसे स्त्रीरूप का कहा जैसे ही पुरुष बगैरह का अनुक्रमे पालखी रूप तक कहना ।

नोट—इस तरह सूत्र प्रमाण द्वारा जयाचार्यजी के मत का खंडन हो जाता है । पाठक विचार करें ।

तेरहपथी कहते हैं कि संयम में दोष लगने पर छट्टा गुणस्थान नष्ट नहीं होता है । हाँ, यह वे जरूर कहते हैं कि उन दोषों को उचित (अदोष) करार देने (थाप कर देने) से

संयम नष्ट हो जाता है। लेकिन नीचे लिखे सूत्रों से पता लगता है कि तेरहपंथियों की यह धारणा भ्रम है कि ढोप-सेवन से, छद्म गुणस्थान नष्ट नहीं होता है।

देखिए—

(१) ठा० ठा० ३ उ० ४ सूत्र १८ में संयम में ढोप लगने को चरित्र का प्रतीनीक बताया है।

(२) ठा० ठा० ४ उ० २ सूत्र २१ में चोभंगी साधु परिग्रह से हटे तो उसे कुन्डरिक की तरह बताया है।

(३) सुय० प्र० श्रु० अ० ८ सूत्र ३ में प्रमादी को कर्म बाल वीर्य और अप्रमादी को अकर्म पंडित वीर्य बताया है।

(४) आचा० प्र० श्रु० अ० ४ उ० १ सूत्र ६ में प्रमादी को धर्म से विमुख बताया है।

(५) भग० श० १ उ० १ सूत्र ४३ में बताया है कि अंग-व्रत अनगार की सात आठ कर्म प्रकृति ढीली हों तो वे टूट हो जायें अर्थात् कर्म-वन्धन गाढा हो जाय और संसार का अन्त न हो।

(६) उक्त० अ० ५ सूत्र १९ में कहा है कि पंडित-मरण सत्र साधुओं को नहीं होता और न सत्र गृहस्थों को ही होता है परन्तु शुद्ध व्रत पालने वाले गृहस्थ व शुद्ध साधु को होता है।

(७) भग० श० ३ उ० ४ सूत्र १४ में मायावी को

लवङ्गी फोड़ता हुआ बताया है। मायावी ही स्निग्ध आहार करता और अमायावी रूखा सूखा आहार करता बताया है।

(८) भग० श० ३ उ० ५ सूत्र ७ में बताया है कि मायावी विना आलोचना के मरे तो देव-गति में मिथ्यादृष्टि सेवक रूप में उत्पन्न होता है।

(९) भग० श० १३ उ० ९ सूत्र १ से १८ तक में तथा उ० ५ सूत्र २ में बताया है कि सच्चे साधु भावित आत्मा को विक्रिया रूप करने की शक्ति होते हुए भी नहीं करते हैं, मायावी ही करते हैं, अमायावी नहीं करते हैं। केवल शक्ति ही बर्ताई है, जैसे वे करते नहीं है, पहिले क्रिया नहीं है और कभी करेंगे भी नहीं। अर्थात् शक्ति लब्धि रूप में सदैव रहेगी लेकिन उपयोग रूप में न आयगी।

(१०) भग० श० ३ उ० ६ सूत्र १ से ७ तक में मायावी को मिथ्या-दृष्टि और अमायावी को सम्यक्दृष्टि कहा है। विक्रिया ऋद्धि की शक्ति बताने के लिए है लेकिन उपयोग कभी करा भी नहीं, करते भी नहीं और कभी करेंगे भी नहीं।

(११) ज्ञाना० प्र० श्रु० अर्षाय १० उपसंहार सूत्र ४ में कहा है कि जो साधु प्रमादी बना हुआ है उसका चरित्र इसी तरह नष्ट होता है जैसे प्रतिपदा का चन्द्रमा दिनों-दिन हीन होता हुआ अमावस्या के चन्द्रमा के रूप में नष्ट हो जाता है।

पाठ इस प्रकार है—

पाठ—

“ जहं चंदा तहं साहू राहू वरे हो जहं तहां पमाओ ।
 चणाई गुणा गुणो जहं तहां खमाई समण धम्मो पुणोवि
 पइदिणं जहं हायं तो सव्वहा ससीणासो तह पुण्ण
 चरित्तो विहुं कुसील संसाग्गि माइहिं ॥ २ ॥
 जणिय पमाआ साहू हायंतो पइदिण खमाइहि ।
 जायेंइणट्टचरित्तो ततो दुक्खाइं पांवेई ॥ ३ ॥
 तथा हीण गुणो विहु होऊ सुह गुरु जो गाई जाणिय
 सेवंगा पुण्ण सुरुवो जायइ चि वड्ढ माणे स सहरुव्व ॥४॥

(१२) उक्त० अ० ८ सूत्र १४ व १५ में बताया है कि रस-गृद्धी साधु असुर कुमार आदि की योनि में उत्पन्न हो कर संसार में परिभ्रमण करता है ।

(१३) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २१ में बताया है कि व्यवहार-शुद्धि के लिए निर्दोष आहार ला कर संयोजणा दोष सहित भोगे तो वह समय से दूर है ।

(१४) दशवे० अ० २ सूत्र २ में कहा है कि भोग न मिलें लेकिन भोग की इच्छा करे तो वह त्यागी नहीं है ।

(१५) सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २३ में रसगृद्धी को साधुत्व से दूर बताया है ।

(१६) दशवे० अ० ६ सूत्र ६ से ८ तक में कहा है कि जो १८ ठाणों में एक की भी विराधना करे तो वह साधुत्व से दूर है ।

(१७) सुय० श्रु० १ अ० २ उ० १ सूत्र ९ में बताया है कि ब्राह्म परिग्रह त्यागी मास मास खमण करे तो भी माया-कपट के कारण अनन्त गर्भादिक दुख पाता है ।

(१८) सुय० प्र० श्रु० अ० १३ सूत्र १४ में कहा है कि प्रजावंत साधु हो के गर्व करे तो वह बाल अज्ञानी है ।

(१९) आचा० प्र० श्रु० अ० ३ उ० १ सूत्र ६ में प्रमादी मायावी को बार बार गर्म में आना बतलाया है ।

(२०) ज्ञाना० १ श्रु० अ० १ सूत्र १७१ में बताया है कि मेघकुमार के मन में गृहस्थावास में जाने का अशुभ भाव हुआ तो वीर प्रभु ने उसे दुवारा दीक्षा दी ।

(२१) दशवे० अ० ५ उ० २ सूत्र ४८ से ५१ तक में तप चोर, वचन चोर, रूप चोर, आचार चोर, भाव चोर आदि को नरक में भ्रमण करना बताया है ।

(२२) भग० श० १ उ० १ सूत्र ३८ में साधु के दो भेद कहे हैं—[१] शुभ योग आसरी अनारम्भी [२] अशुभ योग आसरी आरम्भी । आरम्भी को चतुर्गति में भ्रमण करना बताया है ।

(२३) भिक्षुजी ने एक दोष का सेवन करने वाले को असाधु कहा है ।

(२४) दश० श्रु० दश० ५ सूत्र ४ में बताया है कि जो साधु पट्काय का रक्षण करता है उसे देव-दर्शन अवश्य होता है ।

(२५) ठा. ठा. ३ उ० ३ सूत्र ६ में तीन दफे प्रायश्चित्त देने के बाद अपराधी को संघ से निकाल देने का आदेश है ।

(२६) दशवे० अ० ८ सूत्र ३१ व ३२ में अप्रतिबन्ध रहित शीघ्र आलोचना करने का विधान है ।

(२७) आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ६ सूत्र ३ में एक व्रत भग होने पर छः व्रत का भग होना बताया है ।

जयाचार्यजी ने कहा है—

“ एकम पूनमचन्द जिसा बद पखचन्द सु जोय,
ज्ञाना ता अ० १० में जिन कखो म्हारा साध साध्वी
होय ” ।

जयाचार्यजी का यह कथन सत्य नहीं है । सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो साधु प्रमादी होता है उसका चारित्र नष्ट हो जाता है । ऐसी हालत में विरुद्ध मान्यता क्यों ?

देखिए पीछे दिया हुआ प्रमाण नं. ११—ज्ञाना० प्र० श्रु० अ० १० सूत्र ४ ।

जयाचार्यजी का यह भाव है कि यदि साधु को कोई दोष लग जाय तो जहाँ तक उस दोष का सम्बन्ध है उतना ही चारित्र नष्ट होता है, सम्पूर्ण चारित्र नहीं, अर्थात् छट्टा गुणस्थान बना ही रहता है । दोष सेवे या न सेवे, आराधक हो या विराधक हो, छट्टा गुणस्थान सुरक्षित है । अगर कोई इनसे पूछे कि जो साधु अभी एक महीना हुआ मुनिधर्म में दीक्षित हुआ है वह यदि कोई दोष-सेवन करे जिसके लिए एक महीने से अधिक

(४ महीने या ६ महीने) का प्रायश्चित्त बताया गया हो और वह प्रायश्चित्त की इच्छा करने से पहिले ही मर जाय तो यह कैसे कह सकेंगे कि मरते समय वह छद्दे गुणस्थान में था, अथवा यह कैसे कह सकेंगे कि उसका मरण पंडित-मरण था ?

प्रायश्चित्त की इच्छा रखने वाला भी यदि बहुत दोष सेवन करने वाले के संग में हो तो भी वह आराधक नहीं हो सकता है । ऐसी हालत में उसका मरण भी हो जायगा तो वह बाल-मरण ही कहलायगा ।

इन ही के भिक्षुजी ने उपर्युक्त रचना में कहा है कि यदि कर्मवश प्रमाद कषाय आदि से किसी समय एक दोष लग जाय तो शुद्ध नीति से प्रायश्चित्त करने से छद्दा गुणस्थान बना रहता है लेकिन ज्यादाह दोष सेवन करने वाले कपट करने वाले छिपाने वाले का छद्दा गुणस्थान रहने का विधान नहीं किया है ।

जयाचार्यजी ने कहा है कि यदि अमुक दोष को दोष न कहा गया हो अथवा ऐसी स्थापना की गई हो जिसमें किसी दोष को अदोष कहा गया हो, तब यदि वह दोष हो जाय तो छद्दा गुणस्थान नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं । अब यहाँ हम देखें कि खुद जयाचार्यजी ने ऐसी ग़लत स्थापना क्या क्या की है—

भ्रम० विध्व० ॥३८ में साधु का विरह बताया है और (उपर्युक्त) श्रौती चर्चा की ढाल २० व २१ में ऐसा बताया

है कि दो हजार करोड़ से कम साधु कभी नहीं रहेंगे । यह पूर्वापर विरोध है, अतः ग़लत स्थापना है ।

प्रश्नोत्तर ५६ व ५७ में कारणवश नित्य पिंड लेने की स्थापना की है । शास्त्र में रोगी नीरोगी अवस्था में लेना मना है (विस्तार के लिए अध्याय ७ देखिए) । शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण यह ग़लत स्थापना है ।

जयाचार्यजी ने ऐसी बहुतसी स्थापनाएँ ग़लत की हैं । उदाहरण के लिए ऊपर दो दी गई हैं ।

भग० श० १० उ० २ में यह कहा गया है कि यदि साधु चरम समय तक अर्थात् अन्तिम क्षण तक अपने दोषों की आलोचना कर ले तो उसका मरण पंडित-मरण होता है अर्थात् मरते समय वह छठे गुणस्थान में ही होता है, अतः मरने से पहिले प्रायश्चित्त करने पर उनका (तेरहपंथियों का) मरण पंडित-मरण ही होगा, उनका छठा गुणस्थान ही अन्त तक रहेगा—ऐसा तेरहपंथी कहते हैं लेकिन यह भ्रममूलक है । शास्त्र में एक विधान दूसरे विधान की अपेक्षा रखा करता है, एक विधान को हर पहलू से समझने के लिए अन्य विधानों को भी समझना ज़रूरी है अन्यथा अर्थ का अनर्थ होना संभव है । तेरहपंथियों ने ऐसा ही अनर्थ किया है । शास्त्र* में स्पष्ट लिखा है कि तीन बार प्रायश्चित्त होने के बाद फिर दोष-सेवन हो जाय तो साधु को संघ से बाहर निकाल देना चाहिए । तेरह-

* ठा. ठा. ३ उ० ३ सूत्र ६ ॥

पंथियों ने यह न सोचा कि एक ही दोष को तीन बार से अधिक सेवन करने पर या तीन से अधिक दोष सेवन करने पर साधुत्व नहीं रहता है अर्थात् दृष्टा गुणस्थान नष्ट हो जाता है फिर बहुत से दोषों का सेवन करने के बाद भी आलोचना का क्या मूल्य रह जाना है? एक तो वैसे ही अंशव्रती आचार्य के सन्मुख दीक्षा लेने से दृष्टा गुणस्थान प्राप्त नहीं होना है फिर ऊपर से तीन बार से अधिक दोष सेवन न भी हो तो भी दृष्टा गुणस्थान कहीं से आ सकता है लेकिन अगर ऊपर से तीन बार से अधिक दोष-सेवन हो जाय तब तो वहाँ दृष्टे गुणस्थान की एक भ्रण के लिए भी कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, सुव्रती आचार्य से दीक्षा ली जाय और फिर मरने के समय तक तीन बार से अधिक दोष-सेवन न हो अर्थात् मरने से पहिले का दोष सेवन तीसरा ही हो, तब साधु मरने से पहिले आलोचना कर ले तभी मरने समय दृष्टा गुणस्थान संभव है अर्थात् तभी पंडित-मरण संभव है, अन्यथा नहीं। प्रश्न० श्रु० १ अ० २ उ० २ सूत्र ४ में बताया है कि जो आत्मध्यान सहित शुद्ध अध्यवसाय से काल को प्राप्त हो वही पंडित है, उसीका देहान्त पंडित-मरण है।

भगवती अ० ८ उ० १० में टीकाकार ने कहा है कि जघन्य ज्ञानदर्शन वाला चारित्र सहित हो तो वह चारित्र के बल से पंद्रह भव से अधिक भव संसार में धारण न करेगा। जयाचार्यजी ने इस कथन के आधार पर से निम्न प्रकार चतुर्भंगी + बनाई है—

+ भ्रम विध्व० पृष्ठ ३ व ४ मिथ्यात्वी अधिकार का पहिला बोल।

(१) पहिला पुरुष—शील-क्रिया आचार सहित, ज्ञान (सम्यक्त्व) रहित, पाप से निर्वृत्त, धर्म का अज्ञान कार, देश आराधक, बाल तपस्वी ।

(२) शील-क्रिया रहित, ज्ञान (सम्यक्त्व) सहित, सम्यक्दृष्टि देश विराधक, अत्रती ।

(३) ज्ञान और शील-क्रिया सहित साधु, सर्व आराधक सर्वत्रती ।

(४) ज्ञान क्रिया रहित सर्व विराधक अत्रती [बाल पापी] ।

इस प्रकार सम्यक् चारित्र और सम्यक् दर्शन के आधार पर जयाचार्यजी ने चार भेद किए हैं । प्रथम तो ये भेद ही शास्त्रीय दृष्टि से गलत हैं लेकिन यदि अभ्युपगम सिद्धान्त से थोड़ी देर के लिए ये भेद मान भी लिए जायें तब भी जयाचार्यजी का यह कथन, कि अनेक दोषों का सेवन करने पर भी मरने से पहिले आलोचना करने पर छट्टा गुणस्थान नष्ट नहीं होता है, ठीक नहीं बैठता है । जयाचार्यजी ने दूसरा भेद अत्रती—देश विराधक का किया है । यहाँ यह न समझ लेना चाहिए कि वह देश विराधक होने से चारित्र का आराधक हो गया । स्वयं उन्होंने ही उसे चारित्र-विहीन कहा है अतः जहाँ तक चारित्र का सम्बन्ध है वह पूर्ण विराधक है लेकिन क्योंकि वह सम्यक्-ज्ञान—सहित है इसलिए विराधक से पहिले 'देश' का विशेषण लगा है । यह न समझ लेना चाहिए कि देश विराधक में 'देश'

का सम्बन्ध किसी भी दृष्टि से अथवा किसी भी अंश में चारित्रि से है। नहीं, उसका सम्बन्ध केवल सम्यक्त्व से—सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान से—है। अतः दोष-सेवन के कारण जिसके चारित्रि की विराधना हो गई है लेकिन जिसे सम्यक्त्व है वह दूतर्ग श्रेणी में आने पर भी चारित्रि की दृष्टि से पूर्ण विराधक ही होगा और चारित्रि की दृष्टि से पूर्ण विराधक होने पर वह छट्टे गुणस्थान में नहीं आ सकता है, क्योंकि छट्टे गुणस्थान के लिए सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रि दोनों की ही परम आवश्यकता है, सम्यक् ज्ञान हो और चारित्रि न हो तो वह छट्टे गुणस्थान में कदापि नहीं आ सकता। इस तरह जयाचार्यजी की चतुर्भंगी के आधार पर से ही छट्टे गुणस्थान के सम्बन्ध में उनकी ऊपर बताई हुई मान्यता का खंडन हो जाता है।

रही उक्त चतुर्भंगी के शास्त्रीय दृष्टि से गलत होने की बात। यह जैनदर्शन का एक मुख्य सिद्धान्त है कि न कोरी जानकारी से कोई ज्ञान चाहे वह सत्य ही क्यों न हो सम्यक्-ज्ञान हो सकता है, और न कोरे आचरण से ही कोई चारित्रि चाहे वह ठीक ही क्यों न हो, सम्यक्चारित्रि हो सकता है। सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्रि के लिए सम्यक्दर्शन होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति जैन शास्त्रों को—सूत्रों को—पढ़कर जैन शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है लेकिन उसे उनपर विश्वास नहीं है अर्थात् उसे सम्यक्दर्शन नहीं है तो उसका वह ज्ञान सत्य ज्ञान होते हुए भी सम्यक्ज्ञान न कहलायगा और उसे

सम्यक्ज्ञानी न कहा जा सकेगा । यही बात चारित्र के सम्बन्ध में है । अब देखिए, जयाचार्यजी ने जो पहिले भेद में देश आराधक का वर्णन किया है उसके लिए लिखा है कि वह शील-क्रिया (सम्यक् चारित्र) सहित तो होता है लेकिन उसे सम्यक्त्व नहीं होता है अर्थात् उसे सम्यक्ज्ञान व सम्यक्दर्शन नहीं होता है । समझ में नहीं आता कि सम्यक्दर्शन के बिना सम्यक्ज्ञान के बिना अर्थात् सम्यक्त्व के बिना सम्यक्चारित्र कैसा और सम्यक्चारित्र के बिना आराधक—चाहे वह देश आराधक ही क्यों न हो—कैसा ?

ऊपर जयाचार्यजी की चतुर्भंगी की ग़लती भी बता दी है और उसी के आधार पर छठे गुणस्थान विषयक उनकी मान्यता को भी खडित कर दिया है । अब हम सूत्र * द्वारा बताये हुए तद्विषयक भेदों को लिखते हैं । सूत्र में निम्न प्रकार तीन भेद कहे हैं—

[१] उत्कृष्ट—वह व्यक्ति जो मति श्रुति अवधि मनःपर्यय व केवलज्ञान में से एक या अधिक ज्ञान का धारक हो । केवलज्ञानी तो उस भव से मोक्ष जाय पर अन्य व्यक्ति तीन भव से अधिक ससार में भ्रमण न करे, द्वादश अंग का पाठी हो, माव-क्षायिक हो ।

[२] मध्यम—वह व्यक्ति जो सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र वाला हो, एकादश अंग का पाठी हो, क्षयोपशम भावी हो,

विशेष उद्यमी हो, और जो ७-८ भव से अधिक संसार में परिभ्रमण न करे ।

[३] जघन्य—वह व्यक्ति जो सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र का धारी हो, दयामाता के ८ प्रवचन वाला हो, जिसका मति-श्रुतज्ञान निर्मल हो, जो निरतिचारी हो, शुभ नीति से आराधना करने वाला हो, कर्म योग से कोई दोष लग जाय तो शास्त्रानुकूल उसकी आलोचना करने वाला हो, और अखण्ड चारित्री हो ।

पाठक देखें कि शास्त्रीय त्रिभंगी कितनी अपूर्व और महत्त्वपूर्ण हैं । इस में जघन्य चारित्री को भी सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र वाला कहा है जो ठीक भी है लेकिन जयाचार्यजी ने तो सम्यक्त्व-विहीन को ही देश आराधक कह डाला है । शास्त्रीय त्रिभंगी और जयाचार्यजी की चतुर्भंगी दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पता लगेगा कि शास्त्रीय विवरण चारित्र और संयम की ओर तथा तपस्या और आत्म-निग्रह की ओर ले जाने वाला है जब कि जयाचार्यजी का कथन शिथिलाचार का पोषक और आत्म-संयम तपस्या आदि की ओर से उदासीन या विमुख करने वाला है । वैसे जयाचार्यजी ने तीसरा और चौथा भेद गलत नहीं किया है लेकिन उन में भी वह दिशा नहीं आ पाई है, जो आनी-चाहिण् थी । पाठक विचार-पूर्वक देखें तो पता चलेगा कि सूत्र में बताया हुआ जघन्य चारित्री जयाचार्यजी का बनाया हुआ सर्व-आराधक, सर्वव्रती, ठहरता है । यह जमीन आसमान का भेद नहीं तो और क्या है ?

संयम की दृष्टि से भगवती श० २५ उ० ७ सूत्र १ में तथा उक्त० अ० २८ सूत्र ३२ व ३३ में जीवन की जो श्रेणियाँ बताई हैं उनमें से प्रथम दो श्रेणी छठे गुणस्थान में आती हैं। कोई छठे गुणस्थान में है या नहीं, यह ठीक समझने के लिए उस श्रेणी-विभाग से सहायता मिल सकती है इसलिए उसे नीचे दिया जा सकता है—

(१) सामायिक संयमी—चार यामरूप श्रमणधर्म तीन कर्ण तीन योग से स्पर्श करता हुआ सामायिक संयमी कहलाता है।

(२) छदोस्थापनी—पूर्व पर्याय छेद कर आत्मा को पाँच याम रूप धर्म में स्थापन करता हुआ विशुद्ध पाँच याम रूप धर्म को नव कोटि से स्पर्श करता हुआ छदोस्थापनी कहलाता है।

(३) परिहार विशुद्ध—निरन्तर तप का सेवन करने वाला परिहारविशुद्ध चारित्री है।

(४) सूक्ष्म सम्पराय—लोभ को सूक्ष्म अनुवेदता हुआ जो रहे वह उपशम या क्षायिक श्रेणी में रहता है और यथाख्यात चारित्र से किञ्चित् कम होता है, उसका गुणस्थान ग्यारहवां होता है। उसे सूक्ष्म सम्पराय चारित्री कहते हैं।

(५) यथाख्यात—केवलज्ञानी को यथाख्यात चारित्री कहते हैं। इसका गुणस्थान १३ वां होता है।

नोट—उब्बा० के समवशरण अधिकार के सूत्र २५ में यह कहा है कि भगवान के साधु तीन खोटी लक्ष्या गहित होते हैं।

ज्ञाना० प्र० शु० अ० १९ सूत्र २७ में कुन्दरीक और पुन्दरीक का उल्लेख है। कुन्दरीक ने १००० वर्ष तक चरित्र का पालन किया, लेकिन देहान्त से ढाई तीन दिन [अल्प काल] पहिले गृहस्थी हो गया, राज्य अगीकार कर लिया, अन्तः-पुर में विषय-सेवन में गृद्ध हो गया, परिणाम यह निकला कि वह मर कर नरक में गया। अब कोई भला आदमी इन आँखों के अन्वों से पूछे कि सूत्र में ऐसा स्पष्ट उदाहरण होते हुए भी तुम क्यों यह मान बैठे हो कि मरने से पहिले कितने ही दोष-सेवन करने पर भी आलोचना मात्र करने से छद्म गुणस्थान कायम रहता है? अरे भाई, १००० वर्ष का चरित्र-पालन ज्यादा कीमती है या थोड़े से समय की आलोचना? १००० वर्ष तप करके भी ढाई तीन दिन के पतन ने कुन्दरीक को डुबा दिया तो अनेक दोष-सेवन करने के बाद, जन्मभर दोषमय जीवन विताने के बाद, एक आलोचना मात्र से कैसे उद्धार हो जायगा? हाँ, पुन्दरीक की तरह जीवन शुद्ध और विचार निर्मल हों और थोड़े समय की ही तपस्या क्यों न हो तो भी सद्गति प्राप्त हो सकती है। सद्गति और दुर्गति तो परिणामों पर निर्भर है। परिणाम शुद्ध हैं तो सद्गति है मोक्ष है, परिणाम अशुद्ध हैं तो दुर्गति है, बन्धन है, नरक है, निगोद है। अब तेरहपंथा अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि उनके परिणाम शुद्ध हैं या अशुद्ध?

जयाचार्यजी ने यह भी कहा है कि संघ का कोई साधु अपने दोष छिपाए, दिल में रक्खे, आलोचना न करे तो उसका दुष्परि-

गाम उसे ही भोगना होगा, संघ के अन्य व्यक्तियों को नहीं। यह बात भी ग़लत है। एक साथ रहने से, हर समय संग जीवन बिताने से, एक दूसरे के गुण और दोषों का पता लगना स्वाभाविक और सहज है। संघ में कोई दोष-सेवन करे, करता रहे तो उसके साथी अन्य साधुओं को पता लग ही जायगा। वे उसके दोषों को इसलिए न प्रकट करें क्योंकि वह स्वयं मौन है तो उसके दोष के प्रकट न होने की जिम्मेदारी उसकी तो मुख्य रूप से है ही, अन्य साधुओं पर भी हुई। अपने दोष छिपाए जायँ या दूसरे के, छिपाना है तो चोरी ही और चोरी में कोई ज्यादाह भाग ले चाहे कम, भाग लेने वाला है चोर ही, और जो चोर है वह अपराधी है, और अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए अर्थात् उस दोष के दुष्परिणाम का फल उसे चखना ही चाहिए। संघ प्रत्येक सदस्य मुनि के लिए जिम्मेदार है, वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, अतः इस विषय में जो जयाचार्यजी ने कहा है वह असत्य है, शिथिलाचार-पोषक है। ऊपर बताई हुई चोरी करने वाला साधु और उस चोरी को छिपाने वाले साधुओं का महाव्रत भंग होने से छट्टा गुणस्थान कैसे रह सकता है ? विचारशील पाठकवृन्द विचार करें।

पुलाक नियंठा वाले के लिए सुय० प्र० श्रु० अ० ७ सूत्र २६ * में यह बताया है कि वह संयम के सार से रहित था। ये

* अन्नस्स पाणास्सिहलो इयस्स अणुप्पियं भावती सेव माणे ।
परसत्थयं चेंव कुसीलयं च निस्साए होई जाहाँ पुलाए ॥

तेरहपंथी कहा करते हैं कि जेव वह चक्रवर्ती की सेना को मार कर भगा देता है तब भी उसका गुणस्थान नहीं जाता है। लेकिन उनका यह कथन असत्य है क्योंकि जेव संयम के सार से रहित है तब छट्टा गुणस्थान कहाँ रहा ? इसमें तो शक्ति का वर्णन मात्र किया है। ठा० ठा० ५ उ० ३ सूत्र ४ में भी ऐसा ही बताया है। दूसरे, उसमें बुक्कुस नियंठा दोष-सेवी को अशत्रुता बताया है। तीसरे, कुशील नि० को चारित्र के कुशील का सेवी बताया है। चौथे, निग्रन्थ नि० को दोष न लगाने वाला बताया है। पाँचवे स्नातक नि० को शुद्ध संयमी केवली आदि बताया है। इस पर से यह ठहरता है कि अधिक से अधिक तीन दोष का सेवन करने पर आलोचना हो तब छट्टा गुणस्थान रह सकता है, इस से अधिक दोष होने पर नहीं।

इस सब उपर्युक्त विवरण से यह त्रिकुल स्पष्ट हो जाता है कि छट्टे गुणस्थान विषयक जयाचार्यजी की मान्यता भ्रम-मूलक है। अब हम जरा देर के लिए जयाचार्यजी की इस मान्यता को ठीक भी मान लें और जरा गंभीर विचार करे तो हम देखेंगे कि इस मान्यता में ही परस्पर पूर्वापर विरोध होने से यह पूरी की पूरी मात्स्यता अर्थ-हीन-है। आलोचना का अर्थ होता है आत्मकल्याण के हेतु शुद्ध हृदय से कमजोरीवश या अनजान में हो जाने वाले दोषों का मन-वचन-काय से पश्चाताप। अतः अगर हम यह समझ लें कि सारी उन्नत दोष-सेवन करें, मरने से पहिले आलोचना कर लें तो हमारा मरण

पंडित-मरण होगा और हमें सद्गति प्राप्त होगी तो यह हमारी अन्वल दरजे की मूर्खता ही होगी। जो आलोचना स्वार्थ के लिए की जाती है, जिस आलोचना में आत्म-कल्याण की सच्ची भावना नहीं होती है, जिस आलोचना में आँखें तो आँसू बहानी हैं लेकिन दिल नहीं रोता है वह आलोचना आलोचना नहीं है, कूट-नीति है दम्भ है। तेरहपंथियों की उक्त मान्यता तो उन हिंदुओं की मान्यता की तरह निकम्मी और स्वार्थ-मूलक है जो ये समझ लेते हैं कि वर्ष भर पाप करके गंगा में डुबकी लगा आँयेंगे और वहाँ अपने पाप धो देंगे। भला, शरीर धोने से कहीं पाप धुल करतें हैं, और क्या मन को पानी से धोया जाता है ? कमी नहीं। वेचारे तेरहपंथी आज इसी चक्कर में फँस कर आत्म-कल्याण के सच्चे मार्ग से तो वंचित हो गए हैं, केवल मात्र रिवाज पीट कर स्वर्ग के मजे उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वे याद रखें कि उनके कार्य उन्हें स्वर्ग का पासपोर्ट न देंगे, उन्हें मोक्ष मार्ग का रास्ता न दिखायेंगे बल्कि उन्हें नरक में टकेलेंगे, उन्हें अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण कराँयेंगे।



अध्याय : ३५

अकेले में साधुत्व

प्रश्न—अकेले में साधुत्व है या नहीं ?

उत्तर—है। उत्तरा० अ० ३२ सूत्र ५ में बताया है कि कदाचित् अपने से बढ़कर गुणवन्त अथवा सामान्यगुणी न मिले तो पाप टालते हुए अकेले ही समय में विचरना उचित है। जयाचार्यजी ने भी प्रश्नोत्तर के प्रश्न २८ में ऐसा लिखा है कि साधु बिना कारण अकेला न विचरे। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि यदि कारण हो तो साधु अकेला विचर सकता है। छट्टे गुणस्थान विषयक विवरण में भी ऐसा ही कहा गया है कि आचार्य उपाध्याय पवित्रणी बिना रहना ब्राह्म है कारण कभी साधु कम हों। अतः यह स्पष्ट है कि अकेले में साधुपन है।

देखिए—

पाठ—

न वा लभेज्जा निउण सहायं गुणा हिय वा गुणओ
समं वा, एगो वि पावाइ विवज्जयंतो विहरेज्ज कामेसु
असज्जमाणो ॥ ५ ॥

—उत्त० अ० ३२ सूत्र ५

शब्दार्थ— न० - नहीं, वा० - कदाचित्, ल० - मित्रे, न० - अन्धा, विवेकशील, म० - शिष्य न मित्रे, वा० - अथवा, गु० - गुणकारी, अ० - अधिक, गु० - गुण कर्त्ते, म० - मरीत्ता, वा० - अथवा, स्वत, ए० - अकेला, वि० - वही, पा० - पापकर्म, त्रि० - त्रिशंष, व० - छोड़ना हुआ, वि० - विचरे, का० - मयम काम के विषय, अ० - मावधान होता हुआ प्रवर्त्त ॥

भावार्थ—समान या उत्तम शिष्य की प्राप्ति नहीं होने लो अकेला ही पापकारी अनुष्ठान का त्याग कर के काम भोग प्रतिबन्ध रहित करता हुआ समय में विचरे ।

आचा० श्रु० १ अ० ५ उ० १ सूत्र में यह बताया है कि आठ अवगुणों का वागी अकेला विचरता है । (१) ब्रह्म क्रोधो (२) मानी (३) मायावी, (४) लोभी, पाण्डित्य (५) धूर्त (६) डोंगी (७) दृष्ट परिणामी (८) प्रमादी । इसका यह भाव है कि जो व्यक्ति इन आठ अवगुणों का धारक है वह संन्यस में रहना पसन्द न करेगा क्योंकि वहाँ उसकी दाल न गल सकेगी । अकेला रह कर ही वह अपनी स्वार्थ-सिद्धि करना चाहेगा इसलिए ऐसा अवगुणी साधारणतः अकेला ही विचरता है । लेकिन इससे यह न समझ लेना चाहिए कि जो भी अकेला विचरता है वह इन आठों अवगुणों का धारी है । अवगुणी अकेला विचरता है, जो अकेला विचरता है वह अवगुणी है— ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अन्यथा शास्त्रों में सद्गुणी के अकेले विचरने का विधान क्यों होता ? आचा० का प्रमाण पहिले दिया जा चुका है । ठा. ठा. ८ सूत्र १ में भी ऐसा

आया है कि गुणसहित का अर्थात् गुणी साधु का अकेला रहना कल्यता है। उस गुणी में ये गुण हों—(१) श्रद्धावत (२) सत्यवादी (३) बुद्धिमान (४) ब्रह्मसूत्री (५) सगतिवत (६) अत्यात्रि-करणवान (७) वीर्यवंत (८) क्रोध रहित।

अतः स्पष्ट है कि गुणी व्यक्ति उचित सगति न मिलने पर अकेला ही विचरता हुआ साधु-धर्म का पालन कर सकता है। आजकल अवगुणों का साम्राज्य है और गुणी व्यक्ति तो दुर्लभ ही है। किसी गुणी व्यक्ति को अच्छी सगति मिलना कठिन है। सधों तक में भी पूरी अग्न्यस्था, दंभ और अनाचार है। ऐसी हालत में साधुता के मुमुक्षी गुणवान व्यक्ति को अकेला विचरना ही अधिक श्रेयस्कर है। मूत्र में इसकी पूरी अनुमति और आज्ञा है। यह हो सकता है कि आठ अव-गुणों का धारी अकेला विचरे। ऐसा होगा तो वह उस गुणी साधु की कोटि में नहीं आ सकता जिसके लिए मूत्र में अकेला विचरना कल्यता कहा है। जो साधु अकेला विचरण करे उसमें ऊपर बनाए हुए आठ अवगुण नहीं होना चाहिए अन्यथा वह साधु न हो कर साधु-श्रेयधारी असाधु ही होगा। शेष केवली-गम्य !



साध्वी



याचार्यजी ने प्रश्नोत्तर के प्रश्न ३७ में बृहद्ब्रह्मण्ड ३० ३ का उदाहरण देने लिये लिखा है कि नाथु के स्थान में नाथी को जो १७ कार्य करने का

निषेध है वह रात्रि के समय के लिये है। लेकिन उनका यह कथन निराधार है, क्योंकि सूत्र में रात्रि का कार्य भी उल्लेख नहीं है। दूसरे जब साध्वी को रात्रि के समय नाथु के पास रहना ही मना है तो फिर १७ कार्य करने के निषेध का अर्थ ही क्या है? अपने शिथिलाचार का समर्थन करने के लिये, उसे वर्मानुसूल बताने के लिये, उन्होंने अपनी तरफ से यह कल्पना की है।

वे काम इस प्रकार हैं—(१) जाना, (२) सड़ा रहना, (३) बैठना, (४) सोना, (५) निद्रा लेना, (६) विशेष निद्रा लेना, (७) ऊँघना, (८) चार प्रकार के आहार में से कोई भी आहार करना, (९) टट्टी जाना, (१०) पेशाब करना. (११)

चलगम डालना, (१२) नाक साफ करना, (१३) सिञ्जाय करना, (१४) ध्यान करना, (१५) लेटना, (१६) काउस्सग करना, (१७) भिक्षुकी पडिमा करना । अब भला देखिए, जब साधु के स्थान में साध्वी को आहार करने की मनाई है तब यह मनाई रात्रि के समय पर क्यों कर लागू हो सकती है जब कि रात्रि में आहार लेना तो साधु साध्वी दोनों को वैसे ही मना है ? त्रिल्कुल साफ बात होते हुए भी अपनी तरफ से ऊट-पटाँग कल्पना करना कहाँ तक उचित है ? अतः यह स्पष्ट है कि ये काम हर समय के लिए मना हैं । लेकिन ये लोग इनमें से कई कार्य करते हैं । मुख्यतः आहार का सम्बन्ध तो सब को मालूम ही है । आहार लाना, पानी लाना, पलेवन करना, साधु के स्थान में आकर बैठना और बातचीत करना, ऐसे अनेक तरह के काम होते हैं जो सर्वथा सूत्र-विरुद्ध हैं ।

ठा.ठा. ४ उ० २ में यह लिखा है कि अकेला साधु अकेली साध्वी को आहार दे सकता है—ऐसा तेरहपंथी लोग कहते हैं और इसके आधार पर आहार-सम्भोग करते हैं । यह भी अनाचार है । उपरोक्त पाठ में सूत्र १८ के अनुसार प्रथम रास्ता पूछने की बात आयी है इस से स्पष्ट है कि अगर कोई साध्वी रास्ता भूल कर अकेली रह जाय उस समय के लिए यह विधान है, हर समय के लिए नहीं ।

व्यवहार उ० ६ में लिखा है कि अन्य गण में से सदोष साध्वी आए तो उसे दंड देकर उसके साथ एक स्थान में भोजन

करना, एक स्थान में बैठना आदि ग्राह्य है—ऐसा जयाचार्यजी ने कह कर अपने शिथिलाचार की सफाई दी है और उसे जारी रखा है लेकिन यह भी असंगत और भ्रममूलक है क्योंकि वहाँ सूत्र १७, १८, १९ और २० में से २ सूत्र तो साधु के लिए हैं और दो सूत्र साध्वी के लिए हैं, उसका आशय ऐसा है कि अन्य गण से साधु या साध्वी आवे तो, आचार्यादिक से ढंड लेकर साध्वी साध्वी के पास और साधु साधु के पास रहे और उपरोक्त कार्य करे। अतः स्पष्टतः जयाचार्यजी का मन्तव्य भ्रमपूर्ण है, सत्य के विपरीत है।

* व्यवहार उ० ७ की साक्षी देने हुए जयाचार्यजी ने

* नो कप्पति निग्गंधाणं निग्गंधि अप्पणो अट्टाए पव्वा वित्तएवा मुडा वित्तएवा सिक्खावित्तएवा सेहावित्तएवा उनट्टावित्तएवा, सवासित्तएवा संभुज्जित्तएवा संवासित्तएवा, तीसे इत्तरियं दिसंवा अणुदिसंवा उद्धिसित्तएवा धारित्तएवा ॥ ६ ॥ कप्पति निग्गंधाणं निग्गंधीणं अप्पणोसिं अट्टाए पव्वा वित्तएवा जाव संभुज्जित्तएवा तीसे इत्तरि य दिसंवा अणुदिसंवा मुंडित्तएवा जाव जाव उद्धिसित्तएवा धारित्तएवा ॥ ७ ॥ णो कप्पति निग्गंधीणं निग्गंधं अप्पणो अट्टाए पव्वावित्तएवा मुडा वित्तएवा जाव उद्धिसित्तएवा धारित्तएवा ॥ ८ ॥ कप्पति निग्गंधं निग्गंधाणं निग्गंधाणं अट्टाए पव्व वित्तएवा मुंडवित्तएवा जाव उद्धिसित्तएवा धारित्तएवा ॥ ९ ॥

लिखा है कि आचार्य के लिए साध्वी को भाव-मुडित करना, सिखाना, गोचरी सिखाना, प्रतिलेखना सिखाना, महाव्रत से स्थापन करना, एक ठिकाने जीमना, एक ठिकाने बैठना, ग्राह्य हैं। लेकिन यह भी असंगत और असत्य है। वहाँ तो सूत्र ६-७-८ और ९ में ऐसा वर्णन आया है कि जिस ठिकाने साधु रहता हो और वहाँ पास में आर्यिका न हो और कोई स्त्री वैराग्यवत होकर दीक्षा लेनी चाहती हो तो उसको साध्वी के आश्रय में रखने के लिए कह कर उसको भाव-मुडित करे तथा अन्य कार्य करे, और जहाँ साध्वी रहती हो वहाँ उसे पहुँचा कर उसके सुपुट कर दे। यही बात साध्वी के लिए भी किसी पुरुष को दीक्षा देने के विषय में है। अब देखिए, यहाँ जया-चार्यजी ने अर्थ का कितना अनर्थ किया है? विशेष समय के लिए और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए जो बात कही गई है उसे साधारणतः समझना अर्थात् उसे हर समय के लिए लागू करना सरासर अन्याययुक्त और असत्य है। अपवाद मार्ग को राजमार्ग बनाना साधारण भूल ही नहीं है, एक अक्षम्य अपराध है।

निशीथ० उ० ४ सूत्र २५ व व्यवहार उ० ५ में समोग अपवाद मार्ग के लिए कहा है कि खखारे त्रिना साध्वी को साधु के यहाँ नहीं जाना चाहिए—इसका सहारा लेते हुए जयाचार्यजी ने कहा है कि साधु साध्वी के यहाँ खखार कर जा सकता है। लेकिन यह बात गलत है। यहाँ तो सिर्फ यह भाव है कि कभी

जाना आवश्यक हो, उचित हो (जैसे सर्पादि ने काटा हो उस समय जाना पड़े) तत्र खखार कर जाना चाहिए, बिना खखारे नहीं जाना चाहिए। जयाचार्यजी ने जो निष्कर्ष निकाला है वह मिथ्या है, खेंचातानी है ।

ये लोग जो आर्यिकाओं का लाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं और जो आहार-सम्भोग करते हैं उसका प्रतिवाट स्पष्ट रूप से सूत्रों में है । उदाहरण के लिए प्रमाण देखिए—

गच्छाचार पैयना के सूत्र ६१ में लिखा है कि आर्यिका का लाया हुआ आहार साधु न ले, चाहे दुर्भिक्ष हो, और मरणान्तक कष्ट हो तत्र भी साधु रहते तक उसे ग्रहण न करे । इसी के सूत्र ८५ * में यह कहा गया है कि स्त्री का सैंगठा अरहन्त भी कर ले तो निश्चय मूलगुण नष्ट होता है । अब विचारिए कि जब अरहन्त तक को स्त्री के सैंगठे से दोष लग सकता है तब ये बेचारे किस गिनती में है ?

स्त्री जहाँ से उठे उसी जगह आकर फौरन ये लोग बैठ जाते हैं जब कि शास्त्रानुसार (उक्त० अ० १६ के अनुसार) कम से कम स्त्रीके उठने और वहीं इनके बैठने के बीच में एक घटे का अन्तर होना जरूरी है ।

* जत्थित्थि कर फरिसं लिंगी अरिहावि संयमत्रि
करिब्जा । तं निच्छ यओ गोयम ? जाणिब्जा
मूलगुण भंठं ॥ ८५ ॥

आचार्य के शरणे हुए कपड़े चौकराए आदि आर्थिकाओं को शरणने के लिए दिये जाते हैं जो सर्वथा शास्त्र की आज्ञा के प्रतिहृद हैं। श्रद्धाचरिणी को वे कपड़े शरणना मना हैं।

इस तरह जहाँ मा. गी से सम्पर्क का मयाल है वहाँ भी वे योग दुरी तरह दोगी टहसने हैं।



जिन-आज्ञा-पालन



हिले अध्यायों में यह बात अच्छी तरह बतार्ई जा चुर्का है कि तेरहपंथी साधुओं का जीवन साधुत्व से कोसों दूर है। उनके दैनिक जीवन पर हम दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उनके कार्य में व्यवहार में जिन-आज्ञा-पालन की ब्रहुत अवहेलना है। वे जिन-आज्ञा-पालन की दुहाई देते हैं, इसका घोषणा भी करते हैं लेकिन जिन-आज्ञा का जिसे हम वास्तविक पालन कहते हैं वह उनके जीवन में नहीं है। जो वे करते हैं उसे जिन-आज्ञा-पालन कह कर शब्दों से तो नहीं लेकिन भावों से अपने को जिनेन्द्र भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, जो स्पष्टतः उनकी अनधिकार चेष्टा है। जिनेन्द्र के वचनों का, जो आज हमे आगम द्वारा ही उपलब्ध हैं, ठीक ठीक पालन करना ही सच्चे अर्थों में जिन-आज्ञा-पालन है और इसका इन तेरहपंथियों के बीच में पूरा पूरा अभाव है।

चूं तो पट्टिने की बहुत सी बातों को लेकर दिखा दिया है कि इन तरहपरियों द्वारा जिन-आज्ञाओं की खूब अवहेलना होती है लेकिन फिर भी यहाँ सक्षेप रूप में कुछ रूप में उनकी जिन-आज्ञा-विरोध क्रियाओं को और संकेत किया जाता है—

- (१) अन्य वर्षा होते समय अथवा तेज़ हवा चलने समय गोचरों के लिए जाना ।
- (२) धारणा दोष सेवन करना ।
- (३) नचित्त अचित्त का गिन्ना न करने हुए पदार्थ ग्रहण करना ।
- (४) जामग का आहार अधिक लेना ।
- (५) निम्न पिंड ग्रहण करना ।
- (६) मिन्दने हुए भागों का सेवन-करना ।
- (७) अनाचार को आचार कह कर उसका सेवन करना ।
- (८) दान और दानार की प्रशंसा करना ।
- (९) अज्ञान कुल की गोचरी न कर के स्वादिष्ट भोजन वाले कुल की गोचरी करना ।
- (१०) ईर्याममिति का पालन न करते हुए चलना ।
- (११) जिन-आज्ञा के विरुद्ध वस्त्र और पात्र का उपयोग करना ।
- (१२) मुँह हाथ आदि छोटा बड़ा स्नान, सम्बन्धी आज्ञा का उल्लंघन करके, करना ।
- (१३) आहार विहार निहार में गृहस्थों को साथ रखना ।

- (१४) अप्रशस्त प्रतिलेखना करना ।
- (१५) गृहस्थों से शिक्षण प्राप्त करना व अल्प वयवालों को शास्त्र पढाना ।
- (१६) पृथ्वीकाय आदि त्रस जीवों की हिंसा करना ।
- (१७) सदेश आदि द्वारा पत्रव्यवहार तार आदि का काम करवाना ।
- (१८) दरवाजा खोलना, बन्द करना; खुलवाना, बन्द करवाना ।
- (१९) माया-कपट भरी भाषा बोलना, भाषा समिति का पालन न करना ।
- (२०) कपटपूर्ण भाषा द्वारा गृहस्थों से काम कराना ।
- (२१) गरीबों व साधारण प्रजा से अधिक रईसों व सरकारी अफसरों का आदर करना ।
- (२२) चारों काल की सज्जा सूत्र के अनुसार न करना ।
- (२३) अठारह दोषों का सेवन करना ।
- (२४) पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाओं का पालन न करना ।
- (२५) असव्रत अनगर का आचरण रखना ।
- (२६) व्रत भंग होने पर भी व्रत भंग न हुआ ऐसा कहना ।
- (२७) ऐसे काम करना जिससे कर्मों का संवर न हो और संवर न रहते ऐसा कहना कि संवर है । साधु न होते कहना कि साधु है ।
- (२८) असव्रत होते हुए भी सव्रत हैं—ऐसा कहना ।

- (२९) लगे हुए दोषों का योग्य प्रतिलेखना न करना ।
- (३०) जिन-भगवान और गौतमस्वामी को चूके कहना और अपने को अचूक कहना ।
- (३१) छट्टे गुणस्थान विषयक गूढत मान्यता रखना ।
- (३२) अकेले माधु को बिना कारण दोष देना ।
- (३३) अपने उद्देश्य से किराण पर लिए हुए साफ़ किए हुए या बनाए हुए मकानों में रहना ।
- (३४) आधाकमी दोष का सेवन करना, उद्विष्ट भोजन लेना ।
- (३५) पात्रा कर के गोचरी के लिए जाना ।
- (३६) पात्रादि रगना ।
- (३७) व्रतिया व्रतिया वस्त्र लेना ।
- (३८) गर्मागम आहार विशेष लेना ।
- (३९) ग्लस्युक्त आहार में लोलुपता रखना ।
- (४०) विहार, महामहोच्छ्रव, चानुर्मास आदि के समय और स्थान का पहिले से ही निर्णय करना और उसकी घोषणा करना ।
- (४१) न्यूनोदय से पहिले ही प्रतिलेखना करना ।
- (४२) पूजा-संस्कार का लाजसा रखना और जानबूझ कर कराना ।
- (४३) वागवर्गीचे ग्लान आदि देखना, तथा अन्य रूप देखना ।
- (४४) गृहस्थ के घर के मध्यस्थ भाग में रहना ।
- (४५) आर्यिकाओ का लाया हुआ आहार ग्रहण करना ।

- (४६) आहार की पाती के समय आर्यिकाओं के सैगठे का कोई ध्यान नहीं रखना ।
- (४७) आर्यिकाओं से आचार्यों के कपड़ों की प्रतिलेखना करवाना ।
- (४८) आचार्य के बापरे हुए कपड़े आर्यिकाओं से बापरवाना ।
- (४९) चौकी में पटरी डोरी काम्मी चदर आदि नापसन्द पदार्थ चुपचाप डाल देना और पूछने पर स्वीकार नहीं करना ।
- (५०) दीक्षा निमित्त न कलपते काल से ज्यादा समय तक रहना ।
- (५१) रात्रि के समय गौड हींगू^{*} हरताल आदि वासी रखना और मणात्रंदू वजन रखना ।
- (५२) परिमाण से अधिक वस्तु विशेष रखना ।
- (५३) दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना [दशवे० अ० ८ सूत्र ४६ में साधु को किसी की पीठ पीछे बुराई करना मना है]
- (५४) कमर कसना, लगोट लगाना ।
- (५५) नव दीक्षित को अपनी ओर से नए उपकरण ओषा पुणजणी आदि अधिक सग्रह में कर देना, उसे दीक्षा लेते समय पहिले से लेकर न आने देना ।
- (५६) गोचरी से लौट कर चौबीसता नाम की आलोचना न करना [दशवे० अ० ५ सूत्र ८ में यह आलोचना करने का आदेश है]

- (५७) देशकथा, गजकथा, भक्तिकथा, स्त्रीकथा करना [सामायिक में ऐसा करना मना है] ।
- (५८) कागज काटने की मशीन चलाना [अपने कागज दूसरे ने न कटवाने के कारण स्वयं कागज काटने की मशीन चलाकर इन लोगों ने अनेक जगह मशीने चलाई है]
- (५९) अपने नाम से पहिले टीक्षा के बाद ही १०८ लगाना और आचार्यन्त्र के बाद १००८ लगाना [नार्थकर के १००८ चिन्ह स्वाभाविक होने हैं, इन लोगों के नहीं होते फिर भी ये झूठी नकल करते हैं] ।

और भी देखिए—

(१) बृहद कल्प उ० १ में बताया है कि साधु साध्वी शीतकाल व उष्णकाल में साधारणतः क्रमशः १ महीने व २ महीने तथा विशेषतया चालुर्मास में ४ महीने तक एक ग्राम में रहे । नवकल्प विहार इसी को कहते हैं । आचा० श्रु० २ अ० ११ उ० २ सूत्र ९ में बताया है कि मर्यादा से बाहर रहना अतिक्रान्त दोष का सेवन है । आ० श्रु० २ अ० १२ उ० १ में एक मास उपरान्त रहना मना किया है और चैमासा खत्म होते ही प्रतिपदा के दिन विहार करना बताया है । निशी० उ० २ सूत्र ३६ व ३७ में कल्प उपरान्त रहने पर मासिक ढड बताया है । तेरहपंथी इन आज्ञाओं के

विरुद्ध आचरण करते हैं। दीक्षा का वहाना बना कर अधिक दिन ठहरते हैं। यह सरासर जिन-आज्ञा की अवहेलना है।

(२) बृहद० उ० १ सूत्र ७ में साधु को ग्रामादिक के किले में रहते समय जहाँ रहना वहाँ की गोचरी करना लिखा है, एक महीना किले के बाहर रहे तो किले के बाहर की गोचरी करना लिखा है। ऐसा ही साध्वी के लिए २ महीने का विधान है, परन्तु तेरहपथी तो एक बड़े साधु को टाल कर भिक्षाचरी में इधर-उधर और उधर का इधर आहार लाकर और बड़े साधु का वहाना बना कर भोग लेते हैं, ऐसा ही सञ्जातर के विषय में करते हैं। यह उनकी रस लोलुपता है जो उन्हें इतना साहस दे देती है कि खुल्लमखुल्ला सूत्र के विरुद्ध आचरण करें।

(३) तेरहपथी मन्त्र-जत्र भी करा लेते हैं। निशी० उ० ३ सूत्र ६५ व ७२ में वशीकरण मन्त्र तन्त्र आदि व डोरा आदि कराने वाले साधु को मासिक दंड बताया है। उक्त० अ० ५ में बताया है कि कुविद्या अनन्त काल तक रुलाती है, इसलिए जन्त्र-तन्त्र आदि न करना कराना चाहिए।

(४) बृहद कल्प० उ० १ सूत्र १२-१३ में बताया है कि साध्वी को दुकान में, चौरास्ते पर के स्थान में या गली में या राजपंथ में नहीं रहना चाहिए। इनकी साध्वियों रहती हैं जो सर्वथा अनुचित और दोषयुक्त है। बृहद० कल्प उ० १ सूत्र २९ व ३० में साध्वी को उस मकान में जिस में पुरुष रहता हो रहना मना किया है, स्त्री जाति रहती हो वहीं रहना

वताया है; परन्तु कहीं कहीं तेरहपंथी साधवियाँ दूकान के ऊपरी भाग में तथा झरोकों में जहाँ पुरुष का ज्यादा प्रवेश होता है वहाँ भी टहर जानी है। यह त्रिकुल स्पष्ट अनाचार है।

(५) बृहद् कल्प उ० ३ सूत्र २२ में साधु को गृहस्थ के घर में जाकर खड़ा रहना, बैठना, चारों आहार आदि करना मना किया है। हाँ, रोगी सनत्वार तपस्वी जर्जरित (क्षीण) देहवाला, मूर्च्छागिन आदि साधु कारणवश बैठना आदि कर सकते हैं। बृहद्० कल्प उ० ३ सूत्र २२ व २३ में गृहस्थ के घर बैठकर चार पाँच गाथा बिलार से तथा कथा, वार्ता व्याख्यान करना मना किया है। हाँ, एक प्रश्न एक हेतु या एक गाथा या एक श्लोक विशेष कारण से कहने की अनुमति दी गई है। दशवे० अ० ३ सूत्र ६ में गृहस्थ के घर में बिना कारण बैठना अनाचार बताया है। सुय० श्रु० १ अ० ९ सूत्र २१ में उपर्युक्त काम करने को संयम की विराधना कहा है, क्योंकि गृहस्थ के घर सोना आदि संसार में भ्रमण करने का कारण है। दशवे० अ० ६ सूत्र ५७ ५८, ५९ व ६० में लिखा है कि गृहस्थ के घर में साधु बैठे तो मिथ्यात्व लगता है, ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, प्राणी का वध होता है, सयम का विनाश होता है, भिक्षाचरी में अंतराय होता है, मालिक को क्रोध उत्पन्न होता है, ब्रह्मचारी की नौ साधनाओं का खंडन होता है, स्त्री को शंका उत्पन्न होती है, अतः गृहस्थ के घर साधु को बैठना त्याज्य है। ये तेरहपंथी व्याख्यानादि बैठ कर देते हैं—यह मूल-विरुद्ध है।

(६) दशवे० अ० ७ सूत्र ४७ में गृहस्थ के हाथ से काम कराना मना किया है। निशी० उ० १२ सूत्र ४४ में गृहस्थ से भार उठवाना मना किया है, उठवाने पर चौमासिक ढढ बताया है, परन्तु तेरहपंथी जो औषधि सुई कतरनी वस्त्र आदि अनेक पाड़िया की वस्तुएँ लाते हैं वे पीछे गृहस्थ के घर जाकर देना चाहिए परन्तु अपने स्थान पर ही गृहस्थ को सुपुर्द कर देते हैं और गृहस्थ अपने घर को ले जाता है। इस तरह साधु को जो ब्रोज स्वयं उठाना चाहिए था उसे गृहस्थ से उठवा लेते हैं। यह जिन-आज्ञा का अनादर है।

(७) जब किसी श्रीमंत के घर में मृत्यु आदि होती है या जब वहाँ कोई व्यक्ति बीमार आदि होता है तब वहाँ दर्शन देने के लिए वे रोज जाते रहते हैं, धर्म-चर्चा करते हैं, कथावार्ता व्याख्यान आदि भी सुनाते हैं परन्तु सबके यहाँ नहीं जाने हैं। सरस आहार जहाँ मिलता है उसी घर में विशेष रूप से जाकर धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान के आदेशानुसार गौतम महाशतक श्रावक के घर रेवती को कटु वचन कहने के बारे में और उसे शुद्ध करने के बारे में गए थे, गौतम स्वेच्छा से अनंद श्रावक के घर उसका सथारा देखने गए थे लेकिन श्रावक के कहने बुलाने से नहीं गए थे जब कि ये तेरहपंथी लोग तो कहने बुलाने से जाते हैं, जो सर्वथा शास्त्र के विरुद्ध है।

(८) बृहद० उ० ४ सूत्र १२ के अनुसार २ कोस से अधिक दूर आहार पानी ले जाना त्याज्य है। निशी० उ० १२

सूत्र ३८ में आधे भोजन उपरान्त भोजन ले जाने और भोगने पर चैमासिक दण्ड बताया है। परन्तु ये लोग औपधि आदि कुछ अधिक ले जाकर गृहस्थ की आज्ञा से भोग लेते हैं जो सर्वथा सूत्र की आज्ञा के विरुद्ध है।

(९) बृहद कल्प उ० २ नि० उ० ९ में सञ्जातर का आहार लाकर भोगना मना किया है, इसका विस्तृत वर्णन है। परन्तु तेरहपंथियों में आर्यिका के सञ्जातर का आहार तो साधु ले आते हैं और साधु के सञ्जातर का आहार साध्वी ले आती है और दोनों का आहार-सम्भोग होता ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि साधु साध्वी दोनों अपने अपने सञ्जातर का आहार भी भोगते हैं, दिखाने के लिए यह अदली-बदली कर रहे हैं जो सत्रेया कूट-नीतिज्ञान-पूर्ण है। जिस मकान में साधु रहता है वह मकान रात को छोड़ कर अन्य मकान में जाकर रात को ठहर जाता है ताकि वहाँ से आहार ले सके। ऐसा करने पर सञ्जातर को पता लग जाता है कि कल हमारे यहाँ आहार को जरूर आँगे तो वह इसके लिए तय्यारी करता है और ये खाने के लोलुपी वह उद्विष्ट भोजन ले आते हैं। परन्तु निशी० उ० ११ सू० ८३ में दण्ड बताया है। निशी० उ० २ सूत्र ४६ में सञ्जातर का पिंड लेना और भोगना, घर की जानकारी बिना गोचरी के लिए जाना, मना है दंडनीय है। तेरहपंथी ये सब दोष करते ही हैं।

(१०) दशवे० अ० ४ मि० ४ में यह कहा है कि दूसरे

के ज़रिए भी हिंसा-कार्य करने का त्याग किया है। मग० श० १६ उ० ७ सूत्र १ में यह वर्णन आया है कि उघाड़े मुख से बोलने से सावध भापा होती है, यत्न-पूर्वक बोलने से निर्वच भापा होती है, रायशी देवसी प्रतिक्रमण के अतिचारों में वायु-क्राय में उघाड़े मुँह बोलने बुलाने, बुलाते को अच्छा जानने पर मिच्छामि दुक्कडं देना लिखा है। इस पर से यह स्पष्ट है कि मुँह उघाड़े कोई बोले तो उत्तर नहीं देना चाहिए, उघाड़े मुँह बोल कर आहारादि दे तो आहारादि ग्रहण नहीं करना चाहिए अन्यथा वह दूसरे के द्वारा हिंसा-जनक कार्य कराने का दोषी ठहरता है। तेरहपंथी यह दोष-सेवन करते ही हैं। उवाई समवशरण अधिकार के सूत्र १२७ के अनुसार कोणिक राजा ने यत्न-पूर्वक मुख से भगवान से वार्तालाप की थी। यह उदाहरण तेरहपंथियों के व्यवहार को अनुचित ठहराता है।

(११) तेरहपंथी साध्वियाँ अन्य स्त्रियों द्वारा घड़ी में बांध कर लाई हुई औषधि सुई कतरनी आदि ले लेती हैं। ये समोर लाई हुई वस्तुएँ ठहरा, क्योंकि बाइयाँ सामायिक को आती हैं फिर ये सामान क्यों लाती हैं? स्पष्ट है कि वे साधु साध्वियों के उद्देश्य से लाती हैं। यह अप्राप्त्य है। दशवे० अ० ३ सूत्र २ में वस्त्रपात्रादिक आहार पानी समोर लाया हुआ लेना अनाचार बताया है। दशवे० अ० ६ सूत्र ४९ में समोर लाया आहार लेने वाला द्रव्यलिङ्गी यति बताया है। दस्सा० श्रु० अ० २ सूत्र ७ में आहार पानी वस्त्रादि समोर लाया हुआ लेने में

सबका दोष लगना बताया है । निशी उ० १८ में समोर लाया हुआ लेने में मासिक दंड बताया है । निशी० उ० ३ सूत्र १५ व १७ में ३ दरवाजों के उपरान्त समोर लाया हुआ लेने में चौमासिक दंड बताया है, इत्यादि । जगह जगह मना होने पर भी तेरहपंथी इनके उद्देश्य से लाया हुआ वस्त्रादि लेते हैं जो सर्वथा जिन-आज्ञा के विरुद्ध है ।

इस तरह यह स्पष्ट है कि ये लोग संयम से भ्रष्ट हैं, असाधु हैं । भगवान की निम्न ताड़ना इन लोगों पर अच्छी तरह लागू होती है—

पाठ—

अहम्मठी तुमंसि णाम वाले, आरंभठी अणु-
चयमाणे 'हणपाणे' घाय माणे हण ओयावि
समणु जाण माणे 'घोर धम्मे उदेरिए' डव
हइणं आणाणाए एस विसण्णे वित्ठे त्रिया-
हिते तिवेमि ॥ ८ ॥

— आचा० श्रु० प्र० अ० ६ उ० ४ सूत्र ८

शब्दार्थ—अ० - अधमार्थी, तु० - तू है, णा० - नाम, वा० -
मूर्ख, आ० - आरंभार्थी, अ० - कहता हुआ, ह० - मारो प्राणी को,
घा० - घात करते को, ह० - मारते को, स० - अच्छा जानता है, घो० -
रोद्र, ध० - धर्म, उ० - प्रकाशित, उ० - उपेक्षा करे, आ० - आज्ञा
बाहिर, ए० - यह, वि० - हिंसक, वि० - कहा गया है, ति० ऐसा,
वे० - कहता हूँ ॥

भावार्थ—संयम से भ्रष्ट होने वाले को सत्पुरुष इस प्रकार उपदेश करते हैं कि 'अहो, तू प्राणियों का घात करना है, जीवों को मारने का कुत्रोध करता है, इसी से तू हिंसा का मागी है, धर्म से अपरिचित है, अधर्म का अर्थी है, तीर्थंकरों ने दुष्कर होते हुए भी जो व्यवहार्य है ऐसा धर्म फरमाया है। तेरे जैसा कायर उसका निर्वाह नहीं कर सकता है इसी से तू जिन-आज्ञा की भयंकर रूप से उपेक्षा करता रहता है और विषयासक्त बन कर हिंसा में नत्पर रहना है ऐसा मैं कहता हूँ' ।



उपसंहार

पुस्तक में अथ से इति तक जो वर्णन है उससे भली-भाँति यह स्पष्ट हो जाता है कि तेरहपथियों का जीवन साधु जीवन नहीं है; बल्कि साधु वेपमें पाखण्ड, दम्भ, अहंकार, असत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, गर्व, माया, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, असन्तोष, लोभ, मान, क्रोध, वासना आदि दुर्गुणों से भरा हुआ पतित दयनीय जीवन है। मनुष्य-जन्म पाकर भी इन लोगों ने उसकी जो मड़ी पलीट की है, अपना जो भयकर पतन किया है, वह इनका बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है। मोक्षमार्ग को छोड़कर इन्होंने जो विनाश और पतन की ओर कदम बढ़ाया है उसके फलस्वरूप अनन्त काल तक चतुर्गति-भय संसार में, दुखों से भरे हुए जगत में, भ्रमण करने की नथ्यारी कर ली है। अहा, कैसा दुर्भाग्य है कि चिनामणि रत्न पाकर भी उसे अथाह समुद्र में गिरा रहे हैं। इनकी दुर्दशा देख कर इन पर दया आती है और भगवान के तीर्थ का अनादर देखकर ऑसू आते हैं। क्या इनका उद्धार नहीं होगा, भगवान के तीर्थ की दशा कब सुधरेगी, ये ही प्रश्न दिमाग में बार बार घूमते हैं। इसी परेशानी ने यह किताब लिखाई है। उद्देश्य यही है कि भगवान के तीर्थ की दशा सुधरे,

जिनवाणी माता का मुख उज्ज्वल हो, कुपथगामियों का उद्धार हो, भोलीभाली समाज को सत्य मिले, दुनिया में सच्चे साधुओं का प्रताप फैले, ढोंगियों दम्भियों दुराचारियों का भंडाफोड़ हो, वे अधिकार-च्युत हों । भगवन् ! क्या मेरी—आपके इस तुच्छ भक्त की—ये भावनाएँ कार्य में परिणत न होंगी ? क्या समाज धर्म और व्यक्ति का उद्धार न होगा ?

अन्त में मैं तेरहपंथियों से कहूँगा कि आप लोग अब अपना यह नाटक समेट लीजिए, आप समाज के रंगमंच पर काफी नाच दिखा चुके और समाज को भी काफी नचा चुके । अपने कल्याण की खातिर, धर्म और भगवान के तीर्थ के सुयश की खातिर होश समालिए, हठाग्रह को छोड़िए, अन्धानुकरण का त्याग करिए । सर्व साधारण लोगों से मैं कहूँगा कि आप पर यह चरितार्थ न हो पाए ऐसा यत्न कीजिए:—

बड़ा ऊँट आगे भया पीछे भई कतार ।

सबही डूबे वापड़े बड़े ऊँट की लार ॥

अथवा यह कि

एक एक के पीछे भला रस्ता कोई नहीं पूछता ।


अन्धे फँसे सब घोर में कहाँ तक पुकारे सज़ता ॥

बस, मैंने इस पुस्तक में अपना दिल निचोड़ कर रख दिया है । जितनी भी मुझ सरीखे तुच्छ व्यक्ति में शक्ति है उतना मैंने तेरहपंथियों को समझाने की कोशिश की है । अगर वे अपनी

भूल समझ कर धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे तो लाभ उठायेंगे अन्यथा उनका वही हाल होगा जो संभुत चक्रवर्ती का हुआ है। उसने अपने हठाग्रह और अहकार के कारण मुनि के धर्म में चित्त देने के उपदेश को नहीं माना था जिसके परिणाम-स्वरूप वह सातवें नरक गया। तेरहपंथी अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे तो उनके लिए भी विनाश का मार्ग खुला हुआ है।

अगर मेरे दिल की आवाज को किसी भूले भटके भाई ने मी समझा और समझ कर अपने भ्रम का निराकरण किया, अपने जीवन का सुधार किया, तो मैं अपने इस प्रयत्न को धन्य समझूँगा।

ओ३म । शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!



परिशिष्ट १

पाठकों के सन्मुख अत्र सामान्य साधु व आचार्य को धर्म-विषयक कुछ आवश्यक बातें—दोष अनाचार आदि—सूत्रों से संग्रह कर के दिए जाते हैं, ताकि पाठकों को वास्तविक साधु धर्म के परिचय को और इन तेरहपंथियों के वास्तविक जीवन को देख कर इन लोगों की पोल माखम हो सके—

४२ दोष

गृहस्थ की ओर से

- १ आहाकम्म — आधाकर्मी, साधु के लिए बनाया हुआ
- २ उद्देशियं उद्देशिक, साधु के उद्देश्य से बनाया हुआ
- ३ पुङ्कम्म — पुति कर्म, कणमात्र भी शामिल
- ४ मिस्सजाय — मिश्र, शामिल भाव से बनाना
- ५ ठवणा — थापीता, साधु निमित्त स्थापित करना
- ६ पाहुड आए — महमान का भोजन आगे पीछे करना
- ७ पाउर — अंधेरे में उजाला करके लेना
- ८ किय — मोल का लेकर देना
- ९ पामाच्च — उधार लाकर देना

- १० परियट्ट — अदल बटल कर देना
 ११ अभिहड — सन्मुख लाकर देना
 १२ अभिन्नो — झान्दा और किवाड़ खोल कर देना
 १३ मालाहेड़ — ऊपर से नीचे लाकर देना
 १४ अच्छीजे — निर्वल से छीन कर देना
 १५ अणिसिद्ध — साझीदार से त्रिना पूछे देना
 १६ अज्जायरे — आँधन में ज्यादाह डाल कर देना

साधु की ओर से

- १७ धाड़ — धाय की तरह बालक को छीन कर लेना.
 १८ दुइ — दूत की तरह समाचार कह कर लेना
 १९ निमन — निमित्त कहके लेना
 २० अजिव — जाति बतवा कर लेना
 २१ वणिमगग — लाचारी दिखा कर लेना
 २२ तिगिच्छ — औषधि बतवा कर लेना
 २३ कोह — क्रोध कर के लेना
 २४ माण — मान कर के लेना
 २५ माया — माया कर के लेना
 २६ लोहा — लोभ कर के लेना
 २७ पुव्यपच्छाय — दातार की आगे पीछे प्रशंसा करके लेना
 २८ संयव — विधा फोड़ कर लेना
 २९ विज्जयंत — मन्त्रोपचार करके लेना
 ३० चुन्नजोगं — चूर्ण की गोली बतवा कर लेना

३१ मुलकम्मं - गर्भपात कर के लेना

३२ उप्पायण - सयोग कर के लेना

साधु व गृहस्थ दोनों की ओर से

३३ सकिए - शंकासहित लेना

३४ मक्खीए - मक्खी की पाख मात्र भी सचित्त से लगा हुआ लेना

३५ निक्खते - सचित्त पर अचित्त रखा हुआ लेना

३६ पहेए - अचित्त पर सचित्त रखा हुआ लेना

३७ सरए -- सचित्त अचित्त मिश्र लेना

३८ हयगो - अन्धे और लंगड़े से लेना

३९ मोस्साए - तत्काल का बना पूरा अचित्त न बना लेना

४० अपराणि - अधूरा शस्त्र परिणमा लेना

४१ लित - ताजी लिपी जगह में से लेना

४२ छठूए - गिरते गिरते लेना

मांडले के पाँच दोष

१ मनोज्ञा - दूध शक्कर का मेल मिलाना

२ अतिमात्र - प्रमाण से अधिक आहार करना

३ अमनोज्ञा - नीरस आहार विसरा के करना

४ मनोज्ञा - सरस आहार सराह के करना

५ धूम्र - दातार को सराहना विसराना

५२ अनाचार

- १ उदेसिय — उदेशिक, साधु निमित्त बना हुआ
- २ कौयगड — मोल का लाया, कृतगड
- ३ नियागं — नित्यपिण्ड, रोज एक घर से लेना
- ४ अभिहडाणिय — अभ्याहुत, सामने लाकर देना
- ५ राडभते — रात्रिभक्त, रात्रि भोजन करना
- ६ सिणाणीय — स्नान, देश-थकी सर्व-थकी स्नान करना
- ७ गंध — गंध, चन्दनादि लगाना
- ८ मञ्जेय — पुष्प, पुष्पमाला पहनना
- ९ वियणे — विजणे हवा लेना
- १० सन्नीही — स्निग्ध मात्र, घृत तेल आदि रात्रि मे रखना
- ११ गिहमतेय — गृहीपात्र, गृहस्थ के पात्र में जीमना
- १२ रायपिण्डे — राजपिण्ड, राजा आदि का वलिष्ठ आहार करना
- १३ किमिच्छए — किमिच्छीक, दानशाला का आहार लेना
- १४ सवाहणं — संवाधन, हड्डी मांस त्वचा आदि को तेलदि-
लगाना
- १५ दंतपहोयणाए — दंतप्रधान, अंगुली से दंतमंजन करना-
- १६ संपुच्छणा — संप्रश्न, असंयमी से कुशल पूछना
- १७ देहपलीयणाए — आइने में चेहरा देखना
- १८ अट्टावएय — अष्टापद, जुआ खेलना
- १९ नालिए — नालिका, शतरज खेलना

- २० छतस्सधारणद्वाए - शिरच्छत्र, शिर ढकनां
 २१ तेगिच्छ - चिकित्सा करवाना
 २२ पाहणापाए - पाँव में पगरखी (जूते) रखना
 २३ समारभचजोडणो - अग्निकाय का समारभ करना
 २४ सिज्जातर पिण्डंच - सज्जातर का लेना
 २५ आसंदि पल्लियंकए - आसंदिपर्यंक, पलंग पर बैठना
 २६ गिहंतरनिसेज्जाय - गृहस्थ के घर अकारण बैठना
 २७ गायसुवृहणाणिय - शरीर पर पीठी मलवाना
 २८ गिहिणोवेयावडियं - गृहस्थ की वैयावृत्य करना कराना
 २९ जाइआजीव वतिया - सम्बन्धी से आर्जाविका करना
 ३० ततानिवुडभोइत - तीन उत्राल बिना पानी लेना
 ३१ आउरस्सरणाणियं - क्षुधा पीड़ित कुटुम्ब का आश्रय लेना
 ३२ मुलए - मूली खाना
 ३३ सिगवेरय - अदरक खाना
 ३४ उच्छूखण्डे - गन्ने का टुकड़ा खाना
 ३५ अनिव्वुडे - सूरणा आदि कन्द खाना
 ३६ कंपमूलेय - मूगजणी खाना
 ३७ सचितेफले - सचित फल खाना
 ३८ विण्यआमए - सचित वीज खाना
 ३९ सोवच्चले - संचल लोन खाना
 ४० सिधवे - सैन्धा नमक खाना
 ४१ लोणे - सादा लोन खाना
 ४२ रोमालाणेयआमए - रोमदेश का लोन खाना

- ४३ सामुदे - समुद्री नमक खाना
 ४४ पंसुखारिय - पसुखार खाना
 ४५ काला लोणेय आमए - काला नमक खाना
 ४६ धुवणेति - धूप देना
 ४७ वमणेय - जान कर वमन करना
 ४८ व्रत्तिकम्म - गुप्त स्थान की शोभा करना
 ४९ विरेयणे - अकारण जुलाब लेना, विरेचन
 ५० अंजणे - अजन करना
 ५१ दंतवणेय - दांतन करना
 ५२ गायामग विभुसणे - शरीर को सुशोभित करना
 सव्वमेय मणाइणं निग्गयाण महेसणं ॥

२२ परीषह

- १ दिगच्छा - क्षुधा
 २ पिवासा - तृष्णा, प्यास
 ३ सिय - शीत
 ४ उसिण - उष्ण
 ५ दसमसय - दंशमश
 ६ अचेल - वस्त्र
 ७ अरई - अरति
 ८ इत्थि - स्त्री
 ९ चीरिया - चलना
 १० निसिहिया - बैठना, निषवा
 ११ सेज्जा - शय्या

- १२ अक्रोस — आक्रोश
 १३ वह — वध
 १४ जयण — याचना
 १५ अलाभ — अलाभ
 १६ रोग — रोग
 १७ तणफास — त्रण, पास
 १८ जल — जलमैल
 १९ सकार पुकार — सत्कार
 २० पन्ना — पुरुपाकार, प्रज्ञा, ज्ञान
 २१ अन्नाण — अज्ञान
 २२ दसण — दर्शन

२१ सबळे दोष

- १ हतकम्मकरेमाणे सबळे — हस्तकर्म
 २ मेहुण पडिसेवेमाणे — मैथुन
 ३ राइभोयणंभुज्जमाणे — रात्रि में चारों आद्वार करना
 ४ आहाकम्मंभुजमाणे — आधाकर्मी आहार लेना
 ५ रायपिंडे भुजमाणे — राजपिण्ड (पराक्रमी आहार करना),
 ६ कांये — मोल का लेना
 ” पामीच्चं — उधार लाया लेना
 ” अच्छिजं — बलात्कार पूर्वक लेना
 ” अणिसिट्ठं — बिना आज्ञा के लेना
 ” आहट्टूदिजमाणं — सन्मुख लाया लेना

- ७ अभिक्खणं पडिमाइद्धिना भुजमाणे—बारवार त्याग को तोड़ना
- ८ अंतोद्धमासत्ताणाओगण संकरेमाणे - छह मास के अन्दर गुणवन्न को छोड़ कर दूसरी टोली में जाना
- ९ अंतोमासस्सतओ उदगळेवंकरे माणे - एक मास में तीन पानी का लेप लगाना
- १० अतोमासस्सतओ माइद्धाणे करे माणे - एक मास में तीन माया-स्थान का सेवन करना
- ११ सागरियापिण्ड भुजमाणे - सञ्जातर का पिण्ड भोगना
- १२ आउट्टियाएपाणाइ वायं करे माणे - जान कर प्राणी का घात करना
- १३ आउट्टियाए मुसावायं करे माणे - जान कर झूठ बोलना
- १४ आउट्टियाए अट्टिणादाणं गिहमाणे - जान कर चोरी करना
- १५ आउट्टियाए अणंतर हियाए पुट्टविए } जान कर सचित्त
ठाण वासंज्जवानिसिहीयेवाचेतमाणे } पानी और रज पर
वैठना
- १६ एव ससणिधाए पुट्टविए एवं } जान कर सचित्त पृथ्वी
ससरक्खाए पुट्टविए } और रज पर वैठना
- १७ एव आउट्टियाए चित्तमंतं ताए सिळा
लाएचित्त मंताए लेद्धए कोलावासं } जान कर सचित्त
सिवा दारू एजीव पइट्टिए सअंडे } पृथ्वी ककर कीड़ी
सपाणा सर्वाए सहरीय सअण्डे } नगरा प्राण बीज
सउस्से सउत्तिग पणग टगमट्टीय } आदि पर वैठना
मक्कडा सताणए तह पगारे द्वाणं
वासिज्जवा निसिहियवा चेतमाणे }

- १८ आउट्टियाए मुलभोयणं वा कंठ
भोयणवा पत, भोयणं पुष्प
भोयणं फल भोयणं विय भोयणं
वा हरिय भोयणं वा भुजमाणे } जान कर मूल कन्द
सकन्द त्वचा कुपल
पत्ते फूल फल वीज हरी
काय का भोजन करना
- १९ अतोसवच्छ रस दस उदगलेव
करमाणे } एक वर्ष में दस पानी
के लेप लगाना
- २० अतोसवच्छ रस दस माइद्वाणं
करमाणे } एक वर्ष में दस माया
स्थान का सेवन करना
- २१ आउट्टियाए सीतोदग ओघाडएणं
हत्थेणवा मंतण वा दंविण भाय
णेणवा आसणवा पाणंवा खाड-
मवा साडमवा पडिगहा हेता
भुजमाणे } जान कर सचित्त रज
पानी या सचित्त द्रव्य
से लगा आहार पानी
ग्रहण करना

२० असमाधि

- १ दव दव चारियावी भवति — चपलता से चलना
- २ अप्पमझीय चा० — दिन को न देख कर चलना, रातको
न पूँज कर चलना
- ३ दुप्पमझीय चा० — पूजना कहीं, चलना कहीं
- ४ अतिरिय से ज्ञासणियं — प्रमाण उपरान्त पाट पाटले
भोगना
- ५ रायणिय पारभासी — बड़े को हीन वचन कहना
- ६ थेरोवधायाणेए — बड़े का घात चाहना
- ७ मुतोवधातिए — पृथ्वी आदि जीव की घात चाहना

- ८ संगलणेक्रोहणे — क्षण क्षण में क्रोध करना
- ९ पिठमसेया विभवति — पीठ पीठे अवगुणवाद बोलना
- १० अभिक्खणं उधारिता भ० — बार बार दूसरों के दुर्गुणों को कहना
- ११ णवाइ अधि करणाइ अधि० — नए क्लेष को उत्पन्न करना
२ विभवति
- १२ खमित्त त्रिड सविताइ उदिरता भ० — बीते हुए समय के क्लेष को उत्पन्न करना
- १३ अकाले सड्याओ करियावि भ० — अकाल में सिञ्जाय करना
- १४ ससरक्खपाणीपदे — सचित्त से लगा हुआ आहार लेना
- १५ सदक्केरे — प्रहर रात्रि वाद सूर्योदय पहिले जोर २ से बोलना
- १६ भयक्केरे — संघ में फूट डालना
- १७ झझक्केरे — हरवक्त कठोर वचन बोलना
- १८ कलहक्केरे — संघ में झगड़ा उत्पन्न करना
- १९ सुरप्पमाणभोइए — दिनभर खाऊँ खाऊँ करना
- २० एसणाइ अभियावि भ० — भन्डोपकरण की पूरी गवेषणा नहीं करना

आचार्य की ८ संपदा

- १ आचार संपदा (आचार संपदा) — संयम अखण्डित पालना (क्रिया आदि)

- २ सुय संपदा (सूत्र संपदा) — श्रुतज्ञान रखना, पाठी शुद्ध उच्चारी रहना
- ३ सरिर संपदा (शरीर संपदा) — शरीर हीनता रहित लम्बा पूरा
- ४ वयण (वचन) सं० — राग द्वेष रहित संशय रहित स्पष्ट शब्द बोलना
- ५ वायणा (वाचना) सं० — पात्र जानकर भेदानुभेद सिखाना
- ६ मत्ति (मत्ती) सं० — निर्मल मति का होना, स्वचक्षु से ग्रहण करना, कठिन शब्द की धारणा रखना,
- ७ प्पयोग (प्रयोग) सं० — सूत्र प्रमाणे वस्तु ग्रहण करना, स्थान देखकर चर्चा आदि करना ।
- ८ संग्रह परिणाणणंम — क्षेत्र आदि उपकरण आदि प्रमाण ॥१॥ से अधिक संग्रह न करना



परिशिष्ट २

यहाँ प्रतिक्रमण पाठ इसलिये दिया जाता है जिससे पाठक समझे कि तेरहपंथी साधु (द्रव्यलिङ्गा) बोलते क्या हैं और आचरण में लते क्या हैं ?

श्री साधु प्रतिक्रमण विधिपूर्वक

श्री श्रीमंदरदेवाय नमः देवसी, कीवा, रायसी, चोविस्पा की आज्ञा श्रीगुरु महाराज श्रीमन्द्रस्वामीजी की लेणी, चोविस्पा करना, १ इच्छामि पडीक मेउकी पाटी कहणा २ एक नवकार व ३ तस्स उत्तरी की पाटी, ताव काय सुधी कह के ध्यान में ४ ईच्छामि पडिक मेउकी की पाटी कहणा और ५ नवकार बोल करके ध्यान संपूर्ण करना पीछे ६ एक प्रगट लीगस्स कहणा ७ नमोयुणं की पाटी बोलना ८ एक पीछे देवशी, कीवा, रायशी, प्रतिक्रमणा की आज्ञा लेना विधियुक्त बन्दणा करके पिछे प्रतिक्रमण स्थापना फिर,

१ आवस ही इच्छा मिणंभते तुभेणं अमणु नाये समाणे देवशी किंवा, रायशी पडिकमणु ठायमि देवशी, किंवा, रायशी ज्ञान दर्शन चारित्र, तप, अतिचार चित्तवनार्थ करे मि काउ-स्सगं २ नमो अरिहंताणं का सम्पूर्ण पाठ कहणा पिछे ३....

करेमिभन्ते समायं सच्चं साचहं जोगं पच्चखामि
जायजीवाए तिविहेणं भणेणं वायाए काएणं न करेमि न
कारवेमि न करंतंपि अन्नं न समणु जाणामि तस्सभंते पडि-
क्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि पिडे ४
इच्छामि ठामि काउस्सग्गं जोमेदेवसिओ किंवा, राय-
शीओ अईयारो कउ काईओ वाईओ माणसिओ उस्सुतो
उमग्गो अक्कप्पो अकरणिहो दुझाउं दुच्ची चिंतिओ अणयारो
अणिच्छी अब्बो असमणे पाउग्गो नाणे तह दंसणे चारित्ते
सुइए समाइए तिण्हं गुत्तिणं चउण्हं कसायाणं पंचण्हं
महावयाण छण्हं जीवणी कायाणं सतण्हं पिडे सणाणं
अट्टण्हं पच्चयमाओणं नवण्हं वंभचरगुतीणं दसविहे समण-
धम्मे समणाणं जोगाणं जंखडियं जं विराहियं तस्समिच्छामि
दुक्कडं ॥

पीछे ५ तस्स उत्तरी की पाटी ताव काय सुधि ध्यान
करणा ध्यानमें, १ आगमे तिविहे पन्नत्ते तं जहा सुचागमे
अत्थामे तदुभयागमे एवा माहारा श्री ज्ञान के धिपे जे
कोई अतिचार दोष लाग्यो होय ते आलोउ १ जं वाइधं
२ वच्चमिलियं ३ हिनक्खरं ४ अच्चक्खरं ५ पयहिणं ६ विण-
यहिणं ७ जोगहिणं ८ घोसहिणं ९ सट्ठुदिन्नं १० दुट्ठ-
पडिच्छियं ११ अकाले कउ सिझाए १२ कालेण कउ सिझाए
१३ असिझा ये सिझाय १४ सिझाए न सिझाय भणतां गुणत्तां

चित्तरतां चोखता ज्ञान अने ज्ञान वतनीं अविनय-असातना किधी होय तो तत्समिच्छामि दुक्कड ॥ पिछे ॥ २ ॥

दशण श्री समकित अहंतो महदेवो जावजी वं, सुसाहुणो गुरुणो जिणं पन्नतं ततं इय सम्मतं मए गहियं एवा मारा सम-कित के विपै जे कोइ अतिचार दोस लाग्यो होय ते आलोउं जिन वचन साचान सरध्या होय १ न प्रतिया होय २ न रुच्या होय ३ ॥ १ ॥ प्रदर्शण की अकागइया वांछा किधि होय २ प्रपासन्डी की परशंसा किधी होय ३ सस्तवो [परिचय] किधो होय ४ फल प्रते सदेह सशय आप्यो होय ५ तो समकित रुषि रत्न उपरे मिथ्यात्व रुप रज मैल खेह लाग्यो होय तत्समिच्छामि दुक्कडं अतिचार. पृथ्वीकाय के विषय जे कोइ अतिचार दोस लाग्या हो ते आलोउ ।

पृथ्वीकाय में १ मुरड २ मट्टी ३ खडि ४ गेरु ५ हिंगलु ६ हरताल ७ सुरमो ८ खापरियो आदि देइने विराधना १ किधि होय २ करई होय ३ करता प्रते भलो जाण्यो होय ते देवसी किंवा रायशी पडिकमणो मिच्छामि दुक्कड ।- अपकाय मे १ डार २ ओस ३ हेम ४ घडा ५ कुवारो पाणी ६ तलावरो पाणी ७ काचो पाणी ८ मिश्र पाणी ९ सकारो पाणी आदि देइने विराधना किधी होय ३ तत्समिच्छा० तेउकायमे ॥ १ खीरा २ अगिरा ३ मोमर ४ भरसाड ५ झाला ६ तुटति झाला ७ आहा-राटि कर संघठा करके कोइ विराधना किधी होय ३ तत्समिच्छा० ॥ वाउकायमे ॥ १ उकलयावाय २ मंडलयावाय ३ घणवाय

४ तणवाय ५ समवाय ६ छिक्र ७ खासी ८ वावासी ९ उठता
 १० बैठता ११ हालता १२ चालता १३ पुंजता १४ पडिहता
 १५ उघाड़े मुँढे आदि देईने विराधना किधि होय ३ तस्स-
 मिच्छा० ॥ वनसपतिकायमे ॥ १ हरी तरकारा २ वीज
 ३ अंकुरा ४ कण ५ कपाशीया ६ लिलण ७ फुलण आदि
 देइने वनसपति काय की विराधना करी ३ तस्समिच्छा० ॥
 व्रसकायमो ॥ १ वेन्द्री २ लट ३ गिन्डीला ४ चिरमिया
 ५ संक ६ सिघोटिया ७ कवडा ८ जलोक ९ बाला परमुख
 आदि देइने विराधना किधि हांय ३ देवशी कीवा रा० पडि०
 पाप दोस० मिच्छा० ॥ तेइन्द्रीमे ॥ १ जू २ लिख ३ किडि
 ४ माकोडी ५ चाचर ६ माकड ७ गजई ८ खीजुरिया आदि
 देइने विराधना किधी होय ३ तस्स मिच्छा० ॥ चोइन्द्रीमे ॥
 १ ट्टिड २ पतंग ३ भमरा ४ भिगोडी ५ माखी ६ मच्छर
 ७ कसारी ८ बिच्छू आदि देईने विराधना किधि होय ३ तोरावयगी०
 देवशी पडि० तस्स मिच्छा० ॥ पंचेइन्द्रीमे ॥ १ जलचर
 २ थलचर ३ उरपर ४ भुजपर ५ खेचर ६ छीमोछीम ७ गरभेज
 ८ चवदेस्थानकरा जिव आदि देईने विराधना किधि होय ३ टे०
 रा० पडि० मि० ॥ इरयासमितिकेविपे ॥ १ द्रव्यथकी इरया-
 समिति दिवसथकी जोयन चालणो २ क्षेत्रथकी धुसर प्रमाण
 ३ कालथकी दिवस ने विपे ४ भावथकी दसबोल वरजीने
 ५ गुणथकी उपयोग सहित जोयने चालणो संवर निरजरा अर्थे
 जे कोई अति चा० दोप० दे० पडि० तस्स मि० ॥

भायासमितिनेविये ॥ १ करकसकारी २ कठोरकारी ३ छेदनकारी-४ भेदनकारी ५ पर प्राणी ने पाँडाकारणी ६ हिंसाकारणी ७ सपापसहित भाया बोली होय ३ तो दे० रायशी० पडि० मि० ॥ एसणासमितिनेविये ॥ जे कोई अतिचार दोष लाग्यो होय ते आलोड १ सोला दोस उदगमनरा सोला उतपातरा, दशएसणा का, पाँच मान्डलना-पूर्व पच्छात् लाग्या होय ते रा० दे० पडि० मि० अयार भंन्डमत निखेवणा समितिनेविये ॥ जे कोई अतिचार दोस लाग्यो होय ते आलोड १ भन्डी उपगरण २ वस्त्र ३ पात्र ४ विनपुज्या विनप्रतिलेख्या-लिवा होय या मुक्या होय तो दे० पडि० मि० ॥ उचारपासवण खेलजल-सिंघायण परिठावणीया समितिनेविये ॥ जे कोई अतिचा० दोष० आलोड १ उचारपासवण भूमिका अप्रति लेखी होय २ दुपडीलेहि होय ३ अपर मरजि होय ४ दुपरमरजि होय ५ विन पुंज्याप्रठावि होय जवता आवशेहि २ आवता निशेही २ प्रठावनां अवज्ञाण जस्सउगग ओसरे २ नहि क्रियो होय तो दे० रा० पडि० मि० ॥ मनगुप्तिनेविये जे कोई अतिचार० दोष० आलोड १ मन आडडोड २ संकल्प विकल्प ३ विषय ४ कयाय ५ रागद्वेष थकी सजम थी मन बाहिर निसन्यो होय तो दे० रा० मि० ॥ वचनगुप्तिनेविये ॥ १ खी कया २ राज कया ३ देश कया ४ भक्त कया अनेरी विकया असजतिने आवजाव क्रियो होय तो, दे० रा० पडि० मिच्छा० ॥ कायागुप्तिनेविये ॥ जे कोई अतिचार दो० आलोड काया अजेणा

सहित असावधपणे त्रिन पुज्या हान पग पसाच्या हांय संकोच्या होय उद्वीगण लिधो होय तो दे० रा० पडि० मिच्छा० ॥

पहला महाव्रतनेविपे ॥ जे कोई अतिचार० दो० ते आलोड छ जीव नी काय नि विराधना किनी होय ३ मि० ॥ दुजा महाव्रतनेविपे ॥ जे० अ० दो० ते आलोऊं १ क्रोध करी २ मान करी ३ माया करी ४ लोभ करी ५ हास्य करी ६ किनेल करी ७ मृपानाद ८ झूठ बोल्हो होय ३ तो दे० रा० पडि० मि० ॥ त्रिजामहा० ॥ वि० जे० अ० दो० आलोड १ देव आदत्त २ गुरु आ० ३ साधर्मी आ० ४ राज आ० ५ गाहावई याकेनी आ० लिधि होय ३ दे० रा० पडि० मि० ॥ चौथामहा० ॥ वि० जे० अति० दो० आलोड १ काम राग २ स्नेह राग ३ दृष्टि राग ४ देवता देवागना ५ मनुष्य ६ मनुष्यणी ७ तिर्यच ८ तिर्यचणी संमविया काम भोग सेव्या ३ होय तो दे० रा० पडि० मि० ॥ पाँचवामहा० विपे ॥ जे० अति० दो० आलोड १ सचित्त परिग्रह २ अचित्त मिश्रपरिग्रह छता उपरराग अहत्ता की वान्छा १ शब्द २ रूप ३ रस ४ फरस ५ भला उपरराग भुण्डा ऊपर द्वेष आयो होय ३ तो दे० रा० पडि० मिच्छ ॥ छटा रात्रीभोजन के विपे ॥ जे० अति० दो० आलोड १ असण २ पाणं ३ खादिमं ४ स्वादिम ५ रात्री स्निग्ध सितमात्र राख्यो ३ तो दे० रा० पडि० मिच्छा० ॥ पाँचमहा० २५ भावना न भायी होय तो मि० ३३ असातना माहिळी कोई असातना किधी होय तो मि० ॥ पाँडे ॥

१ अठारह पाप स्थान कहणा, पाँच महाव्रत मूलगुण दस

पच्छ खाणादि उत्तरं गुण में जे कोई अति० दो० मि० पिछे ॥२॥
 इच्छामि ठामि आलोउ मे जो मे देवसेओ अइया रोकओ की
 पाटी कहणी ३ नवकार कही ने ध्यान पूरो करणो ॥ पीछे ॥
 दुजाआवसगरी आज्ञा लेना ॥ २ ॥ पिछे ॥

एक लोगस्सकी पाटी कहना ॥ ३ ॥ तीजाआवसगरी
 आज्ञा लेना ॥ पिछे ॥ दोय खमा समणा की पाटी कहणी
 ॥ ४ ॥ चौथाआवसगरी आज्ञा लेणी ॥ पिछे ॥ ध्यान में
 कह्या सो सव प्रगटपणे कहणा सपूर्ण ॥ वाद में स्वमेव किंवा
 शुद्ध गुरु समीपे ॥ पाँच समिति ३ गुप्ति पंचमी गोचरी आदि
 दिवस सम्बन्धी कीये कृतव्य सर्व आद करके अनुक्रमें शल्य माया
 रहित आलोचना करना और रात्री सम्बन्धी होय तो रायसी सम्बन्धी
 आलोचना शल्य रहित आलझझालादिक यामाठा स्वपनादिक
 या विविध प्रकार हुआ होय वो सर्व माया रहित खुले शब्दों मे
 आलोचना करके प्रायःश्चित धारण करना जघन्ये १ उपवास
 एक कर जुमा याने ४ चार मञ्जम ३ या २ या ५ उदकृष्टा
 ७ या ९ या ११ विहारादिक हुये तो जादा सर्व निशल्य होय
 ने आलोचने दण्ड अर्गाकार करना ॥ पिछे ॥

१ तस्सखस्स देवसी किंवा रायशी अस्सअइयारस्स दुब्बी-
 च्चीतिओ दुब्भासियं दुच्चिद्विय आलोयंत पडिक्कामामि निन्डामि
 गरिहामि अप्पाणं वोसी रामि २ नवकार सम्पूर्ण कहना ३ करेमि
 भन्ते की पाटी ४ चत्तारि मंगलिकनि पाटी ५ इच्छामिपडिक्क
 मेउ इरया वहियायकी पाटी ६ पिछे ॥

इच्छूं वांछूं प्रतिक्रमवतो निवर्त्तवो
 इच्छामि। पडिक्कमिउ
 मर्यादा उपरांत विछौना किया हो
 पगामसीझाए
 इन्द्रियों की सुखकारी शय्या (विछौना) की हो विछौना
 निगामसीझाए सथारा
 बिना देखे पूजे विछौना किया हो
 उवट्टणाए
 विगर पूजे पर्यटन याने बगल फेरी हो
 परियट्टणाए
 विगर पूजे हाथ पैर संकोचे पसारे हों अग-उपअग पसारे हों
 आउट्टाणाए पसारणाए
 पूजे विगर जूँ खटमल आदि रजादि रगडे हों, निद्रामें चोर से बोला हो
 छप्पइ संघट्टणाए कुइए
 बड़बडाया हो ययत्नासे छीका हो जँभाई ली हो आलस्य मोड़ा हो
 कक्कराइए छिए जंभाइए आमोसे
 व्याकुल हुआ हो आकुल व्याकुल हुआ हो सोता हुआ स्वप्न में
 आउल माउलाए सुवणवतियाए
 स्त्री भोग महा स्वप्नादि देखे हों दृष्टि विपरीत हुई हो
 इत्थीविप्परियासियाए दिट्ठीविप्परियासियाए
 मन विपरीत हुआ हो. पानी भोजन विपरीत आदि किया हो
 मणविप्परियासियाए पाण भोयण विप्परियासियाए

जो मैं दिवस रात्रि सम्बन्धी अतिचार लगे हों तो
जो मे देवासिओ अइयारोकड

उसका मैं मिच्छामिदुक्कडं देता हूँ

तस्स मिच्छामिदुक्कड ॥

निवर्तता हूँ

पडिक्कमामि

बहुन वरों से थोड़ा २ आहार लेना (१२ कुल की गउगोचरी)

गौरचरियाए

भिक्षाचरी शास्त्रोक्त विधि से करना, थोड़े उघाड़े किवाड़ होते हुए

भिक्षायरियाए

उघाड कवाड

ज्यादे खुले किए हों, कुत्ता, बटेड़ा, खी, सघटा किया या लगा हो

उगघाडणाए साणा वच्छा दारा संघट्टणाए

अग्रभाग का साधु निमित्त स्थापन किया वो लिया हो

मंडिपाहुडियाए

बलिदान का स्थापा लिया हो,

बलपाहुडियाए

पुण्यार्थ या साधु के लिये स्थापा हुआ लिया हो,

ठवणा पाहुडियाए

शंका सहित लिया हो,

जन्नरन् का आदि लाया-लिया हो,

संक्रिए

सहस्सागारे

अणएसणीक अकल्पता लिया हो,

अथूरा शन्न का पानी लिया हो

अणेसणाए

पाणेसणाए

प्राणी सहित वेङ्ग्रीयादिक सहभोजन लिया हो,

पाणभोयणाए

बीज सहित भोजन लिया हो,

वियभोयणाए

हरी वनस्पति सहित भोजन लिया हो

हरियभोयणाए

पश्चात् कर्म-दोष लगा हो, पहले दोषीला बना हुआ लिया हो

पच्छा कम्मियाए

पुराकम्मियाए

दृष्टि आड़ दोष लगा हो, सचित्त पानीका सँघठा सहित लिया हो

आदिद्वहडाए

दगससद्वहडाए

सचित्त रंज लगा हुआ लिया हो,

गिरता २ लिया हो

रयससद्वहडाए

परिसाडणियाए

प्रठावने लायक लिया हो,

खुद का परिचय देकर भिक्षा ली हो

परिद्वारणीयाए

उद्दासणभिक्षाए

जे

१६ दोष उदगमन का गृहस्थ से लगाया हो

ज

उग्गामणं

१६ उतपात के दोष वितर्क बुद्धि कर लगाये हों १०

एसणाके ५ मंडला दोष लगाये हो

उप्पायणेसणाए

दोषीला लिया हो, लिया हो, भोगा हो फिर जो फिर नहीं

अपडि सुधं पडिगगहियं परिभुतं वा जं च न

प्रठाया हो जो में दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो
 परिहावियं जो मे देवसीओ अइयारोऊं
 उसका मिच्छामिदुक्कड पाय दूर हो
 तस्स मिच्छामिदुक्कड ॥ २ ॥

निवर्तता हूँ चार काल की सइयाय न करी होय
 पडिक्कमामि चउकालंसइयायस्स अकारणयाए
 रात्रि की दो दिवस की दो-दो काल की भंडोउपकरण
 उमओकाल भंडोवगरणस्म

पडिले हनान की हो
 अप्पडिलेहणाए

सूत्र के अनुसार अच्छी तरह प्रतिलेखना न की हो

• दुप्पडिलेहणाए

अच्छी तरह न पुजी हो, रीति प्रमाण न पुजी हो, अतिकर्मी हो
 अप्पमज्जणाए दुप्पमज्जणाए अइक्कम्मे

वतिकर्मी होय अतिचार अनाचार जो में दिवस के त्रिपे
 वइक्कम्मे अइयारे अणायारे जो मे देवसीओ

अतिचार किया उसका मिच्छामिदुक्कड देता हूँ
 अइयारऊओ तस्स मिच्छामिदुक्कड ॥ ३ ॥

निवर्तता हूँ एक प्रकार का असंयम से नि०
 पडिक्कमामि एगविहे असंजमेहिं पडि०

दो प्रकार का बन्ध	प्रेम	बंध	द्वेष-बंध
दोहिं बंधणेहि	राग	बंधणेहिं	दोषबंधणेहिं
नि०	३ टंड	१ मन टंड	२ वचन टंड
पडि०	तिहिं देडेहिं	१ मण दंडणं	२ वय दडेणं
३ काया टंड	नि०	३ गुप्ति से	१ मन गुप्ति
३ काय दडेणं	पडि०	तिह गुतिहिं	१ मण गुतीणं
२ वचन गुप्ति	३ काय गुप्ति	नि०	३ शल्य
२ वय गुतिण	३ काय गुतिणं	पडि०	तिहिं सल्लेहिं
१ माया कपट शल्य		२ नियाना फल इच्छा का शल्य	
१ माया सल्लेणं		२.नियाना सल्लेणं	
३ मिथ्या दर्शन का श०	नि०	३ गर्व से	
३ मिच्छा दसण सल्लेणं	पडि०	तिहिं गारवेणंहिं	
१ ऋद्धि का गर्व	२ रस का गर्व	सुख शय्या का गर्व	
१ इड्डी गारवेणं	२ रस गारवेणं	३ सया गारवेणं	
नि०	विराधना से	१ ज्ञान की वि० से	
पडि०	विराहणाहिं	१ नाण विराहणाए	
२ दर्शन सम्यक्त्व की वि०	३ चारित्र की वि० से	नि०	
२ दसण विराहणाए	३ चारिच विराहणाए	पडि०	
४ कयाय से	१ क्रोध से	२ मान से	
चउविहिं कसाएणं	१ क्रोह कसाएणं	२ माण कसाएणं	

परिशिष्ट २

- ३ माया से
३ माया कसाएणं
४ सज्ञा से
चउविहिं सन्नाहिं
३ मैयुन स०
३ मेहुण सन्नाए
४ विकया से
चउविहिं विकाहाहिं
३ देय क०
३ देस कहाए
१ आर्तध्यान
१ अट्टेण ज्ञाणेणं
४ शुक्ल घ्या०
४ सुक्केणं ज्ञाणेणं
२ अविक्कण (अस्त्र) से
२ अहि गरणियाए
५ जीववात
५ पाणाइवाय
५ प्रकार का काम गुण से
पंचहिं काम गुणेहिं
४ रस
४ रसेणं
- ४ लोभ से
४ लोभा कसाएणं
१ आहार स०
१ आहार सन्नाए
४ परिग्रह स०
परिग्रह सन्नाए
१ स्त्री क०
१ इत्थी कहाए
राज क०
४ राय कहाए
२ रौद्र घ्या०
२ रुदेणं ज्ञाणेणं
नि०
५ क्रिया से
३ द्वेष से
३ पाउसियाए
करने से ला०
किरियाए
१ अब्द
१ सदेणं
५ स्पर्श न अनुभव करूँ
५ फासेणं
- नि०
पडि०
२ भय स०
२ भय सन्नाए
नि०
पडि०
२ भोजन क०
२ भत कहाए
४ ध्यान से
चउहिं ज्ञाणेहिं
३ धर्म घ्या०
३ धम्मेण ज्ञाणेणं
१ काया से लो
१ काइयाए
४ परिताप उपजाने से
४ परितावणीयाए
नि०
पडि०
२ रूप
३ गंध
२ रुवेणं
३ गंधणं
नि०
पडि०
३ उनसे

- ५ आश्रव से निवर्तता हूँ वह महाव्रत १ सर्व हिंसा त्यागे प्राणी की
 पंचहिं महावएहिं १ सव्वाओ पाणाइ वाय उवेरमणं
 २ सर्व झूठ त्यागे
 २ सव्वाओ मुमावाया उवेरमणं
 ३ सर्व चोरी त्यागे
 ३ सव्वाओ अदिन्ना दाण उवेरमणं
 ४ सर्व मैथुन त्यागे ५ सर्व परिग्रह त्यागे
 ४ सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ५ सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं
 नि० ५ समिति १ ईर्या देखते हुए चले, रात्रि पूछ के चले
 पडि० पंचहिं समिएहिं १ इरिया समिए
 २ विचारे बोले निर्वच ३ निर्दोष भोगे
 २ भाषा समिए ३ एसणा समिए
 ४ भंडोपकरण यत्नपूर्वक लेवे देवे
 ४ आयाण भंडमतनिक्खे वणा समिए
 ५ परिठावणीया समिति योग्य वस्तु यत्नपूर्वक निर्वच, जगह परठावे
 ५ उच्चार पासवण खेल जल सिंघाएण परिट्ठा वणिया समिए
 नि० ६ जीवनी काय १ पृथ्वी
 पडि० छहिं जीवनीकाएहिं १ पुढविकाएणं
 २ पानी, अप्प ३ अग्नि ४ हवा
 २ आओकाएणं ३ तेउ काएणं ४ वाउकाएणं
 ५ वनस्पति ६ त्रसकाया नि०
 ५ वणस्सइकाएणं ६ तस्सकाएणं पडि०

- ६ लेश्या से
छहिं लेश्याहिं
- २ नील लेश्या ईर्ष्या पर गुण टके
२ निल लेश्याए
- ४ तेजो प्रिय धर्मी
४ तेओ लेश्याए
- ६ शुक्लध्यान घ्यावे नि०
सुकलेश्याए
- ९ ब्रह्मचर्य
नवहिं वंभचेरगुतिणं दसविहिं समणधम्मे एकारस्स उवासग्ग
पडिमा १२ साधुप्रतिमा १३ क्रियास्थान
- १० प्रकार साधुधर्म ११ श्रावक
पडिमाहिं वारस्महिं भिक्खुपडिमाहिं तेरस्सहिं क्रियाहाणेहिं
- १४ प्रकार के जीव
१५ पमारधामि
- चओदसहिं भुयगामेहिं
१६ अय्याय सुयगडांगके
१७ प्रकारके असंयम
- सोलमहिं गाहासोलमएहिं
१८ औदारिक वैक्रियक सम्बन्धी अत्रहचर्य
सतरसविहिं अमेजमेहिं
- अट्टारसविहिं अवंभेहिं
- १९ अघ्या० ज्ञानाताके
२० असमाधियास्थान
- एगुणविसाए नायझायणेहिं
विंसाए असमाहिहाणेहिं
- २१ सत्रला—
२२ परिघ
- एकविसाए सत्रलेहिं
चाविसाए परिसहेहिं

२३ अ० सयगडाग २४ प्र० देवता
 तेविसाए सुयगढ शायणेहि चओविसाए देवेहि
 २५ महाव्रत की २५ भावना

पणविसाए भावणाहि

२६ अ० १० व्यवहार० ६ बृहत० १० दंशा श्रु० के

छविसाए दसकप्पववहारेणं

एवं २६ ड०

२७ साधु के गुण

नुदेसणकालेणं

सताविसाए अणगारगुणेहि

२८ अ० आचार कल्पका

२९ पापसूत्र

अटाविसाए आयारकप्पेहि

एगुणतिसाए पावसुयपसेहि

३० महामोहनीय स्थान

३१ सिद्धों के गुण

तिसाए मोहणीढाणेहि

एगतिसाए सिद्धागुणेहि

३२ जोगसंप्रह

वतिसाए जोगसगेहेहि

३३ प्रकार गुरुअसातना सूत्रकारने ३३ प्र० अन्य प्रकारकी व्रताई हैं

तेतिसाए आसायणाएहि ॥ ४ ॥

१ अरिहंताणं आसायणाए २ सिधाणं आसायणाए
 ३ आयरियाणं आसायणाए ४ उवझायाणं आसायणाए ५ साहूणं
 आसायणाए ६ साहूणीणं आसायणाए ७ सावयाणं आसायणाए
 ८ सावियाणं आसायणाए ९ देवाणं आसायणाए १० देविणं
 आसायणाए ११ इहलोगस्स आसायणाए १२ परलोगस्स

आसायणाए १३ केवलीण आसायणाए १४ केवलीपन्ननस्स-
धम्मस आसायणाए १८ सदेव मणुया सुरस्स लोमस्स आसायणाए-
२९ सव्वपाण भूयजीव सताणं आसायणाए ३० कालस्स
आसायणाए ३१ सुयस्स आसायणाए, ३२ सुयदेवव्यए
असायणाए ३३ वायणरियस्स आसायणाए जंवाडधं वच्चाभेदीयं-
हिनक्खरं अच्चक्खरं पयहिणं विणयहिणं जोगहिणं घोसहिणं सट्ठू-
दिनं दुट्ठपडिच्छियं आदि देइने सम्पूर्णं कहणा ॥ ५ ॥

नमस्कार हो

२४ तीर्थंकर को

१० नमो

चओविसाए तित्थयराणं

ऋषभ देवसे महावीर स्वामी तक

उत्कृष्ट सेवने योग्य

उस भाई महावीर

पञ्चवसणाणं

इनके द्वारा

निर्ग्रन्थों के

प्रणोत किये

प्रवचन शाल

ईणमेव

निर्गग्रंथं

पाचयाणं

सच्चअणुतरं-

केवली द्वारा भाषित

प्रथान

निष्कलंक

शुद्ध है

केवलीयं

पडिपुत्रं

नेयाओयं

संमुघ

शून्यरहित सिद्धगति का दाता

मुक्ति का दाता

निर्वाणमार्ग

सल्लगतणं

सिद्धीमंगं

मुत्तिमंगं

निजाणमंगं

सत्र दुख रहित

इस मार्ग

मेरी सिद्धि

सत्र दुख

निव्वाणमंगं

अवितह

मविसीद्ध

सव्वदुख

क्षय का मार्ग

जीव इसमें स्थापा है

सिजे

बुद्ध

पहिणमंगं

इत्थंठ्ठियाजीवा

सिझंति

बुझंति

मुक्त	संसार पार हो	सर्व दुखसे छूटे	अंत करे .
मुच्चति	परिनिष्वायंति	सन्वदुक्खण	मंतं करंति
उस धर्म को	श्रद्धा करता हूँ	प्रतीत करता हूँ	रुचता है
तं धम्मं	सदहामि	पतियामि	गेयंमि
स्पर्श करता हूँ	पालता हूँ	विशेष पालता हूँ	ऐसा धर्म
फासेमि	पालेमि	अणु पालेमि	तं धम्मं
श्रद्धा करना हूँ	विराधना रहित	रुचि करना हूँ	परसता हूँ
सदहंतो	पतियंतो	गेयंतो	फासतो
पालता हूँ	विशेष पालता हूँ	ऐसा धर्म	केवली
पालंतो	अणुपालंतो	तस्स धम्मस्स	केवली
प्रतिपादन किया	इसलिए	मैं अब उठा हूँ	आराधना करने
पण	तस्स	अब्भुट्ठीयोमि	आराहणाए
विराधना रहित		विशेष विराधना रहित	
विरओमि		चिराहणाए	
असंयम को	त्यागता हुआ	संयम को	अंगीकार करता हुआ
असंयम	परियाणामि	संयमं	उवसं पवझामि
अब्रह्मचर्य को	त्याग करता हुआ	ब्रह्मचर्य	धारता हुआ
अबंभं	परियाणामि	बंभं	उवसं पवझामि
अकल्पनीक को	त्यागता हुआ	कल्पनीक	लेता हुआ
अकप्पं	परियाणामि	कप्पं	उवसं पवझामि
अज्ञान को	त्यागता हुआ	ज्ञान को	अंगीकार करता हुआ
अन्नाणं	परियाणामि	नाणं	उवसं पवझामि

खराब क्रिया को छोड़ता हुआ	संयम क्रिया को करता हुआ		
अकिरियं परियाणामि	करियं उवसं पवज्ञामि		
मिथ्यान्त्र को छोड़ता हुआ	सम्यक्त्व को धारता हुआ		
मिच्छतं परियाणामि	समत उवसं पवज्ञामि		
अबोध का त्याग करता हुआ	बोध को धारण करता हुआ		
अबोहिं परियाणामि	बोहिं उवसं पवज्ञामि		
उन्मार्ग को छोड़ना हुआ	सुमार्ग को धारता हुआ		
अमर्गं परियाणामि	मर्गं उवसं पवज्ञामि		
इन ८ बोलों में	जो दोष लगा या न लगा हो		
जं संभारामि	जं च न संभारामि		
वो प्रतिक्रमना हूँ	जो फिर न निवर्तना हूँ उसका		
जं पडिक्कमामि	ज च न पडिक्कमामि तस्स		
सबका	दिवस सम्बन्धी	आगामी काल का	
सञ्चस्स	देवसियस्स	अइयारस्स	
प्रत्याख्यान किया है	साधु	सयम मे	प्राक्रम
पडिक्कमामि	समणोह	सजय	विरय
कपट रहित	त्याग	पापकर्म का	नियाना रहित
पडिहय	पञ्चक्खाय	पावकम्भे	अनियाणे
सम्यक्त्व दृष्टि युक्त	माया	झूठ	छोड़ता हुआ
दिठीसपन्नो	माया	मोक्षो	विवह्णओ
अट्टाई	द्वीप का		सम्बन्ध
अटाइजेसु	दीवा		समुदेसु

१५ कर्म-भूमि ५ माहाविधे ५ भरत ५ ऐरावत क्षेत्र में भूमि

पन्नरस्स कम्म भूमिसु

जावे	कोई	साधु	रजोहरण	गोच्छा
जावन्ति	केइ	साहु	रथहरण	गुच्छग

पात्रे मुखपत्ती आदि द्रव्य जैन लिंग

पडिग्गधरा

पाँच महाव्रत के धारक भाव दीक्षित संयम १८ हजार

पंच महव्वयधारा

अट्ठारस

शास्त्र	सिलंग	रथ के धारक	अक्षय अखडित
---------	-------	------------	-------------

सहस्स	सीलंग	रथधारा	अक्षय
-------	-------	--------	-------

आचार	चारित्र के धारक वो सब को	मस्तक
------	--------------------------	-------

अयार	चरिता तेसव्वे	सिरसा
------	---------------	-------

मन की शुद्धता मस्तक करके वंदना करता हूँ

मणसा मत्थएणं वदामि ॥ ५ ॥ पीछे ॥

सबजीव माफ करो सबजीवों से मित्र-भाव सब जीवों से

खमिमि	सव्वेजीवा	सव्वे जीवावि
-------	-----------	--------------

क्षमा माँगता हूँ	मैत्री है	सर्व जीवोंसे	वैर
------------------	-----------	--------------	-----

खमतुमे	मित्तिमे	सव्व	भुएसु	वेरं
--------	----------	------	-------	------

मेरे विरोध नहीं किंचित् कोई से इस प्रकार आत्म-साक्षी से

मझ	न केणइ	एवं महं
----	--------	---------

आलोचना करता हूँ गुरु साखे निंदता हूँ घृणा करता हूँ

आलोइयं	निदियं	गरहिं
--------	--------	-------

दुर्गछा करता हूँ	सर्व प्रकार से	तीन करण ३ योग से
दुर्गछियं	सब (२)	तिविहेणं
प्रतिक्रमण करता हूँ	बदता हूँ	जिनतीर्थकर
पडिकते	बदामि	जिण

२४ को

चउविसं ॥ ६ ॥ पिछे ॥

दोय पाटी खमासणा की कहना ॥ पीछे ॥ पाँचपदा की वनणा करना ॥ पीछे ॥ सात लाख पृथ्वीकाय की पाटी कहणा ॥ पीछे ॥ खमत खामणा करके, कडो, काटो कठोर वचन लगा हो तो देवसी कीवा रायशी तस्स मिच्छामि दुक्कडं कहना ॥ पीछे ॥ पाँचवा आवसक की आज्ञा लेणा ॥ पीछे ॥ देवशी कीवा रायशी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, अतिकर्म, वतिकर्म, अतिचार, अनाचार, लाग्यो होय तो तस्स मिच्छा० दुक्कडं ॥ पीछे ॥ नवकार की पाटी कहना ॥ पीछे ॥ करेमिभन्ते की पाटी ॥ पीछे ॥ इच्छा मिहामि काउसं की पाटी कहणा ॥ पीछे ॥ तस्स उतरिकी पाटी ताव काय सुधी कहके ध्यान करणा, ध्यान में चार लोगस्स एक नवकार की पाटी कहके पूरा करना ॥ पीछे ॥ एक लोगस्स प्रगट कहना ॥ पीछे ॥ दोय खमासमणा की पाटी कहना फिर पाँचवां आवसग समाप्ता ॥ छट्टा आवसग की आज्ञा लेना ॥ पीछे ॥ १ गया कालनो पडिकमणो २ जाव जीवनी सोमाइ ३ आगमिया कालना पच्छक्खाण अथा सक्ती करणा ॥ पीछे ॥

जो पहिले लिया ब्रह्म भाव चरित्र, २ चौबीस तीर्थकर की स्तुति

१. पहली सोमाइक

२ दुजो चोविस्थो

३ आचार्य वन्दना

४ लगे पाप का प्रायश्चित

३ तिजीवनणा

४ चोथा पडिकमणो

५ कर्म क्षय करने रूप काउस्सग याने ध्यान

५ पांचवो काउस्सग

६ आगामी काल का त्याग याने संवर

६ छटा पच्छक्खाण ईणमोअतिकर्मवतिकर्म

३ अतिचार ४ अनाचार लाग्यो होय तो तस्स मिच्छामि
दुक्कड ॥ पीछे ॥

पाँच नवकार कहना ॥ पीछे ॥ बड़े को वंदना विधियुक्त
आचार्यादिक अनुक्रमे करना संपूर्ण समण प्रतिकम्मणा ॥

चउकाल की सझाए

- (१) सूर्योदय पहले एक मुहूर्त्त में पाँच नवकार
चोविस्थो पडिकमणो करणो ।
- (२) सूर्योदय बाद प्रतिलेखना चोविस्था पाँच नवकार
करणो ।
- (३) दिन के चार बजे पीछे पाँच नवकार पलेवन
चोविस्था करना ।
- (४) सूर्यास्त पीछे एक मुहूर्त्त के पहले चोविस्था
पडिकमणो पाँच नवकार करना ।

चारकाल की सझाए समाप्त

देवशी, रायशी प्रतिक्रमण में चार लोगस्स के ध्यान की परंपरा है; पखीको १२ लोगस्स और चोमासी पखीको को २० लोगस्स का, छमछरीको चालीस लोगस्स का, चोमासी अन्तिमपक्षी को बीस लोगस्स हीली चोमासा पखीको २० लोगस्स का ध्यान करने की परंपरा है। प्रतिक्रमण करते वक्त १ चोविस्था खड़े खड़े करना, २ ध्यान खड़े हुए एक पुद्गलपर दृष्टि स्थापन करके या आँख बन्द करके देह स्थिर करके करना, ३ तीजे आवसक में गुरु व्रनणा अड्डुखडू बैठके दसोंकर मिलके नमस्कार सहित करना; चौथे आवसक में अतिचार खड़े २ बोलना, पाँच पदाकी व्रनण दसों अग नमाके करना; पाँचवा आवसक में ध्यान उपरोक्त मुजव करना, छट्टा आवसक पूरा होने बाद एक पुचे पर सिंध आसण सहित एक नमोत्युण के सेवट में सिद्ध गई नाम धेइय ठाणं संपताण नमोजिणाण कहके सिद्धाको देना; दूसरा नमोत्युण अरिहंत को देना, तीजा नमोत्युण गुरु महाराज श्रीमन्वर स्वामीजी को शुद्ध गुरु को देना उनके सेवट मंम धम्मस्स आय-रियस्स थइथूई मंगलं मेरा धर्माचार्यजी को हो यों कहके समाप्त करना और पाँच नवकार गुणणा ॥ इति शुभम् ॥

॥ ओऽम् शान्ति ॥

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
निवेदन			
२	३	१८६६	१९६६
"	६	१८६८	१९६९
"	६	१८७७	१९७७
"	१२	१८८६	१९८६
"	१३	१८८२	१९९२
३	७	१८८५	१९९५
पुस्तक			
८	५	आये	आमे
८	१३	म्हघापुत्र	मृघापुत्र
२४	११	का मालदार से	से मालदार का
२४	१५	से	इतना
२६	१२	... न कराए;	साध्वी से न कराए;
३६	३	करेना	करेन्तं
३६	३,४	पडिछमामि;	पडिक्कमामि
३६	४	अघाणं	अप्पाणं
४०	१३	१३१	१ उ० १
४५	१२	वारहः	वाहर
५९	१०	आड	आउ
५९	१६	दौड़कर	छोड़कर

यृष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६५	१७	से	ने
६५	१७	गया	—
६८	९	.. ग्रास	३२ ग्रास
७२	१४, १७	साड़ी	साळी
७३	३	"	"
७३	३	२३	२४
७४	२०	थोथोजी	थोथोजी
७५	१८	त्रिकुबु	भिकंबु
७६	६	अज्ञान	आसन
८४	९	उक	उड
८७	१५	नेहसणाए	तेहंसणाए
८८	२०	दुरप्पया	दुरप्पया
८९	१	तस्त	तस्त
१०३	१०	पे	म
१०३	१२	हेड	हेउ
१०७	२४	साहन	साहव
१०९	१७	लिथि	लिधि
१०९	२१	मूढ	मूळका
११०	१०, ११	किए	लिए
१११	२	तालपलम्बे	ताडपलम्बे
११२	१	अ०. ...	अ० ३
११३	७	तहप्पगारं	तहप्पई

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२५	१	भ्रम-भूलक	भ्रम-मूलक
१३०	१८	महीने	मही में
१३३	१२	सचिक्खस्त	संचिक्खऽत्त
१३३	१३	साभण्ण	सामण्णं
१४०	१८	सेणवा	दुसेवणा
१४०	१९	आहट्टदलएज्जा	आहट्टदलएज्जा
१४२	७	आयामवा	आयामवा
१४२	१०	ठ०	उ०
१६५	२	मणुव्विगो -	मणुव्विगो
१६५	२	अव्वक्खिनेण	अव्वक्खित्तेण
१६५	१७	कळ	कुळ
१७८	२१	समका	रेसमका
१८०	११	अवेहेहणं	अवेलेहणं
१८४	५	कप्पेण	कक्केण
१९०	१७	पप्फोउण	पप्फोडण
१९३	११	उववाई	उववाई
२३७	२१	सागम्भायणं	सागम्भायणं
२४१	१३	लोगो	लागो
२४४	१४	लगते	लगने
२४५	३	दाँडी से	दाँडी इतना
२६३	१३	माँसा	मोसा

क्षमा-याचना

शुद्धिपत्र में बताई हुई अशुद्धियों के अतिरिक्त और भी गलतियाँ हो सकती हैं; जिसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ। कृपया पाठक सुधार कर पढ़ लें।

—प्रकाशक

३११ १४
 ३११ १७
 ३१४ १०
 ३१५ १९
 ३१७ १५
 ३३८ १०
 ३५० ११
 ३५५ १
 ३५७ १३
 ३६१ ४
 ३६६ १७
 ३६६ १७
 ३७१ १
 ३७४ २
 ३७८ १७
 ३८६ ९
 ३८८ ८

वस्तु
 फिर
 तीवसुं
 फुलाक
 थापन
 सूत्र...
 हीगणू
 भोजन
 डव
 चिन
 कंमूलेय
 मूणजणी
 सगलणे
 भणेण
 फरस ५
 पूछ
 नुदेसण

सु
 फिरे
 तिनसुं
 पुलाक
 थापन
 सूत्र ९
 हीगळू
 योजन
 उव
 चित्तजी
 कदमूलेय
 मूल जड़ी
 सजलणे
 भणेण
 गघ ५ फरस
 पूज
 उदेसण

